खण्ड-291, अंक-10
गुरूवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(26 अगस्त, 1971 ई0)

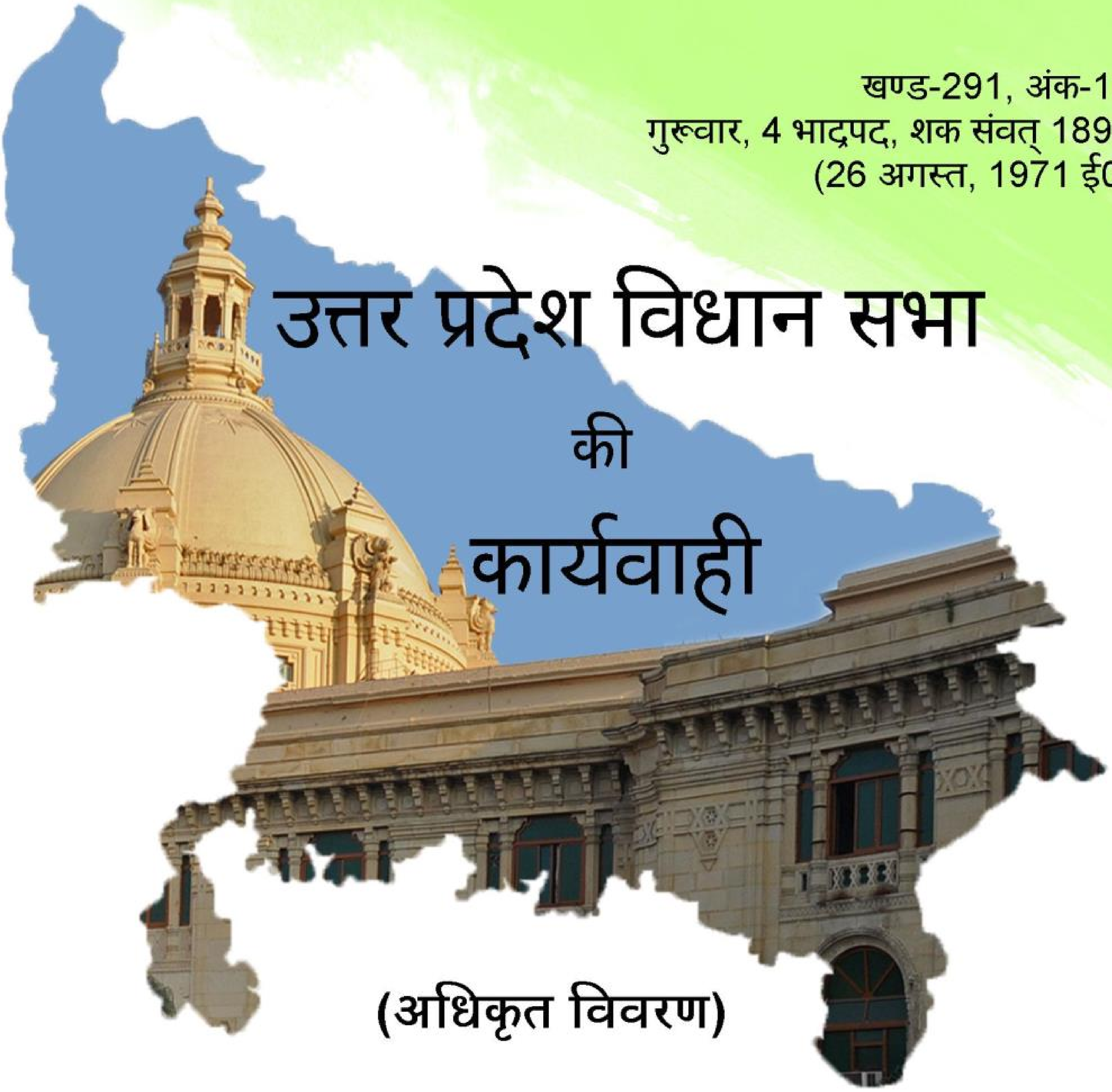

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..११८१–११८५
ए० सी० करेन्ट फेल होने से सदन के पंखे चलना बन्द होना	११८५
प्रश्नोत्तर	..११८६–१२२९
प्रदेश में अपराधों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में शिकायत.. ..	१२३०
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें	..१२३०–१२३१
भारतीय क्रांति दल के सदस्यों को बोलने का कम समय मिलने की शिकायत..	१२३२
विविध प्रश्न	..१२३२–१२३३
केन्द्रीय सरकार के मितव्ययिता के आदेश के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा जानकारी ..	.. १२३३–१२३४
सदस्यों द्वारा बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये आर्थिक सहायता की घोषणा	१२३४–१२३५
विविध विषय	.. १२३५–१२३९
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों की सूचना (जारी)	..१२३९–१२४०
श्री मोतीलाल देहलवी की सुरक्षा के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की मुख्य मंत्री से हुई वार्ता के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	१२४०
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	१२४१
उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	१२४१
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों की सूचना	१२४१
नियम ५२ तथा विशेषधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	.. १२४२–१२४३
राजकीय श्रमजीवी महिला छात्रावास, निरालानगर, लखनऊ में एक युवती के मृत पाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..१२४३–१२४६
इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ (पुरःस्थापित किया गया)	१२४६
१९७१–७२ के आय-व्ययकमें अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन तथा अनुदान संख्या ४६—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (जारी) ..	..१२४६–१२९०

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ की सूचनाएं ..	..१२९०–१२९१
इटावा में हरिजनों की जमीन जबरदस्ती छीने जाने, उनसे रिश्वत लेने तथा मार-पीट करने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	..१२९१–१२९५
जिला बस्ती में एक विधायक के पुत्र तथा एक संसद सदस्य के सगे भाई द्वारा एक मुंसिफ मैजिस्ट्रेट को मारे जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा .. .	.. १२९५–१३०३
लखनऊ शहर में महात्मा गांधी मार्ग पर होटल क्लार्क अवध को सरकारी भूमि सस्ते दर पर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा (समाप्त)	.. १३०३–१३०७
नत्थियां	..१३०८–१३३७

विधान सभा सचिवालय

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमा शंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
केदारनाथ श्री,
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोबिन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जुदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह राजा, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायन, बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खाँ, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ति चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, चौधरी
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री

सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, बेगम
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट :---सूचना राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उपस्थित थे ।

ए० सी० करेन्ट फेल होने से सदन के पंखे चलना बन्द होना

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

सदन में बिजली नहीं है । बिजली की प्रान्ट पास करते ही बिजली बन्द हो गयी ।

श्री अध्यक्ष---

मैं यही सूचना देना चाहता था कि ए० सी० करेंट फेल हो गयी है । इसलिये पंखे नहीं चलेंगे जब तक कि वह दुरुस्त न हों ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

बिजली जब फेल हो गयी है तो हाउस क्या चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---

कुछ देर के लिये सदन चाहे तो पोस्टपोन किया जा सकता है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

सदन चलने दीजिये ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

औद्योगिक ढांचे को सक्रिय बनाने के लिये सलाहकार समिति का गठन

**१—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय एवं निदेशालय स्तर पर औद्योगिक ढांचे को अधिक सक्रिय बनाने के लिये किसी सुझाव समिति का गठन किया जा रहा है ? यदि हां, तो समिति कब तक गठित हो जायगी और उसका कार्य-क्षेत्र क्या होगा ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

सरकार प्रदेश के कुछ प्रमुख नागरिकों, अर्थशास्त्री, उद्योगपतियों तथा ज्येष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक सलाहकार समिति के गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह समिति उद्योग नीतियों से संबंधित विषयों पर परामर्श देगी।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

इस समिति का गठन कब तक हो जायगा और क्या सरकार इस समिति में विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को सम्मिलित करने पर भी विचार करेगी ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

आगामी मास में यह गठित हो जायगी और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है उस पर भी विचार किया जायगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

इस समिति का कार्य क्षेत्र कितना रखने का विचार सरकार का है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

समिति के परामर्श देने के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। वह जो परामर्श देगी सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या समिति का गठन रीजनल बेसिस पर विभिन्न अंचलों में भी किया जायगा जिससे सारे प्रदेश का विकास हो सके ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

रीजनल बेसिस पर कोई समिति नहीं बनाई जायगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायगा कि सारे ही प्रदेश का उसमें प्रतिनिधित्व हो सके।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

यह समिति केवल परामर्श देने के लिये होगी या जो औद्योगिक कार्य हो रहे हैं उनकी देखभाल तथा समीक्षा के लिये भी होगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

इसका कार्य परामर्श देना होगा और सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

औद्योगिक क्षेत्र में जो अविकसित क्षेत्र हैं उनकी क्या सरकार अलग से समिति बना देगी और विकसित क्षेत्रों की अलग समिति बनायेगी ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

जो उपेक्षित क्षेत्र हैं उनके लिये हमने अलहदा से एक बोर्ड बना दिया है और यह समिति जो बनाई जा रही है यह उनके विकास पर भी विशेष रूप से विचार करेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

इस समिति के गठन पर जो सरकार विचार कर रही है तो मुख्य-मुख्य मोटे रूप से उसके उद्देश्य क्या हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

उद्योग के सम्बन्ध में सभी प्रकार के विचार होंगे। उद्योगपतियों को जो कठिनाइयां आती हैं, किसी क्षेत्र का विकास किस तरह से हो सकता है, इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जायगा।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत समिति के लिये टर्म्स आफ रिफरेन्स निश्चित हो गये हैं या नहीं ? यदि हां, तो उनमें से मुख्य-मुख्य क्या-क्या है ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

जब उस समिति का गठन होगा उसी समय उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स का भी उल्लेख होगा।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई उद्योगों को व्यापक रूप से बनाया जायगा, इस बात पर विचार करेंगे ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

लघु उद्योगों की तरफ तो हमारा विशेष ध्यान है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस समिति का गठन प्रत्येक जिला स्तर पर करेगी और यह पता लगायेगी कि कौन-कौन से उद्योग किस-किस जिले में चलाये जा सकते हैं और कौन-कौन से रा-मेटिरियल किस जिले में मिल सकते ह, ताकि इन उद्योगों को पनपाया जा सके ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

अभी हम हर जिले में एक परामर्शदात्री समिति का गठन कर रहे हैं।

राजकीय सेवाओं में प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार

**२---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह राज्य सेवाओं में प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाने का विचार कर रही है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

जी नहीं ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के यहां विचाराधीन है? और क्या अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी मांगी गई है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि उम्र बढ़ाने में आपको क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

सरकार इसको आवश्यक नहीं समझती ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुये कि जो रिटायरमेंट की सीमा आप लोग ६०–६२ साल तक ले जाते हैं तो प्रवेश की सीमा को उसी आधार पर बढ़ाना आवश्यक नहीं समझते ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, यह कोई आवश्यक नहीं है । रिटायरमेंट की सीमा ५८ वर्ष है और उसके बाद कोई विशेष कारणों से और दिया जा सकता है । किन्तु सामान्य रूप से ५५ से ५८ वर्ष ही रिटायरमेंट की सीमा है ।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उसमें जिला परिषद् म्युनिसिपैलिटी के जो अध्यापक हैं उनकी सेवायें भी राज्य सेवा के अन्दर आ गई हैं तो उनके लिये भी कोई सेवा विस्तारण का मौका दिया जायेगा ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि वे राज्य सेवा के अन्तर्गत आ गये हैं या नहीं अभी माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों में एक मोटी–मोटी सैद्धान्तिक रूपरेखा रखी थी किन्तु अभी सरकार ने उस पर विस्तार से विचार नहीं किया ।

श्री हिम्मत सिंह—

सदन में बताया गया है कि २५ साल की उम्र में वह इक्सपर्ट हो जाते हैं और इसलिये ऐसी नौकरियों में ले लिये जाते हैं । इस बात को देखते हुये राज्य सेवा के लिये आयु सीमा २५ साल से अधिक बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिये आवश्यक नहीं है कि सामान्य रूप से २१ वर्ष में यह समझा जाता है कि वह स्नातक हो जायेगा और २५ वर्ष तक उसको ३ अवसर मिलते हैं कि वह प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठे । यदि वह तीन अवसरों में भी सफल नहीं हो पाता है तो यह समझा जाता है कि वह उसके काबिल नहीं है । इसलिये वर्ष की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं ।

श्री राम करनसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि प्रवेश सीमा को २५ से आगे नहीं बढ़ाना है तो जो रिटायरमेंट की सीमा ५५ वर्ष की है उसको ५८ वर्ष तक करने के क्या कारण हैं? प्रदेश की गरीबी को देखते हुये क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि ५५ से ५८ वर्ष तक का इक्सटेन्शन किसी को न मिल पाये ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

सामान्य रूप से जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ५५ वर्ष में रिटायरमेंट की आयु है, किन्तु यदि इस सीमा तक उसका कार्य, उसका स्वास्थ्य ठीक है और वह सूटेबुल है तो इक्सेप्शनल केसेज में इस पर विचार किया जाता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी मंत्रियों के अवकाश प्राप्त करने की कोई सीमा बांधकर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, यह तो वे अपने नेताओं से पूछें।

पुलिस अधिकारियों की डी० आई० जी० रैंक पर पदोन्नति

** 3—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किन-किन पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति देकर डी० आई० जी० पुलिस की रैंक दी गई है और क्या ऐसे पदोन्नत अधिकारियों में कोई ऐसे भी हैं जिन्हें पहले सुपरसीड किया गया था, यदि हां, तो सुपरसेशन के क्या कारण थे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में डी० आई० जी० के पद पर केवल एक रिक्ति हुई जिसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया। अधिकारी जिसको प्रोन्नति दी गई उन्हें पहले सुपरसीड किया गया था। इनके अतिक्रमण (सुपरसेशन) का यह कारण नहीं था कि इनकी योग्यता में कोई कमी थी बल्कि इनके प्रशासनिक दृष्टिकोण में किन्हीं अवसरों पर कुछ कमी पाई गई थी। डी० आई० जी० के पद पर प्रोमोशन के लिये यह जरूरी था कि वे किसी बड़े जिले में एस0 पी0 के पद पर कार्य करें। अतः इनको २९-४-७० से एस0 पी0, सहारनपुर बनाया गया और पुलिस महानिरीक्षक की विशेष संस्तुति प्राप्त होने के बाद इन्हें डी०आई०जी० के पद पर नियुक्त किया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, इन अधिकारी का नाम श्री कालीशंकर त्रिपाठी है। इनके प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या-क्या कमियां किस-किस समय पर पाई गईं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, उनका नाम श्री कालीशंकर त्रिपाठी है, यह सही है और समय-समय पर जो प्रविष्टियां हुईं वे उनके कार्य अथवा चरित्र के खराबी का आधार नहीं थीं। जो प्रवृष्टियां हुईं उनमें यह कहा गया कि उनकी काम्पलेक्स परसोनेलिटी है और मेंटल मेक अप में कमियां हैं और उसकी वजह से उनमें अन्य कमियां पाई गईं। लेकिन किसी प्रवृष्टि में चरित्र और कार्य के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं हुई।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह किस की टिप्पणी थी कि उनके मेंटल मेक अप में कमी है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

उनके जो इमीजियेट सुपीरियर्स हैं सीनियर डी० आई० जी० वगैरह की, उनके मेंटल मेकअप के सिलसिले में तीन-चार प्रविष्टियां थीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नई सरकार के बनते-बनते आई० जी० के पास से संस्तुति पहुंचने का क्या कारण है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, यह संस्तुति इस सरकार के कार्यकाल में नहीं आई बल्कि मार्च, १९७० में आई० जी० ने कहा कि उनका ट्रांसफर किसी सख्त जगह पर कर दिया जाय। तब एक आध वर्ष देखने के बाद उनके प्रमोशन पर विचार किया जायेगा। इसके बाद १९७० में डी०आई०जी० और कमिश्नर ने संस्तुति की जिसमें उनके कार्य की प्रशंसा की गई। उसके आधार पर अप्रैल में महानिरीक्षक ने संस्तुति की कि इनका प्रमोशन कर दिया जाय। यह पहले से क्रम चल रहा था। इस सरकार के जमाने में यह संस्तुति नहीं हुई ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी को पता है कि ६९-७० में जब ये बस्ती में एस०पी० थे तो उनके कार्यकाल में थाना लोटन में बिना सरकार के आदेश के मंदिर बनाया गया और जनता से जबरिया धन वसूल किया गया ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि त्रिपाठी जी के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को डी० आई० जी० बना दिया गया था ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, उनको सुपरसीड तो किया ही गया था। और उसके लिये बताया गया कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर उनको सुपरसीड किया गया था ।

आपात्तकालीन पी० सी० एस० प्रतियोगिता

**४--श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बतायेगी कि निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश एक आपात्त-कालीन पी०सी०एस० प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से उक्त प्रतियोगिता में यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि इसमें वही कर्मचारी भाग ले सकता है जिसका कम से कम मासिक बेसिक वेतन २५० रु० से कम न हो? यदि हां, तो वेतन का प्रतिबन्ध हटाकर शैक्षिक योग्यता के आधार पर सभी कर्मचारियों को उक्त प्रतियोगिता में शामिल होने का अधिकार देने में क्या कठिनाई है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

जी हां। इस प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये वेतन सम्बन्धी योग्यता का कोई प्रतिबन्ध रखने का शासन का विचार नहीं है। अतएव ऐसे प्रतिबन्ध को हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इनमें कुल कितनी सीटें हैं और हरिजनों और पिछड़े वर्ग का उसमें कितना कोटा है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय--

इसमें कितने व्यक्तियों को लिया जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

५५ व्यक्तियों के लिये यह इमरजेंसी रिक्रूटमेंट किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। उस दिन बताया गया था कि रिक्रूटमेंट पर प्रतिबन्ध है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न में यह कहा गया है "यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से उक्त प्रतियोगिता में यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि इसमें वही कर्मचारी भाग ले सकता है जिसका कम से कम मासिक वेतन २५० रु० से कम न हो।" उस दिन जो पूछा गया था वह योग्यता का प्रश्न पूछा गया था, इसमें वेतन का पूछा गया है। वेतन के बारे में उन्होंने बताया कि वेतन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उन्होंने कहा है कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

योग्यता का है। वेतन का नहीं है।

श्री महीलाल--

रूपनाथ सिंह जी ने पूछा कि शिड्यूल्ड कास्ट के कितने लोग लिये जायेंगे तो उत्तर दिया गया कि इसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है। जब उनका रिजर्वेशन है तो फिर संबंध क्यों नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब के लिये तैयार होकर नहीं आते हैं।

श्री रूपनाथसिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रतियोगिता में किस आधार पर अभ्यर्थी बैठ रहे हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

आधार तो यही है कि उनको सेकिन्ड डिवीजन का ग्रेजुयेट अथवा पोस्ट ग्रेजुयेट होना चाहिये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में हरिजन छात्रों के प्रवेश हेतु सुरक्षित स्थान

*१—श्री धर्मवीर (इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में हरिजन छात्रों का प्रवेश सुरक्षित स्थान के अनुसार हो रहा है, कितनी सीटें सुरक्षित हैं तथा क्या हरिजन छात्रों पर भी ६० प्रतिशत प्राप्तांक का प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है? यदि हां, तो इस नियम के अनुसार कितने हरिजन छात्रों का, जिन्होंने आवेदन-पत्र दिया, प्रवेश हो सकेगा ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

जी हां। अनुसूचित जातियों के लिये २८ सीटें आरक्षित हैं। हरिजन छात्रों के प्रवेशार्थ सभी सामान्य छात्रों की तरह ६० प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक निर्धारित किये गये थे जिसके अनुसार ३ हरिजन छात्रों को प्रवेश मिलने की आशा थी। सभी छात्रों के लिये न्यूनतम प्राप्तांकों को ६० प्रतिशत से घटा कर अब ५० प्रतिशत कर दिया गया है जिसके अनुसार अब १४ हरिजन छात्रों के प्रवेश की आशा है।

श्री धर्मवीर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद में पिछले वर्ष न्यूनतम प्राप्तांकों के आधार पर कितने हरिजनों का प्रवेश हुआ था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री धर्मवीर—

जबकि २८ सीटें हरिजनों के लिये सुरक्षित हैं और अबतक केवल १४ हरिजनों का प्रवेश हो पाया है, तो क्या पूरे २८ हरिजन विद्यार्थी उसमें प्रवेश पा जायं कुछ प्राप्तांक न्यूनतम में माननीय मंत्री जी कमी करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

शिक्षा में समान स्तर रखने के लिये एक शासनादेश हुआ है कि ५० प्रतिशत तक के विद्यार्थी ही लिये जायेंगे। इसलिये उसके अन्तर्गत जितने आयेंगे उतनों का ही प्रवेश सम्भव है।

श्री धर्मवीर—

इसीलिये मैंने पूरक प्रश्न किया था कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से हरिजनों के संबंध में न्यूनतम प्राप्तांकों से कम नम्बर पाने वालों को भी प्रवेश दे दिया गया उसी प्रकार से क्या इस वर्ष भी उनके प्रवेश का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या मंत्री जी को पता है कि अनुच्छेद १५ (४) के अन्दर जो आर्थिक और सामाजिक तौर से पिछड़े हुये हैं उनके लिये विशेष अवसर का संविधान में निर्देश है ? तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए पिछड़े हुओं को भी इस कालेज में प्रवेश पाने के लिये सुविधा देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुये इन प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में समान स्तर बनाये रखने के लिये ५० प्रतिशत अंक सब के लिये समान रूप से कर दिये गये हैं । जो विद्यार्थी इस प्रतिबन्ध को पूरा करेंगे उनको लेने का प्रयास किया जायगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

क्या तकनीकी कालेजेज में ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि हरिजन छात्रों का प्रवेश हो सके साथ ही साथ योग्यता में गिरावट न हो, एक सिद्धांत निरूपित कर दें कि हर जगह यह व्यवस्था लागू हो सके ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो भी नियम बनते हैं वह प्रायः ऐसे सभी कालेजों के लिये बनते हैं । माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मेरा प्रश्न यह था कि सरकार ने हरिजनों के बारे में तो जवाब दे दिया कि सरकार की नीति क्या है, लेकिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित करेंगे या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री धर्मवीर---

व्यवस्था का प्रश्न है । वस्तुस्थिति यह है कि मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में प्रवेश के लिये बहुत से हरिजन छात्रों ने आवेदन-पत्र दिये हैं । पिछले वर्ष सवर्ण जातियों की अपेक्षा न्यूनतम प्राप्तांकों से कम पर भी उनका ऐडमिशन किया गया था । इस साल वह बराबर कर दिया गया है । इसी पर मैंने यह प्रश्न रखा था । आज जबकि ऐडमिशन की डेट खत्म हो रही है सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है । माननीय शिक्षा मंत्री भी नहीं हैं, राज्य मंत्री भी नहीं हैं । राज्य विद्युत मंत्री को जानकारी नहीं है । माननीय राज्य विद्युत मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हम विचार करेंगे । यह कोई निश्चित उत्तर नहीं है । तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री यदि कोई विचार करें तो ऐडमिशन की डेट बढ़ा देंगे ताकि यह न हो कि ऐडमिशन की डेट तो खत्म हो गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा और शीघ्र ही जो भी निर्णय होगा उससे सूचित किया जायगा ।

*२---श्री राम सिंह तथा श्री जे० एन० सिन्हा---

[८वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ जनपद के बरहुआ तथा सराय मुरार सिंह ग्रामों में सशस्त्र डकैती

*३—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया जानकारी रखते हैं कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत दिनांक २४ जुलाई, १९७१ ई० की रात में बरहुआ भोजपुर ग्राम में सशस्त्र डाकुओं ने १०,१२ घरों को निर्दयतापूर्वक लूट लिया और लगभग १ लाख रुपया की लूट हुई तथा दर्जनों व्यक्ति घायल होकर अस्पताल में हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा कितने फरार हैं ? क्या कतिपय अभियुक्त नामजद भी किये गये हैं ? यदि हां, तो उनका पता क्या है ?

गृह उप मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार २४/२५ जुलाई, १९७१ की रात्रि में ग्राम बरहुआ तथा उससे मिले हुए लगभग दो बीघा के फासले पर स्थित ग्राम सराय मुरार सिंह में लगभग २०-२२ सशस्त्र डकैतों द्वारा ११ घरों में डकैती डालकर लगभग साढे छः हजार रुपयों की सम्पत्ति लूटी जाने की घटना के संबंध में धारा ३९५/३९७ भा०द० वि० के अन्तर्गत मुकदमें कायम किये गये । इस घटना में १५ व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं और उनमें से दो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती किये गये । इस घटना के संबंध में ११ अभियुक्त नामजद किये गये जो फरार हैं और अन्य अज्ञात अपराधियों का पता नहीं चल सका है । नामजद अभियुक्तों का पता संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३०८ पर)

श्री रामदेव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ११ घरों में डकैती पड़ी उन १५ गृह स्वामियों के नाम क्या हैं और उन लोगों ने अलग-अलग रिपोर्ट थाने में की है और अलग-अलग अभियुक्तों को नामजद किया है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

अलग-अलग रिपोर्ट लिखाने की सूचना हमारे पास नहीं है । हमारे पास यह सूचना है कि दो ने रिपोर्ट लिखाई है ।

श्री रामदेव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अभियुक्त नामजद किये गये हैं और फरार हैं उनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की गई और उनका माल कुर्क कर लिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अभी कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई है । पुलिस जांच कर रही है । अब जिनके खिलाफ इतना साक्ष्य उपलब्ध होगा कि वास्तव में उन्होंने डकैती डाली है तो उनके खिलाफ ८७,८८ की आगे कार्यवाही की जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा है या नहीं यह उनको कब जानकारी होगी ? जब वह नामजद हो गये तो ८७,८८ की कार्यवाही उनके खिलाफ क्यों नहीं की गई ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

८७,८८ की कार्यवाही न करने के कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों यह कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरे प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री ओम प्रकाश सिंह जी ने जो जवाब दिया था तथा द्विवेदी उपमंत्री जी ने जो जवाब दिया इन दोनों में विरोधाभास है । उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं हो जायगी कि डकैती पड़ी है तब तक कुर्की की कार्यवाही नहीं होगी और उन्होंने कहा कि कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई इसके लिये जांच हो रही है । मैं निवेदन करूं कि दो उपमंत्री जो राम लक्ष्मण की जोड़ी यहां पर बैठी है हर रोज इस सदन में उलटे सीधे जवाब देते हैं, मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसकी कोई व्यवस्था करें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मेरी समझ में मान्यवर, कभी-कभी मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा धोखा देता है । उन्होंने कोई विरोधाभास की बात नहीं कही । एक ने यह कहा कि वे अभी फरार हैं तो अभी ८७ और ८८ की कार्यवाही नहीं की गई । जांच हो रही है । फिर यह पूछा गया कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई तो जवाब यह दिया गया है कि उन अधिकारियों से हमने पूछा है कि तुमने ८७-८८ की कार्यवाही क्यों नहीं की । मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं मैं समझता हूं कि उनको ८७-८८ की कार्यवाही कर देनी चाहिये । उनका जवाब आने के बाद उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है जिन्होंने ऐक्शन नहीं लिया था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, इसमें अन्तर है । उन्होंने कहा कि जांच हो रही है । उन्होंने डकैती डाली या नहीं.....

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

जसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने ८७-८८ की कार्यवाही नहीं की । क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्यवाही कितने दिनों में होगी और उस रिपोर्ट को जल्दी मंगाने की कृपा करेंगे और जो आपत्ति पैदा हुई है वह समाप्त हो जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

रिपोर्ट बहुत जल्द आ जायेगी और आपकी मदद हो जायेगी तो जल्दी भेज देंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि थाने में जो मुकदमा कायम हुआ वह कौन सी तारीख को कायम हुआ ? जिसकी नामजद रिपोर्ट लिखाई गई थीं उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये सबसे पहले कार्यवाही कौन सी तारीख को की गई थी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, २५-७-७१ को एफ० आई० आर० लिखायी गयी मुकदमा नं० ८८, धारा ३९५/३९७।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, गिरफ्तारी के लिये पुलिस कब गई ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रामदेव—

श्रीमन्, मुझे व्यक्तिगत सूचना है । जब मैं जनपद में गया था तो मुझे सूचना दी गई कि लगभग एक लाख की डकैती हुई ग्यारह घरों में । लेकिन उत्तर आया है कि साढ़े छः हजार की सम्पत्ति लूटी गई । तो मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि कितने वस्त्राभूषण, कितना इतर सामान और कितना नकद लूटा गया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, विवरण दे रहा हूं । साढ़े छः हजार की सम्पत्ति है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो पूरा ब्योरा दे दूं । जो रिपोर्ट लिखाई गई उसके आधार पर लिखा गया है । उसका मूल्य साढ़े छः हजार आंका गया । यदि माननीय सदस्य ब्योरे में चाहते हैं तो मैं उसे सदन के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

ब्योरे की आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम अकबरपुर, जिला सीतापुर में भूतपूर्व कोतवाल, श्री भारतसिंह, उनकी पत्नी व नातिन की हत्या

*४—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २४ और २५ जुलाई, १९७१ की मध्य रात्रि को ग्राम अकबरपुर, जिला सीतापुर में भूतपूर्व कोतवाल, श्री भारत सिंह, उनकी पत्नी व उनकी नातिन की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो क्या उनके शव बरामद हो गये और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

दिनांक २५/७/७१ को जिला सीतापुर के लहरपुर थाने में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई कि दिनांक २४/२५ जुलाई की रात्रि को अकबरपुर गांव के निवासी भूतपूर्व कोतवाल श्री भारत सिंह, उनकी पत्नी एवं उनकी पौत्री कुमारी बंदना देवी घर पर नहीं मिले, घर का सामान अस्त-व्यस्त पाया गया और वहां दीवारों, नाली एवं कपड़ों पर खून के धब्बे मिले । इस सूचना पर भा०दं०वि० की धारा ४६०/३६४/२०१ के अधीन मुकदमा कायम हुआ । विवेचना से यह पाया गया कि अभियुक्तों ने मृतकों के शवों को टुकड़े करके घाघरा नदी में फेंक दिया । अतः मृतकों के शव बरामद नहीं हो सके । इस संबंध में ७ अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इतना भयंकर कत्ल किया गया पूरे परिवार का और लाश बरामद नहीं हुई । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह लाश घाघरा में डाल दी गई । मान्यवर, जाहिर है कि लाश के न मिलने से अभियुक्त छूट जायेगा । म पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस जो ऐसे निर्णायक प्रमाण होते हैं वह एकत्रित कर चुकी है जिससे साबित हो जाय कि कत्ल हुआ पूरे खान्दान का और उनकी लाशों को घाघरा में फेंक दिया गया ? यदि हां, तो वे कौन से प्रमाण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रमाण तो अदालत में पेश होगा । जांच हुई और जांच की जो रिपोर्ट आयी वह आपके सामने पेश की गयी । वहां कुछ असंतोष था जिसके लिये पी०ए०सी० भी पोस्ट की गयी, बड़े अधिकारी भी वहां गये ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या इस मामले में भारतसिंह का कोई नौकर भी गिरफ्तार हुआ है, यदि हां, तो क्या उसने किन्हीं और लोगों के नाम भी बताये हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी हां, उनका नौकर भी गिरफ्तार हुआ था, उसी से यह केस खुला और उसी आधार पर और लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

श्री हिम्मत सिंह—

पूरा का पूरा परिवार काट दिया गया तो इसके पीछे रहस्य क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रहस्य का पता तो अदालत का फैसला होने पर ही चलेगा । मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं जो यहां बैठे-बैठे सब पता लगा सकूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हत्या के कितने दिन बाद पुलिस मौके पर पहुंची ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सुबह को रिपोर्ट लिखायी गयी, उसके बाद तुरन्त पहुंची है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

भारतसिंह के यहां से क्या-क्या सामान गायब पाया गया और क्या कोई सामान कहीं बरामद भी हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या सामान गया यह नहीं मालूम है । लेकिन एक पंखा बरामद हुआ बिजली का जिसे नौकर ने पहचान लिया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या था और क्या उसकी जानकारी पुलिस को पहले से थी कि उनका कत्ल होने वाला है, यदि हां, तो उनको बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

क्या मोटिव था यह नहीं मालूम है । न ही विभाग को कोई ऐसी सूचना थी कि उनका कत्ल होने वाला है । इसलिये सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कृष्णाकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या मृतक से अभियुक्तों की कोई रंजिश थी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

कासिमपुर विद्युतगृह, हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में विस्फोटक सामग्री लिये हुए कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी

*५—श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री मोहनलाल कपूर (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सत्य है कि १ जुलाई, १९७१ से दिनांक १८ जुलाई, १९७१ के मध्य कासिमपुर विद्युत गृह हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में विस्फोटक सामग्री के साथ कुछ व्यक्तियों को गिरफतार किया गया है ? यदि हां, तो गिरफ्तारी किस किस की की गई और उनके पास क्या-क्या विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

१ जुलाई, १९७१ से १८-७-७१ के मध्य कासिमपुर विद्युत गृह हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में विस्फोटक सामग्री के साथ किसी भी व्यक्ति को गिरफतार नहीं किया गया है ।

श्री कल्याणसिंह —

क्या पहली जुलाई, १९७१ तथा १८ जुलाई, १९७१ के बीच कभी कोई व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लिये हुये गिरफ्तार किये गये ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

२२-७-७१ को मान्यवर, एक व्यक्ति ११ बजे रात्रि में पकड़ा गया था । इसी प्रकार २५-३-७१ को अब्दुल हमीद नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसके पास शीशे क कुछ टुकड़े तथा विस्फोटक पदार्थ थे ।

श्री कल्याण सिंह—

मेरी सूचना यह है कि हरदुआगंज पावर स्टेशन पर जुलाई में कुछ लोग विस्फोटक पदार्थ लिय हुये पकड़े गये और उसका समाचार समाचार-पत्रों में भी छपा था । किन्तु बाद में पुलिस ने कुछ लेकर उन लोगों को छोड़ दिया और केस को समाप्त कर दिया । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस मामले की जांच सी०आई० डी० द्वारा करायेंगे कि माह जुलाई में हरदुआगंज पावर स्टेशन के समीप कुछ लोग पकड़े गये थे और बाद को उनको छोड़ दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अवश्य इसकी जांच करा ली जायेगी ।

*६—श्री कल्यान सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बाराबंकी पुलिस मालखाने से बन्दूक का गायब होना

*७—चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर,) श्री बंशीधर पाण्डेय, (जिला वाराणसी), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि श्री विशेषर पुत्र श्री नन्हू, निवासी ग्राम औलिया लालपुर, थाना सफदरगंज, डाकखाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी ने एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिनांक ६ जुलाई, १९७१ को अपनी १७ बोर बन्दूक नम्बरी ९७३, जो कि लाइसेंस नम्बर ९७५ पर चढ़ी थी, और पुलिस मालखाना १ अगस्त, १९७० को दाखिल की थी, मालखाना से गायब हो जाने के सम्बन्ध में दिया है जिस की प्रतिलिपि मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, आदि को भी भेजी है ? यदि हां, तो वह पत्र सदन की मेज पर रक्खेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

जी हां, आवेदनपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है, जिसमें १६ बोर बन्दूक का उल्लेख है ।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३०९ पर)

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी प्रार्थना-पत्र का अंश ३(क) पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मैं पढ़े देता हूं । श्रीमान्, जिलाधीश महोदय, बाराबंकी...

श्री कल्पनाथ सिंह---

केवल ३(क) पढ़ दीजिये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

यह कि इन परिस्थितियों में प्रार्थी को यह आभास होता है कि जिस प्रकार इस जिले के खजाने...

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह नहीं है । मैं पढ़े देता हूं ---यह कि प्रार्थी एक ग्रामीण है और उस के परिवार में कोई भी ऐसा लफंगा नहीं हुआ, जो नेता हो जाता और न ऐसा नीच पैदा हुआ जो इस पुण्य भारत भूमि में राजकीय कर्मचारी होकर नाटकीय षडयन्त्र करता और इस पवित्र बसंधुरा को असहनीय बनाता । तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थी को ऐसी भावना व्यक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी उन्हें हो गयी । उन की बन्दूक गायब नहीं हुई है, रखी हुई है । न्यायालय का निर्णय ले जायेंगे तो मिल जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

श्रीमन्, उन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि आदेश वह ले गये, एस०पी० के यहां वह आदेश चढ़ा हुआ है, तब भी वापस नहीं की गयी । तब उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र लिखा है । तो आदेश तो न्यायालय से बन्दूक वापसी का हो गया था, फिर क्यों नहीं दी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

यह सही है कि आदेश हो गया था । आदेश आ गया था आफिस में और वहां से वह गायब हो गया । वाकई में इस में कोई गड़बड़ी जरूर हुई है विभाग की और अधिकारियों की । हम जांच करा रहे हैं और जो दोषी पाये जायेंगे उन को सजा दी जायगी । हमने न्यायालय को लिख दिया है । कापी मंगाकर उनकी बन्दूक रिलीज कर दी जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक जांच चल रही है तब तक जो अधिकारी दोषी है क्या उनको निलम्बित किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जांच हो रही है इस बात की कि कौन दोषी है । अब जिस को कहिए उस के गले में फांसी लगा दें बिना जांच के । (हंसी)

ग्राम मोहनीपुर, जिला मेरठ निवासी पंडित धर्मसिंह की आठ वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार

*८—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मोहनीपुर, थाना दौराला, जिला मेरठ के निवासी पंडित धर्म सिंह की केवल ६ वर्षीय लड़की के साथ दिनांक १२ जुलाई, १९७१ को दोपहर के समय बलात्कार किया गया ? यदि हां, तो पुलिस अपराधी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १३–७–७१ को थाना दौराला में पंडित धर्म सिंह निवासी ग्राम मोहनीपुर, जिला मेरठ, ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उनकी ६ वर्षीय पुत्री के साथ दिनांक १२–७–७१ को करीब ३ बजे हुक्म सिंह, पुत्र मखमूल सिंह ने बलात्कार किया। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३७६/३४२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर के विवेचना आरम्भ की गयी। अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और उसे जेल भेजा गया। जांच जारी है।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट १३–७–७१ को लिखायी गयी, तो उस व्यक्ति ने जिसकी नामजद रिपोर्ट है कब आत्मसमर्पण किया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

आत्मसमर्पण २६–७–१९७१ को हुआ।

श्री मोहनलाल कपूर—

आत्मसमर्पण १३ दिन बाद किया है। इस बीच पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही की है।

श्री मोहनलाल कपूर—

मेरे पास सूचना है कि दौराले का दरोगा अभियुक्तों के घरवालों से मिल गया था और इस कारण उसने कोई कार्यवाही नहीं की। वह व्यक्ति वहीं पर घूमता रहा। जिस परिवार की यह घटना है वे अल्प जाति के लोग हैं और जिस जाति से वह लड़का बिलांग्स करता है वे बहुत हैं। वहां पर आतंक छाया हुआ है। वह लड़का पकड़ा नहीं गया। क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि वे उस दरोगा को तुरन्त हटा देंगे और निलम्बित करके कार्यवाही करेंगे तथा इस मुकदमें की किसी दूसरे व्यक्ति से जांच करायेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

दोनों व्यक्ति अदालत में हाजिर हो चुके हैं और अब चार्जशीट जाने वाली है। अगर किसी की कोई गलती पायी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी जानकारी यह है कि दरोगा की तरफ से लापरवाही हुयी है। उन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, जिनका कि इन्होंने वर्णन किया है, क्या मंत्री जी इस केस की जांच किसी दूसरे अधिकारी से करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आप की आज्ञा हो मैं उसका पालन करने को तैयार हूं, परन्तु मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी से पहले वे मिल नहीं रहे थे। ८७/८८ की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त अब जमानत पर हैं। अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया और तत्पश्चात् उनकी जमानत हुयी। अगर अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक हुआ तो अवश्य कर देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

धारा ८७-८८ की कार्यवाही नहीं हुयी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

रिकार्ड में मौजूद है कि धारा ८७/८८ की कार्यवाही हुयी है। मैं जांच करा लूंगा। अगर कोई गलती हुयी है तो कार्यवाही की जायगी।

श्री मोहन लाल कपूर--

वे व्यक्ति घूमते रहे और दरोगा उनसे मिला हुआ था। १३ दिन बाद उन्होंने आत्म-समर्पण किया। क्या आप उस दरोगा को वहां से हटा कर यह जांच किसी और अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

जांच तो दूसरा ही व्यक्ति करेगा--वह थोड़े ही करेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आपने कहा कि ८७-८८ की कार्यवाही नहीं की गयी, लेकिन रिकार्ड में लिखा है कि कार्य-वाही की गयी। अगर जांच में यह चीज निकलती है कि ८७/८८ की कार्यवाही नहीं की गयी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)--

आप कहते हैं कि ८७ ८८ की कार्यवाही की गयी। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो चीजें कुर्क की गयीं उनकी तफसील क्या है। हर घर में बेयर नेसेसीटीज की चीजें होती हैं जैसे जानवर, गल्ला वगैरह। चीजों की तफसील से मालूम हो जायगा कि दरोगा ने कोई पक्षपात किया था या नहीं। कभी-कभी फर्जी कुर्की की कार्यवाही हो जाती है। वे दो-चार चीजें ले लेते हैं। तो उन चीजों की तफसील पेश की जाये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह तो एक ऐसा सवाल हो गया कि जिसके ऊपर ऐसी बहस हो रही है जैसी कि अदालत में होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाना तो बड़ा कठिन मालूम होता है। आपने प्रश्न किया और उसका उत्तर, जो सूचना प्राप्त हुयी, उसके आधार पर दे दिया गया। अब यह तो जिरह हो गयी कि कौन-कौन चीजें कुर्क की गयीं और कौन-सी चीजें छोड़ दी गयीं। इस बात से यह नतीजा निकाला जाये कि दरोगा ने पक्षपात किया है या नहीं, तो यह तो एक वकालत की बात हो गयी। यह तो एक बहस हो गयी। इसका उत्तर देना मुमकिन नहीं है।

श्री हबीब अहमद---

८७/८८ की कार्यवाही की तफसील बतला दी जाय तो मालूम हो जाय कि दरोगा जी ने पक्ष तो नहीं लिया है ?

श्री अध्यक्ष--

आपके पास कोई डिटेल्स हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह रिपोर्ट आई है कि कार्यवाही की गई है, उसकी डिटेल्स नहीं बतलाई गई है।

श्री हबीब अहमद--

क्या लड़की के पिता ने शिकायत की है कि दरोगा कुछ नहीं कर रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

एक प्रार्थना पत्र दिया था, आप कहें तो पढ़कर सुना दें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)---

दरोगा ने टालमटोल की है इसमें कोई शक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उस दरोगा हटाकर दूसरे दरोगा से कार्यवाही करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दे दिया गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हटा देना तो बहुत छोटी बात है। ८७/८८ की कार्यवाही हुई है, मोहन लाल जी ने कहा कि नहीं हुई है, उसकी जांच करा लेंगे, हटाने की बात नहीं है, ऐसे आदमी को डिसमिस किया जाना चाहिए।

ग्राम तखूबू की बोली जिला वाराणसी में शांति स्थापित करने हेतु पी० ए० सी० की बटालियन नियुक्त

*९--श्री कल्पनाथ सिंह, श्री बंशीधर पाण्डेय, श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर), तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम तखूबू की बोली, थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी में १५ जून के पश्चात् तथा १५ जुलाई, १९७१ के पूर्व किसानों को खेत बोने के रुकावट को समाप्त करने के लिये वाराणसी के एस०एस०पी० ने पी०ए०सी० की कोई बटालियन नियुक्त की थी ? यदि हां, तो वह ऐसी स्थिति क्यों आई ? क्या इसका विवरणें सदन की मेज पर रखेंगे ? क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उपरोक्त घटना से सम्बन्धित श्री जुड़ावन सिंह, जो किसानों को उनकी जमीन बोने में रुकावट डालते थे, उन्हें प्रदेश सरकार के आदेश से कोई शैडो दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कैसे दिया गया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी ---

इस क्षेत्र में दिनांक ३० जून, १९७१ से २५ जुलाई, १९७१ तक पी० ए० सी० की प्लाटून नियुक्त की गयी थी। कारण यह था कि श्री जुड़ावन सिंह तथा उनके विपक्षियों में एक हैंड पाइप के स्थान विशेष पर लगाये जाने के विषय को लेकर झगड़ा उत्पन्न हुआ जो उग्र होता

गया। इसी क्रम में विपक्षियों के खेती का मार्ग भी अवरुद्ध होने के फलस्वरूप शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये पी० ए० सी० की नियुक्ति की गयी।

श्री जुड़ावन सिंह की सुरक्षा हेतु उनकी प्रार्थना पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने एक अंगरक्षक उनके साथ दिनांक २९ मई, १९७१ को नियुक्त कर दिया था।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ग्राम तखूब की बोली में हैंड पाइप ऐसे आदमी के दरवाजे पर लगाया गया जहां खास तौर से कुरमी लोग बसते थे और उसको सहन नहीं किया जा सका इसलिये झगड़ा उत्पन्न हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यह भी एक कारण था और दूसरे और भी कारण थे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

दूसरे और भी कारण थे तो उन कारणों को सरकार बतला दे कि कौन कौन से कारण थे जिसके लिये सरकार ने उन्हें शैडो देना मुनासिब समझा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

शैडो उस समय दिया गया जब उन्होंने उसके लिये लिखित प्रार्थना की थी और उस मांग को देखकर शैडो दिया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरी जानकारी यह है कि करीब-करीब १४, १५ दस्तनदाजी और गैर दस्तनदाजी के मुकदमें कायम किये गये और पुलिस ने एक मुकदमा १०७ चलाने की कार्यवाही की है।

इसके बावजूद उनको तो शैडों दिया गया, लेकिन दूसरे तरफ के लोगों को शैडो न देने का कारण क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जब कोई एक कह देता है कि उसकी जान का खतरा है, तो यह दे दिया जाता है। सोचा यह जाता है कि यदि नहीं दिया जाता है और उसकी जान का कोई खतरा हो गया तो आपके सामने जवाबदेह हो जाता हूं, कहा वह जायगा कि खबर दी तो भी सरकार की तरफ से सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ और वह मारा गया। दूसरे पक्ष ने शैडो की मांग नहीं की, नहीं तो अवश्य दिया जाता। यदि अब भी करेंगे, तो अवश्य दे दिया जाएगा।

जूही गोशाला कानपुर निवासिनी बालिका सुशीला का शीलभंग

*१०---श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २३ जुलाई, की रात को किदवई नगर, कानपुर की पुलिस चौकी के थानेदार श्री विजय नाथ सिंह ने जूही गौशाला निवासिनी १५ वर्षीय अविवाहित बालिका सुशीला को जबरन उसके घर में घुसकर शीलभंग किया है, इस कुत्सित काण्ड में पुलिस के कौन-कौन लोग सम्मिलित हैं ? इस कुकृत्य के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

किदवई नगर पुलिस चौकी, कानपुर में विजय नाथ सिंह नाम का कोई सब-इन्सपेक्टर नहीं है।

कुमारी सुशीला निवासिनी गौशाला थाना जूही कानपुर ने दिनांक २६-७-१९७१ की शाम को एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक नगर जूही के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें किदवई नगर पुलिस चौकी के सब इन्सपेक्टर श्री महावीर सिंह द्वारा २३-७-१९७१ की रात में प्रार्थिनी के साथ बलात्कार किये जाने का आरोप लगाया गया। सब इन्सपेक्टर श्री महावीर सिंह को लाइन हाजिर करके तत्काल जांच प्रारम्भ की गई। जांच से आरोप असत्य एवं निराधार पाया गया। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री रामकुमार दीक्षित—

प्रार्थिनी ने जो आवेदन-पत्र एस० पी० (सिटी) को दिया है, क्या मंत्री जी उसको पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री रामकुमार दीक्षित—

मान्यवर, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट है, एफ० आई० आर० को इसमें पढ़कर सुनवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

जब वह कहते हैं कि इंक्वायरी करने के बाद वह बात गलत पायी गई तो यह प्रश्न कहां रहा।

श्री रामकुमार दीक्षित—

उसने एफ० आई० आर० अवश्य दर्ज कराई होगी, उसी को माननीय मंत्री जी पढ़कर सुना दें, इसमें वह बड़े महत्व की चीज है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

एफ० आई० आर० तो नहीं उसने एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया था।

श्री रामकुमार दीक्षित—

आपने क्या उस महिला की डाक्टरी कराई थी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

डाक्टरी कराई गई थी और मैं समझता हूं कि यदि आप लोग उसे पढ़ने के लिए विवश न करें तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मैं पढ़ दूं।

श्री रामकुमार दीक्षित—

जब आप ने मेडिकल करा लिया तो बिना एफ० आई० आर० दर्ज किए तो यह मेडिकल हुआ नहीं होगा ? तो जो एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई उसे आप पढ़कर सुना दें ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

पुलिस अधीक्षक को जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसी के आधार पर एफ० आई० आर० मान ली गई।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

पुलिस अधीक्षक को जो प्रार्थना-पत्र महिला द्वारा दिया गया, उसमें किस किस के विरुद्ध आरोप था और मेडिकल रिपोर्ट में उसकी तस्दीक हुई या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

कुमारी सुशीला ने एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ आरोप लगाया है। मेडिकल २३ के पहले के सम्बन्ध में हुआ है कि मेरे साथ बुरा काम किया गया है और अप्लीकेशन २६ को उसने दिया है। २३ के पहले एक जगह वह भाग गई थी या भगाई गई थी, उसी के सम्बन्ध में उसका मेडिकल हुआ है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

कानपुर की इस घटना की जांच किस पुलिस अधिकारी ने की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसकी जांच सी० ओ०, श्री शिव कुमार सिंह न की है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं समझता हूं एक महिला कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखाएगी जिससे उसके बारे में एक गलत खबर फैल जाए, खासकर के जो महिला कुमारी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेडिकल किस पिछली तारीख के लिए कराया गया ? क्या कारण है कि इस घटना के कारण मेडिकल नहीं कराया गया ? और उसके अन्दर वह तथ्य स्पष्ट नहीं है, तब क्या कारण है कि इतनी आसानी से उस पुलिस अधिकारी को छोड़ दिया गया, जिसके विरुद्ध इतना गम्भीर आरोप था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, ऐसा है कि २३ तारीख को फर्रुखाबाद में यह लड़की गिरफ्तार करके लायी गयी और उसी दिन उसका मेडिकल कराया गया। लड़की ने आरोप लगाया था कि २३ तारीख की रात्रि में भी ऐसी घटना उसके साथ घटी। २४ तारीख को पुनः उसे हास्पिटल भेजा गया और उसका एक्स-रे कराया गया। परन्तु वहां उसने एक्स-रे वगैरह के समय भी किसी प्रकार का जिक्र किया डाक्टर वगैरह से भी कि २३ तारीख को उसके साथ कोई घटना हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इसमें एक्स-रे की कोई बात नहीं थी। धारा ३७६ के केस में मेडिकल कराना आवश्यक होता है किसी महिला डाक्टर से। माननीय मंत्री जी बिलकुल गलत कह रहे हैं। एक्सरे तो आयु की जांच के लिये कराया जाता है। मैं पूछता हूं कि उसका शील भंग हुआ या नहीं और किसी महिला डाक्टर से उसका एक्जामिनेशन कराया गया या नहीं?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्रीमन्, २४ तारीख को जब उसे हास्पिटल भेजा गया तो वहां उसने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की कि उसके साथ रात्रि में वहां कोई दुर्व्यवहार किया गया। जब वह इस प्रकार की शिकायत करती तो दोबारा उसकी जांच करा ली जाती।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

दीक्षित जी से मैं निवेदन करूंगा, अगर आप की आज्ञा हो। कृपा कर के वे मेरे यहां पधारें और यह सारी फाइल देख लें और फिर जिससे कहें---आई०जी०,डी० आई० जी, कमिश्नर, सी० आई० डी० उसकी जांच करवायी जाय।

नोटः---तारांकित प्रश्न संख्या १० के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नेहरू स्मारक जूनियर हाई स्कूल कोडराजीत घनवासा, प्रतापगढ़ को स्थायी मान्यता

*११—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नेहरू स्मारक जुनियर हाई स्कूल कोडराजीत घनवासा, जनपद प्रतापगढ़ को स्थायी मान्यता हेतु प्रार्थना-पत्र शासन के पास अरसे से विचाराधीन है ? यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

जी नहीं। शासन के पास कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है। स्थायी मान्यता हेतु आवेदन-पत्र १५ मार्च, १९७१ को संस्था ने जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया था।

निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक ने मान्यता प्रदान नहीं की।

*१२—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित होने के कारण निरस्त किया गया]

ग्राम पथरा, जिला मुरादाबाद में एक फर्जी जूनियर हाई स्कूल को मान्यता

*१३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि ग्राम पथरा, विकास खण्ड गंगेसरी, जिला मुरादाबाद में दिनांक २ जनवरी से ३० जून, सन् १९७० तक कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं था परन्तु एक फर्जी स्कूल के नाम से मान्यता प्राप्त की गई, ग्राम पंचायत की ४४ एकड़ जमीन हासिल की गई, ५१,६०० रु० की फर्जी आमदनी दिखाई गई, विद्यार्थियों की फर्जी परीक्षा दिलाई गई अन्त में फर्जी चोरी की रिपोर्ट थाने आदमपुर में दर्ज कराई जिसका पता तब चला जब तहसीलदार हसनपुर मौके पर तहकीकात करने गये ? यदि हां, तो इसमें विशेष जांच के आदेश जारी करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखीमपुर खीरी में कागज का लुग्दी बनाने का कारखाना

*१४—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैलानी क्षेत्री, जिला खीरी में करोड़ों रुपये की लागत से सूरज पैकिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड नाम से कोई पेपर फैक्टरी के बनाने हेतु हाल में कोई लाइसेन्स निजी क्षेत्र में सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो किसको और कब और उस पेपर मिल के खोले जाने की आशा पर वन विभाग ने अपने बहुमूल्य साखू के सघन वनों का कटान कराके उनकी जगह कागज के लिये आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धि हेतु युकिलिप्टस के जंगल लगाये हैं ? यदि हां, तो कथित मिल के निर्माण-कार्य में क्या प्रगति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भारत सरकार ने २६ अगस्त, १९७० को मेसर्स सूरज इन्डस्ट्रीयल पैकिंग लिमिटेड, लखनऊ को मैलानी (लखीमपुर खीरी) में कागज तथा लुग्दी बनाने के लिये नया कारखाना स्थापित करने हेतु लैटर आफ इन्टेन्ट न कि लाइसेन्स दिया है।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त कारखाना खोले जाने की अशा में वन विभाग ने साखू के बहुमूल्य सघन वनों का कटान कराके उनकी जगह कागज के लिये कच्चे माल की उपलब्धि हेतु यूकिलिप्टस के जंगल लगाये हैं।

कागज वाली लुग्दी बनाने में उपयोग हेतु युकिलिप्टस के वृक्ष लगाये जा रहे हैं लेकिन केवल उन क्षेत्रों में जहां मौजूदा वृक्ष पुराने, खराब किस्म के और बिखरे हैं, पुराने वृक्षों को कटवाकर नए वन लगाए जा रहे हैं। साखू के ऐसे वन जिनमें पुनरोत्पादन नहीं हो सकने के कारण कोई भविष्य नहीं है केवल वही काटे जा रहे हैं। खीरी जिले में भी कुछ क्षेत्र में यूकिलिप्टस लगाया गया है लेकिन साखू वाले क्षेत्रों में टीक (सागौन) लगाया जा रहा है, यूकिलिप्टस नहीं।

जहां तक मेसर्स सूरज इन्डस्ट्रियल पैकिंग लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित कारखाने की स्थापना की प्रगति का संबंध है, उनका कार्य संतोषजनक नहीं मालूम पड़ता है इस संबंध में उनको लिखा भी गया है।

दि मुरादाबाद होलसेल सेन्ट्रल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड की रपट पर पुलिस द्वारा जांच

*१५—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

कृपया सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेशानुसार दि मुरादाबाद होलसेल सेन्ट्रल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड की एक रपट थाना कोतवाली, मुरादाबाद में तारीख ५ जनवरी, १९६८ को भारतीय दण्ड संहिता तथा दफा ४०८/४६८ इलजाम नम्बर १८३ सरकार बनाम सोमदत्त वगैरा लिखाई, जिस पर मुल्जिम सोमदत्त वगैरा की जमानत लेकर छोड़ दिया गया और इसी मामले से संबंधित मजीद जांच के लिये कागजात तारीख १९ सितम्बर, १९६९ को पुलिस सी० ओ० सिटी मुरादाबाद को भेजे गये? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश चीनी उप क्रम (अर्जन) अध्यादेश १९७१ के अन्तर्गत चीनी मिलों को मुआविजा

*१६—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने यू० पी० शुगर अन्डरटेकिंग (एक्वीजीशन) अध्यादेश, १९७१ द्वारा जिन १२ चीनी मिलों को हस्तगत किया है, उनमें से किस मिल को कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में स्वीकार की है और उनमें से किस चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों, मजदूरों के वेतन और बोनस से सरकारी ऋण की कितनी धनराशि अवशिष्ट है और राज्य सरकार के कर की कितनी धनराशि बकाया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार ने उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, १९७१, जो अब उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम १९७१ में परिवर्तित हो गया है, द्वारा जिन १२ चीनी मिलों का अधिग्रहण किया है उनको दी जाने वाले मुआवजे की एक मुश्त धनराशि (ब्लाक कम्पेन्सेशन) इन मिलों पर गन्ना उत्पादकों, मजदूरों के वेतन व बोनस और सरकारी ऋण व सरकार के क्रय कर के बकाये की धनराशि संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। इस मुआवजे के अतिरिक्त अधिनियम की धारा ७ के अनुसार चीनी के बोरों, गन्ने, बनती हुई चीनी, शीरा, बगास, प्रेस मड इत्यादि के लिये मुआवजा अलग से निर्धारित किया जायगा। चीनी के बोरों पर का मारजिन भी मुआवजे में सम्मिलित होगा और इन बकायों के चुकाने के लिये उपलब्ध होगा।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ १३१२ पर)

*१७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

सहकारी गन्ना मिल, बाजपुर नैनीताल का वार्षिक आडिट न होना

*१८—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से सहकारी गन्ना मिल, बाजपुर, जिला नैनीताल बनी है तब से इस मिल का आडिट सालाना जनरल मीटिंग तथा बैलेंससीट नहीं बनी और न ही सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट मिले हैं तथा शुरू से वही डायरेक्टर चले आ रहे रहे हैं? यदि हां, तो इस मिल में होने वाली अनियमितताओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बाजपुर सहकारी चीनी मिल की वार्षिक साधारण सभायें दिनांक ९ सितम्बर, १९६० व १४ नवम्बर, १९६१ को और एक असाधारण सामान्य सभा ३० अगस्त, १९६५ को हुई। मिल के लोखो की संपरीक्षा विभागीय संपरीक्षकों द्वारा वर्ष १९६८–६९ तक पूरी हो चुकी है और वर्ष १९६९–७० में नवम्बर, १९७० तक की संपरीक्षा हो चुकी है।

बर्ष १९५६–५७ से वर्ष १९६७–६८ तक की बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा इनकी जांच भी कर ली गई है। परन्तु संचालक मंडल ने लास इक्वलाइजेशन फण्ड के लिए काटे गये रुपये को वापस करने के कुछ सुझाव रखे और अपनी स्वीकृति इस मामले के तय होने तक स्थगित रखी। उनके द्वारा स्वीकृति के अभाव में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट ने वर्ष १९६२–६३ एवं उनके बाद के बैलेंस शीटों को प्रमाणित नहीं किया। इसी कारण वर्ष १९६८–६९ एवं १९६९–७० के बैलेंश शीटों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

वर्ष १९६० तक ६३२ सदस्यों को १२,५३९ अंशों के लिये ६३२ अंश प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके थे। परन्तु बाद में यह पाया कि उपविधि संख्या १५(५) के अनुसार प्रत्येक अंश के लिये प्रमाण-पत्र अलग-अलग जारी होना चाहिये। अतः संबंधित सदस्यों से जारी किये गये अंश प्रमाण-पत्र वापस लेकर नये प्रमाण-पत्र जारी करने के विषय में कार्यवाही की जा रही है।

इस फैक्ट्री के डाइरेक्टर्स में समय-समय पर परिवर्तन हुए हैं जैसा कि ६ठवें गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं० १६ के उत्तर में बताया गया है।

आडिट तथा बैलेंश शीट्स के विषय में अवशेष कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा वार्षिक साधारण सभा को जल्द बुलाने के विषय में कार्यवाही की जा रही है।

कन्हईराम निवासी विसुनापुर गोंडा का एक ठेकेदार द्वारा पीटे जाने पर मृत्यु

*१९—श्री महेश्वरदत्त सिंह, (जिला गोंडा) श्री गंगा प्रसाद, श्री शीतला प्रसाद सिंह, (जिला गोंडा) श्री दीप नारायण वन (जिला गोंडा) तथा, श्री सन्त राम (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्हई राम, पुत्र भागीरथी हरिजन निवासी ग्राम विसुनापुर, बलरामपुर, गोंडा को एक जंगल के ठेकेदार ने बुरी तरह पीटा, वह दिनांक २० मई, १९६९ को अस्पताल दाखिल हुआ और दिनांक २६ मई, १९६९ को मर गया? अभियुक्त के विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध जो रिपोर्ट उपरोक्त मामले में की गई थी, वह मयपुरी केस डायरी (केस डायरी) तथा पुलिस जांच के कागजात बलरामपुर थाने तथा गोंडा सुपरिन्टेन्डेन्ट आफिस से

गायब हो गई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में पूरे कागजात सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक २० मई, १९६९ को कन्हईराम पुत्र भागीरथी निवासी ग्राम विसुनापुर जिला गोंडा ने स्वयं को मारे-पीटे जाने के बारे में थाना बलरामपुर में धारा ३२३ के अन्तर्गत एक रिपोर्ट लिखाई। बाद में वह चोटों का इलाज कराने के लिए बलरामपुर अस्पताल में दाखिल हो गया, जहां २६ मई, १९६९ को उसकी मृत्यु हो गई। २६ मई, १९६९ को ही अस्पताल से प्राप्त मेमों पर उपरोक्त धारा ३२३ का मुकदमा ३०४ भारतीय दन्ड विधान में बदला गया तथा रिपोर्ट में नामजद कराये गये, देवतादीन व सेवक को गिरफ्तार करके जांच प्रारम्भ की गई।

यह सही नहीं है कि वादी की रिपोर्ट गायब हो गई है। वास्तविकता यह है कि संबंधित केस डायरी मय आरोप-पत्र कार्यालय क्षेत्राधिकारी गोंडा से २० अगस्त, १९६९ को जन अभिशंसक कार्यालय भेजे जाने के बाद से गायब हो गये थे। दुबारा जांच करके चार्जशीट न्यायालय भेजी गई। कागजात गायब होने के सम्बन्ध में धारा ४०९ भारतीय दन्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया है जिसमें जांच हो रही है। संबंधित कागजात सदन के पटल पर रखना विवेचना की सफलता के हित में न होगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अलीगढ़ जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को हड़ताल के समय के वेतन का भुगतान

*१--श्री कल्याण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के आवाहन पर दिनांक २७ जनवरी, १९७१ से १८ फरवरी, १९७१ तक माध्यमिक शिक्षकों द्वारा हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान दिनांक २५ मई, १९७१ तक अलीगढ़ जिले के किस-किस विद्यालय के अध्यापकों को नहीं दिया गया है ? वेतन के भुगतान न करने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १३१४ पर)

सरकार के हेडक्वार्टर अथवा जिलों में नियुक्त सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत राजपत्रित अधिकारी

*२--श्री बंशीधर पाण्डेय तथा श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में सरकार के हेड क्वार्टर पर नियुक्त अथवा जिलों में नियुक्त सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कितने राजपत्रित अधिकारी १ अप्रैल से १५ जून, १९७१ तक स्थानान्तरित किये गये या मुअत्तली से बहाल हुए या तरक्की दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत नियुक्ति विभाग के अधीन प्रशासनिक सेवाओं तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत मनोरंजन तथा बाजीकर सेवा में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १३१५ पर)

[२६ अगस्त, १९७१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद में श्री देवी प्रसाद मित्तल की डाकुओं द्वारा हत्या

*१--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ अप्रैल, १९७१ को इलाहाबाद नगर के धाहधन्द मुहल्ले में श्री देवी प्रसाद मित्तल की हत्या डाकुओं ने पिस्तौल द्वारा कर १६,००० रु० (सोलह हजार) उनसे छीन लिये ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक सम्बन्धित अपराधी को पकड़ने के लिए क्या किया ? क्या इस सम्बन्ध में दिनांक ६ अप्रैल, १९७१ को जिला अधिकारी से कोई विधायक मिले थे ? यदि हां, तो उनके स्मृति-पत्र पर सरकार ने क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, इस आशय की एक रिपोर्ट २-४-७१ को थाना कोतवाली इलाहाबाद में लिखाई गई थी ।

मामले से सम्बन्धित दो संदिग्ध अभियुक्त जेल भेजे गये हैं । इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त इस अपराध की साजिश में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है । मामले की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है ।

इस बात का अभिलेख जिले के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है कि इस मामले में ६-४-७१ को जिलाधिकारी से कोई विधायक मिले थे या स्मृति-पत्र दिया था । प्रश्नकर्त्ता विधायक का एक पत्र दिनांक ९-४-१९७१ शासन को प्राप्त हुआ था । शासन ने अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा इस घटना की जांच कराने के लिए आदेश दिया ।

इलाहाबाद जिले के समस्त माध्यमिक, विद्यालयों के अध्यापकों एवं लिपिकों का पुनरीक्षित वेतन-क्रम

*२--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद (प्रयाग) जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों तथा लिपिकों के पुनरीक्षित-वेतन-क्रम का निर्धारण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

अधिकांश विद्यालयों के अध्यापकों एवं लिपिकों का वेतन निर्धारण हो गया है । परन्तु अभी कुछ अध्यापकों तथा लिपिकों का वेतन निर्धारण शेष है । इसका प्रमुख कारण यह है कि वेतन निर्धारण के लिये अपेक्षित आवश्यक अभिलेख प्रबन्धकों द्वारा विभागीय अधिकारियों को समय से उपलब्ध नहीं कराये गये ।

*३--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[२०वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बरेली में चोरियों, कत्ल व डकैतियों में वृद्धि

*४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला बरेली में पिछले तीन महीनों से चोरियां कत्ल, डकैतियों तथा अन्य जघन्य अपराधों में वृद्धि हो गई है उसके फलस्वरूप डी० आई० जी० बरेली को अप्रैल, १९७१ के अन्तिम सप्ताह के शुरू में जिले के प्रत्येक थानाध्यक्षों की मीटिंग बुला कर उन्हें सचेत करना पड़ा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने और क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बरेली जिले में १९७१ के शुरू के तीन महीनों में अपराधों में कुछ वृद्धि हुई किन्तु इसके फलस्वरूप डी० आई० जी०, बरेली ने अप्रैल १९७१ में जिले के समस्त थानाध्यक्षों की मीटिंग नहीं बुलाई थी। बरेली नगर में सेंधमारी के बढ़ते हुए अभियोगों के सम्बन्ध में २२ अप्रैल, १९७१ को डी० आई० जी० ने केवल नगर के थानाध्यक्षों एवं क्षेत्राधिकारी की मीटिंग बुलाई थी जिसमें सेंधमारी की रोकथाम के लिये निर्देश दिये गये थे। एक राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में विशेष अभियान चलाया गया जो सेंधमारी की रोकथाम में प्रयत्नशील है।

*५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि ग्राम नरियावल, थाना बारादरी, जिला बरेली में अप्रैल, १९७१ के अन्तिम सप्ताह में डकैती व कत्ल हुआ ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २५-४-७१ को इस आशय की एक रिपोर्ट बरेली के थाना बारादरी में लिखाई गई कि ग्राम नरियावल में दिनांक २४-२५ अप्रैल, ७१ को आठ नामजद एवं एक अज्ञात व्यक्ति ने पुरानी दुश्मनी के कारण लगभग दो बजे रात्रि में वादी सियाराम के घर में घुसकर उसके साले नन्हें को गोली मार कर हत्या कर दी तथा वादी, उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री और वादी के एक अन्य साले को घायल किया। इसके आधार पर मुकदमा धारा १४७, १४८, ३०२, ३०७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया। ६ अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और शेष ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। सभी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय अन्तर्गत धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ४२९ भारतीय दण्ड विधान भेजी जा चुकी है।

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री त्रिलोक चन्द—

[१०वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

कानपुर की अथर्टन वेस्ट मिल के प्रबन्धकों पर सरकार की भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा की धनराशि

*७—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के अथर्टन वेस्ट मिल के प्रबन्धकों पर सरकार की भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा की धनराशि बकाया है ? यदि हां, तो कितनी, कब से और इस बकाया धनराशि की वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां।

अथर्टन वेस्ट मिल्स कं० लिमि० कानपुर पर नवम्बर, १९६६ से नवम्बर, १९७० तक कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान का २१,५७,७८७.६५ रु० और प्रशासकीय व्यय ५१,१७१.२५ रु० और देर से जमा किये गये अंशदान पर लगाई गई क्षति पूर्ति १,९०,५९०.२५ रु० बकाया है। इस सम्पूर्ण धनराशि के वसूली प्रमाण-पत्र कलेक्टर, कानपुर को भेज दिये गये हैं जो बकाया वसूल करके कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करेंगे।

इस मिल पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कर्मचारियों का अंशदान २५-९-१९६६ से २९-५-१९७१ तक का ४,०१,९१९.७९ रु० और नियोजकों का विशेष अंशदान १-४-१९६८ से ३०-६-१९७१ तक का ५,२९,११६.०० रु० बकाया है। इस बकाये की वसूली के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम कानपुर द्वारा इम्प्लाईज स्टेट इंशोरेंस ऐक्ट की धारा ४५ बी, ७३ डी तथा ७५ (२) के अन्तर्गत और कलेक्टर कानपुर द्वारा रेवेन्यू रेकबरी ऐक्ट की धारा ५ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

कानपुर की अथर्टन वेस्ट मिल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि माह, नवम्बर १९७० में उपरोक्त मिल के कर्मचारियों ने काम बन्द हड़ताल की है? यदि हां, तो कब से? उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां।

इस मिल के श्रमिकों ने एक १७-सूत्री मांग-पत्र के आधार पर १२-११-१९७० से "बैठे रहो हड़ताल" कर दी जो १९-११-१९७० को दोनों पक्षों में हुए एक समझौते के फलस्वरूप समाप्त हो गई। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की प्रमुख मांगें थीं कि कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा तथा मिल की सहकारी समिति का बकाया नियोजकों द्वारा जमा कराया जाय।

मंत्रि परिषद् के लिये आचार संहिता

*९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार मन्त्रि परिषद् के लिय कोई आचार संहिता तैयार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। मंत्रियों के लिये आचरण कोड भारत सरकार ने कई वर्ष पहले बनाया था जिसे राज्य सरकार ने अपना लिया है।

देहरादून जिले में दो बमों का पाया जाना

*१०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को सूचना है कि दिनांक २५ सितम्बर, १९७० को देहरादून में दो गेंदनुमा बम डालवाला थाना क्षेत्र में पाये गये और पुलिस के हवाले किये गये? यदि हां, तो सरकार ने उनकी जांच कराई? यदि हां, तो इसके पीछे किन तत्वों का हाथ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २५–९–७० को नहीं, बल्कि दिनांक २५–९–६९ को दो बमनुमा गोले थाना डालनवाला म जमा किये गये थे। जांच पड़ताल से दोनों गोले मिलिट्री के पाये गये तथा ट्रेनिंग के सिलसिले में उनका गिर जाना प्रतीत हुआ। इस मामले में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*११—श्री राम करन सिंह—

[५वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला सीतापुर की गन्ना फैक्टरियों पर किसानों का बकाया

*१२—श्री रामलाल राही—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अवध शुगर मिल, हरगांव, लक्ष्मी शुगर मिल, महोली एवं सेकसरिया शुगर मिल, बिसवां, जिला सीतापुर की गन्ना फैक्टरियों पर काश्तकारों के गन्ने के मूल्य का बकाया गत सीजन सन् १९६९–७० ई० का है ? यदि हां, तो उक्त मिलों पर कुल कितना बकाया है ? और मिल मालिकों से वर्तमान सरकार ने काश्तकारों को यह धन दिलाये जाने के लिये क्या कोई आदेश प्रसारित किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में कथित तीन चीनी मिलों में से केवल बिसवां चीनी मिल पर गत सीजन १९६९–७० का गन्ना मूल्य बकाया था जो ३१–७–७१ को केवल रु० ३,०००.०० था। उक्त स्थिति सीजन के गन्ना मूल्य बकाया की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

*१३—श्री रामलाल राही—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की उक्त फैक्टरियों पर गत सीजन से पूर्व का भी कुछ धन काश्तकारों का भी कुछ सरकारी टैक्स का बकाया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी फैक्टरियां हैं जिन पर उपरोक्त किस्म का बकाया गत सीजन के पूर्व का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गत सीजन १९६९–७० के पूर्व का गन्ना मूल्य बकाया ३१–७–७१ तक की स्थिति के अनुसार महोली चीनी मिल पर केवल रु० ५४,०००.०० अवशेष था। इसके अतिरिक्त महोली तथा हरगांव चीनी मिलों पर अतिरिक्त गन्ना मूल्य का भी बकाया उक्त समय (३१–७–७१) तक क्रमशः रु० ५.९६ लाख तथा रु० ९.१७ लाख अवशेष था। इस अवधि का सरकारी टैक्स अर्थात् गन्ना उपकर/क्रयकर का बकाया प्रश्न में कथित तीनों चीनी मिलों पर कुछ नहीं है।

आजमगढ़ जिले में गुण्डा ऐक्ट सम्बन्धी मुकदमें

*१४—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १ जनवरी, १९७० से लेकर १ मई, १९७२ के बीच में किन-किन लोगों पर गुण्डा ऐक्ट का मुकदमा चलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आजमगढ़ जिले में १ जनवरी, १९७० से १ मई, १९७१, के बीच सर्वश्री (१) कन्हैया, (२) एजाज अहमद, (३) जीता और (४) गनेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अधीन नोटिस जारी किए गए।

*१५—श्री दर्लासगार यादव—

आजमगढ़ जिले में थाना महराजगंज में भी किन्हीं लोगों पर गुण्डा ऐक्ट के अधीन मुकदमा कायम हुआ है तथा आज तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अधीन कार्यवाही नहीं की गई।

बाजपुर, जिला नैनीताल की सहकारी चीनी मिल के डाइरेक्टर की नामजदगी

*१६—श्री शिवानंद नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, बाजपुर, जिला नैनीताल की सहकारी चीनी मिल के नामजद डाइरेक्टर सन् १९५६ से आज तक (१५-५-७१) वहीं क्यों चले आ रहे हैं? और नये चुनाव वहां क्यों नहीं हो रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अमुक चीनी मिल की उप-विधियों के अनुसार प्रथम संचालक मंडल का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार २४-९-५७ को अध्यक्ष सहित प्रथम संचालक मंडल का गठन किया गया, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई है। इस संचालक मंडल के सदस्यों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार आंशिक संशोधन किए गए हैं।

२—बाजपुर सहकारी चीनी मिल की उप-विधियों में कुछ संशोधन अपेक्षित हैं। इन संशोधनों के करने के पश्चात् बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का गठन किया जायगा व चुनाव कराये जायेंगे।

थाना मुगलपुर, मुरादाबाद शहर के रेलवे लाइन के ओवर हेड ब्रिज पर ट्रक दुर्घटना

*१७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २० जून, १९७१ को जो दुर्घटना मुरादाबाद शहर के पास रेलवे लाइन के ओवर हेडब्रिज पर से ठेले के लुढ़कने से हुई जिसमें कई व्यक्ति मारे गये और जख्मी हुए उस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २१-६-७१ को थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद में दो ट्रकों की टक्कर के फलस्वरूप एक ट्रक के शहर के पास रेलवे लाइन के ओवर ब्रिज के नीचे गिरने के बारे में सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा २७९/३३८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा अंकित किया गया और विवेचना आरम्भ की गई। दुर्घटना में ६ व्यक्तियों को चोटें आईं जिनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर मुकदमें में धारा ३०४ ए भारतीय दंड विधान और जोड़ दी गई इस मामले में एक अभियुक्त का चालान किया गया और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला मुरादाबाद की पुलिस द्वारा भोजपुर की जनता सेवा समिति के कार्यालय पर छापा

*१८—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता सेवा समिति, भोजपुर, जिला मुरादाबाद के दफ्तर पर पुलिस ने दिनांक २० जून, १९७१ को जो छापा मारा? उसमें क्या क्या चीजें बरामद हुई और इस सम्बन्ध में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१९—श्री इन्द्र लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२०-२१—श्री श्याम लाल कन्नौजिया—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

मिर्जापुर नगर के लघु उद्योग के अन्तर्गत जर्मन सिल्वर स्क्रैप एवं ग्रेफाइट क्रैसिबुल के आयात लाइसेन्स हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा एसेन्सियेलिटी सर्टिफिकेट देने की नीति

*२२—श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की करेंगे कि मिर्जापुर नगर के अलौह धातु के बर्तन बनाने वाले लघु उद्योग को आवश्यक वस्तुयें तथा जर्मन सिल्वर स्क्रैप एवं ग्रेफाइट क्रसिबुल के आयात लाइसेन्स के लिये प्रदेश के उद्योग निदेशालय द्वारा एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट देने की नीति में सरकार ने हाल में कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो क्या तथा क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

इस सर्टिफिकेट को देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

*२३—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

१९६९-७० के बजट में उर्दू की उन्नति हेतु स्वीकृत धनराशि

*२४—श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६९-७० के बजट में उर्दू की तरक्की के लिये जो धन मंजूर किया गया था, वह रुपया किस तरह और कहां-कहां खर्च किया गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वर्ष १९७०-७१ में गवर्नमेंट इन्टर कालेजों में उर्दू टीचरों की व्यवस्था

*२५—श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७०-७१ में प्रदेश के कितने गवर्नमेंट इन्टर कालेजों में उर्दू टीचर का प्रबन्ध किया गया ? तथा कौन-कौन जिले हैं, जहां प्रबन्ध किया गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

५ विद्यालय में—(१) नैनीताल, (२) शाहजहांपुर, (३) मुरादाबाद, (४) मिर्जापुर, (५) हरदोई (संडीला)।

बालिका विद्यालय इन्टर कालेज, बांदा की जांच संबंधी रिपोर्ट

*२६—श्री महीरजध्वज सिंह (जिला बांदा)—

प्रथम सत्र, १९७० के नवें शुक्रवार (५ जून, १९७१) के नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न संख्या १-२ के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिका विद्यालय इन्टर कालेज बांदा के बारे में जो जांच हो रही थी वह पूरी हो गई या नहीं ? यदि हो गई, तो क्या उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

पूरी हो गई।

*२७—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[निरस्त]

जिला परिषद् मेरठ के अन्तर्गत चलने वाले कन्या विद्यालयों का अध्यापिकाओं की कमी के कारण बन्द होना

*२८—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के अन्तर्गत चलने वाले कन्या विद्यालयों में मेरठ जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां अध्यापिकाओं का प्रबन्ध गत सत्र में नहीं था ? क्या इस कारण जिला परिषद् को ३० विद्यालय बन्द करने पड़े ? सरकार आगामी सत्र में इस कमी को पूर्ण करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

३३ विद्यालय।

३३ विद्यालय बन्द करने पड़े।

दीक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति करके इन ३३ विद्यालयों को पुनः खोलने की व्यवस्था की जा रही है।

लैफ्टिनेंट सभाजीत सिंह, जिला स्टाफ अधिकारी होम गार्ड, बस्ती की विधवा को पारिवारिक भत्ता तथा बकाया वेतन का दिया जाना

*२९—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लैफ्टिनेंट सभाजीत सिंह, स्टाफ अफसर होमगार्ड, बस्ती जिनकी मृत्यु जनवरी, १९६८ में हुई तब से ५ जून, १९७१ तक परिवार भत्ता तथा बकाया वेतन उनकी विधवा स्त्री को दिया कि नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

(क) स्वर्गीय श्री समाजीत सिंह, जिला स्टाफ अधिकारी होम गार्ड, बस्ती के बकाया वेतन का भुगतान उनकी पत्नी, श्रीमती इन्द्रा व उनके पुत्र श्री रणजीत सिंह को २८ अगस्त, १९७० को किया जा चुका है।

(ख) स्वर्गीय श्री समाजीत सिंह की विधवा को कोई पारिवारिक भत्ता देय नहीं है। पारिवारिक पेंशन जो उन्हें देय है, के विषय में उनकी पत्नी ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। उनके पूरे होने पर ही इस पर विचार किया जायगा।

सरकार द्वारा अर्जित १२ चीनी मिलों का मुआवजा

*३०--श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने जिन बारह चीनी मिलों को अपने कब्जे में लिया है उनको नीलाम करने में क्या कठिनाई थी तथा प्रत्येक को कितना-कितना मुआविजा देने का निश्चय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

३ जुलाई १९७१ को जारी किये गये उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, १९७१ द्वारा सरकार ने १२ चीनी मिलों का अर्जन किया है और ये सभी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन में निहित की गयीं। ७ चीनी मिलों के मामलों में उच्च न्यायालय ने अध्यादेश का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया है।

चीनी मिलों का अधिग्रहण मुख्यतः गन्ना मूल्य इत्यादि के बकाया की वसूली के लिये नहीं किया गया है बल्कि सरकार का यह लक्ष्य है कि इनके संचालन को सुधारें, उनका पुनर्वासन और नवीनीकरण इत्यादि किया जाये और इनको सुचारु रूप से चलाया जाये। यह लक्ष्य इनको नीलाम करने से पूरा नहीं हो सकता था।

अध्यादेश में दी गई अनुसूची के अनुसार, नीचे दी गई धनराशि मुआवजे में दी जा रही है, इसमें कुछ वस्तुएं जैसे शीरा, चीनी के बोरे इत्यादि सम्मिलित नहीं हैं जिसका मुआवजा अब उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम के अनुसार अलग से दिया जायगा।

१--श्री रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शुगर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बाराबंकी।	पच्चीस लाख रुपये
२--बुढ़वल शुगर मिल्स कम्पनी लि०, बुढ़वल, जिला बाराबंकी।	चौबीस लाख रुपये
३--रा० ब० लक्ष्मण दास शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जरवल रोड, जिला बहराइच।	दस लाख रुपये
४--महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, रामकोला, जिला देवरिया।	ग्यारह लाख रुपये
५--विष्णु प्रताप शुगर मिल्स लिमिटेड, खड्डा, जिला देवरिया।	आठ लाख रुपये
६--दीवान शुगर मिल्स, सखौती, टांडा, जिला मेरठ	बारह लाख रुपये
७--राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहिउद्दीनपुर, जिला, मेरठ।	तेरह लाख पचास हजार रुपये

८—रजा बुलन्द शुगर कम्पनी लिमिटेड, रामपुर	एक करोड़ अठारह लाख रुपये।
९—कुन्दन शुगर मिल्स, जिला मुरादाबाद	बयालिस लाख रुपये
१०—शिव प्रसाद बनारसी दास शुगर मिल्स, बिजनौर	इक्कीस लाख रुपये
११—कमलापति मोतीलाल भटनी शुगर मिल्स लिमिटेड भटनी शाखा, जिला देवरिया।	बाइस लाख रुपये

सरकार द्वारा अधिगृहीत १२ चीनी मिलों के प्रबन्ध में मिल मजदूरों एवं किसानों का प्रतिनिधित्व

*३१—श्री कल्पनाथ सिंह एवं सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन चीनी मिलों के प्रबन्ध में मिल के मजदूरों एवं किसानों को भी प्रतिनिधित्व देने का निश्चय हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अधिग्रहण की गई १२ चीनी मिलों का, विधान में वर्णित स्थिति के अनुसार, संचालन उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा किया जायगा। यह कारपोरेशन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत गठित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है। चीनी निगम का विचार इन मिलों को सब्सीडियरी कम्पनियां बनाकर चलाने का है जिसमें गन्ना उत्पादकों को भी हिस्सा देने का प्रस्ताव है।

सचिवालय में एडहाक अवरवर्ग सहायकों हेतु स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा तथा १९६१–६५ तक अनप्लेस्ड अवरवर्ग सहायकों की नियुक्ति तथा स्थाई पदों पर नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित कोटा

*३२—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

विधान सभा के १९७० के प्रथम सत्र के २रे गुरुवार (१२ मार्च, १९७०) के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या १५ के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय में एड-हाक अवरवर्ग सहायकों के लिए स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा कराने में कितना समय अभी और लगेगा? और यह परीक्षा अभी तक क्यों नहीं कराई गई जबकि इसे शीघ्र कराये जाने की सम्भावना व्यक्त की गई थी?

*३३—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सन् १९६१ से सन् १९६५ तक सचिवालय में कुल कितने अनप्लेस्ड अवरवर्ग सहायकों की नियुक्ति की गई? क्या सरकार इन अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की एक सूची उनकी वरिष्ठता के आधार पर मय उनकी शैक्षिक योग्यता के अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी और यह भी बतायेगी कि क्या अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों को अवरवर्ग के स्थायी पदों पर नियुक्तियां देने के सम्बन्ध में शासन ने कोई कोटा निर्धारित किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में स्कूटर कारखाना खोले जाने की योजना

*३४---श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में कोई स्कूटर का कारखाना खोलने की योजना है? यदि हां, तो क्या वह कारखाना इलाहाबाद में कमला नगर नामक स्थान में खुलवाने की व्यवस्था की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लि०, कानपुर को स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए लेटर आफ इन्टेंट स्वीकृत किया है। उक्त निगम प्रस्तावित कारखाने को सन्डीला (हरदोई), उन्नाव अथवा कमलानगर (इलाहाबाद) में लगाने पर विचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त यू० पी० स्कूटर्स लि०, कानपुर तथा आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि०, लखनऊ को भी भारत सरकार ने क्रमशः उन्नाव तथा लखनऊ में स्कूटर कारखाने लगाने के लिए लैटर्स आफ इन्टेंट जारी किये हैं।

सरकार द्वारा जिला बहराइच की जरवल चीनी मिल की नीलामी का निश्चय तथा गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान की मांग

*३५---श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि सरकार ने जिला बहराइच की जरवल शुगर मिल्स के नीलाम का निर्णय लिया है? यदि हां, तो सरकार उस मिल पर किसानों के गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के लिए क्या गारन्टी करने जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बकाया की वसूली के लिए नीलाम की कार्यवाही और उसका निर्णय सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसा कोई निर्णय अभी तक इस कारखाने के सिलसिले में नहीं लिया गया है।

यह चीनी मिल उन १२ मिलों में से एक थी जिनका अर्जन ३ जुलाई, १९७१ को सरकार ने अध्यादेश द्वारा किया।

*३६---चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*३७---श्री शिव महेन्द्र सिंह--

[अल्पसूचित रूप में स्वीकृत होने के कारण निरस्त।]

कुमायूं तथा उत्तराखंड में स्थानावार रेशम उद्योग

*३८---श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या मुख्य मन्त्री बतावेंगे कि कुमायूं तथा उत्तराखंड के किन-किन जिलों में रेशम का उद्योग किन-किन स्थानों में चालू है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कुमायूं तथा उत्तराखन्ड के जिन-जिन जिलों व स्थानों में रेशम के उद्योग का कार्य हो रहा है वह संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १३१६ पर)

*३९—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

मेरठ जिले में बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मांग

*४०—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्र कितने हैं? छात्राओं की संख्या को अधिक देखते हुये क्या सरकार उनके लिये और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेगी?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मेरठ जिले में बालकों के १० तथा बालिकाओं के दो बी० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालय हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई अन्य बी० टी० सी० विद्यालय खोलने का प्राविधान नहीं है।

*४१-४२—श्री डी० पी० बोरा—

[९वें मंगलवार के ता० प्र० ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*४३—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[८वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला पिथौरागढ़ के बांसी खेत से नायल पम्पों पेयजल योजना से पानी न चालू होना

*४४—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ के बांसी खेत से नायल पम्पों पेयजल योजना में जिसमें कि स्वा० सं० अ० वि० द्वारा लगभग दो लाख रुपये खर्च किये गये हैं, पानी चालू न होने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला पिथौरागढ़ में नायल पम्पों आदि ग्रामों के लिए स्वीकृत पेयजल योजना में पानी अभी तक चालू न होने का कारण यह है कि ग्राम बांसीखेत के निवासी अपने गांव के पानी के स्रोत, जहां से उक्त पेयजल योजनाओं के लिए पानी मुख्यतः प्राप्त करने का प्रस्ताव था, से पानी देने पर आपत्ति कर रहे हैं। इस समय शासन को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिसके अन्तर्गत बांसी खेत के निवासियों को अपने गांव के स्रोत से पानी देने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य किया जा सके। तथापि जिला अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों को आपसी बातचीत द्वारा पानी देने के लिए राजी कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

*४५—श्री लालसा—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दिये जाने हेतु निर्देशन तथा राज्य सरकार द्वारा उर्दू के विकास हेतु उठाये गये नये कदम

*४६—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने कोई राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाय? और उर्दू भाषा को ८वीं कक्षा

तक भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की जाय? यदि हां, तो वह निर्देशन क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार स्वयं उर्दू के विकास के लिए कौन-सा नया कदम उठाने जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केन्द्रीय सरकार से ऐसा कोई निर्देशन प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा उर्दू के विकास के लिए जो नये कदम उठाये जा रहे हैं उनका उल्लेख चालू वित्तीय वर्ष (१९७१-७२) के बजट भाषण में किया जा चुका है।

*४७—श्री शिवराज सिंह—

[८वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

वर्ष १९७१–७२ में शासन द्वारा बी० टी० सी०, जे० टी० सी० और एल० टी० की प्रशिक्षण में नामांकन के आधार

*४८—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे बी० टी० सी०, जे० टी० सी० और एल० टी० के प्रशिक्षण हेतु वर्ष १९७१-७२ के लिए नामांकन (नोमीनेशन्स) कर रहे हैं? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी० टी० पेपर मिल, जिला बदायूं के कर्मचारियों की मांगें

*४९—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जी० टी० पेपर मिल, नौशेरा, जिला बदायूं के कर्मचारियों का एक शिष्ट मंडल दिनांक १२ जुलाई, १९७१ को राज्य मन्त्री, श्रम विभाग (उत्तर प्रदेश) से लखनऊ में मिला? यदि हां, तो उन्होंने अपनी कौन सी मांगें प्रस्तुत कीं?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

राज्य मन्त्री जी को स्मरण नहीं है कि कोई प्रतिनिधि मन्डल उनसे इस तिथि को मिला या नहीं। कर्मचारी संघ की १३ मांगें थीं जो संलग्न सूची में दी हुई हैं।

(देखिय नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १३१८ पर)

*५०—श्री कल्याण सिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पेपर मिल के कर्मचारियों ने मिल के प्रबन्धक को नोटिस दे दिया है कि यदि उनकी मांगें स्वीकार न की गयीं तो वह दिनांक २६ जुलाई, १९७१ से आन्दोलन प्रारम्भ कर देंगे? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां।

मांग-पत्र के सम्बन्ध में क्षेत्रीय श्रम कार्यालय बरेली द्वारा सेवायोजकों एवं कर्मचारी पक्ष में समझौता कराने का प्रयास किया गया। दोनों पक्षों में कोई समझौता न हो सकने के कारण विवादग्रस्त विषयों को अभिनिर्णय हेतु भेज दिया गया है।

*५१—श्री डूंगरसिंह विष्ट—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

थाना नगराम जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा श्री राम सागर आजाद को पीटा जाना

*५२—श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना नगराम जिला लखनऊ की पुलिस ने श्री रामसागर आजाद व अन्य दो व्यक्तियों को दिनांक २४ सितम्बर, १९६९ को पकड़ कर थाने में बुरी तरह से पीटा, जिसके सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना देने पर घटना की सी० आई० डी० जांच कराने का आदेश दिया गया? यदि हां, तो सी० आई० डी० की जांच से घटना के क्या तथ्य सामने आये और उस आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २६ सितम्बर, १९६९ श्री भगवती सिंह, संयुक्त मन्त्री, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। जिसमें श्री रामसागर आजाद को थाना नगराम की पुलिस द्वारा पीटे जाने की शिकायत की गई थी। इस की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंपी गई थी। अब तक की जांच से ज्ञात हुआ है कि श्री सन्त बख्श सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष, नगराम तथा कुछ अन्य कांस्टेबुलों ने दिनांक २४ सितम्बर, १९६९ को श्री राम सागर आजाद, श्री शरीफ व श्री सज्जन को पीटा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दन्ड विधान की धारा ३५३ के अन्तर्गत झूठा मुकदमा कायम किया।

जांच जारी है। समाप्त होने पर दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम नवदिया, जिला शाहजहांपुर में वजीर अहमद के घर में डकैती

*५३—श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत २५,२६ फरवरी, १९७१ ई० की दरमियानी रात में ग्राम नवदिया, थाना सेहरामऊ उत्तरी, जिला शाहजहांपुर में बशीर अहमद के घर में डकैती पड़ी जिसमें बशीर अहमद मारें गये, और उनकी घर की सम्पति लूटी गई? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम नवदिया, थाना सेहरामऊ उत्तरी, जिला शाहजहांपुर में दिनांक २५–२६ फरवरी १९७१ की दरमियानी रात में श्री अब्दुल बशीर के घर में चोरी होने तथा अपराधियों द्वारा उनके पुत्र, अब्दुल रशीद को मार दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक २६ फरवरी, १९७१ को थाने पर सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई। अब तक की जांच से माल अथवा मुल्जिम का पता नहीं लग सका है। जांच जारी है।

बेती ग्राम, जिला प्रतापगढ़ में भीषण अग्निकाण्ड

*५४—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़) श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत बेंती ग्राम, थाना कुन्डा में १५, १६ अप्रैल, १९७१ की रात में एक भीषण आगजनी का कान्ड हुआ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के ऊपर रिपोर्ट की गई है और क्या उसमें कुछ मिलिट्री के कर्मचारी भी नामजद किये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १५ अप्रैल, ७१ की रात में ग्राम बेंती में एक खलिहान में आग लगाये जने की सूचना थाना कुंडा, जिला प्रतापगढ़ में प्राप्त हुई जिसमें २१ व्यक्तियों को नामांकित किया गया है। नामांकित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जांच से मिलिट्री कर्मचारी पाया गया है।

श्री बद्रीनारायण शुक्ल, ग्राम बेती, जिला प्रतापगढ़ के घर भीषण डकैती

*५५—श्री राम देव, श्री राजित राम पांडेय, श्री राम किंकर—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत थाना कुंडा, ग्राम बैती, पांडे का पूरा के निवासी, श्री बद्रीनारायण शुक्ल के यहां १५ मार्च, १९७० ई० में एक भीषण डकैती पड़ी? डकैतों ने गृहस्वामी को निर्मम रीति से पीटा, वस्त्राभूषण लूट लिया और श्री प्रेम नारायण को अपहरण कर लिया? श्री प्रेमनारायण का पता आज तक नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की? कितने अभियुक्त गिरफ्तार हैं तथा कितने फरार हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बद्री नारायन, निवासी ग्राम पांडे का पुरवा, थाना कुन्डा ने पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने अपने घर में दिनांक १५ मार्च, १९७१ को डकैती पड़ने, डकैतों द्वारा वस्त्राभूषण लूटने तथा श्री प्रेमनारायण का अपहरण करने की सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर धारा २९५/३६४ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से श्री प्रेमनारायण के अपहरण की बात असत्य पाई गई। कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। जांच सी० आई० डी० को सौप दी गई है।

*५६—५७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*५८—श्री उमा शंकर शुक्ल—

[८वें शुक्रवार के लिए स्थगित।]

जौनपुर के बालक दीक्षा विद्यालयों के अनुसूचित छात्राध्यापकों को छात्र वेतन

*५९—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जिला जौनपुर राजकीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राध्यापकों को ३५ रुपया प्रति मास छात्र वेतन मिलता है और ७५ नया पैसा प्रति मास ट्यूशन फीस देनी पड़ती है परन्तु महिला दीक्षा विद्यालयों में छात्राध्यापिकाओं को ३० रुपया छात्र वेतन मिलता है और उनसे ५ रुपये ७५ पैसे के ट्यूशन फीस ली जाती है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

डाक्टर रा जीलाल सहायक—

जनपद जौनपुर के बालक दीक्षा विद्यालयों में अनुसूचित छात्रावासी छात्राध्यापकों को ३५ रु० प्रतिमास एवं बाहर रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्राध्यापकों को २७ रु० प्रतिमास छात्र वेतन दिया जाता है। बालिकाओं के दीक्षा विद्यालयों में सभी जाति के छात्राध्यापिकाओं को ३० रु० प्रतिमास छात्र वेतन मिलता है।

छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती।

प्रदेश में जिलाधिकारीयों के स्थानान्तरण

*६०—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत १ मई, १९७१ से १२ जुलाई, १९७१ तक प्रदेश में कितने जिलाधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये उन स्थानान्तरित किये गये जिलाधिकारियों के नाम क्या हैं और उनमें से फिर कितनों के स्थानान्तरण रोक दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुल २४ जिला मजिस्ट्रेटों के स्थानान्तरण के आदेश दिये गये थे जिनमें से ६ के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये। आवश्यक विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १३१९ पर)

श्री उमाशंकर द्वारा थाना तुलसीपुर जिला गोंडा में भारतीय दंड विधान की धारा १४७ व ३२३ के अन्तर्गत लिखाई गई रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

*६१—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर थाने में दिनांक १२ अक्तूबर, १९७० से २० अक्तूबर, १९७० के बीच उमाशंकर नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट भारतीय दन्ड विधान की धारा १४७ तथा ३२३ के अन्तर्गत लिखाई थी? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, दिनांक १६ अक्तूबर, १९७० की शाम को उमाशंकर नाम के एक व्यक्ति ने थाना तुलसीपुर में धारा १४७/३२३ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत एक रिपोर्ट लिखाई थी। नियमानुसार यह मुकदमा पहले विवेचना रहित अंकित किया गया। तत्पश्चात् वादी के लिखित प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक, गोंडा ने इसकी विवेचना के आदेश दिए।

*६२—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या यह सच है कि तुलसीपुर की पुलिस ने उक्त रिपोर्ट के प्रतिवादीगण को बन्दी बनाया था तथा जमानत पर छोड़ दिया था? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पुलिस न्यायालय में अब तक मामले को क्यों नहीं भेज सकी तथा कब तक भेजेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, इस रिपोर्ट के ४ प्रतिवादियों को गिरफ्तार किया गया। शेष ३ ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। ये सातों ही जमानत पर छोड़ दिये गये हैं। दिनांक १९ अप्रैल, १९७१ को इस मामले में चार्ज शीट तैयार की गई कि जो बाद में आपत्ति के साथ थाने वापस की गई। इस आपत्ति को दूर करके चार्ज शीट शीघ्र अदालत भेजी जायेगी

ग्राम इकौन्हा, जिला मुरादाबाद में डकैतियां

*६३--श्री जितेंद्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना हसनपुर (मुरादाबाद) के ग्राम इकौन्हा में कितनी डकतियां गत २ महीने में हुयीं और उन डकैतियों का ब्योरेवार क्या परिणाम निकला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

गत दो महीने में ग्राम इकौन्हा, थाना हसनपुर, मुरादाबाद में केवल एक डकैती दिनांक ३० जून/१ जुलाई, १९७१ की रात में पड़ने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई।

इस सम्बन्ध में थाने पर धारा ३९६/३०७ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके तुरन्त जांच प्रारम्भ की गई। डकैती से सम्बन्धित २ डकैत मरे हुए पाये गये। इन दोनों डकैतों के अतिरिक्त १० और डकैत जांच से प्रकाश में आये, जिनमें से २ को गिरफ्तार किया जा चुका है।

*६४--श्री जितेन्द्रपाल सिंह--

[८वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

*६५--श्री राम सिंह--

[८वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

मुल्यांकन निदेशालय में श्रेणीवार स्वीकृत पद तथा उन पर कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या

*६६--श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल्यांकन निदेशालय में श्रेणीवार कितने स्वीकृत पद हैं और प्रत्येक श्रेणी में कुल नियुक्त कर्मचारियों में कितने-कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या उनका कोटा कम है ? यदि हां, तो उसे पूरा करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मूल्यांकन निदेशालय में श्रेणीवार स्वीकृत पदों, उन पर नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों तथा उनमें अनुसूचित जातियों की संख्या निम्न प्रकार है--

श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या
१--प्रथम श्रेणी	४	४	शून्य
२--द्वितीय श्रेणी	३	३	शून्य
३--तृतीय श्रेणी	५५	५०	शून्य
४--चतुर्थ श्रेणी	१८	१७	२

अनुसूचित जातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कोटा अर्थात १८ प्रतिशत से कम है। निर्धारित कोटा पूरा करने के लिये सेवायोजन कार्यालयों से जब-

जब अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये हैं, यह स्पष्ट किया जाता रहा है कि अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी ।

*६७—श्री भगेलू सिंह तथा श्री हरिबंश सहाय—

[९वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६८—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*६९-७०—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[८वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी को घुरमा खदानों से प्राप्त होने वाले लाइमस्टोन की दर

*७१—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेन्ट फक्ट्री को घुरमा खदानों से लाइमस्टोन प्रति टन किस दर पर प्राप्त होता है? और खदान से फैक्ट्री में लाने का प्रति टन क्या खर्च आता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१०.९९ रु० प्रति टन । ३.८७ रु० प्रतिटन जो १०.९९ रु० में सम्मिलित है ।

*७२—श्री रामनिहोर राय—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उस क्षेत्र में पड़ोस की अन्य प्राइवेट सीमेन्ट फैक्टरियों को इससे बहुत कम दर पर लाइमस्टोन प्राप्त होता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसकी सूचना सदन को देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश में चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के पड़ोस में कोई प्राइवेट सीमेन्ट फैक्टरी नहीं है ।

थाना तरवा, जिला आजमगढ़ के थानेदार की डकैती के केस में गिरफ्तारी

*७३—श्री प्यारे लाल तथा श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि १ जून, ७१ से १३ जुलाई ७१ के बीच थाना तरवा, जिला आजमगढ़ के थानेदार डकती के केस में गिरफ्तार हुए हैं, यदि हां, तो किन-किन डकैतियों का माल बरामद हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १ जून, १९७१ से १३ जुलाई, १९७१ के बीच थाना तरवा, जिला आजमगढ़ का कोई थानेदार किसी डकती के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया गया है और न किसी डकैती का माल ही बरामद हुआ ।

जिला पिथौरागढ़ के राजकीय इन्टर कालेज, धारचूला के प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण

*७४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले में राजकीय इन्टर कालेज धारचूला में प्रधानध्यापक स्थानीय जिले के हैं? तथा ७ वर्ष से अधिक अर्से से वहीं नियुक्त हैं ? यदि हां, तो सरकार उनकी बदली अन्यत्र करने जा रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हमीरपुर जिले के भेसावली ग्राम धारा केरारा के एक हरिजन की हत्या

*७५—श्री इन्दजीत (जिला फतेहपुर), श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ जुलाई, १९७१ को हमीरपुर जिले के भेसावली ग्राम धारा केरारा में एक नवयुवक हरिजन को इसलिये मार डाला गया कि उस गांव के एक असरदार व्यक्ति के यहां बेगार नहीं की ? यदि हां, तो सरकार ने मुल्जिमानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ५ जुलाई, १९७१ को ग्राम भैसापाली थाना कोरारा जिला हमीरपुर निवासी, श्री खुल्ली हरिजन की हत्या हुई । हत्या कर्ज की अदायगी के संबंध में होना बताया गया है । हत्या से संबंधित मुकदमें की जांच की गई और उन सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध जो भागे हुए थे, धारा ८७/८८ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई । अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उन्हें जेल भेजा गया । जांच के पश्चात अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम बन्नी, पुरवा खुसवा, जिला बस्ती के निवासी श्री शौकत अली की हत्या

*७६—मुहम्मद नबी खां (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ४ जून, १९७१ की रात में श्री शौकत अली, निवासी (बन्नी) पुरवा खुसवा, थाना कोतवाली, जिला बस्ती को कत्ल कर डाला गया ? क्या यह सही है कि पुलिस के द्वारा नामजद रिपोर्ट होने पर भी अब तक मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ४ जून, १९७१ को थाना कोतवाली, जिला बस्ती में दी गई लिखित रिपोर्ट के अनुसार शौकत व एक अज्ञात व्यक्ति ने एक बछड़ा चुराया । गांव वालों द्वारा घेरे जाने पर श्री शौकत हमलावर हुआ तथा उसका साथी भाग गया । बचाव में गांव वालों द्वारा प्रहार करने पर शौकत गिर पड़ा व मर गया । इस पर धारा ३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अपराध दर्ज हुआ । दिनांक १० जून, १९७१ को मृतक के भाई ने यह आवेदन-पत्र दिया कि उसके भाई को १२ नामजद व्यक्तियों ने मार डाला है । इस पर धारा १४७/१४८ / ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ । इस संबंध में पुलिस द्वारा अब तक ९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष ३ व्यक्ति अभी फरार है ।

*७७—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

अतारांकित प्रश्न

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को दी जाने वाली राजनैतिक पेंशन पर प्रतिबन्ध

१—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन देने के सिलसिले में कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये थे इसलिये बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा पेंशन प्राप्त करने के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या प्रतिबन्ध लगाये गये और कौन से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पेंशन पाने के हकदार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजनैतिक पेंशन संबंधित नियमावली में कोई ऐसे प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं। हो सकता है कि पूर्व में किन्हीं कारण वश राजनैतिक पेंशन हेतु कुछ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हों।

२—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की लड़कियों आदि की शादी के लिये शासन द्वारा सहायता मिल जाती थी, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था और क्या वर्तमान सरकार उस प्रतिबन्ध को समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पुत्रियों और आश्रित बहनों की शादी के लिये एक मुश्त अनुदान देने का जो प्राविधान था वह जुलाई, १९७० में बन्द कर दिया गया था। अब बजट में प्रस्ताव सम्मिलित करके ऐसे अनुदान देने की व्यवस्था फिर से कर दी गई है और अनुदान की अधिकतम सीमा भी ५०० रु० से बढ़ कर १,००० रुपये हो जायेगी।

३—श्री मोहन लाल कपूर—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

सरकार द्वारा कम्युनिटी लिस्निग सेट का खरीद तथा वितरण

४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् ६९ से ३० जून, ७१ तक कितने कम्यूनिटी लिस्निग सेट विभाग द्वारा खरीदे गये तथा उनमें से कितने गोदाम में आज तक पड़े हैं और कितने बांटे गये ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन)—

जनवरी, १९६९ से ३० जून, १९७१ तक विभाग द्वारा ५० कम्यूनिटी लिस्निग सेट खरीदे गये। इनमें से २५ सेटों का वितरण कर दिया गया है और २५ सेट अभी वितरण होना शेष है।

सीतापुर जिले के थाना तम्बोर में १ जनवरी से १५ जुलाई, १९७१ तक कत्ल, डकैतियां, राहजनी और बल्वे

५—श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के थाना तम्बोर में १ जनवरी, ७१ से १५ जुलाई, ७१ तक कितने कत्ल, डकैतियों, राहजनी और बल्बे हुए और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ १३२० पर।)

*६—श्री राम करन सिंह—

[७वें बंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया नगर में विश्व कल्याण परिषद् द्वारा आयोजित सभा में हुए उपद्रव की जांच

७—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया नगर में गत अक्तूबर–नवम्बर, १९७० में विश्व कल्याण परिषद् के तत्वावधान में जो सभा बाल ब्रह्मचारी के देवरिया आने के अवसर पर पुलिस लाइन के उत्तर वाले मैदान में हुई थी और जिसमें असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा लूटमार एवं गुण्डागर्दी की घटना हुई थी उसकी जांच क्या सी० आई० डी० विभाग कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट विभाग को कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देवरिया नगर में अक्तूबर–नवम्बर में नहीं, वरन् २६ दिसम्बर, १९७० को विश्व कल्याण परिषद् के तत्वावधान में जो सभा बाल ब्रह्मचारी के आने के अवसर पर हुई थी उसमें हुए उपद्रव के संबंध में थाना कोतवाली देवरिया में दो रिपोर्ट लिखायी गई थी। इनके संबंध में जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा नहीं बल्कि पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की जा रही है।

खांडसारी निरीक्षकों के पदों पर की गयी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या

८—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने खण्डसारी निरीक्षक हैं ? और उनमें से कितने खान्डसारी निरीक्षक लोकसेवा आयोग द्वारा स्वीकृत है तथा कितने खान्ड-सारी निरीक्षक विभागीय पदोन्नति द्वारा कार्य कर रहे हैं और उन में से कितने हरिजन हैं ? विभाग में कितने पद खान्डसारी निरीक्षकों के इस समय रिक्त हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी —

प्रदेश में कुल ७६ खन्डसारी निरीक्षक के पद स्वीकृति हैं। इस समय ६५ खंडसारी निरीक्षक लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित है। विभागीय पदोन्नति द्वारा केवल ३ खान्डसारी निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति की गयी है। कार्यरत निरीक्षकों में १० पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं। खन्डसारी निरीक्षकों के तीन पद रिक्त हैं।

९—श्री गंया प्रसाद—

विभाग ने सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के पास सन् १९६७ से लेकर ३१ मई, १९७१ तक कितने बार खन्डसारी निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की मांग की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल एक बार वर्ष १९६८ में मांग की गयी जिस पर आयोग ने वर्ष १९७१ में अभ्य-र्थियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की।

प्रदेश में अपराधों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में शिकायत

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। और अगर व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है तो पहले पहल इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि असेम्बली में, चाहे पार्लियामेंट, में क्वेश्चन आवर बड़ा इम्पार्टेंट आवर होता है। क्वेश्चन आवर में सदन के सदस्य, सरकार किस प्रकार चल रही है उसको सदन के सम्मुख और जनता के सम्मुख लाने का प्रयास करते हैं। आप जरा देखें कि क्वेश्चन आवर में बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स रखे ही रह जाते हैं। मैं आप के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करता हूं कि जरा आप अपने शासन की व्यवस्था की तरफ देखें। श्रीमन्, १२ जुलाई, को एक बलात्कार का केस, १३ जुलाई को दूसरा बलात्कार का केस, १८ जुलाई को एक विस्फोट, २४ जुलाई को डकैती, और 25 जुलाई को सारे परिवार के लोगों की हत्या। इस तरह से जुलाई के एक हफ्ते में आप देखें कि इस तरह से बलात्कार के केस, इस तरह से घरों में डकैतियां, एक सारे परिवार का मर्डर, ये सारे केस हुए और पुलिस के लोग इन केसेज में इन्वाल्व्ड पाये गये। एक दिन के क्वेश्चन के आवर में सदन के सम्मुख इतनी सारी चीजें आयीं। तो क्या मैं आप के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूं कि क्या क्वेश्चन आवर इसी लिये होता है कि एक तरफ से सवाल पूछा जाय और उसका जवाब दे दिया जाय? इस तरह से तो अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी। इसलिये आप सदन को इस बात के लिये आश्वस्त करेंगे कि जुलाई के इस हफ्ते में जो ट्रेंड रहा भविष्य में उसे नहीं चलने देंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर शासन क्या रहा?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अगर माननीय कृष्णानन्द राय जी की यह राय है कि यह एक खास तरह की नयी बात हुई है और उस जमाने में यह कभी नहीं हुई जब कि श्री कृष्णानन्द राय जी मंत्री थे और यही जुलाई में ही इस तरह की घटना होने लगी तो अब मैं उसकी भी जांच करूंगा कि पहले क्या हुआ था। रहा यह कि जहां तक प्रदेश में सुरक्षा, शान्ति और व्यवस्था की स्थिति की बात है, असन्तोष जनक अवस्था चल रही है तो उस को सुधारना हम सब का कर्त्तव्य है। मैं इस बात की चेष्टा कर रहा हूं और करूंगा और आप सब से सुझाव चाहूंगा कि किस प्रकार से इस अवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी नियमावली के नियम २९ (४) में है—"यदि सम्बद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हों और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाये जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये उस की बारी है।"

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि मैंने १० तारीख को अल्पसूचित प्रश्न दिया और जो १० ही तारीख को श्रीमन्,के द्वारा मंजूर भी हो गया लेकिन उस अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक नहीं आया। मैं आप को यह भी सूचना दूं कि मैंने प्रश्न विभाग से मालूम किया तो मालूम हुआ कि माननीय मंत्री जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि वे अल्प-सूचित प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे। मान्यवर, यह सारा उत्तर सुल्तानपुर के डी० एम० के पास से आना था और उनसे पूछ लिया जाता कि कोयले का वैगन या रैक वहां आया या नहीं आया। पता नहीं किस वजह से माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर देने में अपनी असमर्थता प्रकट

की है। जब उन्होंने इसका उत्तर देने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो मुझे भी कोई एक और निश्चित तारीख बतला देनी चाहिये थी कि किस दिन उसका उत्तर दिया जायेगा और मान्यवर सत्रावसान होने जा रहा है। ३१ तक ही यह सदन चलेगा। हमारे प्रश्न का निश्चित उत्तर किस तारीख तक दिया जायेगा इसका स्पष्ट आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर ३० तारीख को दिया जायेगा।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो कि प्रश्नों के सम्बन्ध में है। इसमें प्रश्न सं० ७ देखें जिसमें लिखा है कि क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि श्री विशेषर पुत्र श्री नन्हू . . . . . यानी एक व्यक्ति का प्रश्न है। मन्यवर, मैंने भी एक प्रश्न आप के कार्यालय को २६-७-१९७१ को दिया था। अस्वीकृत प्रश्नों की सूची मेरे पास है। उस प्रश्न में यह पूछा था कि क्या श्री पुरुषोत्तम और श्री वीरेन्द्र सिंह का प्रार्थना-पत्र सहकारी मंत्री को भिटोरा केन्द्र का प्राप्त हुआ। वहां का सुपरवाइजर और सारा स्टाफ इंवाल्व था। ७५ रुपये पर गेहूं खरीदा और ७६ रुपया गवर्नमेंट से वसूल किया। मैं आप से जानना चाहता हूं कि वह कौनसी प्रक्रिया की धारा है जिसके अनुसार एक प्रश्न व्यक्तिगत रूप में स्वीकार हो सकता है और दूसरा प्रश्न नहीं जब कि उसमें दो नामों से अधिक नाम हैं। आपके लेटर संख्या १४०५ के अनुसार २०-८-१९७१ को सूचना दी गयी कि आप का प्रश्न अस्वीकृत हो गया। चूंकि प्र० सं० ७ में श्री गिरधारी लाल जी का नाम लिखा हुआ है और मैं बैक बैंचर हूं इसलिए उनका स्वीकार हो गया और मेरा अस्वीकृत। तो क्या आप किसी व्यक्ति विशेष की हैसियत आंक कर प्रश्न स्वीकार करते हैं, इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात का उत्तर कि इस प्रश्न की मंजूरी हुई और इसकी नहीं हुई मैं दफ्तर में दूंगा। नियम ४३ आप देख लें।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं आपके कार्यालय में आ जाऊंगा लेकिन यह चाहता हूं कि जब यह प्रश्न स्वीकार किया गया है तो मेरा प्रश्न भी स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

उसको देख लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल के पाइनियर अखबार में एक कार्टून निकला है। इस कार्टून के नीचे लिखा है।

"For favourable postingsmy fee as intermediary is Rs. 500, for transfers Rs. 250. The offer holds good till further devaluations or midterm poll, whichever comes first.'

यह आजाजी ने कहा है और यह सरकार के ऊपर आक्षेप है। क्या मुख्य मंत्री जी ने उसको पढ़ा और देखा है और अगर पढ़ा है तो क्या वह इसकीजांच करायेंगे कि किस महकमे के बारे में यह टिप्पणी है। पाइनियर बहुत प्रमुख पेपर है। अगर मुख्य मंत्री जी ने इस टिप्पणी को देखा है कि ५०० रुपये फेवरेबुल पोस्टिंग के लिए और २५० रुपया ट्रान्सफर के लिए तो इसकी जांच करावायेंगे।

भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों को बोलने का कम समय मिलने की शिकायत

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि भारतीय क्रान्ति दल के सदस्य ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रश्न काल में और वाद विवाद में भी उनके साथ न्याय नहीं होता। आज भी भूल से मैंने प्रश्न कर दिया और मुझे मौका दिया गया, बाकी किसी सदस्य को मौका नहीं मिलता। वाद विवाद में भी आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें यही स्थिति होती है कि हमारे दल के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता या सब से कम अवसर दिया जाता है। समय देते वक्त हमारी संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिये। इस कुर्सी से न्याय नहीं मिलता बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज भी खड़े होने पर मुझे मौका न देकर सेक्रेटरी साहब को दिया। उसके बाद दूसरे को मौका दिया जाय तो यह अनुशासन कैसे रह सकेगा जब कि कुछ लोग आप की आज्ञा के बिना बोल ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष--

दीपनारायण मणि जी चार दफा बोल चुके हैं।

श्री महीलाल--

आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरे नेता अभी खड़े हुए थे लेकिन आप ने उनको मौका न देकर जायसवाल जी को मौका दिया। हम 5 मिनट के लिये वाक आउट करते हैं।

(श्री महीलाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

विविध प्रश्न

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, नत्थी 'घ' में प्रश्न संख्या २६ का आप अवलोकन करें। प्रश्न इस प्रकार है "प्रथम सत्र, १९७० के नवें शुक्रवार (५ जून, १९७१) के नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या १-२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिका विद्यालय इन्टर कालेज, बांदा के बारे में जो जांच हो रही थी वह पूरी हो गई है या नहीं? यदि हो गई, तो क्या उस की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अब इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है "जांच पूरी हो गयी। रिपोर्ट बहुत विस्तृत है। माननीय सदस्य उसे मेरे कमरे में देख सकते हैं।" तो क्या यह जवाब उपयुक्त है?

श्री अध्यक्ष--

यहां यह प्रथा रही है। उत्तर पढ़ने में देर लगती है अगर तो इस तरह का उत्तर दिया जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

सवाल था पटल पर रखने का और उत्तर दिया जा रहा है कि मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--

पटल पर रख सकते हैं। रखना चाहिये।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, सचिवालय के सामने गन्ना ग्राम सेवकों की भूख हड़ताल चल रही है। कल दफा ५६ के अन्तर्गत मैंने यह प्रश्न दिया था किन्तु वह अस्वीकृत कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि आज गन्ना मंत्री हैं और कृषि मंत्री का अनुदान है। जिस समय गन्ना मंत्री खड़े हों तो अपने अनुदान पर बोलते समय इस प्रकार वह आश्वासन दें उनकी मांगों पर ताकि उनकी भूख हड़ताल खत्म हो जाय। दूसरे होम्योपैथी कालेज के विद्यार्थियों की भूख हड़ताल चल. . . . रही है।

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर तो किसी रोज दिया जायगा।

केन्द्रीय सरकार के मितव्ययिता के आदेश के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा जानकारी

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय कृष्णानन्द राय ने एक प्रश्न रखा था कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ निर्देश दिये हैं बंगाल देश के सम्बन्ध में कि खर्चे में कुछ कटौती की जाय। माननीय नारायण दत्त जी ने उत्तर दिया था कि मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है और उसमें कुछ निर्णय लिया जायगा। मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं और मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है अगर मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया है तो इस सदन को सूचित कर दिया जाय और मेरा यह भी सुझाव है कि अगर मंत्रि मण्डल के लोग कुछ कटौती करते हैं तो इस सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनकी ओर से भी एक दिन का भत्ता बंगाल देश के लिये चन्दे के तौर पर दे दिया जाय। इस पर मैं चाहता हूं कि आप कोई व्यवस्था दें।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, मुझे एक निवेदन करना है।

(व्यवधान)

कृपया सुन लें। आप उस दिन मौजूद नहीं थे और मैंने यह प्रश्न उठाया था कि केन्द्रीय सरकार ने स्पष्टतया राज्य सरकारों को यह आदेश भेजें हैं कि बगला देश के शरणार्थियों से जो आर्थिक स्थिति पैदा हो गई है और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है उसके लिये इकानामी ड्राइव कर के ऐसे मेजर्स एडाप्ट करना चाहिये ताकि खर्चे में कमी हो और मंत्रिमंडल के खर्चे में कमी हो। किन्तु श्रीमन्, सूचना मिली है कि माननीय मुख्य मन्त्री हमारे जो हैं वे विधानसभा के इस सत्र के बाद मंत्रि-परिषद् में इक्सपेन्शन करने जा रहे हैं जिससे कि खर्चे में कमी आने के बजाय प्रदेश का खर्चा और बढ़ जायेगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने मन्त्रि मंडल के खर्चे में क्या कटौती की है। इसी के साथ-साथ मैं आप को यह भी बता दूं कि महाराष्ट्र और दिल्ली के सरकारी अधिकारियों ने भी इस हेतु अपनी तनख्वाह में कटौती की है। क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी भी यह मेजर्स अपनायेंगे। जहां तक विधान सभा के सदस्यों का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने मन्त्रि-मंडल में तय कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विधान सभा का कोई भी सदस्य इसके लिये तैयार है और जो भी त्याग इसके लिये करना होगा, हम लोग मंत्रिमंडल के सदस्यों से पीछे नहीं रहेंगे। जो फैसला वे लेंगे वह हम सब को मान्य होगा।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मंत्रि मंडल के इक्सपैन्शन का सर्वोत्कृष्ट आदर्श तो श्री कृष्णानन्द राय जी ने उपस्थित किया था। अब तो मंत्रि मंडल काफी छोटा है। अगर आप कभी इधर पधारें तो इस बारे में सोच सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष जी, यह हथियार तो पुराना हो गया, कोई नया हथियार इस्तेमाल करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

काम पुराना हथियार ही देता है नया हथियार खोटा हो जाता है। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो कुछ भी प्रस्ताव वहां पर पास हुये हैं उसकी कोई लिखित सूचना अभी हमें नहीं मिली है। अखबारों में ही हमने भी देखा है। किन्तु यह स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री ने एक अपील सभी लोगों से की है कि वे वालेन्टरी अपने खर्चे में कट करें। हमने भी तय कर दिया है बिना उनके आदेश के आये कि हम मन्त्रियों के वेतन से १० प्रतिशत, उपमंत्रियों के वेतन से ५ प्रतिशत का कट अभी से शुरू कर दें और यह निश्चय भी कर लिया है कि तदनुसार उस पर कार्यवाही होगी। हमारे यहां ऐसे भी मंत्रि हैं जिन्होंने कि अपने वेतन का ५० प्रतिशत कट किया है। जैसे माननीय विभव जी हैं। वे ५०० रुपया वेतन लेते हैं। हमारा विचार है कि हमारे अधिकारी भी वोलेन्टरिली इस हेतु कट करने पर विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि उनको ऐसा करना चाहिये क्योंकि आज देश की यही आवश्यकता है। और भी कई चीजों पर हमने निर्णय लिये हैं उसकी एक सूची बना ली गई है। जैसे कि हमारे जो नान-प्लान आइटम्स हैं उसमें कट किया जाय, डेकोरेशन पर बहुत व्यय होता है, उसके खर्चे को कम किया जाय, कहीं-कहीं नई-नई प्रोजेक्ट्स बनाई जाती हैं उसमें कमी की जा सकती है। इस प्रकार प्लान और नान-प्लान में कई चीजों पर कट करने के लिये हमने निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है और बिना इफीसियेन्सी पर असर पड़े उन आइटम्स को कट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस प्रकार आज की स्थिति को देखते हुए जो संकट हमारे ऊपर आ गया है उसमें जो कुछ सहायता हम दे सकते हों देना चाहिये और इसीलिये मंत्रि-परिषद् ने पहले कदम बढ़ा लिया है.....

श्री अध्यक्ष---

सदस्यों के बारे में भी बता दें।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मंत्री के लिये १० प्रतिशत, उपमंत्री के लिये ५ प्रतिशत कट करने का आपने निर्णय लिया है तो सदस्यों के लिये ढाई प्रतिशत कट करने का निर्णय होना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सदस्यों के बारे में, यह सदस्यगण स्वयं ही निश्चय करेंगे क्यों कि मैं समझता हूं कि मेरे पास यह आ रहा है और कहा जा रहा है कि महंगाई है इसलिए कुछ बढ़ा दिया जाय और १५ हजार मील चलने के कूपन दे दिये जायं। ऐसी दरख्वास्तें आ रही हैं। सदस्य मालिक हैं। ये लोग जो फैसला कर देंगे वह स्वीकार होगा। कहेंगे बढ़ा दो, बढ़ा दूंगा, कहेंगे घटा दो तो घटा दूंगा।

सदस्यों द्वारा बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये आर्थित सहायता की घोषणा

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)--

बंगला देश से आये हुए शरणार्थियों के लिये जो कटौती मन्त्रि मन्डल ने की है उससे मुझे बड़ी खुशी है और सदन को खुशी होनी चाहिये। लेकिन सदस्यगण ४-५ दिन से इस प्रश्न को तो उठा रहे हैं कि मन्त्रि मन्डल अपने वेतन में कटौती करे लेकिन वे अपने भत्ते तथा वेतन से देने के लिए तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

हम सब तैयार हैं।

श्री रामलाल राही--

मैं घोषणा करता हूं कि दो दिन का भत्ता बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए दूंगा और मैं पक्ष तथा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी कम से कम एक दिन का भत्ता उनके लिये दें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैंने एक प्रश्न दिया था जो ६० पर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरे कमरे में आकर आप मालूम कर लीजिये।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मन्त्री जी ने अभी सदन में एलान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उनका बड़ा दल है और सदस्यों के सम्बन्ध में जो वह निर्णय कर लेंगे वह भारतीय कांति दल को भी मान्य होगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, हमारी कांग्रेस संगठन की शाम को बैठक होगी और उसमें हम लोग निश्चय करेंगे कि क्या देंगे और कल सुबह हम सदन को सूचना दे देंगे।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह सवाल ऐसा है जिसमें सभी माननीय सदस्य उदारतापूर्वक देने के पक्ष में हैं। मुख्य मन्त्री जी ने मन्त्रि मंडल की कटौती के बारे में प्रकाश डाला है। इसको विवाद का विषय न बनाया जाय। सदन के नेताओं की एक बैठक हो जाय। इसमें अलग-अलग विचार न हो तो अच्छा है। मुख्य मन्त्री जी सदस्यों की भावना को देखते हुए जो भी अधिक से अधिक सहायता की वह उपेक्षा करते हों वह हम लोगों से कहें, हम उसके लिए तैयार हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय राम करन जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अब एक अच्छा सुझाव है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सब माननीय नेताओं की मीटिंग बुला लें और कुछ भी तय कर दें हमें वह स्वीकार होगा।

विविध विषय-(क्रमागत)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी तरफ से कुछ भी निवेदन नहीं करना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास ये तीस लाख जनता के प्रतिनिधि खड़े हैं आखिर उनको भी बोलने का मौका दे दिया जाय।

श्री मुहम्मद नबी खां (जिला बस्ती)--

आपसे यह निवेदन करना है कि बस्ती जिले में दावत देने का बहाना करके अपने घर पर बुला लिया गया और बड़ा भयंकर कत्ल कर दिया गया है। बोटी-बोटी काट डाली

गई है। एक माह हो गया कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था, वह ७६ वें नम्बर पर है। वह बहुत जरूरी सवाल है उसको कल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के बारे में जो कुछ भी कहना है वह मेरे कमरे में आकर कहें। उत्तर तो आपको मिल ही गया है। बाकी आप मेरे कमरे में पूछ लें। इस समय बंगला देश के बारे में महत्व-पूर्ण चर्चा हो रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

श्रीमन्, यह समय विशेष रूप से प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के लिए है।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, इसका जवाब मैं यहां नहीं दे सकता।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मन्त्री जी ने गलत जवाब दिया है। २४ जिला अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है।

श्री अध्यक्ष---

इसके सम्बन्ध में नियम यह है---"अध्यक्ष से प्रश्न व्यक्तिगत सूचना द्वारा किये जायेंगे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से अथवा अध्यक्ष के निजी कमरे में दिया जा सकेगा।" आप बैठ जाइये, मैं यहां इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, १२ तारीख से यह सदन चल रहा है। सभी पार्टियों के सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बराबर खड़ा होता रहा।

श्री रूपनाथ सिंह (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, पी० एस० पी० तो भंग हो गई।

श्री सुखपाल पांडेय---

कुछ लोगों ने उसको भंग कर दिया होगा। मैं बजरंगबली टीम में सम्मिलित नहीं हुआ हूं। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, यह बजरंगबली दल कौन सा है?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उनका नाम संकट मोचन है। बगैर उनके भेजे लोगों का काम नहीं चलता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

उन्हीं से डर कर रियासत साहब उधर भाग गये।

श्री सुखपाल पांडेय--

आपने मुझे आज तक किसी कटौती पर बोलने का अवसर नहीं दिया। आप देखें कि कितने सदस्यों को कितनी बार आपने बोलने का अवसर दिया। आप समय का बंटवारा जिस दृष्टि से करते हैं कि किसी किसी सदस्य को तो १०-१० और ५-५ बार बोलने का मौका देते हैं और किसी को एक बार भी मौका नहीं देते।

श्री अध्यक्ष--

वह बड़ी पार्टी के होंगे।

श्री सुखपाल पांडेय--

एक पार्टी का मैं हूं। तो किसी का हिस्सा लें लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे पास आये थे तो मैंने कहा था कि आज आपको बुला लूंगा।

श्री सुखपाल पांडेय--

आपके उपाध्यक्ष जी मुझ से कुछ असन्तुष्ट हैं और वह सिफारिश पर बुलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपने उनका अपमान किया होगा। अध्यक्ष के ऊपर हमला करना अनुचित है।

श्री सुखपाल पांडेय--

हमला नहीं करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

आपने उस दिन यहां कह दिया था कि कोआपरेटिव का जो १४ करोड़ वाला था उस पर नियम ५२ में ढाई घंटे का विवाद होगा। आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लें। लेकिन कमरे में मालूम होता है आप भूल गये और नियम ४९ में लिया। तो फिर हमने लिख कर दिया है . . .

श्री अध्यक्ष--

उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय--

रिपोर्ट तो आयेगी जब आप मंगायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

कोई प्रश्न पूछता है और उसके बाद कहता है कि नियम ४९ में आधे घंटे के लिए चर्चा की इजाजत दे दो तो उसको मैं दे देता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय--

आपने हाउस में कहा था कि नियम ५२ में होगा। हम लोगों ने लिख कर दिया था कि नियम ५२ में हो और आपने ४९ में कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

पहले नियम ४९ में दिया था इसलिये उसी नियम में किया।

श्री बंशीधर पांडेय--

बड़ी कठिनाई मेरे लिये हो जायगी। इस सदन में आपकी घोषणा को मान कर सारे सदस्य संतुष्ट हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

नियम ४९ वाले को नियम ५२ में नहीं।

श्री बंशीधर पांडेय--

वह ५२ का है।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं। सवाल यह है कि प्रश्न पूंछा और सन्तुष्ट नहीं हुये और उन्होंने कहा कि नियम ४९ में कर दीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय--

नियम ४९ में नहीं कहा था। नियम ५२ में होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

वह तो कल आया है और यह पहले का है।

श्री बंशीधर पांडेय--

आप अपनी प्रोसीडिंग देख लें। आपने ही तो कहा था कि नियम ५२ में दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

प्रोसीडिंग क्या देखूं। कोई सवाल आता है और नियम ४९ में करने के लिये कहते हैं तो मैं ढाई घंटे के लिए कैसे कर दूं?

श्री बंशीधर पांडेय--

७ आदमियों ने लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

वह कल दिया है।

श्री बंशीधर पांडेय--

कोई नियम ४९ मांगता है उसको नियम ४९ दीजिये लेकिन हमने तो नियम ५२ के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष--

सवाल है कि यहां आप पूंछते हैं। मैं यह देखूं कि कौन सा नियम ४९ का आ या है और कौन सा नियम ५२ का है तभी तो मैं करूंगा?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं अब बिल्कुल नहीं बहस करूंगा। आप अपनी उस आज्ञा के विपरीत कहते हैं तो मैं उसमें बहस नहीं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो कहता हूं कि आप मेरे कमरे में आकर फाइल देख लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय मोतीलाल देहलवी ने लिख कर दे दिया है उस पर कोई कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष--

जी हां।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, फेडरेशन के मामले में जो सवाल किया था उस पर आपने हुक्म दिया था कि सदन में रिपोर्ट रखी जायगी। और उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा मांगी थी। उसमें ४९ का सवाल कभी नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

वह दूसरी बात है। उसके बारे में यह हुआ कि वह छपने के लिए गई। बल्की होने की वजह से प्रेस वालों ने यह कहा कि इसको हम जल्दी नहीं छाप सकते। इसमें कुछ समय लगेगा। तो जब वह छपकर आ जायेगी उसके बाद उस पर २।। घंटे का समय दे दिया जा सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मोतीलाल जी देहलवी ने आप को लिख कर दिया...

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

राज्य शिक्षा मन्त्री अपने गांव में रहते हैं। उनका बहुत बड़ा मकान है। वह वहां पर खपरैल को उजाड़ रहे हैं। खासतौर से खलील अहमद को उन्होंने मुख्य मन्त्री जी को भी लिखकर दिया और नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना आपके यहां भी दी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई है। हमारा निवेदन है कि राज्य शिक्षा मन्त्री जी उजाड़ रहे हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था की जाये।

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)--

उस पी० सी० एफ० में सरकार टालमटोल कर रही है। ३१ अगस्त को यह सदन उठने वाला है। तो इसके लिए तारीख निश्चित कर दी जाय।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज मैं सदन को यह सूचना दे देता हूं कि सभी ने मिलकर यह तय किया है कार्य-मन्त्रणा समिति के जरिये कि यह सदन ३१ अगस्त तक बैठेगा और उसके बाद १४ तारीख

से फिर बठेगा। ३० तारीख को बाढ़ के ऊपर चर्चा हो जायगी। जहां-जहां पर बाढ़ आई है वहां जाने पर लोग वहां स्टडी करेंगे कि क्या कार्यवाही की जा रही है। जब वहां से लोग वापस आयेंगे तो फिर उसके ऊपर चर्चा होगी जब यहां १४ तारीख से फिर बैठेंगे। यह तय हुआ है। इस वक्त अगर वह चीज नहीं हो पाई तो उसके बाद चर्चा हो जायगी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मेरे पास है वह अगर आप कहें तो मैं आपके पास भेज दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप गलत बता रहे हैं कि मैं उससे बचना चाहता हूं। सवाल यह है कि मैंने आर्डर दिया कि सदन के पटल पर उसको आना चाहिये। उसकी कापी हर एक सदस्य को मिलनी चाहिये। उन्होंने कहा था कि यह गोपनीय है लेकिन मैं इसको पसन्द नहीं करता कि वह गोपनीय रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले वह सब को मिल जाय और पहले उसकी स्टडी हो जाय। १४ दिन के बाद जब हम फिर बठेंगे तो तब उस पर बहस हो सकती है।

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

आप जब तक उसके लिए समय निश्चित नहीं करेंगे तो सरकार हीला-हवाला करती रहेगी। उसके लिए आप कोई समय स्वयं निश्चित कर दें और उसकी कापी भी बटवा दें।

श्री अध्यक्ष—

प्रेस, २,४ रोज में उसको छाप देगा तो २, ४ रोज के बाद जब वह छपकर आ जायगी तो कापी को हम बटवा देंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी की सुरक्षा के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की मुख्य मंत्री से हुई वार्ता के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मोतीलाल जी देहलवी ने आपको पत्र दिया था या नहीं और अगर दिया था तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अध्यक्ष—

कल उन्होंने दिया। उसके पहले मैंने मुख्य मन्त्री जी से बातचीत की थी और उनसे कहा था आप इसकी पहले जांच कर लें क्योंकि यह बात सदन में उठी थी। बहुत से लोगों को यह शंका है कि उनके साथ पुलिस वाले ज्यादती करेंगे। ऐसी शिकायत दी है तो आप पहले जांच कर लें और जांच करने के बाद सदन को आप आश्वासन दें। उप मन्त्री जी ने भी इस सम्बन्ध म कहा लकिन वह आश्वासन मुख्य मन्त्री जी की ओर से ही होना चाहिये। उन्होंने यह कह दिया कि मैं जांच कर लूंगा। उस वक्त तक आपकी बात मोतीलाल देहलवी के बारे में मेरे पास नहीं आई थी। उसके बाद यह शाम को आई और मैंने उसे लिखकर माननीय मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया है कि इसकी भी जांच कर लें।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७१, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ट १३२१ पर।)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १३२८ पर।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों की सूचना—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त अनौपचारिक निश्चय के फलस्वरूप सदन को सूचित करता हूं कि दिनांक ३० अगस्त, १९७१ के उपवेशन में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होगी और वह ४ बजे तक होगी। ४ बजे तक इसलिए रखी है क्योंकि उस दिन हम को उठना है। उस दिन हमारे उप राष्ट्रपति आयेंगे और वे संसदीय संस्थान की जो ब्रांच हमारे प्रदेश में खुली है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वहां पर एट होम भी होगा। आप सब लोगों का निमन्त्रण है। अगले दिन अर्थात् ३१ अगस्त के उपवेशन में उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७१, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और रेंट कन्ट्रोल के बारे में विधेयक लिये जायेंगे। रेंट कन्ट्रोल वाला विधेयक अभी आया नहीं है इसलिए कह दिया गया है कि आज उसको सदन में बांट दिया जाय। वह आयोग और उसके बाद सदन उठ जायगा और फिर १४ तारीख को सदन फिर बैठेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया।

मन्त्रियों को परामर्श देने वाली समितियों के बारे में यह निर्णय किया गया है कि २७ अगस्त को वापसी नहीं हो रही है, इसलिए ३१ तारीख को चुनाव नहीं होगा बल्कि २० सितम्बर को चुनाव होगा और १७ सितम्बर, १९७१ के ४ बजे तक जितने नाम वापस लेने हों, आपस में मिलकर तय कर लें क्योंकि बार-बार मुल्तवी चुनाव का होना ठीक नहीं है, तो नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि १७ सितम्बर तक बढ़ा दी है और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में ११ बजे से ५ बजे शाम तक २० सितम्बर, १९७१ को होगा।

३१ अगस्त के उपवेशन के उपरान्त विधान सभा की बैठक १४ सितम्बर, १९७१ को होगी।

नियम ५२ तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं एक जानकारी जानना चाहता हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी ने और मैंने दो नियम ५२ की सूचनायें दी थीं उनके बारे में आपसे चर्चा भी हुई थी। आप उनको कब ले रहे हैं, चूंकि जो प्रोग्राम घोषित किया है ...

श्री अध्यक्ष—

आपने बाढ़ के सम्बन्ध में २—२ १/२ घंटे चाहे लेकिन हमने इसके लिए उससे ज्यादा समय दिया है। ३० तारीख को उस विषय पर बहस होगी और ४ बजे तक होगी। इसका मतलब यह है कि उसमें सब बातें हो जायेंगी। जहां तक नक्सलपंथियों के बारे में प्रश्न है १४ तारीख को सदन फिर बैठेगा। उसके बाद मैं इसके लिए कोई समय नियत कर दूंगा।

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे—

श्रीमन्, खरीफ के बारे में जो बाढ़ के पानी से नष्ट हो गई है उसके ऊपर जो नियम ५२ की सूचना दी थी उस को आप कब ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

उसे ३० तारीख को लिया जायगा।

श्री यादवेंद्र दत्त दुबे—

एक वह और नक्सेलाइट्स वाला था, वह कब होगा?

श्री अध्यक्ष—

वह बाद में फिर जब बैठेंगे तब होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री जायसवाल के विरुद्ध और श्री अनन्तराम जायसवाल का श्री मन्जूर अहमद के विरुद्ध काफी दिनों से पड़ा हुआ है और सदन अब ३१ तारीख को उठने वाला है लेकिन उन विषयों में कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसके ऊपर आपका कोई निर्णय होना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, आप ३१ को सदन स्थगित कर रहे हैं और फिर १४ सितम्बर को बैठेंगे। मैं चाहता हूं कि इस बीच के दिनों में यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति से आ जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि उसमें यह गड़बड़ थोड़ी सी है कि उपाध्यक्ष जी न उस पर यह कह दिया था कि मैं निर्णय रिजर्व किये ले रहा हूं और उसके बाद सबेरे से दूसरे दिन मैं यहां बैठने लगा, पहले मैं नहीं बठ रहा था, जब कि उपाध्यक्ष निर्णय सुनाने लगे तो वह मौजूद नहीं थे। अब वह उनके पास है, अब मैं किसी रोज उनसे पूंछूगा कि उन्होंने क्या फैसला किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

१४ सितम्बर से सदन फिर बैठेगा इस बीच में अगर यह विशेषाधिकार समिति से तय होकर आ जाय तो बहुत अच्छा होगा। वहां से जांच रिपोर्ट आ जाय।

श्री अध्यक्ष—

पहले उपाध्यक्ष जी से बात कर लें, उसके बाद देखेंगे।

राजकीय श्रमजीवी महिला छात्रावास, निरालानगर, लखनऊ में एक युवती के मृत पाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वन उप मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, श्री जेड० एल० सेवक, हास्टल वार्डेन, राजकीय श्रमजीवी महिला छात्रावास, निरालानगर, लखनऊ, ने स्वेच्छा से कुमारी उर्मिला को एक निराश्रित महिला तथा अपनी बहन के रूप में अपने निजी निवास कक्ष में ४ मई, १९७१ से रखा था। १७ अगस्त, १९७१ को श्रीमती सेवक दिन में लगभग डेढ़ बजे कुछ कार्यवश छात्रावास से बाहर चली गई थीं। उन्होंने उर्मिला को अपने निवास पर स्वस्थ्य तथा अच्छी हालत में छोड़ा था। श्रीमती सेवक जब उस दिन शाम को लगभग आठ बजे अपने निवास पर लौटीं तो उन्होंने अपना कमरा अन्दर से बन्द पाया। नौकरों ने बताया कि कुमारी उर्मिला बहुत देर से सोई हुई हैं। बुलाने पर भी नहीं जागी। श्रीमती सेवक ने भी कुमारी उर्मिला को आवाजें दीं पर जब कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने थाना हसनगंज में जाकर रिपोर्ट लिखाई।

पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा तो यह देखा गया कि कुमारी उर्मिला श्रीमती सेवक के निजी कमरे में पलंग पर मरी पड़ी थीं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम परीक्षा के लिए भेजा। उक्त पोस्टमार्टम परीक्षा रिपोर्ट से पता चला कि कुमारी उर्मिला गर्भवती नहीं थीं। उनके पेट से निकाला गया विसरा (viscera) परीक्षण के लिए केमिकल इक्जामिनर के पास भेजने की कार्यवाही करदी गई है।

घटना की जांच अपराध अनुसन्धान शाखा (C. I. D.) को सौंप दी गई है।

कुमारी उर्मिला उक्त श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास में नहीं रहती थीं बल्कि वार्डेन के निजी आवासीय कक्ष में रहती थीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह कुमारी उर्मिला कौन थीं? कहां की रहने वाली थीं और लखनऊ क्यों आई थीं?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस क्वांरी लड़की को वहां नियम के विरुद्ध क्यों रखा गया था और जो पोस्टमार्टम हुआ, उसमें मृत्यु का कारण क्या निकला?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वहां पर यह लड़की उस छात्रावास में नहीं थी जो सुपरिंटेंडेंट हैं उनके यहां वह रहती थी।

श्री अध्यक्ष—

यह भी पूछा गया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वह जहर खा कर मर गई थी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच का प्रयास करेंगे कि जब नियम यह है कि निराश्रित महिलाओं को छात्रावास में रखा जाय तो जो वहां की संरक्षक श्रीमती जेड० अहमद हैं उन्होंने उसे अपने कमरे में क्यों रखा।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इसकी सब इंक्वायरी हो रही है और जो हमने जांच कराई है उससे पता चला है कि वह उनके यहां काम करती थी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मुझे एतराज तो यह है कि यह जवाब समाज कल्याण मन्त्री को नहीं देना चाहिये था। यह जवाब तो गृह मन्त्री की ओर से होना चाहिय था। यह जहर खाने का और मर्डर करने का मामला है। यह तो गृह मन्त्री की ओर से आना चाहिये था। यह कुमारी लड़की जो आई, जब वार्डेन ने इसको अपने पास रख लिया, लिखा है उसमें कि बहन के रूप में रख लिया। जब वहां वर्किंग वीमेंस होस्टल है उनके लिए वहां स्थान होगा तो किसके द्वारा वहां ले जाकर रखा गया और यदि रखा गया तो क्या उस वार्डेन ने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी कि मैंने इस प्रकार की लड़की को अपने पास बहन के रूप में रखा है।

श्री गुलाब सिंह—

जैसा कहा गया है कि नियमों के विरुद्ध नहीं रखा। और नियमों के अधीन सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री बंशीधर पांडेय—

वर्किंग वीमेंस हास्टेल में जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत वह महिला कहां आती थी। वे बताते हैं कि वह निराश्रित महिला थी उसको अपने पास रख लिया। अपने पास रख लिया तो इसकी सूचना भी उच्चाधिकारियों को नहीं दी। वह नियमों के विपरीत रख लिया है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि उर्मिला निराश्रित महिला थी और उसको बहिन के रूप में रखा। इस भावना से रखा। यह भावना मालूम होती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी जानकारी को आधार मानकर जांच करायेंगे कि जो लड़की मृत पाई गई है उसका नाम उर्मिला नहीं है उसका नाम मजीदा रहमानी है और उसको यहां के जिलाधीश श्री जोशी साहब ने छात्रावास के प्रिंसिपल को आदेश दिया था कि वहां रक्खें और माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उस महिला से एक मिनिस्टर के पुत्र का सम्बन्ध था।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सारी घटना की इंक्वायरी सी० आई० डी० कर रही है। जब तक सारी घटना की जानकारी न हो जाय तो कैसे कहा जा सकता है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, जो तथ्य मैंने रखे हैं क्या इसको भी जो जांच हो रही है उसमें ये दे दिये जायेंगे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जिस तरह से आज समाज कल्याण मन्त्री जी ने उत्तर दिया है उस पर घोर असन्तोष व्यक्त करते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस उत्तर से सन्तोष है। इस लड़की का अभी तक शासन को पता नहीं चल पाया है कि उसे किन परिस्थितियों में लाया गया। कैसे उसकी मृत्यु हो गई। क्या आप इस उत्तर से सन्तुष्ट हैं?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, सन्तोष होता तो सी० आई० डी० की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। जांच इसलिए कराई जा रही है कि तफसील में सब मालूम हो जाय।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि इस वार्डेन ने कभी कोई और भी ऐसी अपनी बहन बनाकर साल छः महीने कभी रक्खा····

श्री अध्यक्ष—

वे कह रहे हैं कि बेकायदा रखा तो उस पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार ने इस बात का पता कर लिया है कि उस वार्डेन ने लड़की के बारे में अपने यहां रखने के पहले उन सभी बातों का पता कर लिया था कि वह कहां की रहने वाली है, कैसे निराश्रित हो गई? क्या इस बारे में पूरी बातें जान ली थीं। उसको अपनी बहिन किस आधार पर बनाया था?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, यह लड़की जो हमारी सुपरिंटेंडेंट है उनके यहां चार महीने से रह रही थी। यदि जानकारी न होती तो रखती ही क्यों?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह केवल वक्तव्य के लिए है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही कि सी० आई० डी० की जांच इसलिये हो रही है कि वह खुद सन्तुष्ट नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस आधार पर इतनी सप्लीमेंटरी की छूट आप दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो अब रोक रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकारी पक्ष अपना पार्ट ठीक से अदा कर रहा है लेकिन सदस्यों को जो असन्तोष है उसको सरकारी पक्ष नहीं रोक सकता।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, इसमें सन्तोष या असन्तोष की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि एक घटना हुई है। बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनमें आत्म हत्या होती है। तो यह घटना हुई है

और सी० आई० डी० की जांच हो रही है। जितने प्रश्न किये जा रहे हैं वह तफसील के हैं जिनकी जानकारी सी० आई० डी० की जांच समाप्त हो जाने पर अपने आप हो जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज से कई दिन पहले यह प्रश्न यहां उठा था और कई लोगों ने बहुत गरमागरम बातें कहीं थीं। यदि उस गरमी को निकाल भी दिया जाय तब भी गृह मन्त्री के नाते और जो आपको मशीनरी मिली हुई है उसको देखते हुए यह काम केवल मिनटों का था कि जानकारी प्राप्त करके दे देते। लेकिन ऐसा न करके आप असन्तोष पैदा करते हैं और कहते हैं कि लड़की का कुछ पता ठिकाना नहीं मालूम। यह तो साधारण पुलिस, जिस थाने की यह घटना थी वहां की पुलिस कुछ घंटों क्या कुछ मिनटों में ही पता लगा देती। इन चीजों को ध्यान में रख कर क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि एक दिन या दो दिन में सदन को यह जानकारी करा देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, जानकारी तो तभी हो सकती है जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट आ जाय यह कोशिश जरूर की जायगी कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट जल्दी आ जाय।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १३३५ पर)

१९७१—७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन तथा अनुदान संख्या ४६—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

(मेजों की थपथपाहट होने पर) क्या नये चीफ मिनिस्टर के लिए मेज थपथपाई जा रही है ?

कृषि मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

आपके लिये हैं (हंसी)।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,००,८२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,१९,६७,८०० रुपये से धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,१९,८४,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कृषि विभाग से सम्बन्धित जो अनुदान है उसमें लेखानुदान निकाल करके कुल १३ करोड़ रुपये अनुदान संख्या २१ में इस बजट में रखे गये हैं। अगर हम ब्रेक-अप करें तो कृषि उत्पादन में सन् १९७१-७२ में १२,५०,००,००० रुपये, कृषि संगठन में ४,८१,००,००० और फल उद्योग में ६६,००,००० रुपये, स्टेट इंस्टीट्यूट फार एग्रीकल्चरल साइनसेज, कानपुर के लिए ७०,००,००० रुपये तथा कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर के लिए ४०,००,००० रुपये का प्राविधान किया गया है। गन्ना विकास के लिए २,०७,००,००० रुपये दिये गये हैं। अनुदान संख्या २३—पशुपालन के लिए ६,४६,००,००० रुपये रखे गये हैं। इस अनुदान में पिछले साल के मुकाबले में ३.७ फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। मत्स्य विभाग के लिए ५३,७६,००० रुपये रखे गये हैं और इस अनुदान में भी पिछले साल के मुकाबिले में ३ फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। अनुदान संख्या ४६ में ब्रेक अप करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि १८,४४,००,००० रुपये कृषि उत्पादन के साधनों के लिए हैं। साथ ही साथ सामुदायिक विकास विभाग के लिये १५ लाख रुपये रखे गये हैं। मान्यवर, सन् १९६९-७० के मुकाबले में सन १९७०-७१ में करीब १९.५ लाख मीट्रिक अधिक पैदावार हुई है। जैसे कि धान में ३३.३१ से बढ़कर ३७.३२ यानी ३ लाख मीट्रिक धान अधिक पैदा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ९ प्रतिशत पैदावार बढ़ी है। इसी तरह से गेहूं में ६४.२१ लाख मीट्रिक टन से बढ़कर ७५.४१ लाख मैट्रिक टन हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि १७.४ प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह से मक्का ११.७ लाख मीट्रिक टन से बढ़कर १७.६९ लाख मीट्रिक टन यानी ५०.५ प्रतिशत मक्का में वृद्धि हुई है। इसी तरह से अन्य खाद्यान्नों में वृद्धि हुई है। आलू में भी काफी वृद्धि हुई है। आलू ६९-७० में १३.२ लाख मीट्रिक टन पदा हुआ था यह

[डाक्टर सीताराम]

७०-७१ में बढ़कर १६.२७ लाख मीट्रिक टन हो गया है, यानी २३ प्रतिशत पैदावार में वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय यह सब होते हुये भी यह सन्ताप की बात है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन होते हुए भी २०० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह खास कारण है वर्षा का, नहीं तो इस साल साढ़े ११, १२ लाख मैट्रिक टन गेहू लास्ट इधर के मकाबले ज्यादा पैदा हुआ था। यदि वर्षा नहीं होती और ठीक से गेहू काश्तकार के घर में पहुच गया होता तो आज काश्तकार की हालत बड़ी अच्छी होती लेकिन यह बड़े सन्ताप की बात है कि वर्षा की वजह से आज काश्तकार की कमर टूट गई है और हम आपकी आज्ञा से हाउस को बताना चाहते हैं कि कृषि विभाग ने केन्द्रीय सरकार से किसानों की परिस्थिति सुधारने के लिए ६५ करोड़ रुपये के लिए लिखा था कि अगर ६५ करोड़ रुपया मिल जाता तो हम इस क्षति को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ६५ करोड़ में से ६.३५ करोड़ केन्द्रीय सरकार ने अभी दिया है और १० करोड़ और मिलने की सम्भावना है। जो रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है उसमें से करोड़ रुपया उन किसानों के लिए है जिनकी होल्डिंग १ एकड़ से कम है। उनको ० प्रतिशत सबसिडी मिलेगी। साथ ही साथ ३ करोड़ रुपया एग्रीकल्चर विभाग को दिया जायगा, २ करोड़ रुपया रेवेन्यू विभाग को दिया जायगा और बाकी रुपये की योजना बन रही है कि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के काश्तकारों में किस तरह से वितरण किया जाय क्योंकि इससे जो ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं या कम प्रोडक्शन करने वाले हैं दोनों का वारिस से नुकसान हुआ है। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हू कि सरकार जो है अगली साल के लिए अगर आपदायें आयें, वारिस हो, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की वारिस न हो, लेकिन हम पहले से तैयार रहना चाहते हैं कि कृषि उद्योग निगम जो है वह काश्तकारों के मड़ाई के लिए थेशर्स हायर परचेज के आधार पर देगा। साथ ही ऐसी योजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत केन्द्र स्थापित किये जायंगे और केन्द्रों पर थ्रेशर और दूसरे यन्त्र रखने की व्यवस्था होगी। यहां से यह किसानों को किराये पर दिये जायंगे।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या यह व्यवस्था बुलन्दशहर में भी होगी।

डाक्टर सीताराम--

बुलन्दशहर में भी होगी और दूसरी सभी जगह होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या एग्रो का जूस भी सभी को पिलायेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ऋण के रूप में ३५ लाख की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। जिस धनराशि को बढ़ाकर हम ७० लाख करने जा रहे हैं। इसी तरह से प्रदेश में थ्रेशरों के निर्माण की प्रगति को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं। थ्रेशरों के निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिये अच्छे इस्पात और अच्छे लोहे की जरूरत होती है जो कि हमारे प्रदेश में नहीं मिलता। इसके लिये हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के थ्रू या एग्रो के थ्रू इस्पात और लोहे का कोटा दें जिससे कि अच्छे थ्रेशर्स और मड़ाई की मशीनें प्रदेश में बनायी जा सकें और काश्तकारों को दी जा सकें। यहां पर जितने महानुभाव बैठे हैं वे सभी खेती करते हैं।

और उन को अच्छी तरह से जानकारी भी है कि विदेशों से जो किस्म आयी थीं गेहूं और धान की उन किस्मों ने पहली और दूसरी साल अच्छी पैदावार दी। लेकिन उसके बाद उनमें डिजीज लग गयी और यील्ड भी उतनी नहीं हुई जितना कि पहले और दूसरे साल में हुई थी। यह फैक्ट है। इस तरफ सरकार का ध्यान है और यह कोशिश है कि इन किस्मों की वैसी ही ताकत बनी रहे इसके लिये कानपुर रिसर्च स्टेशन परअच्छा काम होरहा है। हमारे जो राइस रिसर्च स्टेशंस नगीना और फैजाबाद के हैं वहां पर भी काम हो रहा है। साबरमती, जमुना, बासमती धान की किस्मों का व्यापक प्रसार किया जा रहा है। धान की खेती में हमारे प्रदेश में उतनी पैदावार नहीं बढ़ पायी जितनी कि गेहूं की पैदावार बढ़ी। लेकिन हम आप को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे अधिकारीगण और रिसर्च आफिसर्स प्रयत्नशील हैं कि अच्छी वैराइटीज को लाकर धान की पैदावार को बढ़ावें। क्योंकि इस प्रदेश में भी अब धान यानी चावल के खाने वाले बहुत काफी हो गये हैं। इसलिये धान की पैदावार को भी फी एकड़ बढ़ाने की ओर हमारा प्रयास है।

आलू के क्षेत्र में पैदावार काफी बढ़ी है। उसके लिये कोल्ड स्टोरेज भी बढ़ाये गये हैं। इस समय प्रदेश में कुल ३५५ कोल्ड स्टोरेज हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में इनकी संख्या और भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

किसान से कोल्ड स्टोरेज के मालिक मनमाने ढंग से जो पैसा चार्ज करते हैं उसके लिये भी सरकार कोई कानून बनाने पर सोच रही है ?

डाक्टर सीताराम—

इस मामले में भी छानबीन की जा रही है और ला डिपार्टमेंट के समक्ष यह मामला विचाराधीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि दो तीन दिन में ही इस विषय में कुछ निर्णय हो जायेगा।

इस प्रदेश में मान्यवर, कहीं कम, कहीं ज्यादा, सभी जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। गेहूं और गेहूं का बीज लोगों के घरों में खराब हो गया। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोआपरेटिव और एग्रीकल्चर विभाग ने गेहूं के बीज का इन्तजाम कर लिया है...

एक सदस्य—

रेट क्या होगा ?

डाक्टर सीताराम—

रेट की बात अभी छोड़िये। वह बाद में देखा जायेगा। लेकिन हर जिले में बीज पहुंचाने की व्यवस्था कर ली गयी है और वह उपलब्ध होगा।

यह अफसोस की बात है कि पिछले वर्ष खाद्यान्न की पैदावार तो ज्यादा हुई, लेकिन दालों की पैदावार बहुत कम हुई। वह माइनस पर चली। शेष फसलें प्लस पर चलीं। हमारे कानपुर के रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने दालों के विषय में काफी रिसर्च करके अरहर दाल का एक टी–२१ बीज निकाला है जो जून में बोया जायेगा और अक्टूबर में काटा जायेगा। एक और बीज निकाला है जिसका नाम है प्रभात। ३ साल के अनुसंधान के बाद यह निकाला है। टी० २१ से यह कुछ दिन पहले तैयार हो जाता है।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

अगर वह ३० नवम्बर तक होता है तो वह १० नवम्बर तक तैयार हो जाएगा, तो प्रभात का बीज २० दिन पहले तैयार होगा। जब की दोनों को बोने का समय जून महीना ही है। इस तरह के

[डाक्टर सीताराम]

कामों में इस्टीट्यूट का बड़ा महत्व है। उसका स्टेट्स यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। १० डिवीजन उसमें हैं और ड्राई लैण्ड फार्मिंग पर भी अच्छे अनुसंधान किये जा रहे हैं। हमारे यहां अब तक उपजाऊ जमीन के लिए अनुसन्धान होते रहे, लेकिन ४० फीसदी वह जमीन जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, वहां के लिये कोई अनुसन्धान नहीं किये गये थे, लेकिन अब ऐसे क्षेत्रों के लिए काफी अनुसन्धान काम हो रहा है। झांसी डिवीजन में, बुन्देलखण्ड में कोई जगह है जिसे मैं भूल गया वहां.....

श्री जगवीर सिंह---

आप भूल गये तो फिर बता दीजिएगा। पूछ के बता दीजिएगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

नवम्बर में बोने वाली तो अरहर बहुत पुरानी है मैं एक नहीं कई के नाम बता सकता हूं, जितना चाहें उतना बीज दे सकता हूं।

डाक्टर सीताराम---

उसमें जो सूखी हुई जमीन है, उसके लिए अनुसन्धान होता है। बुलन्दशहर की बात मैं नहीं करता जहां पर सब सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और आप ने वहां पर कई फसलें कर लीं तो आप तीसमार खां बन गये। जहां की जमीन सूखी है, जमीन में कोई भी चीज नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है उसके लिये रिसर्च हो रही है। अनुसन्धान कर के वहां की मिट्टी का मिर्दा बढ़ा दिया गया है। खेत के ऊपर की जमीन मिर्दा कहलाती है। ३ इंच से कम की मिर्दा कहलाती है। आप इसे नहीं समझ सकते हैं, आपके समझने की यह चीज नहीं है इसके समझने के लिये बहुत दिमाग चाहिये। इसे शिवराज सिंह जानते हैं, उनसे पूछ लीजियेगा ३ इंच मिर्दा होती है।

(व्यवधान)

जो आप स्थान जानना चाहते थे, सुन लीजिए वह स्थान जरथान है डिस्ट्रिक्ट जालौन में। वहां की जमीन में आर्गेनिक मैटर नहीं है। आर्गेनिक मैटर क्या होता है, इसे आप को बताना चाहूं तो एक-दो दिन उसमें लग जाएंगे। इतना समय आपके पास नहीं है और मेरे पास भी इसे समझाने के लिए समय नहीं है।

यूरिया खाद के विषय में हमारे डाइरेक्टर साहब ने बताया है कि उसने पहले तो बहुत अच्छा रेजल्ट दिया, लेकिन ४०-५० प्रतिशत केसेज में यूरिया ने फायदा नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो इसके लिये यह किया गया है कि ४० फीसदी मिट्टी और ६० फीसदी यूरिया को आपस में मिला देते हैं शाम को और सुबह को फरों के नीचे डालकर बुवाई करते हैं, तो अच्छी उसमें फसल हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कानपुर इंस्टीट्यूट में इस तरह का अच्छा काम हो रहा है और आप लोगों को वहां पर जाकर सब देखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अगर इन लोगों का दिल हो तो हम बसों की भी व्यवस्था कर सकते हैं। जो कुछ भी काम हो रहा है उसे जाकर देखना चाहिये। खासतौर से स्वायल कंजर्वेशन के काम को आप देखें। स्वायल कंजर्वेशन का काम आज कल हिन्दुस्तान ही नहीं, आपका प्रदेश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एग्रीकल्चर की एक खास चीज हो गयी है। कृषि के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसे आप लोग देख ही रहे हैं और यह सब को मालूम है लेकिन स्वायल कंजर्वेशन ऐसी चीज है कि जो जमीन खेती के योग्य नहीं है, ऊसर, कंकरीली है पथरीली है, उसको खेती के योग्य बनाया जाता है।

स्वायल कंजर्वेशन और रिक्लेमेशन दो चीजें हैं, लेकिन दोनों इंटरलिंक्ड हैं। आज दुनिया के सब देशों में इसी पर ज्यादा इम्फैसिस है।

हमारे यहां आबादी बढ़ती जा रही है। जो जगहें खाली हैं ऐसी जमीनों का रिक्लेमेशन करके वहां लोगों को बसाया जायेगा। आपके प्रदेश में इस तरह की ३० लाख एकड़ जमीन है जो ऊसर है और जिनको खेती के योग्य बनाना है। स्वायल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट इस बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से बेतवा नदी के कटाव से झांसी जिले को, तथा इटावा, आगरा, कानपुर, उन्नाव जिले में इरोडेड लैंड को अंडर कल्टिवेशन लावें। वहा देखने की चीज है। रहमान खेड़ा यहां से १० ही मील दूर है, वहां किसी भी दिन जाकर देखा जा सकता है। कृषि का उत्पादन तो हो ही रहा है, आप लोग कर ही रहे हैं। अब डिपार्टमेंट कमर्शियल क्राप्स के लिये सीड देने की कोशिश कर रहा है। बर्जिनिया टोबेको का उत्पादन पहले सहारनपुर या उसके आसपास के एक दो जिले—मुजफ्फरनगर व देहरादून के कुछ थोड़े से हिस्से में होता था। अब एक स्कीम बनायी गयी है कि कानपुर के आसपास और वाराणसी जिले में भी इसकी खेती हो। वाराणसी में एक गवर्नमेंट फार्म है। पूर्वी यू० पी० और सेंट्रल यू० पी० को भी कवर करने का विचार है। क्योंकि काश्तकार गेहूं, पैडी मक्का के अलावा कैश क्राप्स पैदा करना चाहता है। शुगर केन तो यहां है ही। फैक्टिरियों की जो हालत है वह आप देख ही रहे हैं। आलू की हालत भी आप देख रहे हैं। टोबेको तो हो ही गया। अंगूर की खेती को बढ़ाने के लिये आगरा में एक स्कीम चल रही है। सरकार चाहती है कि धीरे-धीरे अंगूर की खेती का एवरेज इस प्रदेश में बढ़ाया जाय। इसी तरह से फलों की खेती बढ़ाने के लिये भी इस साल पहाड़ में कई योजनायें हैं। जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में ४० हेक्टर क्षेत्र में उद्यान स्थापित किये जाएंगे और वहां के लोकल लोगों को दिये जायंगे। जब उद्यान लग जायंगे। खास कर सेब होंगे। जब तैयार हो जायंगे तो वही पहाड़ के लोगों को दिये जायंगे। एक स्कीम यह है। इस में तीन दिन की ट्रेनिंग देने के लिये स्कीम बनायी गई है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाय। साथ ही साथ अदरख की पैदावार को बढ़ाने के लिये एक किस्म साउथ अमेरिका से आयी है, साउथ अमेरिका की लेटेस्ट वैरायटी है। बता दूंगा जवाब देते वक्त। उसमें खास बात यह है कि रेशा नहीं होता है। यहां की अदरख में रेशा होता होगा, आपके दांतों में फंस जाता होगा। उस अदरख में रेशा नहीं होता यही खास बात है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कृषि मन्त्री जी तैयार होकर नहीं आये हैं। अधिकारियों से परचा मंगा कर बोल रहे हैं। उनको वहीं से तैयार होकर आना चाहिए।

डाक्टर सीताराम—

रिओ जेनैरो जगह है। साउथ अमेरिका में एक शहर है। कैपिटल है। फलों के उत्पादन में इस तरह से काम किया जायगा।

ऐनिमल हस्बैंडरी में भी इस साल काफी प्रगति के प्रोग्राम रखे गये हैं। आर्टिफिशल इंसेमिनेशन सेंटर्स पारसाल २९ थे इस साल बीस और नये खुलेंगे। सब आर्टिफिशल इंसेमिनेशन सेंटर्स ३४७ थे पारसाल और ३५५ खुलेंगे। वेटरिनरी हास्पिटल्स २३ नये खुल रहे हैं। स्टाकमैन सेंटर्स ९५ खुल रहे हैं और डी क्लास वेटरिनरी हास्पिटल्स ५० खुल रहे हैं। आर्टिफिशल इंसेमिटेशन सेंटर्स और ३० नये बनाये जायंगे। इस तरह से ऐनिमल हस्बैंडरी में काफी प्रगति हुई है और काफी दवाइयों के लिये बजट में प्राविधान है। खास बात यह है कि गवर्नमेंट

[डाक्टर सीताराम]

आफ इंडिया की स्कीम शीप ब्रीडिंग के लिये ३० लाख रुपये की आयी है। जो नौगढ़ है बनारस जिले में चकिया तहसील में, जो कि मिर्जापुर से मिली हुई है वहां स्कीम गयी है। करीब ५ हजार एकड़ का फार्म होगा। ३० लाख खर्च होंगे। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस स्कीम को दिया है। जिससे इस स्कीम में अच्छी भेड़ें पाली जायंगी और जो ऊन पैदा होगा वह भदोही में बड़े सुन्दर कालीन बनाये जाते हैं वहां की कमी को पूरा करेगा।

अब मुझे कुछ फर्टिलाइजर के बारे में निवेदन करना है। उत्तर प्रदेश शासन की १९७१-७२ की जो रिपोर्ट इस सम्बन्ध में छपी है उसके पृष्ठ ९ पर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कृषि विभाग नें १९७१-७२ में १/५ से भी कम फर्टिलाइजर बांटा है। खाद आप का कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, गन्ना विभाग, कृषि उद्योग निगम तथा एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बांटते हैं और इनके अलावा व्यक्तिगत व्यवसायी बांटते हैं जिसको डायरेक्टर एग्रिकल्चर लाइसेन्स देता है। सरकार के पास उन लोगों के सम्बन्ध में बहुत शिकायतें आई हैं जो लाइसेन्स ले कर खाद बांटते हैं।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

खाद को एजेंसीज के जरिये बंटवाया जाय। विभाग खाद बेचने का काम बन्द कर दे।

डाक्टर सीताराम—

उसी पर आ रहा हूं। खाद से फायदा तथा नुकसान दोनों होता है। खाद फायदा ही करता है इस से मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं। कुछ जिलों से प्राइवेट एजेंसीज के सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं। वह इन खादों में चूना, रेत आदि चीजें मिला देती हैं। उससे नुकसान होता है। उस आदमी का तो फायदा होता है लेकिन किसान को नुकसान होता है और पैदावार भी कम होती है। ये दोनों नुकसान क्षम्य हैं लेकिन सब से बड़ा नुकसान यह होता है कि जमीन खराब हो जाती है। एक दफा स्वायल स्ट्रेक्चर खराब हुआ तो ५, ६ साल के पहले आप में और हममें ताकत नहीं है कि जमीन को ठीक किया जा सके। यह साइंटिस्ट्स का कहना है। इसलिये सब से बड़ा खतरा प्राइवेट एजेंसीज से है। इस सम्बन्ध में सरकार इंवस्टिगेशन सेल क्रियेट करने जा रही है। समय-समय पर आप लोगों के पास भी शिकायतें आती होंगी कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर कई बीज गोदामों पर भ्रष्टाचार होता है। सही बात है, ऐसे दो-तीन केसेज हमारे सामने आये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि शासन ने इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद अंत में इस निर्णय पर पहुंची कि खाद और स्टाफ पर किस तरह से कंट्रोल किया जाय जिससे कि इसमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसके लिये डी० वाई० एस० पी० के रैंक के पुलिस अधिकरी द्वारा इन चीजों का इन्वेस्टीगेशन किया जाय। इस सम्बन्ध की पत्रावली विभाग के पास पड़ी हुई है और शासन इस पर शीघ्र ही कोई निर्णय लेने जा रही है। सीतापुर और बस्ती जिले के दो केसेज हमारे सामने ऐसे आये जहां कि बीज गोदामों में कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कई रुपये का गबन किये हुये हैं। इसके लिये सी० आई० डी० और विजिलेन्स को इन्क्वायरी करने हेतु कहा गया है। किन्तु इसके अलावा भी एक इस तरह का शेल शासन खोलने जा रहा है जो बीज भंडारों और खादों की चेकिंग करेगा। ये लोग खाद में इस तरह की मिलावट कर देते हैं जिससे कि स्वायल की कंडीसन्स इतना खराब हो जाती है कि उसको ५/६ साल के पहले हम और आप ठीक नहीं कर सकते हैं। हर साइंटिस्ट इसको अच्छी तरह से जानता है। इसलिये उसकी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। इस तरह से जो ब्लैक मार्केटिंग इसमें होती है उसके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को निहायत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि इससे मिर्दा को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

मैं आप को एक जानकारी दे दूं कि खाद के मामले में जितनी मिलावट आपके विभाग में होती है उतनी और कहीं नहीं होती है।

डाक्टर सीताराम---

वह तो सब जगह है।

श्री सियाराम (जिला एटा)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आप का ध्यान सरकारी पक्ष की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज कृषि के बजट पर यहां बहस हो रही है और सरकारी पक्ष के लोग यहां पर उपस्थित नहीं हैं। जब कि यह कहा जाता है कि हमारा कृषि प्रधान देश है और यही रुचि उनकी कृषि में है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, सीतापुर और बस्ती का नाम लिया गया है। मैं गोंडा के बारे में आपको बताना चाहता हूं वहां पर १६ लाख.....

(व्यवधान)

डाक्टर सीताराम---

उसमें गोंडा भी है। उसमें जितने जिले हैं, सभी हैं। सीतापुर और बस्ती तो मैंने इसलिए कह दिया कि उसमें रिफरेन्स है। उसमें जितने जिले हैं सभी आ गये हैं।

श्री सियाराम---

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि सभी जगह भ्रष्टाचार है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ने इसके लिये कोई जांच करने की कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम---

कार्यवाही करने के लिये ही तो व्यवस्था हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी सभी को सन्तुष्ट कर रहे हैं। मालूम पड़ता है कि अब आपको बोलना नहीं है।

डाक्टर सीताराम---

मैं कह रहा था कि हम इसके लिये ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे ऐसी चीजें न हों। मुझे पूरी आशा है कि बजट को सभी माननीय सदस्य पढ़ ही लिये होंगे और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। कोई नई बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी सुझाव माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में देंगे उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री हिम्मत सिंह---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो तम्बाकू की खेती होती थी उसके घटने का क्या कारण है और उसके विषय में मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से बातचीत करेंगे ?

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से इन चारों अनुदानों में निम्न कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"सम्पूर्ण अनुदान संख्या २१, २२, २३ तथा ४६ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना।"

माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़े खेद और दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि इस तरह से २४ वर्ष बीत गये, कटौती के रूप में शासन को सुझाव दिये गये, कमियों को इंगित किया गया परन्तु खेद है कि उन पर कभी अमल नहीं किया जाता है। शासन अधिकारियों के बल पर चलता है। शासन आता है, जाता है परन्तु अधिकारी बराबर चलते रहते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है जैसा कि माननीय तुलसी दास जी ने कहा था प्रारम्भ में और ऐसे लोगों की बन्दना की थी। अगर यह चाहें तो देश और प्रदेश का विकास हो सकता है। उनमें वह भावना होनी चाहिये। मंत्री नहीं देख सकता है। यह तो अधिकारी ही देख सकते हैं। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार बहुत है। उनमें एक भावना जिसे आउटलुक कहते हैं देश के प्रति होनी चाहिये। उनमें मिशनरी स्प्रिट होनी चाहिये,लेकिन वह उनमें नहीं होती है जब कि वे पैसा भी पाते हैं। उनमें स्वार्थ लगा रहता है और वे अपने बैंक बैलेंस को स्वैल करना चाहते।

अभी दो दिन पहले विद्युत् परिषद् के ऊपर जिन माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य दिये थे उनमें सभी ने श्री जी० के० आर० वर्मा चीफ इंजीनियर के भ्रष्टाचर के विषय में कहा था और इतनी चर्चा होने के बाद भी आज कुछ नहीं हुआ। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो विद्युत् मंत्री हैं, एक शब्द भी नहीं कहा कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होने जा रही है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी और भाई के साथ करोड़ों रुपये केठेके लिये हैं, करोड़ों रुपये का सामान खरीदा है और चीफ इंजीनियर द्वारा सामान लाया जाता है तो उसको पूछने वाला कौन होता है कि कम है या खराब है, कितना है इसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसी प्रकार से हम अभी माननीय मंत्री जी को बतायेंगे कि आप की राजपत्रित और अराजपत्रित की ८० हजार की फौज है लेकिन उस की कार्यशीलता कुछ भी नहीं है। उसको मैं आगे चल कर बताऊंगा। २४ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है अब भी हम को दूसरे देशों से भीख मांगना पड़ रही है। और छोटे छोटे देश हालैंड और बेलजियम यहां पर प्रदर्शन करते हैं कि हिन्दुस्तान भिखारी है। यह तो हमारे देश और प्रदेश की स्थिति है।

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि हम इन्वेस्टीगेशन के लिये एक सेल की स्थापना करने जा रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी के विरुद्ध जब आप जांच करें तो उसको निलम्बित करके करें। तभी उसका परिणाम भी कुछ निकल सकता है। अगर आप ने उसको वहीं रहने दिया तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, चाहे आप सेल बनायें अथवा सेल का दादा बना दें।

अभी मैंने आपको चीफ इंजीनियर के विषय में बताया था लेकिन मैं चाहे इस दल के लोग हों अथवा उस दल के हों, पूछना चाहता हूं कि वे क्या परम्परा डालने जा रहे हैं क्योंकि—"महाजनो येन गता स:पन्थ:" के अनुसार जो बड़े लोग करते हैं वही छोटे भी करते हैं। प्रधान मन्त्री जी अपने लड़के को कार का लाइसेंस दे रही हैं फिर जी० के० वर्मा ने अपनी पत्नी और भाई को ठेका दे दिया तो क्या बुराई की। आप को परम्पराएं ऊपर से बनानी चाहिए। श्री उमादत्त शर्मा जी के बारे में कितनी बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है। वे मन्त्री हैं, लेकिन जहां भी ८—१० लाख की डील की बात होती है तो उसमें शर्मा जी जरूर होते हैं। पूरी चर्चा होने के

बाद उसका नतीजा क्या निकला ? माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े हुए और उन्होंने बिना किसी प्रकार जांच किये हुए, कह दिया कि शर्मा जी निर्दोष हैं। फिर बताइये क्या होने वाला है इस प्रदेश का। छोटे कर्मचारियों को माननीय कृषि मंत्री जी पकड़ लेंगे, लेकिन बड़े-बड़े लोगों का क्या होने वाला है ? हमारा यह कहना है कि कुछ आदर्श आप भी तो स्थापित कीजिये। प्रधान मन्त्री तो पहले भी हुआ करते थे। चाणक्य के घर में कम्बलों का ढेर लगा हुआ है, वे बांटने के लिये रखे हुये हैं। उसकी पत्नी ने एक कम्बल के लिये कहा तो चाणक्य ने कहा कि अगर कम्बल को हाथ लगाया तो हाथ काट लिये जायंगे। बेचारी रात को फटा हुआ कम्बल बिछा कर लेट गयी। हमारे देश और प्रदेश के कर्णधारों को इस प्रकार का आदर्श स्थापित करना होगा। अगर माननीय उमादत्त जी के आदर्श पर चलें तो किसी भी प्रकार से देश और प्रदेश का उद्धार नहीं हो सकता।

हम अब कृषि विभाग पर आते हैं। हमारा ऐसा सुझाव है कि इस [illegible] सिंचाई सहकारिता, उद्योग और पी० डब्लू० डी० का संबंध है। बिना इन सब विभागों में समन्वय के काम ठीक प्रकार से चल नहीं सकता। कृषि के लिये पानी की आवश्यकता है। पहले हम सिंचाई मन्त्रीजी को लिखेंगे, वह फिर हेड क्वार्टर को लिखेंगे। जब तक उसका जवाब आयेगा तब तक सिंचाई का समय ही निकल जायगा। फिर बताइये कृषि विभाग का काम कैसे चल सकता है। इसी प्रकार से बिजली का मामला है। कृषि के लिये सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। पानी और खाद का कृषि से बहुत ज्यादा संबंध है। तभी हम अपनी कृषि की उन्नति कर सकते हैं। समय से अगर बिजली नहीं मिली तो ट्यूबवेल का काम ही नहीं चलेगा और फिर सिंचाई कैसे होगी। इसके लिये मंत्री जी को कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे इन विभागों में समन्वय हो सके माननीय मन्त्री जी बतायें कि ट्यूबवेल से कितनी सिंचाई वह कर सके हैं और उन्होंने २५ वर्षों में सिंचित भूमि कितनी कर दी है ? कारण उसका यह है कि विद्युत् विभाग की यह हालत है कि चार-चार साल की दरख्वास्तें हर जिले में ट्यूबवेल की पड़ी हुई हैं। जिसका नम्बर आ गया है वह एस० डी० ओ० और लाइन इस्पेक्टर के पास जाता है तो कहते हैं कि तीन सौ रुपया दो तो हम करेंगे नहीं तो पचास बहाने बना देते हैं कि हमारे पास तार नहीं है, खम्भा नहीं है। यह कृषि विभाग को करना चाहिये कि जहां विद्युत् नहीं है वहां विद्युत् पहुचायें। गरीब किसान हर जगह बिजली स्वयं नहीं ले जा सकता। हमारे अधिकारियों की ऐसी आदत पड़ गयी है कि वे देहात में जाना पसन्द नहीं करते। उपाध्यक्ष जी, आप भी देहात के रहने वाले हैं। हम अपने क्षेत्र में मंत्री महोदय को दावत देते हैं कि वहां हजारों बीघा ऐसे चला गया है लेकिन वहां पर बिजली नहीं है। बिजली है तो पानी नहीं है। आपके यहां ८० हजार की फौज है बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, ग्राम सेवक तथा अन्य लोगों की है। क्या उनसे हर साल इसका ब्योरा नहीं मंगा सकते कि उनके क्षेत्र में कितनी जमीन असिंचित है और उसके लिये क्या उपाय हो सकता है जिससे सिंचाई हो सके।

इसी प्रकार सड़कों का मामला है। पी० डब्लू० डी० के मन्त्री महोदय जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम बाम्बे प्लान के बराबर भी नहीं चल पाये हैं। अगर किसान को अपनी फसल को मंडी तक या अपने घर तक ले जाना है तो दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, सड़क होनी चाहिये और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिये। आज तक मंत्री महोदय ने इस विषय पर कभी गौर नहीं किया कि एप्रोच रोड्स कोई बनी है देहात में। कहीं नहीं बनी हैं। कागज पर हरी क्रान्ति के नाम से चाहे कुछ प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। अगर इस काम की विवेचना करना चाहें तो हर वर्ष अन्त में देख लें जो रिपोर्ट बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० वगैरह से आती है कि इस क्षेत्र में इतनी भूमि असिंचित है उसके लिये क्या उपाय

[श्री हरिनाथ तिवारी]

किये गये तो आपको पता चलेगा कि निल। बी० डी० ओ० को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और उनसे कह दिया जाता है कि फैलां मशीन चलाओ। अगर प्रशिक्षण नहीं दिया तो कैसे चलायेंगे? ग्राम सेवक जानता नहीं कि कौन फसल कब बोई जाती है, अगर कीटाणु लग गये हैं तो क्या दवा दी जायगी। इसलिये जितनी फसल होती है वह सब, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, मौसम पर डिपेन्ड करती है।

हर साल बाढ़ आती है। २४ वर्षों से आप ने बाढ़ रोकने के लिये क्या किया। छितौनी बांध के लिये क्या उपाय किया। अंग्रेजों के जमाने में जो बांध बने थे वह नहीं टूटते हैं और नये बांध जो इनके जमाने में बने क्या कारण है कि वह टूट जाते हैं। छितौनी बांध में कितने रुपये की बरबादी की है। लेकिन वहां के शर्मा इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बाढ़ आयी हुई है और वह गोरखपुर छोड़ कर लखनऊ में आराम करते हैं। और फिर इन्क्वायरी भी उन्हीं को दे दी जाती है। जिसके खिलाफ शिकायत उसी को इन्क्वायरी करने को कहा गया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कभी नहीं निर्भर रहना चाहिये बल्कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

सहकारिता, इससे हम को बीज मिलता है, ऋण मिलता है। बीज की क्या दशा है वह हम फिर बतायेंगे लेकिन हालत यह है कि खराब से खराब बीज रखा होता है, पुराना होता है, उसमें पचास चीजें मिलायी जाती हैं और उसके बाद जब बीज ले लेते हैं तो जो एग्रीमेंट लिखाते हैं तो अगर एक मन उसने लिया तो वह दस मन हो जाता है। अब प्रान्त के गरीब किसानों की क्या हालत होगी फिर विभाग वाले कहते हैं कि एग्रीमेंट हो गया तो हो गया। दवा गलत होती है तो उसके लिये कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार से जितने भी कृषि विभाग से सम्बन्धित विभाग हैं सब में इसी प्रकार से घपला होता है। इसलिये कृषि विभाग में उन्नति होना सम्भव नहीं है।

अब मैं कृषि के विषय में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश की सिंचित भूमि ५२३ लाख एकड़ जो २११.७६ लाख हेक्टेयर होती है उसमें ४३० लाख एकड़ जो १७४.१० लाख हेक्टेयर के बराबर होती है पर कृषि होती है। अब आप यह देखें कि योजनाओं के चालू होने से पहले जो सिंचित भूमि थी जिस पर सरकार से सिंचाई होती थी वह कुल ७४.९९ लाख एकड़ थी। यह सिंचाई विभाग की १९७१-७२ की रिपोर्ट है। जिसमें ऊपर से १९७१-७२ का कागज चिपका दिया है। जब हमने पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की थी तो उस समय हमारे पास ७४.९९ लाख एकड़ भूमि सिंचित थी। ५ वर्ष के बाद जब पहली योजना खतम हुई तो वह ९२.८३ लाख एकड़ हो गई। उसके ५ वर्ष बाद वह ११०.२६ लाख एकड़ हो गई। फिर १२७.६९ लाख एकड़ हो गई। १९६८-६९ के अन्त में वह १३४.०६ लाख एकड़ हो गई। चौथी योजना के पहले दो सालों में यानी १९७०-७१ के अन्त में वह १४२.७० लाख एकड़ हो जायगी।

अब आप यह देखें कि हर खेत को पानी मिलना चाहिये। ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे हम आत्मनिर्भर बनें। जवाहरलाल जी रोते रोते मर गये। वह १९४७ से चिल्लाते रहे कि देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिये लेकिन देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। इस चेतावनी को हमको मानना चाहिये कि हम अपने लिये ही अन्न पैदा न करें बल्कि इतना पैदा करें कि दूसरे देश को पहुंच सके। यहां की स्वायल अच्छी है और पानी के साधन भी उपलब्ध हैं। तो हमको इस चेतावनी को स्वीकार करना चाहिये परन्तु आप अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनका लक्ष्य तो तनख्वाह लेना, आराम करना और अपने घर का काम देखना ही है। आपके अधिकारियों को चाहिये कि वह देहात में जायं, खेत-खेत पर जायं। यह नहीं

कि एक गांव में जांय और दो चार आदमियों को बुला लिया और लम्बी चौड़ी बात कर दी और फिर चाय पी, घर चले गये। अब हम इस परिणाम पर आते हैं कि जो हमने शुरू में ७४.९९ से स्टार्ट किया १९ वर्ष में हम ६७.७१ लाख एकड़ आगे बढ़े और बचता कितना है, केवल २८८ लाख एकड़ बचता है। जब २५ वर्ष में आप ने इतना किया तो आप को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप को १०० वर्ष लगेंगे। इसको कौन कहेगा कि कोई एचीवमेंट है, इससे कोई सन्तोष नहीं हो सकता और आप सौ बरस में भी कभी इसको इस रफ्तार से पूरा न कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

यह उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफारमेन्स) है। यहां लिखा है ७१-७२ का। यह ७०-७१ का तो दे सकते हैं लेकिन अभी यह ७१-७२ का कैसे दे सकते हैं। यह ऊपर चिपका दिया है। वह गलत किया गया है यह ७०-७१ ही है जो पहले छपा था।

श्री हरिनाथ तिवारी---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप ठीक कह रहे हैं आप देख लें कि इस विभाग के अधिकारी किस तरह से आंख में धूल झोंकते हैं और मंत्री जी को समय ही नहीं कुछ देखने का वह बेचारे स्वयं परेशान रहते हैं। मुख्य मंत्री जी गवर्नर होकर जा रहे हैं और मंत्री जी मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं। यह सारी चहल पहल इसमें रहती है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मालूम होता है घबराहट में लगा दिया गया। इस चिप्पी को नहीं लगाना चाहिये था।

श्री हरिनाथ तिवारी---

वह ७०-७१ का ही है लेकिन लिख दिया ७१-७२ की यह परफादमेंस है।

श्री सुखपाल पांडेय---

इसको आप ठीक करने के लिये फिलहाल यह बहस स्थगित कर दें।

श्री हरिनाथ तिवारी---

आप देखें कि इनके सारे कार्यकलाप का नतीजा यह है कि नहर से जो सिंचित हुआ है २५.५३, नलकूपों से १६.६२, कुओं से १९.५०, तालाबों से ३.५ और अन्य साधनों से २.१। लेकिन इस सब को करने में खर्चा कितना हुआ इसके बारे में मंत्री जी बतायें। करोड़ों रुपया आपने अपना व्यय किया और अरबों रुपया आपने योजना से लिया। आप ने इतना खर्च करने के बाद कुल पांचवां हिस्सा ही प्रगति की है। लेकिन इससे क्या होता है और क्या होने वाला है। कृषि प्रधान हमारा सूबा है और हमारी सारी अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। अगर हम कृषि में उन्नति करेंगे तो हमारे उद्योग चल सकते हैं। जैसे पटसन का उद्योग है, हमारी फसलें बोई जाती हैं और उन पर ही उद्योग निर्भर हैं। हमारे यहां एक बड़ा उद्योग गन्ने और शकर का है। गन्ने के लिये जितनी ज्यादा रिसर्च हो सके वह की जानी चाहिये। न तो कोई यातायात की सुविधा है और न ट्रान्सपोर्ट के ही कोई साधन हैं और न कोई सबसिडी ही आप गन्ने के किसानों को देते हैं और वह किसी तरह से अपने गन्ने को मिल तक लाद कर लाते हैं और उसको वहां बेंचते हैं। लेकिन

[श्रीहरिनाथ तिवारी]

अफसोस यह है कि उनको उसका पसा भी वक्त से नहीं मिलता। आप ने इसका क्या उपाय किया? किसान की भी जरूरतें हैं, उस गरीब के भी बच्चे हैं कपड़े बनाने हैं, पढ़ाई का इन्तजाम करना है, बीज खाद का पसा देना है वह सब कहां से दे, कहां से वह दवादारू करे? आप ने हर चीज को कोल्ड स्टोर में रख रखा है और कोई इलाज उसको पैसा दिलाने का नहीं हो रहा है, गन्ने की बकाया लाखों रुपयों में पड़ी हुई है। हमन उसको अपने हाथ में ले लिया हैं। इससे आपका काम नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा कि उनका पैसा तुरन्त दिया जाना चाहिए। जिस आशा से वे कैश क्राप पैदा करते हैं, वह पूरी नहीं हो पाती है।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है मैं बताना चाहता हूं कि निजी नलकूप लगाने के लिए कम से कम इतना तो हो जाय कि उनके खेतों तक बिजली की लाइन दौड़ा दी जाय। विद्युतीकरण के बारे में उन्होंने कहा है कि कमर्शियल स्केल पर लेते हैं। किसी से २ हजार किसी से ५ हजार और किसी से ६ हजार रुपया ले लिया जाता है। यह गरीब काश्तकार इतना पैसा कहां से देंगे? लोन की एक सीमा निर्धारित है जिनके पास जोत-बही हैं उतना ही लोन वे ले सकते हैं। आप यह भी देखें कि उन्हें जो लोन की रकम होती है वह प्राप्त करने के लिए उन्हें आधा पैसा खर्च करना होता है तो किस प्रकार से ये काश्तकार इतनी घूस दें कि उन्हें पैसा मिल सके। तो मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी को इन बातों पर नियंत्रण करना चाहिए।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है उन्हें ट्यूबवेल्स को कनेक्शन देने के लिए बिजली की लाइनों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि गरीब काश्तकार नहीं ले सकता है और जब वह कनेक्शन लेने के लिए जाता है तो दुनिया भर के अड़ंगे उसके रास्ते में लगाये जात हैं। यदि आप इनके आंकड़े देखें तो पता लगेगा कि सरकारी ट्यूबवेल ९,६४४ लगे हैं और निजी १,१६,६२१ ट्यूबवेल लगे हैं। अगर उनको और सुविधा मिल जाती तो लाखों और ट्यूबवेल बढ़ सकते थे और जो सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ रही है, वह पूरी हो जाती।

यहां पर एक डा० शाह, फाइनेन्शियल विजार्ड जर्मनी से आय थे। ये अपनी राय दे गये लेकिन हमारे यहां के नेतागण, महान् नेता जिन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की चमक-दमक देखी, ने कोई योजना में ऐसी चीज नहीं रखी जिसके कारण हम प्रगति कर सकते। हमारी सरकार शीर्षासन करती है, यह सिर के बल पर चलती है। आज बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं कोई शक्ति भवन कोई अनुबन्धक के नाम से। उनमें आपने आज करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है। आज आपके कर्मचारी ठंड में और पंखों में काम कर रहे हैं और काम नहीं बल्कि सोते हैं। वही पैसा अगर आप इमारतों में न लगा कर गरीब किसानों को देते और ट्यूबवेल्स में लगाते तो शायद हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाता। इतना पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन उससे ईल्ड क्या हुयी एक पैसा भी ईल्ड नहीं होती है। किसानों की भलाई की आप बहुत बातें करते हैं लेकिन जब तक आप उन्हें पैसा नहीं देंगे उनकी तरक्की नहीं हो सकती, उनका भला नहीं हो सकता है। आज रुपया ऐसी जगहों में इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसी योजनाओं में खर्च हो रहा है जहां से एक पैसे की भी ईल्ड नहीं होती है। यदि तकलीफ में रह कर दफ्तरों में काम किया जाय और इस पैसे से सड़कें, ट्यूबवेल्स, और नहरें बना दी जायं तो वास्तव में हम और हमारा प्रदश प्रगति कर सकता है।

सिंचाई के लिए मैंने कहा इसलिए क्योंकि इसका सम्बन्ध सीधे खेती से होता है, कृषि के उत्पादन से होता है। अगर सिंचाई ठीक होती है तो कृषि का उत्पादन भी होता है। पहले हमारे यहां एक इन्सटीट्यूशन तालाबों का होता था। उसमें हमें आपरेटर नहीं ढूंढ़ना पड़ता था, एक पैसा बिजली का नहीं देना होता था। अब तालाब पाट दिए गये हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय इन तालाबों के इन्स्टीट्यूशन्स को

रिवाइव करें। उनमें हम हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाते थे। २ आदमी चले जाते थे और पानी ले लेते थे। यह भी नहीं होता था कि आज इधर से तोड़ होगी और कल उधर से तोड़ होगी। वे लोग, गांव वाले स्वतः तय कर लेते थे कि एक लाइन में पानी इधर चलेगा और दूसरी में उधर चलेगा। तालाब पाट दिये गये हैं। उनको खुदवाकर स्टोरेज पानी का हो। यह दिक्कत न रहे कि मौसम खराब रहा या मौसम अच्छा रहा। मौसम को दोष दे देते हैं फसल खराब होने लिये। यह किताब जो मैंने बताई चौधरी चरण सिंह सहब की है "इन्डियाज पावरटी एण्ड इट्स सालुशन" "अगर इसको दखेंगे तो इसमें बहुत से अच्छे सुझाव दिये हुए हैं।"

मान्यवर, बीज के साथ पांच "पकार" जुड़े हुए हैं। जसे नेताओं के साथ "भकार" होते हैं। भाषण दिया, भत्ता लिया भोजन किया और भ्रमण किया। इसी तरह से पकार है। पृथ्वी एक है दूसरा पांस है, तीसरा पानी है, चौथा पूंजी है और पांचवां प्रशिक्षण है। ये पांच पकार में से पृथ्वी लेते हैं। ये जो पांच तत्व हैं ये जो हमारे मंत्री जी हैं इसमें हमको कुछ नहीं दते हैं। कहने के लिये करोड़ों रुपया ले लिया लेकिन हम इनसे यह जानना चाहते हैं कि आप किसान को देते क्या हैं? पृथ्वी तो इनकी दी हुई नहीं है। जमीन बढ़ेगी नहीं। पृथ्वी पर जो फीलिंग आफ इन्सेक्योरिटी है यह जरूर हमारे ऊपर टाल दी है, यह तलवार की तरह टंगी हुई है। अभी तक सीलिंग चालीस एकड़ तक की थी। अब कह रहे हैं कि एक विधेयक ला रहे हैं। सब काट देंगे किसी के पास कुछ नहीं रहगा। यह सोचना चाहिये कि यह इन्सेक्योरटी क्यों कर रहे हैं। कोई नियम ऐसा बनायें कि इतने से अधिक नहीं होनी चाहिये। आपने ही खुद हमको प्रोत्साहित किया कि आप ट्रैक्टर लाइये। ट्रैक्टर के लिये आप खुद कहते थे ट्रैक्टर के लिये। हर प्रशिक्षण केन्द्र को चालीस एकड़ पर आपने ट्रैक्टर दिया हुआ है। ट्रैक्टर खरिदवा दिया और जब सब ट्रैक्टर खरीदे जायंगे तो उसके बाद जो जमीन है उसको काट देंगे। किस रेशो में चकबन्दी के तीस ट्यूबवेल्स मिलाये गये हैं। ऐसा न हो कि सरकार जमीन ले ले। जो उन्नति आज नहीं हो रही है कृषि में उसका एक कारण है कि फीलिंग आफ इन्सेक्योरिटी है जमीन के प्रति कि यह जमीन रहेगी या नहीं रहेगी। कन्सोलीडेशन आपने किया। आपन ऐसा नहीं किया कि तीन-तीन चार-चार चक लोगों के हैं उसकी चकबन्दी में पैसा या घूस चला। उसमें सम्बन्धित अधिकारियों ने उस गरीब किसान से घूस ली और तब यह चक उनको मिले हैं। ऐसा लगता है कि उन बेचारों ने फिर से अपनी जमीन खरीदी है।

मैं आपसे पूछूंगा कि ट्रेक्टर्स जो मंगा दिया, मेकेनाइज्ड फार्मिंग कहां से लिये, योरोप से। आपने जहां जमीन काट दी तो वह बेचारा किसान कहां जायेगा। क्या वह दस या पांच एकड़ में ट्रैक्टर से काम लेगा। जमीन के लिये कहते हैं कि हम काट देंगे और इस प्रदेश की हालत क्या है। यहां पर डैन्सिटी आफ पापुलेशन बहुत ज्यादा है। जहां राष्ट्रीय डैन्सिटी ३७० है तो हमारे यहां ६४८ है। जमीन हमारे यहां कम है और आबादी अधिक है। ८७ प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि सीलिंग की जाय। लेकिन आप उतनी जमीन तो दें जिससे ट्रैक्टर चल सके, मैकेनाइज्ड फार्म हो सकें और आत्म निर्भर हो सके। माननीय दीनदयाल जी ने एक किताब लिखी थी। ह सिद्धान्त है कि कम से कम ३० एकड़ हर व्यक्ति के पास जमीन होनी चाहिए। उन्होंने हिसाब लगाया कि इससे कितना फायदा हो सकता है। वह तीन हजार आता है। तो यह एक फेमिली के लिए अधिक...

एक सदस्य—

३० एकड़ की जो बात है यह केवल उत्तर प्रदेश के लिए है या सारे भारतवर्ष के लिए?

श्री हरिनाथ तिवारी--

भारतवर्ष से क्या मतलब है? हम तो यहां की बात कर रहे हैं।

एक सदस्य--

आपके नेता का सुझाव तो सारे देश में चलेगा?

श्री हरिनाथ तिवारी--

अगर पहाड़ी जमीन है तो उसका डेढ़ गुना, दोगुना कर दिया है। जमीन के लिए अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ बंजर है--२७ लाख एकड़। उसमें से कुछ पर भूमि संरक्षण का काम होता है। लेकिन श्रीमन्, भूमि संरक्षण केवल बंजर पर ही नहीं होना है बल्कि भूमि संरक्षण वहां भी होना चाहिए जहां कटाव होता है, नदी या तालाब के किनारे जो भूमि है। जमीन के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। आपने ६ रीजन बनाए थे रिसर्च के और हर रीजन में रिसर्च वर्क होता था। अब ऐसा पता चला है कि उनको हटा दिया और कनेक्ट कर दिया कानपुर रिसर्च इंस्टीटयूट से। मान्यवर, रिसर्च उस वातावरण के अनुकूल होना चाहिए जहां भूमि है। कानपुर में बैठे हुए गोरखपुर, मेरठ, मिर्जापुर का रिसर्च नहीं हो सकता है। वहां का वातावरण, वहां की आबोहवा, भूमि की एसीडिटी, इन सारी चीजों को देखते हुए रिसर्च होती है। लेकिन आपने उसको कानपुर इंस्टीटयूट से कनेक्ट कर दिया। यह गलत है। इसे वापस ले और रिसर्च सेन्टर्स रीजन में ही रखें।

अब मैं फर्टीलाइजर की बात कहता हूं। आपने स्वयं कहा कि खाद के वितरण में इतना भ्रष्टाचार है कि किसान बहुत दुखी है। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि इस काम को स्वयं न लें, एजेन्सी द्वारा कराएं। जो आपकी एजेन्सी हैं, आपने लायसेन्स दिया एक खाद का लेकिन उन्होंने दस रख लीं और घूंस देकर काम चलाते रहते हैं। लायसेन्स आप देते हैं।....

राज्य कृषि मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

जरा फिर से बता दें।

श्री हरिनाथ तिवारी--

Through different agencies other than your own.

आपके तो चलते हैं, मगर उनमें गबन हो जाता है। गबन के सिलसिले में सीतापुर के काण्ड को मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्टर से शिकायत हुयी वहां के अधिकारी की, मगर आपने डायरेक्टर को हटा दिया और उस अधिकारी को वहीं रहने दिया। क्यों रहने दिया? जब उनके खिलाफ शिकायत हो गयी थी तो जांच करवा करके उनको हटा देते। आपने डायरेक्टर को हटा दिया और श्री नेपाल सिंह को वहीं रहने दिया। बाद में चाहे हटाया हो, मुझे नहीं मालूम। इस बीच में उसने कागज पतर सब ठीक कर दिये होंगे और आपको दिखा दिया होगा कि मामला यह है। जब शिकायत हो गयी थी तब आपको ऐसे आदमी को वहां रखना नहीं चाहिए था। वहां पर ३०-४० लाख रुपये का गबन है, थोड़ा नहीं है, और आप उसको वहीं रखते हैं।

खाद कई तरीके से बनती है। एक तो मले से बनती है, दूसरी कम्पोस्ट है और तीसरी हरी खाद है। जहां तक हरी खाद को तैयार करने का प्रश्न है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप अच्छा बीज नहीं देंगे तब तक खाद का उपयोग नहीं हो पायेगा। हरी खाद के वितरण के २-३ पर्सेंट टार्गेट एचीव हुए हैं। शहरों में मैला होता है, मगर सिवरेज नहीं होता है। जब तक पूरे नगर के अन्दर सिवरेज

नहीं होता है तब तक मैले का उपयोग नहीं होगा। कम्पोस्ट के लिए आपने ग्राम सेवक बना रखे हैं। वे कुछ नहीं करते हैं और उनसे कुछ नहीं बनता है। हमारे यहां गोबर से खाद बनाने का तरीका था। वह बहुत ही अच्छा था। जो रासायनिक खाद आप देते हैं उससे कुछ ही वर्षों में खराबी आ जायगी और लैण्ड की यूटिलिटी कम होगी। सरकार को चाहिए कि ज्यादा प्रोत्साहन गोबर की खाद को दे। लोग गोबर के कंडे बना कर जलाते हैं। गोबर के बदले उनके लिए लकड़ी का प्राविधान होना चाहिए। अगर गोबर की खाद बनेगी तो जमीन खराब नहीं होगी और उसमें असिडिटी नहीं आयेगी।

अब मैं खाद के वितरण के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। हमने जैसा कि पहले कहा कि आपने हमको जमीन भी नहीं दी और खाद भी नहीं दे रहे हैं। काश्तकारों को जो खाद आप देते हैं वह विद-प्रफिट देते हैं। फिर आपने काश्तकारों को क्या राहत दी? खाद दी और पैसा लिया और पैसा भी क्या लिया कि यूरिया अगर प्राइवेट एजेन्सीज से ४३ रु० में मिलता है तो आप लेते हैं ४६.१५ रु०। आपकी खाद को कौन खरीदेगा? आपकी खाद गली-सड़ी होती है और आपके यहां वेट भी कम होता है। जितनी बचाने की गुंजायश होती है वह भी बचा लेते हैं। जो और एजेन्सीज खाद देती हैं वे थोड़ा सा प्राफिट लेकर दे देती हैं। यही हाल अमोनियम सल्फेट और यूरिया का है। हमारी गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्टरी है। क्या आपने ऐसा कोई बन्धन लगाया है कि जो खाद वहां बने वह जब हमारे यहां की पूर्ति हो जाये तब दूसरी स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को दें? जब हमारे यहां की पूर्ति हो जाये तब आप दूसरे राज्यों को दें, तो ठीक होगा। आपका पूरा नहीं पड़ता है और आपको बाहर से मंगाना पड़ता है। क्या आपकी जानकारी में यह बात है या नहीं कि आपको दूसरे प्रान्तों से मंगाना पड़ता है? जो खाद बाहर से आता है उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेज भी ज्यादा देने पड़ते हैं इस वजह से पहले अपने यहां पूर्ति कर लें और उसके बाद हरियाना, पंजाब और अन्य प्रदेशों को दें। तो श्रीमन् आशय केवल यह था कि जो खाद है वह भी नहीं देते हैं। उससे फायदा उठाते हैं और फिर हमसे ग्रान्ट मांगते हैं। अगर कमर्शियल बेसिस पर देते हैं तो यह सब्सीडाइज्ड होना चाहिये। भाव पर नियंत्रण होना चाहिये लेकिन वह न करके मुनाफा लेकर देते हैं, तो फिर अनुदान मांगने का क्या अधिकार है सिंचाई पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके लिये पानी आवश्यक है। तो सिंचाई और बिजली विभागों में समन्वय करने के लिये कोई कन्ट्रोलिंग अथारिटी होना चाहिये ताकि समय पर पानी और बिजली मिल सके। बिजली काश्तकारों को कृषि के लिये मिलती है वह रात में मिलती है और अक्सर वह भी नहीं मिलती है। हम दिन में मजदूर ले आवें और रात में बिजली न आवे तो नुकसान उठाना पड़ता है। विडम्बना यह है कि जितने उद्योग धंधे हैं वह लोग रात में काम कर सकते हैं लेकिन उनको दिन में बिजली दी जाती है और काश्तकार जो रात में काम नहीं कर सकता है उसको रात में बिजली दी जाती है। रात में उसका पानी इधर से उधर चला जाता है। तो माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और जो बिजली दी जाय वह दिन में काश्तकार को दी जाय।

श्री अवधराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मुझे मंत्री जी की इस स्थिति में बड़ा भाषण होना चाहिये था। सारी खराबियां दूर करने के लिये जो विभाग है, बिजली और सहकारिता विभाग डाक्टर साहब के पास आने चाहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—

अगर नहीं भी हैं तो आने वाले हैं, ऐसा सुन रहा हूं। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि खाद के मामले में बहुत भ्रष्टाचार है लोग हमको अधिक से अधिक

[श्री हरिनाथ तिवारी]
इन्टरेस्ट पर दिये जाते हैं और वह भी किस तरह से दिये जाते हैं मंत्री जी को पता है। अब तो हमारे पास खेतों की बही हो गई है उसके आधार पर लोन मिलना चाहिये। इसमें बड़ी दिक्कत पड़ रही है। जब लोन की जरूरत होती है तो वह मिलता नहीं है और जब काम हो जाता है तब मिलता है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

वन विभाग पर भी कुछ कह दें।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकारी पक्ष के लोग क्यों सवाल कर रहे हैं? जायसवाल जी ने कह दिया। उनका आशय था कि माननीय सदस्य असंगत बोल रहे हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी--

कृषि के विषय में इम्पलीमेन्ट्स देने की बात है। इसके कारखाने न सदर में हैं और न हर जनपद में हैं। कहां-कहां बनाये गये हैं यह मालूम नहीं है। हमको ट्रैक्टर्स दिये जाते हैं। ट्रैक्टर्स के लिए मेकेनिक चाहिए। अभी हमने अखबारों में देखा था कि कुछ इंजीनियर्स को ट्रैक्टर्स बनाने और चलाने के काम में प्रशिक्षित किया जा रहा है। लेकिन कोई ट्रैक्टर खराब हो जाता है तो उसके लिये स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है। स्पेयर पार्ट्स चाहे थोड़े ही पैसे का हो लेकिन मिर्जापुर से लखनऊ आना पड़ता है, या मेरठ से लखनऊ आना पड़ता है। आप देखें कि वह कितना खर्चीला पड़ जाता है। स्पेयर पार्ट्स का प्रबन्ध हर जनपद में होना चाहिए और वहां मैकेनिक भी रहें जिससे कि जरूरत पड़े तो उससे सुधरवा लिया जाय। पूंजी में श्रम भी आता है। श्रम के लिये कोई ऐसी चीज आपने नहीं बनायी कि लेबर की क्या वेजेज होंगी। किस आधार पर वेजेज दी जायंगी? यह सही है कि जो देहात का लेबर है वह जमींदार या काश्तकार पर निर्भर करता है और उसे दसवां अंश दिया जाता है। आप भले ही इस बात का ढोल पीटें कि मजदूरों के लिए जमीन निकलवा कर देंगे लेकिन वह आप निकलवा नहीं पाये।

आज भी बहुत से लोग हैं जिनको जमीन नहीं मिली। मंत्री जी के पास कोई डेटा इसका है? मंत्री जी को चाहिए कि डेटा इकट्ठा करें कि फलां गांव में इतने लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। ऐसे लोगों को जमीन देने का साधन है ग्राम सभा की जमीन। विनोबा भावे ने लाखों एकड़ जमीन इकट्ठा की तो क्या मंत्री जी गांव में जाकर जमींदार से यह नहीं कह सकते हैं कि अपनी जमीन में से थोड़ी जमीन इसको दे दो। इसमें कुछ भूमि सुधार की भी आवश्यकता है। अगर किसी के पास ज्यादा जमीन है तो वह दूसरे किसी को अगर जोतने के लिए दे तो वह बेदखल नहीं होगा। अभी तक तो यह है कि वह डरता है कि अगर जमीन जोतने के लिए दे देंगे तो जमीन हाथ से निकल जायेगी। इसलिए चाहे जमीन बेकार पड़ी रहे वह किसी दूसरे को नहीं देता। इसलिए कोई भूमि सुधार आप ला सकते हैं कि अगर कोई अपने खाते में से किसी को जमीन जोतने के लिए देता है तो वह जमीन उसी के नाम रहेगी। मंत्री जी ने बतलाया कि २०० करोड़ रुपये की क्षति हुई अनाज खराब हो जाने से। हमने तो इससे कहीं अधिक नुकसान आंका है। हमने देखा है कि खलियानों में पानी भरा हुआ है। लोग अपनी फसल उठा नहीं पाये। आपके विशेषज्ञ लोग बैठे हैं। ये कब काम आयेंगे। उन्होंने इमेजिन नहीं किया कि ऐसा समय भी आ सकता है कि जब पानी ज्यादा बरसे।

(लाल बत्ती होने पर)

मेरा कटौती का प्रस्ताव है। लोगों ने तो काफी समय लिया था। अभी मुझे कुछ और समय दें।

मैं कह रहा था कि उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि फसल के टाइम पर इतना ज्यादा वर्षा भी हो सकती है। आपने भंडारों का क्या इंतजाम किया। खलियान छांव में हों, उसका क्या इंतजाम किया। फसल भीग गयी तो उसका क्या इंतजाम किया। इसपर कोई रिसर्च की। जो अनाज भीग गया उसको बहराइच में आपके फूड इंस्पेक्टर ने ८ रुपये मन खरीदा है। आपने कुछ यह भी सोचा कि ऐसी दवा डाल दें तो साल भर तक खराब नहीं होगा। मान्यवर, प्रशिक्षण की कई संस्थायें हैं। डिग्री और रिसर्च कालेज हैं। मैं एम० एस० सी० और रिसर्च के बारे में यह चाहता हूं कि आप कोई निश्चित नीति तैयार करें कि किन विषयों में रिसर्च कराना है। आज हमारे विद्यार्थी शिक्षा पाकर, अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ कर, जो दूसरे देशों के बारे में होती हैं, जब निकलते हैं तो उन्हें नौकरी तो अवश्य मिल जाती है मगर वे हमारे लिये उपयोगी सिद्ध नहीं होते। इसलिये आपको इस पर विचार करना चाहिये और कोई निश्चित नीति तैयार करना चाहिये। जिन विषयों की उपयोगिता हमारे लिये हैं उन्हीं के बारे में रिसर्च की पढ़ाई होनी चाहिये।

आपके जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं, उनमें हर साल २-२, ३-३ लाख का घाटा हो रहा है। यह तब हो रहा है जब कि वहां हर तरह के साधन उपलब्ध हैं, अच्छी जमीन है, अच्छी बीज और खाद है, बिजली है, योग्य आफिसर्स भी रहते हैं जो सलाह देते रहते हैं। जब यह स्वंय घाटे पर चल रहे हैं तो किसान को इनसे क्या शिक्षा मिलेगी? इनके कारण एक विशेष व्यय भार बढ़ा हुआ है। घाटा होता क्यों है? इसलिये होता है कि ६०० मन पैदावार हुई, २०० मन वहां के कर्मचारियों ने दिखाई, ४०० मन कर्मचारियों और अधिकारियों के पेट में चली गयी। इस कारण घाटा होता है। मेरा सुझाव है कि इन फार्म्स पर आप खेती न करायें। आप उनका प्रयोग केवल बीज के उत्पादन तक ही सीमित रखें। इससे आपको घाटा नहीं होगा।

एक बात बीज के संबंध में यह कहूंगा। कि पंत नगर का जो बीज चलता है वह कामर्शियल बेसिस पर दिया जाता है। वहां से ३, ४, ५ और १० रुपये किलो के हिसाब से बीज दिया जाता है, जब कि बाजार गेहूं का भाव एक रुपये का डेढ़ किलो होता है। आप तो ४० लाख रुपया भी उसको देते हैं। आप उनसे कहिये कि वे ऐसे दाम लें जो बाजार भाव के अनुसार हों।

जो बीज पंतनगर से आता है उसका वितरण भी ठीक तरह से नहीं होता। वह ब्लैक में चला जाता है जहां वह १०० रुपये और १५० रुपये किलो के भाव से बिकता है। इसको भी रोका जाय, इस तरफ ध्यान दिया जाय।

आपने हाई ईलडिंग वैराइटी के लिये रिसर्च किया, मगर जो उसमें रोग लगा रहता है उसको दूर करने के उपाय पर ध्यान नहीं दिया। जो उसके लिये दवा रही है वह बहुत कम रहती है। फिर इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसके लिये चाहिये यह कि ५-५ गांव के सेक्टर बना दें, और वहां लोगों को उचित ट्रेनिंग दी जाय। यही एक चीज है जो आप देते हैं, लेकिन आप उसका पैसा कालेजों पर खर्च कर देते हैं। आपने ट्रेनिंग सेन्टर नहीं खोले हैं। आप गांवो पर एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलें, जिससे किसानों को उसका ज्ञान हो सके। आपने जितने भी कालेज रखे हैं, उसमें आपने कोई नियंत्रण नहीं रखा है। उनको आपको कोई कैरीकूलम देना चाहिये, उनको देहात में जाना चाहिये। विद्यार्थियों को गांवों में जाने का कार्यक्रम होना चाहिये। कुछ समय पूर्व यह तय हुआ था कि मेडिकल अफसरों को गांव में जाना चाहिये, तो उनको भी उसी प्रकार से गांवों में भेज कर प्रशिक्षित करना चाहिये। यह प्रशिक्षण का काम आपके यहां निल है।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

बाढ़ के कारण से प्रदेश का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद हो जाता है, आपको इस पर भी कुछ रिसर्च करनी चाहिये। बाढ़ रोकने के साधन ठीक से बनाने चाहिये, जिससे बाढ़ न आये। दूसरी चीज कोई फसल ऐसी तैयार करनी चाहिये जो मई--जून तक तैयार हो जाए। इसकी आपने कोई रिसर्च की कि उनके लिए दो महीने की कोई फसल निकालें, जिससे बाढ़ आने की कोई मुसीबत न हो। वनों के लिये मैं कहना चाहता हूं, आपने हिल डेवलमेन्ट बोर्ड बनाया है और वहां पर सिंचाई साधन ठीक नहीं हो सकते हैं। बहुत छोटे-छोटे प्लाट्स होते हैं, तो आपको चाहिये कि आप वहां के लिये ज्यादा सिंचाई की सुविधा दें। अभी हाल में बड़ौनी जी ने सवाल किया था २० हजार के सेब वहां बाग के थे, जो १० हजार रुपये में दे दिये गये। मैं कहूंगा कि बागों को जितना ज्यादा संरक्षण आप दे सकें, देना अच्छा है। सब्जी भी पहाड़ों पर जो उगती है, कम भाव पर बिकती है। सरकार को प्राईज सपोर्ट का, सब्सिडी का १० करोड़ रुपया मिला है, यह उन लोगों को देना चाहिये, जिनकी हानि हो गई है। पशुओं के आपने जो आंकड़े दिये हैं, इनमें सबसे उपयोगी गौ है। लेकिन इसमें आप माइनेस में है जो ज्यादा होना चाहिये था। जिस से दूध ज्यादा हो सके, ताकि बोझ अन्न पर ज्यादा न पड़े। इसमें आप माइनस हैं, कारण आप स्वयं सोचें। क्योंकि वहां का काम, परफारमेंस खराब है। यदि हम गौ को बढ़ाते हैं तो बछड़े--बैल हमें मिलेंगे, जिनका हम खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक आंकड़े से बतलाने की बात है, आप माइनस ६ हैं। यह आपके ही आंकड़ हैं, उसे आप देख सकते हैं। जो आपका प्रोडक्शन है वह अन्य प्रान्तों से बहुत ही कम है। चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, यह पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा--सभी से कम है। कारण वही है जो हम पहले बतला चुके हैं कि आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, वे कभी देखने नहीं आते हैं, वे काम नहीं करना चाहते हैं, देहातों में जाना नहीं चाहते हैं। वे ऊपर-ऊपर ही काम करना चाहते हैं।

अब एग्रो-इन्डस्ट्रिल कारपोरेशन रह गया है। एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में एक धमाका पहले ही पहुंचा है जब ट्रैक्टरों का वितरण शुरू किया गया। मंत्री जी ने स्वयं बतलाया कि उनके लिये सन् ६८ में दरख्वास्तें पड़ीं, सन् ७० में दरख्वास्तें पड़ीं। फिर ५० परसेंट ट्रैक्टर्स आपने सन् ७० वालों को दे दिया और सन् ६८ वाले ताकते ही रह गये, ऐसा क्यों? कोई सर्विस रूल नहीं बना है कि किस प्रकार से एप्वाइंटमेंट्स एडहाक होंगे। ट्रैक्टर्स के आबंटन में यह भी देखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति ने दरख्वास्त दी है उसके पास जमीन है भी या नहीं। जिसके पास जमीन नहीं है वह ट्रैक्टर का क्या करेगा? ट्रैक्टर पहले उसको दी जाय जिसके पास अधिक भूमि हो। आपके एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में कोई चार्टेड एकाउन्टेन्ट भी नहीं है। क्या उसकी भी वही हालत होनी है जो हालत आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है? जिस तरह से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपनी असमर्थता दिखलाई है कि वे अधिकारियों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर उसी तरह की बात है तो आपको इस बात की जांच करानी चाहिये। ट्रैक्टर देने में विधायकों को भी प्राथमिकता देनी चाहिये। अगर विधायक दरख्वास्त देते हैं तो उनको भी उसी श्रेणी में डाल देते हैं।

श्री हिम्मत सिंह--

आपका जो ५ परसेंट कोटा है, उसमें से विधायकों को भी एलाट होना चाहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी--

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। काश्तकारों को डेट रिलीफ देनी चाहिये, इन्टरेस्ट बहुत कम होना चाहिये, बिजली की दर कम होनी चाहिये, सिंचाई की दर कम होनी चाहिये। २ पैसे यूनिट तो आप हिन्डालको को बिजली देते हैं और हम लोगों को ३५--४० पैसे यूनिट देते हैं तो हमारे साथ कौन रियायत कर रहे हैं? काश्तकारों के साथ कौन भी रियायत कर रहे हैं? लोगों ने अपने परिश्रम से खेती की पैदावार को बढ़ाया है और नाम आपका हो रहा है। मौसम

ठीक है तब तो फसल भी ठीक रहेगी और अगर फसल खराब हो गई तो आप कहेंगे कि क्या करें बारिश बहुत ज्यादा हो गई जिससे फसल खराब हो गई। अब आप बैंक इन्डस्ट्रीज को कामर्शियल रूप देना चाहते हैं तो उसके लिये यह प्रयत्न होना चाहिये कि लोगों को लोन जल्दी से जल्दी मिले और उसका इन्टरेस्ट कम हो।

माइनर इर्रीगशन के लिये कहा जा चुका है कि माइनर इर्रीगेशन होना चाहिये। जहां नहरें नहीं ले जा सकते हों, जहां लाइन नहीं ले जा सकते हों वह रहट और कुंवें देने चाहिये। अगर वहां रहट देंगे तो वह इन्डिपेन्डेन्टली काम कर सकेगा जब कि ट्यूबवैल इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है। उसके लिये आपरेटर का मुंह देखना पड़ेगा, लाइन कब मिलेगी, यह देखना पड़ेगा। ऐसे स्थानों के लिये रहट ही सबसे अच्छा होता है।

एप्रोच रोड के लिए आप कह चुके हैं कि यातायात और मीन्स आफ कम्युनिकेशन होना चाहिये। बीच में जो अडल्टेशन की शिकायत होती है वह नहीं होना चाहिये। स्वायल कंजर्वेशन की जहां तक बात है, जहां-जहां परीक्षण हो रहा है केवल वहीं नहीं बल्कि जहां-जहां भी कटाव हो रहा है, वहां स्वायल कंजर्वेशन के जरिये जो खराबी है उसको दूर करना चाहिये। एक चीज रह गई थी। काश्तकार जो बड़ी-बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकता जैसे बुलडोजर्स हैं, सरकार को ऐसे बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेन्ट्स रखने चाहिये जिनको रेंट पर सप्लाई कर सकें।

एक स्कीम चाहता हूं, कैटिल और फसल दोनों की इन्श्योरेंस होनी चाहिए ताकि आपदा के समय जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है उस समय उसमें कुछ मिल सके। इसको कंपलसरी करना चाहिये। जो अन्य-अन्य विभाग एक्सप्लायट करते हैं, खत्म होना चाहिये। उसके बाद माननीय सदस्यों को सुन कर जो अपने विचार, होंगे रखूंगा।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डाक्टर साहब के भाषण को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जब कृषि मंत्री जी के भाषण को मैं गौर से सुन रहा था तो मेरे मस्तिष्क में बार-बार यह प्रश्न उठ रहा था कि प्रश्नगत ग्रांट्स का उद्देश्य क्या होना चाहिये। मान्यवर, इस प्रश्न पर मैंने सोचा। मेरी विनम्र राय यह है कि सरल भाषा में यह उद्देश्य यह होना चाहिये कि "भारत के संविधान में मार्ग दर्शन, तथा राज्य की आर्थिक स्थिति को सामने रखते हुए और प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कृषकों की आवश्यकताओं तथा प्रदेश के विभिन्न अंचलों के तथा प्रदेश की विभिन्न फसलों की उत्पादन क्षमता (पोटेंशल) को सामने रखते हुए कृषि विभाग को अधिकितम दक्षता से राज्य कोष से किस मात्रा में और किस प्रकार से धन खर्चा करना चाहिये।" मान्यवर, इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब राज्य सरकार कृषि के संबंध में एक निश्चित कृषि नीति का निर्धारण करे। मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि इस नीति के अभाव में कृषि तथा संबंधित विभाग गत वर्षों में अंधेरे में लाठी के सहारे घिसी-पिटी बटिया के सहारे चले आ रहे हैं। मान्यवर, इतिहास इस बात का साक्षी है कि कृषि के जगत में जिन देशों ने भी तरक्की की है चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, चाहे इंगलैंड, या जापान रहा है, उन्नति करने से पूर्व उन्होंने अपने देश की खास कृषि नीति का निर्धारण किया है।

श्री सुखपाल पांडेय—

कोरम नहीं है सदन में।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, कृषि नीति निर्धारित होने के पश्चात् कृषि विभाग के ढांचे को फिर से रिकास्ट करना पड़ेगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के फंक्शंस फिर से डिफाइन करने पड़ेंगे, कृषि विभाग की जितनी योजनायें हैं लक्ष्य पूर्ति के लिये उनको फिर से रिकास्ट करके फिर निर्मित करनी होगी। इस प्रकार की कृषि नीति के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कृषकों की आर्थिक अवस्था और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए और प्रदेश के विभिन्न अंचलों और विभिन्न फसलों के उत्पादन क्षमता पोटेंशियल को देखते हुए श्रीमन्, माननीय कृषि मंत्री जी कुछ नामार्म्स निश्चित करें और इन नार्म्स के निर्धारण के लिये उनको चाहिये कि वह एग्रिकल्चर बोर्ड और सलाहकार समिति की सहायता लें। नार्म्स निश्चित हो जाने के बाद उन नार्म्स पर इस सदन को विवाद का अवसर दें। मैं आशा करता हूं कि इस तरह से जो कृषि नीति का निर्धारण होगा वह हमारे प्रदेश के विभिन्न अंचलों के कृषकों की आवश्यकता तथा उचित प्राथमिकता के अनुकूल होगी। हमारे प्रदेश की जिन फसलों में अधिक उत्पादन क्षमता है, हमारे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जितनी निहित उत्पादन क्षमता है, उन सबको हम इस प्रकार एचीव कर सकेंगे।

मुझे बड़ा संतोष है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने इस वर्ष परफार्मेन्स बजट प्रस्तुत किया है। इस परफार्मेंस बजट के पृष्ठ २ पर एक बहुत अच्छी खबर है जो इस प्रकार है "वर्ष १९७०–७१ में कृषि उत्पादन की प्रमुख विशेषता गेहूं, धान एवं मक्का का गत दो दशकों का सर्वाधिक उत्पादन था"। पिछले २० वर्षों प्रदेश के मुख्य खाद्यान्न गेहूं, धान व मक्का, ने उत्पादन के सिलसिले में सारे रिकार्ड तोड़ दिये। यह आंकड़े देख कर बड़ी खुशी होती है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ये आंकड़े बड़े भ्रामक है। इनसे यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि हमारे राज्य के कृषकों की आर्थिक उन्नति संतोषजनक रफ्तार से हो रही है। मान्यवर, संक्षेप में मैं आपका ध्यान अर्थ एवं संख्या निदेशालय की पत्रिका संख्या १३१ जिसका शीर्षक है "राज्य आय अनुमान उत्तर प्रदेश १९६०–६१ से १९६९–७० की पृष्ठ सारणी ५ और १० की ओर आकृष्ट करूंगा। पृष्ठ १४ पर सारणी ५ है। उसका शीर्षक है औद्योगिक श्रोतानुसार प्रदेशीय आय का प्रतिशत विवरण १९६०–६१ के स्थायी भावों पर।

श्रीमन्, संबंधित आंकड़े हैं कृषि एवं सम्वर्ग, कृषि एवं पशुपालन तथा मछली उद्योग के संबंध में १९६०–६१ और १९६९–७० तक के क्रमशः ये आंकड़े इस प्रकार हैं:–६०. ,५९.५, ०.१ तथा ५६.५,५४.९,०.१। श्रीमन्, इसी प्रकार से सारणी १० में आप देखें जिसका शीर्षक है विभिन्न औद्योगिक श्रोतों की आय का वार्षिक चक्रवृद्धि दर १९६०–६१ के स्थायी भावों पर। इस से संबंधित आय कृषि एवं संवर्ग, कृषि एवं पशुपालन में इस प्रकार है १.७ तथा १.६ और समस्त खन्ड (कृषि को छोड़ कर) ३.८ इन आंकड़ों को जब श्रीमन् आप गौर से देखेंगे तो हम उसी निष्कर्श पर पहुंचेंगे जिस पर यह निदेशालय पहुंचा है। निदेशालय के शब्द इस सम्बन्ध में मैं प्रस्तुत करूंगा जो इस प्रकार हैं "सारणी संख्या १० से स्पष्ट होता है कि जबकि १९७०–७१ में कृषि (फसल उगाना) तथा पशुपालन खंड में वार्षिक वृद्धि दर न्यूनतम। (१.६) प्रतिशत थी तो उसी अवधि में शेष समस्त खंडों में यह दर ३.८ प्रतिशत थी। इससे यह आभास होता है कि यदि कृषि में भी अन्य खन्डों के सदृश्य उन्नति की होती तो प्रदेश की समस्त अर्थ व्यवस्था अधिक प्रगतिशील हो जाती। मान्यवर, इससे ज्यादा अवनति का सबूत और कोई नहीं हो सकता। इसके अनुसार हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के गले में एक चक्की का पाट बनी हुई है। इसका क्या कारण है? यह कैसी एनामाली है कि एक तरफ तो हम पिछले २० सालों में उत्पादन के सम्बन्ध में अपना रिकार्ड तोड़ रहे हैं और दूसरी ओर कृषि जगत में हमारी चक्रवर्ती उन्नति इतनी कम है कि वह सारे प्रदेश में की अर्थ व्यवस्था ले डूबती है। जिसका कारण यह है कि हमारी कोई दाम नीति नहीं है। किसान जब अधिक उत्पादन करता है तो इसके बजाय कि उसको इनाम दिया जाय उसे सजा मिलती है। मान्यवर, जहां किसान के उत्पादन का कोई काम

सुनिश्चित नहीं है और यदि सुनिश्चिय होता भी है तो वह फसल बोने से पहले नहीं होता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब किसान की खेती पकने के बाद खलिहान में आती है तब उसका का दाम निश्चित किया जाता है, इस तरीके को बदलने की आवश्यकता है। दुनिया के हर प्रगतिशील मुल्क के अन्दर फसल बोने से पहले उसके दाम निश्चित कर लिये जाते हैं और उनको इन्सेन्टिव, प्राइस सपोर्ट दिया जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जापान का एक उद्धरण सदन के सामने रखना चाहूंगा। एक पुस्तिका है "एग्रिकल्चर इन जापान एट ए ग्लांस" इसके पृष्ट १ पर लिखा है :—

Rice production, the main part of Japan's agriculture has been confronted with a sudden and enormous surplus due to the technical improvement and a price incentive,"

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसका आशय बता दें।

श्री शिवराज सिंह—

इसका आशय यह है कि जापान के अन्दर एक द्विविधा पदा हो गई है कि वहां पर चावल बहुत पैदा हो गया है उसका एक कारण तो यह है कि वहां पर चावल की खेती करने का टेक्निकल ज्ञान किसानों में बहुत आ गया है और दूसरी बात यह कि इसके लिये सरकार भी उत्तरोत्तर चावल के दाम में प्रोत्साहन देती रही है। मान्यवर, इसी पुस्तिका के पृष्ठ ११ में लिखा है

"In case of grains such as rice, wheat and barley, the Government particularly plays an important role in the marketing of these products, because at most all these products are distributed through Governmental channels under the price support system."

सरकार चावल खरीदती है डेढ़ क्विंटल ४०० रुपये में और ३६० रुपये में बेचती है। यानी ४० रुपया प्रति डेढ़ क्विंटल सरकार को नुकसान उठाना पड़ है। किन्तु हमारे यहां क्या दशा है कि जो एफ० सी० आई० और राज्य की खेती का विभाग है वह मुनाफा कमाने की सोचता है। ओवर हेड चार्जेज को तो वसूल करते ही हैं किन्तु उसके ऊपर भी मुनाफा कमाने की सोची जाती है। तो मै सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से सोचे कि एफ० सी० आई० के माध्यम से या इस विभाग माध्यम से जो कृषकों का उत्पादन खरीदा जाय उसमें उनका प्राइस सपोर्ट होना चाहिये। एक दुखद बात यह है कृषि में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कि खाद, बिजली तथा पानी है सबके दाम उत्तरोत्तर बढ़ते चलते जा रहे हैं। हमारी कृषि नीति यहां होनी चाहिये कि आनेवाले १० वर्षों के लिये उनके दामों पर फ्रीज लगा दें। ताकि कृषि में प्रयुक्त की जानेव ली सामग्री और उसके उत्पादन के दामों में एक स्वस्थ पैरिटी कायम ही सके। मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में, यह बात ठीक है कि हम उत्पादन में तरक्की कर रहे हैं। परन्तु श्रीमन्, यहां पर कृषि उत्पादन के संबंध में हम उस स्थिति पर पहुंच गये हैं कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। आप कृपा करके मुझे १५ मिनट और दे दें।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट की बहुत आवश्यकता है। बहुत से कृषि उत्पादन ऐसे हैं जिनकी दुनिया के दूसरे देशों में बहुत ज्यादा मांग है और भारत के अन्य प्रदेशों में भी बहुत ज्यादा मांग है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके तो माननीय कृषि मंत्री जी को इस बात की

[श्री शिवराज सिंह]
खोज करवानी चाहिये कि हमारे प्रदेश की फल और तरकारियां दुनिया के दूसरे देशों म तथा अपने देश के अन्य राज्यों में कहां-कहां खप सकती है। यूरोप में हमारे यहां के सरसों के साथ सांग, परवल, टिंडा तथा करेला वगैरा की बहुत जरूरत है उसी प्रकार से रूस और हांककांग में हमारे यहां के आम की बहुत ज्यादा मांग है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनकी खपत दुनिया के दूसरे देशों में हो सकती है।

मान्यवर, गतवर्ष यह प्रयास किया गया था कि केन्द्र के माध्यम से हर डिवीजन में ऐसे प्लान्ट स्थापित किय जाएं जिनमें हमारे यहां के कृषि उत्पादन जैसे फल और तरकारियों को प्रोसेस करके दुनिया के दूसरे देशों को भेजे जाएं। मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इन्डो बलगार फूड प्रोजेक्ट जो गाजियाबाद में है, उसको देखने की कृपा करें। वहां से सैंकड़ों, हजारों टन प्याज, गोभी और मटर वगैरा केन करके दुनिया के दूसरे देशों में तथा अन्य प्रदेशों में भजे जाते हैं और वहां के पास ग्रास के कृषक अपने उत्पादन का उचित मूल्य पाते हैं। सचमुच यदि ऐसा प्रबन्ध किया जा सके तो कोई वजह नहीं है कि अन्य प्रदेशों की तरह हमारे प्रदेश के कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य न मिल सके।

मान्यवर, हमारा जो कृषि विभाग है वह कृषि में प्रयोग आने वाली कुछ वस्तुओं का वितरण करता है। यदि हम अपने प्रदेश के कृषि उत्पादन के आंकड़े देखें तो माननीय सदस्यों को दूसरा आश्चर्य होगा अच्छे कृषक की पैदावार प्रति एकड़ हर फसल में दुनिया की सबसे अच्छी पैदावार से मुकाबला कर सकती है। लेकिन औसत पैदावार बहुत कम है। इसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश का जो ग्रामीण भाग है जिसके अन्दर ६० प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास दो हैक्टर से भी भूमि कम है। यह छोटे कृषिकों का प्रदेश है। जिन कृषकों के पास तकनीकी ज्ञान और कृषि में उपयोग होने वाली उचित मात्रा में सामग्री है, उनकी उपज अच्छी होती है। लेकिन छोटे काश्तकार की उपज अच्छी नहीं होती क्योंकि कृषि विभाग से उसको उचित सहायता नहीं मिल पाती है। उसका कारण यह है कि कृषि विभाग विभिन्न वर्ग के कृषकों को एक समान सुविधा देता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि छोटे कृषकों को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि रबी के बीज के वितरण में वे छोटे काश्तकारों को प्राथमिकता देने की कृपा करें। यदि दो हेक्टर भूमि वाले सारे कृषक बीज पा सकें तो यह बड़े संतोष की बात होगी। बड़े किसान तो अपने लिये बीज कहीं न कहीं से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पूसा इन्स्टीट्यूट और एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी, पन्तनगर से बीज वे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे छोटे कृषकों की सेवा विशेष रूप से कृषिविभाग को करनी चाहिये।

मान्यवर, यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारी कृषि विभाग निश्चय करे कि हमारी लैंड यूज पालिसी क्या होगी। मुझे बेहद खुशी है कि इस वर्ष बजट में स्वाइल कंजर्वेशन के ऊपर खर्चा बढ़ाया है। लेकिन रिक्लेमेशन की कोई बड़ी योजना नहीं ली गई है। प्रदेश के अन्दर कल्टीवेबिल वेस्ट और अदर फैलो कल्टीवेबिल लैंड बहुत सी पड़ी हुई है। इस प्रकार से बैरिन लैंड के अगर जोड़ा जाय तो वह ४,१५८ हेक्टेयर आती है और कुल जमीन जो हमारे पास काश्त में है वह है २९,५४२। इस प्रकार से आप देखेंगे कि १४ प्रतिशत भूमि हमारी वेस्ट लैंड है। इसको हमें काबिल काश्त बनाना होगा। यह हमारे लिये एक चैलेंज है। यह जरूर है कि इस पर बहुत ज्यादा खर्चा होगा, उसके लिए बड़े भारी स्टाफ की आवश्यकता होगी और उसके लिये विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है। फिर भी हमें इस कार्य को प्रारंभ करना चाहिये। इस कार्यक्रम को अपने प्रोग्राम में मंत्री जी को शामिल करना चाहिये।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके संबंध में दो तत्व चिन्ताजनक हैं। हमारे प्रदेश में अन्य देशों की तुलना में और भारत के भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम फर्टिलाइजर प्रयोग में आता है। दूसरी बात यह है कि दूसरे

देशों के मुकाबले में हमारे राज्यमें फर्टिलाइजर की कीमत बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर छोटे किसान भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में कहीं अधिक हैं। केवल उत्तर प्रदेश में सारे भारत के २४.२ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास २ हेक्टेयर के नीचे जमीन है। उन लोगों की आर्थिक क्षमता कम है अतः वे खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद के प्रयोग में टेक्नीकल ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसके बारे में हमें अपनी कोई स्कीम बनानी चाहिये।

स्वाइल टेस्टिंग के कार्यक्रम को भी हमें अपनाना चाहिये। मेरा निश्चित मत है कि हर १० साल के बाद कंपलसरी स्वाइल टेस्टिंग होना चाहिये। इसके लिये एक स्वायल टैसटिंग सेल की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि समय कम है। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपके विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप की अत्यावश्यकता है। इस विभाग के प्रशासन में वाइकेरियस रेस्पांसिबिलिटी का कान्सेप्ट लाना चाहिये। यदि किसी जिल के अन्दर किसी बीज गोदाम में गड़बड़ी हुई है तो उस बीज गोदाम के इन्सपेक्टर की ही जिम्मेदारी न हो, उस जिले के जिला कृषि अधिकारी, जिसके डायरेक्शन और संरक्षण में यह कार्य हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहियें। इसी प्रकार से यदि किसी डिप्टी डाइरेक्टर के तहत किसी जिला कृषि अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है तो उनकी जिम्मेदारी डिप्टी डाइरेक्टर को भी ओढ़नी चाहिये।

मान्यवर, यू० पी० वेअर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट के तहत अभी नियम नहीं बन पाये हैं जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेजेज पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इससे आलू उत्पादकों के लाभ के लिये यह आवश्यक है कि नियम शीघ्र बनाये जाएं और स्टेट कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज पर कायम किया जाय।

मण्डी ऐक्ट की परिधि में हरी सब्जियों को भी ले आना चाहिये। आजकल मंडी कमेटियों का कोई नियंत्रण सब्जी मंडियों पर नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सब्जियों को भी इनके अन्तर्गत लाना चाहिये।

इसके अलावा कृषि की जो भी वस्तुयें हैं वह किसानों को समय पर मिल जानी चाहिये। इस बजट में दो नई योजनायें लागू की गई। एक सूरजमुखी की और दूसरी सोयाबीन की खेती की, जहां तक सोयाबीन तथा सूरज मुखी की बात है इनका बीज उस समय वितरण किया गया जब कि उसके बोने का समय ही निकल गया।

केवल दो शब्द परफारमेन्स बजट के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस आगामी वर्ष में हमने निश्चय किया है कि हम गतवर्ष से ज्यादा खाद देंगे। इसके अलावा यह भी निश्चय किया गया है कि अधिक उपज वाली जातियों में गेहूं का अधिक न रकबा बढ़ेगा। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि फिर गेहूं के उत्पादन के संबंध में जो आंकड़े अगले वर्ष के लिये रखे गये हैं वह ७०–७१ की उपलब्धि से 5 लाख टन कम क्यों रखे गये हैं। इसी प्रकार से मैं यह समझने में मजबूर हूं कि मक्का और बाजरा जैसी अधिक उपज वाली चीजों का क्षेत्रफल क्यों घटा दिया गया है, यह उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिये। इसके हटाने की कोई जरूरत नहीं है।

गांवों में तकनीकी ज्ञान बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा कि आडियो विजुअल तरीके से उनको इसकी शिक्षा देनी चाहिये। इन सुझावों के साथ कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का श्रीमन्, मैं समर्थन करता हूं।

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कृषि के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस अनुदान का विरोध और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारे कृषि मंत्री महोदय ने यह एलान किया कि म एक एकड़ या एक एकड़ से कम जोतने वाले किसानों की अच्छी तरह से सहायता देने वाला हूं। लेकिन मुझे इसके साथ-साथ बहुत बड़ा दुख और खेद हुआ कि मैं सोचता था कि मंत्री महोदय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जानकारी रखते हैं यह ऐलान करेंगे कि मैं उन भूमिहीनों की जरूर मदद करूंगा जिनके पास खेती नहीं है या जो १५–२० साल से खेत जोत रहे हैं गांव समाज के या उन मजदरों की मदद करेंगे जिनकी जीविका मजदूरी पर निर्भर है। लेकिन मंत्री महोदय ने एक शब्द भी उनकी मदद के लिये नहीं कहा। इससे मुझे मालम होता है कि समाजवादी विचारा-धारा के होते हुए भी इनके मन में भी समाज को धोखा देने की मात आयी है। सिर्फ कागज पर यहां अनुदान पास करा लेने से चाहें कि बेकारी दूर हो जाय, गरीबी दूर हो जाय, उत्पादन बढ़ जाय तो यह नहीं हो सकता। किसान जब तक अपने खेत की और अपनी पैदावार की रक्षा नहीं कर पाता तब तक उसकी पैदावार नहीं बढ़ सकती।

जहां तक पैदावार की बात है, आप देखे ले कि ६९–७० में जो पैदावार थी वह ७०–७१ में इसलिये कम हो गयी कि सरकार के पास जो विशेषज्ञ हैं उनको जो जानकारी होनी चाहिए थी वह जानकारी नहीं हुई और जब असमय बरसात शुरू हुई उस वक्त सरकार ने किसानों की फसल बचाने की ओर कोई ध्यान नही दिया और सारी फसल बरबाद हो गयी। उन किसानों की बरबादी का मुआविजा यह सरकार कैसे देगी ? जो उनकी मेहनत लगी है, जो उनका खर्चा हुआ है वह कैसे पूरा करेगी ? इस तरह से जब किसान बार बार मारा जायगा तो उसकी पैदावार कैसे बढ़ सकती है ? उसका मनोबल कैसे ऊंचा हो सकता है। पूर्वी जिलों में जिन किसानों के पास थोड़ी बहुत जमीन है भी उनके पास सिंचाई के कोई साधान नहीं हैं गरमियों में फसल सूख जाती है और बरसात में बाढ़ से सारी फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन सरकार कोई सुविधा नहीं दे पाती। कटान से भी जमीन को नहीं बचा पाती। इसी साल की बात बताऊं। अभी-अभी मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर गया था। हजारों बीघा खड़ी फसल दरिया के कटान से नष्ट हो गयी। फैजाबाद में महरीपुर में जो नहर बनी हुई है उसके मुकाबिले अगर बस्ती में एक ठोकर बना दी जाय तो हजारों एकड़ जमीन जो साल में कट जाती है वह बच सकती है। मैंने कई बार मंत्री महोदय से निवेदन किया कि घाघरा में बाढ़ का जो पानी बह कर आता है और बस्ती का एक तिहाई भाग डूब जाता है अगर बैलाच बांध और रामजानकी रोड बना दिये जायं तो लाखों मन अनाज और हजारों एकड़ जमीन जो बाढ़ से बरबाद होती है वह बच जाय। और खेती करने वालों को पानी को यदि सुविधा होती तो वे अपने खेतों में काफी पैदा कर पाते। मेरे जिले में सिंचाई की सुविधा न होने की वजह से बहुत से गांव पूरी पैदावार पैदा नहीं कर पाते हैं। सरकार कोई उनको सुविधा नहीं देती है। यह सरकार अगर कोई सुविधा देती भी है तो वह कागज पर देती है। अगर कोई अपनी मेहनत से खेती पर कमाई करना चाहते हैं और कर्जा लेने का प्रयास करते हैं तो उनको दर्जे बदर्जे इस तरह से चूसा जाता है कि १०० रुपया कर्जा अगर वह लेता है तो आखिर में जाकर उसके पास केवल ५० रुपया ही रह जाता है जो वह अपने घर ले जाता है। ५० रुपये यानी आधे रुपये बीच के दलाल ही खा जाते हैं।

मान्यवर, पूर्वी जिलों में गोरखपुर की मुख्य बरसात की फसल धान है। वहां पर गन्ना भी बहुत पैदा होता है और गन्ने के लिये उनके मन में काफी उत्साह था लेकिन वह सरकार की धोखेबाजी के कारण खतम होता जा रहा है। इस समाजवादी कहने वाली सरकार ने कहा कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। आप राष्ट्रीयकरण करें और उसके बाद यदि किसानों को गन्ने का दाम मिल जाय तो वे भी अपनी उन्नति कर सकते हैं। किसान यह सोच भी रहे थे कि हम अपनी खेती की उन्नति करेंगे और उनको गन्ने के दाम भी मिल जायंगे। अनाज में तो रोग लग जाते थे लेकिन गन्ने की ऐसी फसल थी कि वह पूर्वी जिलों में बहुत होती थी।

गर्मी के दिनों में किसान अपने पसीने को जलाकर सोचा करता था कि जब वह सर्दी के दिनों में अपने गन्ने के खेत को देखेगा और उसका दाम मिलेगा तो उसको खुशी होगी। उससे उसको पैसा मिलता था और उस पैसे से वह अपने परिवार के कपड़े, शादी-विवाह और दूसरे जरूरी काम किया करता था लेकिन इस धोखेबाज सरकार ने मिल मालिक से मिलकर उसका पैसा मिलना बन्द कर दिया। मिल मालिक समझते हैं कि हम पैसा लगा कर क्या करें जब इसका राष्ट्रीयकरण हो जायगा उससे किसान परेशान होता है। जब किसान को गन्ने का पैसा नहीं मिल पाता है तो जो मजदूर उसके खेत पर काम करता है उसको कहां से पैसा दे। किसान को पैसा न मिलने के कारण मजदूर को पैसा नहीं दे पाता है, उसकी मजदूरी नहीं दे पाता है जो किसान गन्ना पैदा करते हैं और जिनके पास बैलगाड़ी रखने की क्षमता नहीं है वह दूसरे से किराये पर गाड़ी लेकर बेच लिया करता था। मगर गन्ने का दाम न मिलने के कारण वह किराया नहीं दे पाता है जिससे उसका गन्ना खेत में ही सूख जाता है और मिल तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से उसके गन्ने की बरबादी होती है तो उनकी सारी जिम्मेदा इस झूठी समाजवादी कहने वाली सरकार के ऊपर है जो गरीब किसानों को धोखा देती है। मंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों को हर तरहकी सुविधा देते हैं। यह जितनी इस तरह की बातें हैं वह सब धोखा हैं और अपने प्रचार के लिये इस तरह से कहती है। अपने को समाजवादी सरकार कहने वाली ज्यादा धोखा देती है। पूर्वी जिलों में ३, ४ साल से लोगों ने रजिस्ट्री कराया हुआ है लेकिन उनको ट्रैक्टर नहीं दिया जाता है। उन लोगों को ट्रैक्टर दिया जाता है जो ब्लैक करके दूसरे लोगों के हाथ बेंच लेते हैं। जो अपने हाथ से पैदा करने वाले हैं और जिन्होंने बहुत दिनों से अपना नाम रजिस्ट्री कराया हुआ है, वह बराबर निवेदन करते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार से प्रबन्ध किया जाय कि जिन-जिन जिलों में अभी तक लोगों को ट्रैक्टर नहीं मिल पाया है, उनको वहां मिल जाय जिससे वे ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों की उन्नति कर सकें।

मान्यवर, खेतीबाड़ी की तरक्की के लिये चकबन्दी कराई जा रही है इसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जिसका कोई अन्त नहीं है। जो उसमें पैसा दे देता है तो उसको अच्छी जमीन मिल जाती है, उसको अच्छा चक मिल जाता है और जो पैसा नहीं देता है उसको जाकर कहीं कटान की जमीन या खराब जमीन दी जाती है। इसलिये मैं डाक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर खेती की तरक्की करना चाहते हैं तो अपने विभाग के चकबन्दी अधिकारियों की तरफ ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे बाढ़ का क्षेत्र हो या वहां सिचाई के साधन न हों वहां ऐसी स्थिति में बाढ़ से बचनेके लिये और गर्मियों में जहां पानी के अभाव से फसल नहीं होती है वहां आप चकबन्दी करायें और वहां चक बनवा कर सिंचाई के लिये नलकूप लगवा दें और बाढ़ के पानी को हटाने का प्रबन्ध करें। वहां भी गर्मी की खेती हो सके और सिंचाई की जा सके तभी पैदावार बढ़ेगी और किसानों का भला होगा।

अब असामयिक वर्षा के बाद जो गल्ला किसानों के पास बाकी हैं उस की खरीदारी का जो प्रबन्ध सरकार ने किया है उस में भी बहुत गोलमाल हो रहा है, किसान जो इतनी मेहनत और परेशानी के बाद थोड़ा बहुत गल्ला बचा पाया है उस को जब वह मंडी में ले जाता है तो सरकार के खरीद के कर्मचारी कहते हैं कि यह गल्ला खरीदने के लायक नहीं है और नतीजा यह होता है कि वहीं आसपास जो खून चूसने वाले लोग वहां लगे रहते हैं, वे ४०–४५ रुपया क्विन्टल लेते हैं और फिर वह ज्यादा कीमत पर उन्हीं कर्मचारियों को वह गल्ला बेचते हैं और वह बीच का ब्लैक का पैसा यह कर्मचारी और

[श्री रामलखन सिंह]

यह किसानों का खून चूसने वाले व्यापारी खा जाते हैं और बांट लेते हैं। इस के लिये मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह राजस्व मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी से कहें कि वह उन लोगों को आगाह कर दें कि किसान जो गल्ला लेकर जाते हैं उस को सही कीमत देकर खरीदें वर्ना डूगी करा दें कि भीगा गल्ला न लिया जायगा। किसान दस-दस पंद्रह-पंद्रह मील से गल्ला लेकर आते हैं और वह मजबूर होते हैं दस पांच रुपया मन कम ज्यादा पर गल्ला बेचने के लिये क्योंकि उन पर किराये की गाड़ियों का दस बारह रुपया रोज किराया चढ़ता होता है। उनके पास अपनी बैलगाड़ी तक नहीं है और उस का लाभ यह उन का खून चूसने वाले ब्लैक करने वाले खा जाते हैं। इसका आप फौरन ठीक इंतजाम करें।

मैंने ट्रैक्टर्स के बारे में भी कहा, हमारे पूर्वी जिलों के लोगों को आप प्राथमिकता दें, हर जिले में पैदायश और आबादी के लिहाज से आप कोटा बांध दें, अगर आप ऐसा न करेंगे तो दिनों-दिन वहां ब्लैक भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इस तरह से कोई सही इंतजाम न हो सकेगा।

एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि आप ने जिलों में जो जुताई के लिये ट्रैक्टर्स भेजे हैं उन से किसानों का कोई भला नहीं हो रहा है। लोग लाइन लगाये रहते हैं और १ घंटे के लिये १८ रुपये चार्ज किये जाते हैं। आप इस तरह से गरीबों को सुविधा न देकर उन का पैसा खुद लूटने का प्रबन्ध किये है। यही बात सिंचाई के साधनों का है। नलकूपों से पानी छोटे किसानों को तो मिलता ही नहीं। जो आपरेटर को पैसा फेकता है उस को पानी मिल जाता है, इसी तरह से नलकूप के लिये बिजली किसान को नहीं मिलती वह भी उसीको मिलती है जो सरकारी कर्मचारियों को एक-एक कनेक्शन के लिये चार-चार, पांच-पांच सौ रुपया खिला देता अगर जिस के पास उनको देने के लिये पैसा नहीं है वह बेचारा तरसता ही रह जाता है। इस तरह से निजी नलकूपों को बिजली मिलने में बहुत परेशानी है।

इसी तरह से जो ट्यूबवेल या पम्पिंग सेट के स्पेयर पार्ट्स हैं वह भी जो दस रुपए के हैं वे ८० और ८५ रुपए के ब्लैक में मिलते हैं। आपके ही लोग एजेंट बने हुए हैं और वे छोटे दूकानदारों को वह पार्ट्स पहुंचाते रहते हैं और वह ब्लैक की ज्यादा कीमत पर बिकते हैं। किसान गोरखपुर, बस्ती और लखनऊ तक दौड़ा करते हैं और उन को पार्ट्स नहीं मिलते। अगर आप वाकई अधिक पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और किसानों की भलाई चाहते हैं तो खेती के जितने साधन हैं वे सब सस्ते दामों पर किसानों को आसानी से उपलब्ध करावें। किसानों के जितने खेती के औजार हैं, जितनी चीजें है किसान को वे सब की सब जिलों में उपलब्ध करने की कोशिश हमारे मंत्री जी को करनी चाहिये। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कीड़े नाशक दवाइयां आप बाहर से मांगते हैं। प्रदेश में जो आपके धनी मानी लोग हैं अगर आप उनको ऐसी दवाइयें बनाने के लिये प्रोत्साहन दें तो न केवल इस प्रकार से हमारे प्रदेश में दवायें बनने लगें बल्कि किसानों को सस्ती दवा मिले और यहां के मजदूरों को काम भी मिले।

बाराबंकी में एक इस प्रकार की फैक्टरी बनी है जहां पर इस प्रकार की दवाइयें बनती हैं लेकिन आप उनसे दवायें न लेकर आप बाहर से लेते हैं। आप तो समाजवादी विचार धारा के लोगों में से हैं और अगर आप पूरब में जायेंगे तो लोग आपके नाम पर धिक्कार देंगे। मैं दावे के साथ यह भी कह सकता हूं कि डाक्टर साहब आपका नाम भी काले अक्षरों की पंक्ति में लिखा जायगा, यदि आप किसानों की और गरीबों के मदद के लिए कोई कदम नहीं उठायेंगे। क्या अपने उन मजदूरों के लिए भी कभी सोचा है जो आपके यहां और हमारे यहां पर मजदूरी करते हैं? आपको अपने कर्मचारियों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। गरीबों की ओर अगर आपने ध्यान न दिया तो याद रखिए कि एक दोहा है कि "तुलसी आह गरीब की हरि से सहा न जाय, मुई खाल की सांस सौ सार भसम हो जाय"। लोहा तक भस्म हो जाता है। तो हम और आप तो इन्सान हैं। पुरानी मिसाल यह भी है कि 'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपहोय नरक अधिकारी।"

मैंने उसका संशोधन इस प्रकार कर दिया है "जासु राज होय प्रजा दुखारी, सो मंत्रि मंडल होय नरक अधिकारी"।

आज आपके हाथ में सत्ता है और मुझे उम्मीद है कि जो मदद हो सकती है, वह करें, वरना यदि रखिए ये काले कारनामे जो झूठा समाजवाद का नारा लगाकर आपने वोट प्राप्त किए हैं आपको सरयू और घाघरा में बहा कर समुद्र में ले जायेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप किसानों की मदद करें, उन्हें धन दें और जिनको कीट नाशक दवाई नहीं मिल रही है, जिनकी ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, उनको दवा दें, और उनको मदद करें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुंवर देवेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि अनुदान के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने कृषि मंत्री जी का भाषण सुना और साथ ही उसके बाद माननीय सदस्य, श्री हरिनाथ जी का भाषण बहुत ही ध्यान से सुना। आपने स्वयं देखा होगा कि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य का भाषण बिल्कुल ऐसा था जैसी कि इलेक्शन स्पीच होती है। उसमें न तो इस विभाग से सम्बन्धित कोई बात थी और न हीं उसमें कोई विशेष सुझाव थे। माननीय सदस्य एक अच्छी पार्टी से आते हैं और एक पुराने साथी हैं लेकिन उधर से किसी ने नहीं कहा कि ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए। मैं उन्हें बता दूं कि हमारे मंत्री जी उन विभागों से संबंधित नहीं है।

उन्होंने कहा है सिंचाई और बिजली के बारें में। मैं खुद यह बात मानता हूं कृषि को ऊंचा उठाने के लिये सिंचाई और बिजली की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह मंत्री जी विशेष रूप से देखेंगे कि जहां तक मंत्री जी के विभाग का सम्बन्ध बिजली और पानी से है। हमें भूमि को भी देखना है। भूमि के लिये जैसा कि आप लोगों के पास पुस्तिका में दिया गया है सबसे पहले भूमि संरक्षण आता है। देश में चालीस करोड़ एकड़ भूमि में कृषि होती है। उसमें से १३ करोड़ एकड़ के करीब खेती की उपजाऊ शक्ति भूमि कटाव और अन्य कारणों से नष्ट हो गई। सात करोड़ एकड़ खेत बेहड़ बन जाता है। प्रायः एक एकड़ में सात मन अनाज प्रति वर्ष पैदा हो जाता है। इस प्रकार ५० करोड़ मन अनाज मारा जाता है। जो भूखी जनता के काम आ सकता था। यह सब कुछ ठीक है। जहां तक भूमि संरक्षण का सवाल है मैं उसका समर्थन करता हूं। परन्तु दुर्भाग्य यह है, हमारे इस पक्ष के और दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य मानेंगे कि ये भूमि संरक्षण वाले जो गांव में जाते हैं ये डौलबन्दी बिना सोचे करना शुरू कर देते हैं। जिसमें लाभ नहीं होता। उनको गांव वाले समझा बुझाकर बाहर भेजने की कोशिश करते हैं।

इसलिये मैं आदरणीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि भूमि संरक्षण के साथ-साथ भूमि का रिक्लेमेशन भी करना चाहिये। यहां से अगर आप पश्चिम के जिलों की तरफ जायं तो आप देखेंगे कि कितना मैदान पड़ा हुआ है। उसको भी हम रिक्लेम कर सकते हैं। रेवीन को पहले रिक्लेम किया गया है। अब भी जो पड़ी हुई है भूमि उसमें खेती नहीं होती है, उसमें खेती की जा सकती है। दूसरी बात मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से, खाद के विषय में बताना चाहूंगा। इस विषय में जो आलोचना की जाती है वह किसी हद तक सही है। खाद में मिलावट की जा रही है और उसके कारण जैसा कि मंत्री जी ने खुद कहा है न केवल किसान का नुकसान होता है, उपज भी कम होती है और सारे देश और प्रदेश का नुकसान होता है। इसके लिये हमें चाहिये कि खाद के निरीक्षण के लिये कुछ अधिकारियों को रक्खें जो जगह-जगह पर निरीक्षण करें। उनके पास यातायात के साधन हों। गोबर गैस के विषय में पिछले चार पांच साल से चर्चा हो रही

[श्री देवेन्द्र सिंह]

है। इसका प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है। इसके प्रयोग से हम अपना ईंधन भी बचा सकते हैं। आलू विश्व की पांच प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है योरोप आदि देशों में इसकी खपत भी बहुत है। आंकड़ों के लिहाज से मैं एक ही आंकड़ों देना चाहूंगा क्योंकि आंकड़े श्री शिवराजसिंह और मंत्री जी ने काफी बता दिये है। जर्मनी में देखिये तो प्रतिवर्ष आलू की खपत जो है वह अन्न के मुकाबिले अन्न की है ३६ किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष और आलू की ६४ किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है और इसी के मुकाबिले में ९७.४ अन्न की, और २.६ आलू की है भारतवर्ष में। हमें आलू के उत्पादन में ज्यादा जोर देना चाहिये जिससे हमारे खाद्य अन्न पर दबाव कम हो सके। इसमें प्रदेश और सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसमें बहुत सी कमियां हैं जिसमें सबसे पहली बात आलू के बीज की है इसके लिये हम लोगों को, विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। वह रहा है कुफरी का बीज। यह बीज एक दफा की उपज के बाद दुबारा काम में नहीं आ पाता है। इसलिय हिमांचल प्रदेश की तरह हमें भी चाहिए कि प्रदेश में आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिये बीज के और रिसर्च सेन्टर्स और फार्म्स खोले। आलू निगम को भी बड़ी आवश्यकता है। जब तक आलू निगम नहीं होगा तब तक आलू उत्पादकों को सुविधा-असुविधा की तरफ पूरी तरह गौर नहीं हो पायेगा।

श्रीमन्, हमारे इस प्रदेश में कुल ३५० शीतगृह हैं। चौथी योजना में ५५० से ६०० तक हो जाने की सम्भावना है। जैसा कि हमारे साथी न बताया, हमार बिजनौर में तो शीतगृ की बहुत कमी है। चाहे प्रायवेट सेक्टर में हो, चाह कोआपरेटिव सैक्टर में हो, स्टेट भी अपनी तरफ से कुछ लगादे तो वहां के किसानों का और साथ ही सारे प्रदेश का बहुत बढ़ा लाभ हो सकता है।

(इस समय ३ बजकर ४७ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगबीर सिंह पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, बहुत चर्चा हुई एग्रो-इंडस्ट्रीज के बारे में। अभी तक हमारे साथियों ने केवल इसकी आलोचनाएं ही की है। मैं समझता हूं कि इस थोड़े से समय में, दो-तीन साल में काफी उन्नति हुई है। ट्रैक्टर्स की एसेम्बली होने लगी है, दफ्तर भी ठीक हुआ है। यह सही है कि कुछ कमियां भी हैं। छोटे ट्रैक्टर्स की जितनी आवश्यता थीं प्रदेश को उतने नहीं बने। जैसा कि हमारी होल्डिंग हैं उनके अनुसार छोटे ट्रैक्टर्स बहुत कम है। आज भी हमारे वार्कशाप में बड़े ट्रैक्टर्स ही ज्यादा बनाए जा रहे हैं। अब छोटे ट्रैक्टर्स की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार एच०एम०टी० पिंजौर में है उसी तरह से हमें सेमी-नौक-डाउन ट्रैक्टर्स की क्षमता बढ़ानी चाहिय और खुद भी ट्रैक्टर्स क उत्पादन क लायक हम बनें। भारत सरकार द्वारा और अधिक ट्रैक्टर्स का आवंटन हमारे प्रदेश के लिए हो, इस बात का प्रयास होना चाहिये। प्रदेश की विशालता को देखते हुए ट्रैक्टर्स निर्माण के लिये हमें लायसेन्स मिलना चाहिए। सौभाग्य से इसी पार्टी की सरकार केन्द्र में भी है। मंत्री जी को चाहिए कि जिस तरीके से भी हो ट्रैक्टर बनाने की फैक्टरी का लायसेन्स इस प्रदेश क लिय अवश्य भारत सरकार से स्वीकृत करा लें।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय रघुनाथ सिंह जी, कृपया पैर नीचे रखकर बैठें तो उचित होगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

कुंवर देवेन्द्र सिंह

एग्रो-इंडस्ट्रीज वालों का बड़ा ज्यूस पिया है, श्रीमन्, इन्होंने कल....

अधिष्ठाता महोदय की नजर बहुत तेज है। आपकी सब बातें देखी हैं और देख रहे हैं, कोई बात छिपी नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय---

अधिष्ठाता जी, आप पूछ लीजिये डाक्टर साहब से कि यह बात है कि नहीं।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मागो पर मतदान---अनुदान १२७५ संख्या २१---कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२---उपनिवेशन, अनुदान संख्या २३---पशुपालन तथा मत्स्य पालन, तथा अनुदान संख्या ४६---कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री अधिष्ठाता---

आप जारी रखिये ।

कुंवर देवेन्द्र सिंह---

जितनी विभिन्न बातें मैंने कहीं है उतनी किसी ने नहीं कहीं है । मुझे टोका गया । मन किसी को नहीं टोका । मेरा बड़ा समय ले लिया है, लिहाजा ५ मिनट और देने का कष्ट करें । लाल बत्ती से घबराहट होती है ।

श्री अधिष्ठाता---

घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

कुंवर देवेन्द्र सिंह---

हमारा फल उद्योग निदेशालय बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है । इसके साथ ही साथ हमारा जो लखनऊ में फ्रुट यूटिलाजेशन इंस्टीटयूट है उसमें भी काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है । जो लोग यहां से दूसरे प्रदेशों में गये हैं उनको वहां पर बड़ी अच्छी नौकरियां मिली हैं । यहां पर बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है । पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों में काफी उत्साह उत्पन्न किया जा रहा है और फल पट्टियों का काफी प्रचार है । मैं मंत्री जी को बताता हूं कि इसका सिलेक्शन बड़ा सख्त है और २०, लड़कों में से थोड़े से लिये जाते हैं । जो लड़के बाहर से आते है उनको तो स्कालरशिप तथा और दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां के जो फर्स्ट क्लास लड़के हैं उनको न स्कालरशिप मिलता है और न ही उनके लिए होस्टल का प्राविधान है । मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि मेरिट का आधार न हो, मेरिट का आधार अवश्य होना चाहिये ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और जब तक आप किसान को ऊंचा नहीं उठायेंगे तब तक यह देश और प्रदेश ऊंचा नहीं उठ सकता है । आज ग्रामीण की हालत बहुत खराब है । इस संबंध में मैं आपकी सेवा में एक शेर उपस्थित करता हूं जिससे यह जाहिर हो जायगा कि उसकी हालत कैसी है । आज वह दलदल में फंसा हुआ है और निर्धनता का वन्दी है ।

श्री अधिष्ठाता---

जल्दी समाप्त करें ।

कुंवर देवेन्द्र सिंह---

उस गिरफ्तार की पूछो न तड़प जिसके लिए दर कफ्स का हो खुला, ताकते परवाज न हो ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया ।

कुंवर देवेन्द्र सिंह—

आज अच्छी खाद, अच्छा बीज और ठीक सलाह किसान को देने की आवश्यकता है। अगर ये चीजें किसान को दी जायेंगी तो निश्चित रूप से खेती की प्रगति होगी और किसान इस गरीबी के पिंजड़े से निकल पायेगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कृषि विभाग एक बहुत ही बड़ा विभाग है। मैं थोड़ा ही समय लूंगा, परन्तु सब विषयों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। इस विभाग से संबंधित दो विशेषज्ञों की राय मेरे सामने है। यह राय एक-दो महीने पहले की है। कृषि विभाग ने जो आंकड़े उपलब्ध कराये है वे तो पुराने हो चुके हैं। १४ जुलाई, १९७१ को रविन्द्रालय में थिंकर्स फोरम की एक गोष्ठी आयोजित की गयी थी जिसका उद्घाटन राज्यपाल महोदय ने किया था। उस गोष्ठी में श्री एम० डी० जोशी, प्रोफेसर आफ पब्लिक फाइनेन्स, डिपार्टमेन्ट आफ इकोनोमिक्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़ा प्रदेश माना है। १०० वर्ष पहले जिस प्रकार से टर्की को यूरोप में 'सिक मैन आफ यूरोप' कहते थे उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को सारे हिन्दुस्तान की सिक स्टेट मानते हैं। यहां पर ८५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुयी है। कृषि की अवनति है इसलिए वह सिकनेस है। मैं इसकी दो चार लाइनें पढ़ना चाहता हूं। मैं इसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा लेकिन अंग्रेजी में पढ़ने से भाव अच्छी तरह से आ जावेगा।

"In Uttar Pradesh top priority has to be given to agricultural development. Various land reform measures have to be strictly implemented. The most important role of the Government would be to provide adequate irrigational facilities and improved agricultural inputs in the form of seeds, fertilisers, livestock, agricultural implements, pesticides, etc. It is also necessary that agriculturists get adequate and timely credit.

There is also the need of making suitable arrangement for warehousing and marketing of agricultural produce. A large part of this produceis lost or damaged in the absence of adequate storage and protection against pests inclemency of weather. Very often the farmer does not get a fair price for his produce. Marketing and transport facilities have to be provided in this context. In fact the Government must have a comprehensive price support policy for agricultural products."

मान्यवर, तीन चार वाक्यों में स्पष्ट कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ा हुआ है। कृषि के मामले में कहा है कि कृषकों को काफी सुविधाएं नहीं है। उनके उत्पादन के लिये मारकेटिंग नहीं है। मूल्य निर्धारण की नीति नहीं है। जब पैदा होता है तो सस्ता बिकता है। आप भी कृषक हैं। आप जानते हैं कि इस साल की फसल खलिहान में सड़ गई। यदि गांव-गांव में वेअर हाउसिंग होते तो दो तीन साल तक के लिये अनाज हो जाता। विद्वान लेखक ने कहा है कि शासन की ओर से कृषि के बारें में कुछ नीति नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने फसलों की बीमारियों के विषय में भी कोई व्यवस्था नहीं की है।

मान्यवर, मैं कुछ बतलाना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में "आज" दैनिक अखबार चलता है जिसमें लिखा है "राम के प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो" डा० वी० के० आर० वी० राय का लेख है, वह केन्द्र में मंत्री थे।

एक सदस्य—

अब नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

उन्होंने कृषि के बारे में कहा है कि कृषि उत्पादकता तथा कृषि बचत की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का मुकाबला पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाड़ से हो ही नहीं सकता वह मैसूर से भी पीछे है। कृषि आय के सम्बन्ध में कहा है आवश्यकता केवल इस बात की है कि एक समग्र कार्यमुखी योजना हो जिसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये उत्तर प्रदेश में प्राप्त विज्ञान और प्रौद्योगिक का उपयोग किया जा सके। जहां तक मानवीय साधनों के विकास का सम्बन्ध है उसमें उत्तर प्रदेश देश के सारे राज्यों से आगे है। कोई कारण नहीं कि अपने समृद्ध जल भंडार तथा वैज्ञानिक खेती के प्रयोग से सारे राज्य में औसतन तीन फसलें न हों बजाय वर्तमान स्थिति में जब यह सम्पन्नता केवल कुछ जिलों तक सीमित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम कोटि के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक अनुसंधान के कृषि संस्थानों तथा अखिल भारतीय प्रतिष्ठा के बुद्धिजीवी योग्यता का आन्तरिक ढांचा तैयार है। अंत में कहा है कि आवश्यकता केवल इस बात की है कि एक समग्र कार्यक्रममुखी योजना हो। उत्तर प्रदेश में जल स्रोत भी नीचा है और काफी है, तो जल उत्तर प्रदेश में है। कृषि के टेकनिकल आदमी भी है और सुविधाएं भी है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। कृषि के दृष्टि से यह उपेक्षित है। हम अपने को ही नहीं खिला सकते है। इसके सम्बन्ध में सूचना विभाग की पुस्तिका में दिया गया है।

मान्यवर, गेहूं और धान का उत्पादन बराबर होता है। थोड़ा सा फर्क है। इसमें भी हम पंजाब से बहुत पीछे है, महाराष्ट्र से भी पीछे है। आलू में आप देखें, उसमें काफी स्टाफ लगा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आलू के अच्छे बीज के भंडार है। लेकिन उसमें कीड़े और बीमारियों लग जाती है जिसकी वजह से आलू का उत्पादन नहीं बढ़ पाता। हमारे यहां तीन चीजें है गेहूं, धान और आलू। हमारे कृषि मंत्री जी स्वयं डाक्टर है और कृषि के विद्वान हैं से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां २५ से ३० प्रतिशत सिंचाई है। माननीय मंत्री जी उस तरफ भी ध्यान दें जहां कि बाढ़ आती है और एक ही फसल होती है। माननीय डा० सीताराम, जो कृषि मंत्री है, उनका क्षेत्र भी पानी से भरा रहता है। क्या हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में कुछ नहीं सोच सकते कि १५ मई से पहले बाढ़ एरिया में कोई फसल हो सके क्या वहां ऊपर की भूमि पर बिजली की लाइन लगा कर और ट्राली से पानी ले जाकर कोई दूसरी फसल नहीं की जा सकती। रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक चांद पर पहुंच रहे है। आपके यहां भी वैज्ञानिक हैं और इस कार्य में जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनकी संख्या भी कम से कम एक हजार तो होगी ही। उनमें क्या यह विवेक नहीं है, यह क्षमता नहीं है कि बाढ़ एरिया में बोरिंग कर दें, बरसात में बन्द कर दें और वहां स्टोरेज बना दें। क्या इस तरह कोई दूसरी फसल लेने की बात सोचने की उनमें क्षमता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करवायें और देखें।

मान्यवर, कृषि विभाग के पांच विभाग हैं। उसमें कृषि की शिक्षा है। कानपुर की अनुसंधानशाला है और पंतनगर विश्वविद्यालय है। ३७ लाख रुपया पंतनगर विश्वविद्यालय को प्रदेशीय सरकार देती है। अमेरिका की सहायता से वह विश्वविद्यालय चलता है और वह अच्छे बीजों का उत्पादन करता है। लेकिन वहां का बीज इतना मंहगा होता है कि साधारण किसान उसको नहीं ले सकता। बड़े-बड़े फार्म वाले ही लेते हैं। आप तो स्वयं कृषक हैं और आप यह जानते होंगे। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अनुसंधानशाला से नतीजे निकलें तो वह किसान तक पहुंचे। उसकी पब्लिसिटी हो। मान्यवर, जब हम विद्यार्थी थे तो चाय का प्रचार

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

करने के लिए चाय फ्री मिला करती थी और आज आप देखें कि घर-घर चाय चल रही है। अगर हमारे वैज्ञानिक भी सस्ते बीज और पेस्टीसाइड्स दें तो क्या किसान उससे प्रोत्साहित नहीं होगा? मैं पंतनगर गया था और मैंने वहां के विशेषज्ञों से बात की और कहा कि आपके वहां इतनी मोटी-मोटी गायें है आपने आस-पास के गांवों में कितनी देशी गायों को तैयार किया है। मान्यवर, एक ने भी जवाब नहीं दिया। पंतनगर विश्वविद्यालय सफेद हाथी है। आप कानपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च सेन्टर बनायें और जो पैसा पंतनगर को इस कार्य के लिये दिया गया है उसको वापस करके कानपुर विश्वविद्यालय में लगायें। जो लेबोरेटरी के एक्सपेरीमेंट्स होते हैं वह कुछ और होते हैं और रीजन्स के जो एक्सपेरीमेंट्स होते हैं वह कुछ और होते हैं। लेबोरेटरी के एक्सपेरीमेंट्स फील्ड्स में आवें जिससे कि किसानों का लाभ हो। देवरिया में बेतालपुर में एक यंत्रशाला है। यहां से कृषि यंत्र मिलते है। मैं वहां स्वयं गया था और देखा। वहां अच्छे आदमी नहीं हैं और मशीनरी भी अच्छी नहीं है। लोग वहां थ्रेशर्स खोज रहे थे और परेशान थे। जो आपकी यंत्रशाला हों उसमें किसानों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिये उनको काम की चीजें सिखायी जानी चाहिये।

जिला कृषि अधिकारी के पास आने जाने के लिये कोई साधन नहीं होता है। मेरे देवरिया जिले में ३६०० गांव हैं। अब एक जिला कृषि अधिकारी बिना किसी साधन के कैसे गांव-गांव का दौरा कर सकता है। मेरा सुझाव है कि हर कृषि जिला अधिकारी के पास एक जीप दी जानी चाहिये।

सारा उत्तर प्रदेश तीन हिस्सों में बटा है, पहाड़ी, मैदानी और बुन्देलखंडी। यदि पहाड़ों पर विकास करना है तो आपको वहां डेरी और पाश्चर लैंड के विकास की ओर ध्यान देना होगा। एक-एक भेड़ बड़ी कीमती आती है। जरमनी कितना पिछड़ा हुआ था, मगर डेरी और पाश्चर लैंड के विकास के कारण यह इतना विकसित हो गया।

एक बात मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां छोटे-छोटे ट्रैक्टर दिये जायं। वे अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही जिले-जिले में वर्कशाप होना चाहिये। इसके न होने से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एग्रो में लाखों की मशीनें बेकार पड़ी है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। फिर यहां की वर्कशाप में, मेरा निवेदन कि बड़े-बड़े पुर्जे और सामान बनना चाहिये। जो छोटे-छोटे पुर्जे हैं उन्हें बनाने के लिये और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

पिछले वर्ष लखीमपुर खीरी में गया था। वहां २४–२४ गांवों की एक उपनिवेषन योजना बनी थी। वहां पर लैंडलेस लोगों को बसाया गया था। वहां की मान्यवर, हालत यह है कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। ऋण तक की वहां व्यवस्था नहीं है। सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के लोगों की कठिनाइयां की ओर मंत्री जी को शीघ्र ध्यान देना चाहिये।

हमारे प्रदेश में मान्यवर, २-३ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो केन्द्रीय सहायता से चल रहे हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उसको आप निगम बनायें और क्रेडेट की फैसिलिजटी दें। उसे आप सामान के विक्रय की सुविधायें दें। इससे वह योजनायें सफल होंगीं, नहीं तो सारा रुपया केन्द्रीय सरकार का बर्बाद होगा। भूमि संरक्षण भी बड़ी आवश्यक चीज है, बिना भूमि संरक्षण के भूमि नहीं बढ़ सकती है उसे आप करें और उसे छोटी सिंचाई योजनाओं से सम्बद्ध करें। हमारे यहां मथुरा में १३० एकड़ भूमि को 3 वर्ष पहले रिक्लेम किया गया था, लेकिन उसमें कोई बुवाई नहीं की गई, बलदेव नगरपालिका उसको लेने को तैयार नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि आप रिक्लेम करें उसमें सिंचाई की व्यवस्था करें।

एक बात मैं कृषि शिक्षा के बारे में और कहना चाहूंगा क्योंकि इसका भी प्रबन्ध हमारे प्रदेश में उचित नहीं है। कृषि यूनिवर्सिटी पंतनगर में है। हमारे गोरखपुर में यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें एम० एस-सी० या बी० एस–सी० (एजी०) नहीं है। वहां पर एक मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज है, उसके पास ३०० एकड़ भूमि है, जबकि यूनिवर्सिटी के पास उससे कम भूमि है। अच्छा हो कि इस कालेज से १०० एकड़ भूमि लेकर कृषि की उच्च शिक्षा के लिये बी० एस–सी० (एजी०), एम० एस–सी० (एजी०) की शिक्षा के लिये यूनिवर्सिटी को दे दें। इस दिशा में इतना बड़ा कृषि विभाग कुछ नहीं कर रहा है, इसको उनको अपने ढंग से अनुदान देना चाहिये और वहां पर अपना रिसर्च सेन्टर बनाना चाहिये। इस तरह से जनता में कृषि विषयक ज्ञान को सरकार को बढ़ाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि बजट का समर्थन करने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सबसे पहले एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वह यह है कि वहां पर ट्रैक्टरों के वितरण की जो नई प्रणाली है वह काफी दोषपूर्ण है। उस प्रणाली के अनुसार पहली प्राथमिकता म्युनिसिपैल्टीज को दी गई है। जहां किसानों को जोताई के लिये ट्रैक्टर नहीं मिलता है, वहां शहरों में मैला ढोने के लिये ट्रैक्टर उपलब्ध हों। यह प्रदेश के लिये गौरव की बात नहीं है। म्यूनिसिपैल्टीज पैसे वाली होती है, वे अपना काम पेट्रोल की ट्रकों आदि से चला सकती हैं। लेकिन जहां तक पैदावार का सवाल है वह ट्रैक्टरों पर एक मात्र निर्भर है और किसानों को न देकर नगरपालिकाओं को मैला ढोने के लिये देना, कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी प्राथमिकता सांस्कृतिक संस्थाओं की है जो जनहित में काम करती हैं, उनको दी गई है। लेकिन उसमें देखने की बात यह है कि सांस्कृतिक संस्थायें कौन-सी हैं? जहां तक मैं समझता हूं कि यह संस्थायें नाचने–गाने वाली संस्थायें हैं। उनको भी अगर ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ी तो किसानों का क्या हाल होगा यह समझ में नहीं आता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सांस्कृतिक और म्युनिसिपैल्टीज को तुरन्त एक अध्यादेश द्वारा आप टैक्टर देना बन्द करा दीजिये और वे ट्रैक्टर्स किसानों को दिये जांय, जिससे देश में अन्न का उत्पादन बढ़े। वहां एक यह भी गड़बड़ी है आबंटन के बारे में। आबंटन पत्र यहां से ईश्यू हो जाते हैं, किन्तु उसके बाद भी सम्बन्धित व्यक्तियों को पत्र नहीं पहुंचते हैं या समय से नहीं पहुंचते हैं। वहां पर बड़ी धांधलेबाजी होती है।

एक आदमी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कुंवर सिंह पुत्र किशन सिंह, ग्राम चान्द नगर–पो० रजबपुर जिला मुरादाबाद को २८–७–७१ को आबंटन पत्र ईश्यू हुआ। २–८–७१ को यहां से डिस्पैच हुआ कि ३१ जुलाई, ७१ तक ट्रैक्टर ले जाओ। वह पत्र उसको ५ अगस्त को मिला, वह बेचारा ७ अगस्त को यहां भागा-भागा आया और उसे यहां से जवाब मिलता है कि यह आबंटन पत्र आपको गलती से चला गया है, आपको ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। यह कारण उसको बताया गया, लेकिन इसके पीछे वास्तविकता दूसरी है, इसका मूल कारण यह है कि जिस कोटे से इस समय दे रहे हैं, उसमें उनका मूल्य ३ हजार रुपया कम है और आगे के कोटे में आने वाले ट्रैक्टरों का दाम इनसे ३००० रुपया ज्यादा है। होता यह है कि जिन लोगों पर कारपोरेशन मेहरबान है उनको इस कोटे से दे दिया जायगा किन्तु जिनको वाकई में मिलना इस समय चाहिये, उनको आगे के लिये टाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आबंटन पत्र आपको गलती से चला गया। बहरहाल आपकी जरा सी गलती हुई और उसके १०० रुपये बर्बाद हो गये। इसके लिये कारपोरेशन जिम्मेदार है। 4 दिन के लिये भी किसान को ट्रैक्टर लेने में देर हो जाती है तो कहते

[श्री नौनिहाल सिंह]

हैं कि कारपोरेशन का रुपया फंस गया, उस पर आपसे सूद लगेगा। जबकि किसान से ११० रुपया पहले ही जमा करा लेते हैं, जबकि उसको उसका कोई सूद नहीं मिलता है। हालांकि यह रुपया डाकखाने में जमा रहता है और इस पर सूद भी कारपोरेशन प्राप्त करता है। बाद में जो हजार रुपया वह लेते हैं उसका भी सूद ले लेते हैं, लेकिन उसका भी किसान को कोई सूद नहीं मिलता है। तो यह चीज आपको देखने की है वह कहां तक मुनासिब है। एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में जो यंत्र है उनका मूल्य बाजार भाव से कहीं अधिक है और न वे उतने टिकाऊ हैं। हालांकि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने गारंटी दे रखी है कि व उन यंत्रों की देखभाल करेंगे और फ्री मरम्मत करेंगे। लेकिन यह सोचने की बात है कि अगर कोई किसान यहां से मुरादाबाद को ट्रैक्टर ले जावे तो फिर मरम्मत के लिये वहां से उसको यहां आने में और फिर जाने में कितनी परेशानी होगी और व्यय भी होगा। वहां जो उनके वर्कशाप्स हैं उनमें पुर्जे उपलब्ध नहीं होते जिससे किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिये इस समस्या की तरफ भी आपको देखना है।

अब एक चीज मैं गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं। जब कि हमारी इतनी योजनायें बन चुकी हैं--प्रथम पंचवर्षीय योजना में २,४९,६७,००० रु० का प्राविधान किया गया था गन्ने के विकास काय के लिये, दूसरी योजना में ३,८५,००,००० रुपये और तीसरी योजना में ४,३९,२३,००० रुपये का प्राविधान किया गया था। लेकिन खर्च किया गया--पहली योजना में ३ करोड़ ७ लाख, दूसरी योजना में ३ करोड़ ४० लाख, और तीसरी योजना में ३ करोड़ २७ लाख, इस तरह से करीब ९ करोड़ रुपया हमारी सरकार ने गन्ने के विकास कार्य पर खर्च किया। इतना खर्च करने के पश्चात् भी गन्ने के उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है अगर हम पहले से तुलना करें तो लगभग वही हैं जहां से कि हम चले थे। यानी गन्ने के उत्पादन में कतई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो आखिर इसका क्या कारण है, यह देखना चाहिये। अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो सन् ६०-६१ में गन्ने का क्षेत्रफल १३ लाख २९ हजार हेक्टेयर था, ६५-६६ में १४ लाख ९० हजार हेक्टेयर था और ६८-६९ में १२ लाख ३ हजार हेक्टेयर के लगभग था। उसमें से सिंचित भूमि का क्षेत्रफल पहली योजना में रहा ८ लाख ७४ हजार हेक्टेयर, दूसरी योजना में ९ लाख ६५ हजार हेक्टेयर और जब कि इन योजनाओं में ६ करोड़ रुपया खर्च हो चुका तो तीसरी योजना में गन्ने का सिंचित क्षेत्रफल घट कर ८ लाख ४८ हजार हेक्टेयर ही रह गया। यह मेरी समझ में नहीं आया कि ६ करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी गन्ने का सिंचित क्षेत्रफल बढ़ने की बनिस्बत और घट कैसे गया। तो यह देखने की बात है कि हमारे वे अधिकारी साहब कौन हैं जिनके कारण यह फेल हो गया।

जहां तक गन्ने के उत्पादन का सम्बन्ध है, ६०-६१ में ४३० क्विंटल गन्ना प्रति हेक्टेयर पैदा हुआ पहली योजना में, और ढाई तीन करोड़ रुपया खर्च करने के बाद प्रति हेक्टेयर ५०८.२७ क्विंटल गन्ना पैदा हुआ दूसरी में और तीसरी योजना के अन्त तक ४२० क्विंटल गन्ना प्रति हेक्टेयर पैदा हुआ। आप समझते हैं कि गन्ने की पैदावार पहले से बढ़ी है लेकिन जो रुपया व्यय हुआ है उसके अनुपात से गन्ने की पैदावार पहले से घटी है और वह इतनी घटी है जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। जबकि आप देखें कि हमारे महाराष्ट्र में १६०० क्विंटल गन्ना प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। इस सम्बन्ध में आपको मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिससे गन्ने की पैदावार बढ़ायी जा सके और उसके लिये गन्ने के सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके। पहले काश्तकारों को लघु सिंचाई साधनों के लिये गवर्नमेंट से सबसिडी उपलब्ध थी, हालांकि वह सबसिडी नाम मात्र को ही होती थी लेकिन उससे किसानों को प्रोत्साहन मिलता था लेकिन अब हमारा किसान उस सबसिडी को उपलब्ध नहीं कर पाता है। इसके लिये मैंने कल डिवीजनल मीटिंग में भी रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट सबसिडी देने का प्राविधान करे और उसके नियम ऐसे सरल बनाये जायं कि वह हर काश्तकार के लिये उपलब्ध हो सके।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं आपके विभाग के बारे में। जो आपका खाद स्टोर हैं वहां से किसानों को ९२७ रुपये टन के हिसाब से यूरिया खाद दिया जाता है जब कि इस प्रकार की दूसरी प्राईवेट एजेंसीज होती हैं, वे ८८० रुपये टन के हिसाब से खाद देती हैं और अपना कमीशन भी अलहदा से प्राप्त करती है। अब यह सोचने की बात है कि काश्तकारों से ४५–४७ रुपया प्रति टन अधिक दाम लेना कहां तक न्यायोचित है। अगर सही माने में देखें तो यह अधिक रुपया जहां जाता है वह यहां कहने की बात है नहीं। मान्यवर, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में भी मुझे यह कहना है कि इस विभाग में एक करोड़ रुपये की दवाई हर साल खरीदी जाती है जिसमें ३० ४० लाख रुपये की दवाई इस्तेमाल हो जाती है, ६०–७० लाख की दवाई आउट आफ यूज़ होने के कारण बेकार हो जाती है। यह भी पता चला है कि प्लांट प्रोटेक्शन विभाग में नौ साल से आडिट नहीं हुआ है। हो सकता है कि मैं गलत हूं। लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है। यह भी गवर्नमेंट का मुहकमा है इतने दिनों से आडिट न होने की क्या वजह है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारा प्रदेश सिंचाई के साधनों में इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर सारे देश से तुलना की जाय तो केवल ३.३ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। इससे पता चलता है कि हम सिंचाई के मामले में कितने पिछड़े हुये हैं।

मुख्य रूप से जो मैं कहने जा रहा हूं, स्वायल कंजरवेशन के बारे में है। भूमि संरक्षण योजना में लगभग ३० हजार एकड़ क्षेत्र ऐसा है जिसको खेती योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन यदि आप इस योजना को सही रूप देना चाहते हैं तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जहां आप इस स्वायल कंजर्वेशन योजना को लागू करते हैं, उसके लिये एक ऐक्ट बना हुआ है, जिसके अनुसार वह लागू होता है। किसी भी स्वायल कंजर्वेशन स्कीम को लागू करने से पहले किसान की सहमति आवश्यक होती है। इस बात का ध्यान कम से कम मैं अपने जिले के सम्बन्ध में कह सकता हूं नहीं रखा गया। पैमायश किसानों के सामने नहीं की जाती। जो अफसर होते हैं मनमाने ढंग से नाप कर लगान की तरह से वसूल कर लेते हैं।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

किसान को पता भी नहीं चलता है कि उसके खेत पर कितनी मिट्टी उठी। मेरे जिले में जिन गांवों में भूमि संरक्षण कार्य पिछले साल हुआ है उसे देख कर कोई कह भी नहीं सकता कि कोई भी मेंड यहां पर बनायी गयी थी। मुजफ्फरनगर और मेरठ में जहां मुरादाबाद से मजदूरी ज्यादा है वहां ६०–७० रुपये प्रति सौ घनफुट के हिसाब से मिट्टी उठवायी गयी लेकिन मुरादाबाद जहां मजदूरी कम है वहां ८० रुपये प्रति सौ घनफुट की उठवा दी गयी गयी जबकि किसान चिल्लाता रहा कि मैं ५६ रुपये में करने को तैयार हूं। लेकिन किसान की नहीं सुनी गयी। कहा गया कि तुम टेक्निकल तरीके से नहीं कर सकते हो, टेक्निकल तरीके से ठेकेदार ही कर सकता है। माननीय मंत्री जी इस की जांच करवा लें। मैंने इसकी शिकायत भूतपूर्व कृषि मंत्री चौधरी शिवराजसिंह से की थी कि इसकी जांच करवायी जाय। या तो उस अधिकारी का बड़ा सौभाग्य है कि उस दरख्वास्त पर कुछ भी नहीं हो पाया। एक दरख्वास्त मैंने फिर दी है। उस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर जांच करवायेंगे। दूसरी बात मैं स्वायल कंजर्वेशन के बारे में यह कहना चाहूंगा कि जहां स्वायल कंजर्वेशन करते हैं वहां उस जमीन के लिये आपको सिंचाई के साधन के लिये प्राथमिकता देना जरूरी है। जहां मिट्टी उठाने के लिये रुपया देते हैं वहां सिंचाई के साधनों के लिये सघन स्कीम की तरह से रुपया दिया जाय। बिजली के लिये प्रायरिटी दी जाय। सरकारी ट्यूबवेल के लिये प्रायरिटी दी जाय। वहां जो जमीन ऊंची नीची हो जाती है उसके लिये लेविलर दिये जायं जो जमीन को एकसार कर दें। किसान के खेती से वह मिट्टी उठा कर चले जाते हैं, दो गज जमीन इधर से और दो गज उधर से जमीन गहरी करके चले जाते हैं और बजाय जमीन एकसार करने के जमीन ऊंची नीची हो जाती है और किसान का लेबर व्यर्थ जाता है मिट्टी को एकसार

[श्री नौनिहाल सिंह]

करने में। इसमें मुख्य रूप से मेरा निवेदन है कि स्वायल कंजर्वेशन का कार्य करते हैं तो प्राथमिकता बिजली तथा सिंचाई के साधनों के लिये दें।

दूसरी बात मैं कृषि मंडियों के बारे में कहूंगा। प्रदेश में इस समय २५० मंडियां और २५० सहायक मंडियां हैं। इस ऐक्ट को लागू हुये लगभग ३ वर्ष हो गये किन्तु आज तक प्रदेश में ७९ मंडियां विनियमित हो पाई हैं। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिये मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम इस वर्ष अधिक से अधिक मंडियां विनियमित कर दें ताकि उनसे किसानों को फायदा पहुंच सके।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। सरकार का जनरल कानून बना हुआ है कि जिस अफसर को अधिक समय हो गया हो उसको तबादला कर दिया जाय। शिकायतें होने पर भी ट्रान्सफर कर दिया जाता है। मैं एक अधिकारी के विषय में निवेदन करूंगा कि बरेली जिले में एक ए० डी० ओ० एग्रिकल्चर, श्री केशव सिंह हैं जो १३ साल में बरेली में मुकर्रर हैं। ट्रान्सफर जिले से हुआ, रीजन से हुआ और लखनऊ से हुआ लेकिन रुक जाता है। बार-बार शिकायतें भी उनके खिलाफ आई लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि उनको नहीं हटाया गया। मंत्री जी इस पर जरा ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि अनुदान पर मंत्री जी का भाषण बहुत ध्यान से सुना और उतने ही ध्यान से मैंने शिव राज सिंह का भाषण सुना।

श्री हरिनाथ तिवारी—

इस दफा टर्न जनसंघ का था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह भूल हो गयी।

श्री जगवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य आशावादी तथा निराशावादी हुआ करता है। मैं जीवन में आशावादी हूं लेकिन हमारे प्रदेश में कृषि विभाग कुछ कर पायेगा इस प्रदेश के लिये इस मामले में मैं पूर्णतया निराशावादी बन गया हूं। उपाध्यक्ष महोदय जब मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक दफा बड़े प्यार से गुस्सा दिखाया और कहा कि मैं आपको स्वायल के बारे में समझा रहा हूं, आप उसे समझिये। भगवान के यहां भी क्या अन्याय है कि जिस व्यक्ति को किसी डिग्री कालेज का लेक्चरार होना चाहिये था वह यहां मंत्री बनाकर बिठा दिया गया। मुझे एक शेर याद आता है इस पर :—

पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत
जाफ की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के अलावा और भी कई सदस्यों ने अधिक अन्न उत्पादन का जिक्र किया। हम सब लोगों को भ्रान्ति पैदा हो गयी है। ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पर सबको भ्रम हो गया है कि हमने इतनी पैदावार बढ़ा दी है, इतना आगे कृषि में बढ़ गये हैं कि हमने टार्गेट्स एचीव कर लिये हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। हमें देखना होगा क्या कृषि में जैसा हम कहते हैं वैसी ही हमारी तरक्की करने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रफ्तार है जो और विभागों में हमारे प्रदेश के है। यह सब बेइमानी है आप स्टेटिस्टिकल डायरी में सफा ३९ पर आंकड़े दिये हुये हैं उनको देखें, उसमें दिया हुआ है कि सन् ६०–६१ में में ६०.९ प्रतिशत कृषि से आय होती थी। तो आय जो हमारे प्रदेश की है उसको ६० प्रतिशत लाभ कृषि से होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह १९६१–६२ में ५९.०६ और इसी प्रकार ६९–७० में ५६.०५ रह गया। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में कृषि से आय के मुकाबले में हमारी आय घटी हो और फिर हम कहें कि हमारी इतनी तरक्की कृषि में हुई है तो मैं इसे न्यायसंगत बात नहीं समझता हूं। इसलिये हमें अपने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में तरक्की करनी होगी, इसके लिये सोचना होगा कि हमको उसकी प्रगति के लिये क्या–क्या उपाय करने होंगे। यहां पर माननीय मंत्री जी ने इसका बड़ा गुणगान गया है कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि वह प्रदेश जो कृषि प्रधान हो जिसको यह सौभाग्य प्राप्त हो कि वह देश के १/५ हिस्से में हो, उसमें कृषि क्षेत्र में क्या-क्या अचीवमेंट हुये हैं गेहूं के क्षेत्र में।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि हमारा प्रदेश बहुत सारे देशों की तुलना में पीछे और इस प्रदेश का नम्बर ७वां है। तो जब आपका ७वां नम्बर है आपके आगे हरियाणा है आपके आगे पंजाब है, आपके आगे उड़ीसा है और बहुत से प्रदेश आपसे आगे हैं तब आप कहने लगें कि आपके यहां कृषि में उन्नति हुई है, पैदावार बढ़ी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका क्या पैमाना है? आपने क्या पैदा किया है? आपकी प्रति एकड़ पैदावार क्या है अन्य प्रदेशों के मुकाबले में। माननीय मंत्री जी को इसका जवाब देना होगा और यदि वे इसका जवाब देंगे तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वे लीपा-पोती करने के सिवाय और कुछ नहीं बता सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई माकूल जवाब माननीय मंत्री जी भी नहीं दे सकते हैं। आखिर में एक बात की जरूर तारीफ करना चाहता हूं कि हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, वह ठीक काम करता है। पंतनगर के जो बीज हैं वे अच्छे हैं, मैं इसे इन्कार नहीं करता हूं किन्तु इसके साथ ही साथ अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर भी आप देखें कि वे इस सम्बन्ध में क्या परिश्रम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहां पर किसानों की एक लम्बी कतार लगी होती है किन्तु आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसका प्रचार करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसको आपको सम्हालना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक गन्ने का सवाल है उसके सम्बन्ध में अभी आपका विभाग अच्छे किस्म का गन्ना पैदा नहीं कर पाया है। ३१२ का आपने २४५ और ११४८ जरूर कर दिया होगा किन्तु मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अच्छे किस्म का गन्ना अभी तक यहां पर पैदा नहीं किया गया है। इसके सम्बन्ध में आपको सोचना होगा और कैसे हम प्रदेश को ठीक तरह से आगे ले जांय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय मंत्री जी अपना भाषण कर रहे थे और उसके बाद माननीय शिवराज सिंह जी बोले। उनके सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंत्री जी उनसे भी कृषि के सम्बन्ध में सलाह ले लिया करें। आखिर वे भी तो कृषि मंत्री रहे हैं। वरन् उनकी शिकायत तो जायज ही है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे समय-समय पर सलाह ले लिया करें तो उनको तसल्ली हो जाय। उनका बोलना काबिले–रहम है मुझे तकलीफ होती है जब मैं अपने माननीय मित्र के सम्बन्ध में सोचता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं सोचता था कि कोई समाजवादी बातें, और ऐसी बातें जिससे उस गरीब की गरीबी दूर हो सके, जिससे इस प्रदेश के अन्दर समाजवाद आ सके, जिससे प्रदेश में समानता आ सके।

[श्री जगबीर सिंह]

मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब भी कृषि का सवाल पैदा होता है तो मैं उसे सीधे संबंध करता हूं गांव के रहने वालों से और चीजों का सवाल होता है तो सीधा संबंध शहर के रहने वालों से मानता हूं। आज भी एक और चार का अंतर गांव और शहर वालों की आमदनी में है। मैं समझता था कि अपने यहां कृषि बढ़ेगी तो गांव के रहने वालों की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन इसकी तरक्की क्या हुई ? मंत्री जी को एक बात की ओर ध्यान दिलाना होगा कि उन्हें देखना होगा कि किसान किस चीज को बोता है। हम चाहते हैं कि आप उसको मिनीमम इकोनोमिक फेअर प्राइस दें। अगर आपने इस बात का ऐलान किया होता कि आप किसान को मिनीमम इकोनामिक फेअर प्राइस देंगे तो आपका समाजवाद की ओर कदम बढ़ता। मुझे बड़ी निराशा हुई जब आपने इसका एलान नहीं किया।

मैं समझता था कि आप इस बजट में क्रौप इंश्योरेंस की बात कहेंगे। लेकिन उसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या बात है कि एक ओर तो समाजवाद का ढिंढोरा पीटना और दूसरी ओर उसके लिये कोई कदम न उठाना। इस तरह से आप किसान को कैसे यकीन दिला सकते हैं कि हमारा ध्यान तुम्हारी ओर है और हम तुम्हारी तरक्की करना चाहते लेकिन आपने ऐसा कोई एलान नहीं किया।

आपका ध्यान इधर जाना चाहिये। आज क्या होता है, चाहे केन्द्र का एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन हो या यू० पी० का कोई कमीशन हो लेकिन सबका ध्यान उपभोक्ता की ओर जाता है। यह तो ठीक है कि उपभोक्ता उचित मूल्य सामान मिले। लेकिन किसान के इनपुट्स का भी ध्यान रखना चाहिये और उसके अनुसार कीमत मुकर्रर करना चाहिये। क्या यह सही नहीं है कि आज फर्टिलाइजर्स की कीमत १०० प्रतिशत बढ़ गई है, क्या यह सही नहीं है कि हमारे प्रदेश में बिजली की दर अन्य प्रदेशों से बहुत ज्यादा है जो हम अन्य इंडस्ट्रीज को देते हैं, क्या यह सही नहीं है कि हमारी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। (लाल बत्ती होने पर।) मुझे ५ मिनट और दे दें, बड़ी कृपा होगी। अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। शुरुआत ही की थी। मंत्री जी ध्यान दें कि आज किसान के इनपुट्स की क्या कीमत है। और वह किस कीमत पर पैदा कर पाता है और जो उसकी आवश्यकता की चीजें हैं उनकी क्या कीमत है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पैरिटी इन होल सेल प्राइस और जो चीज यह परटेल में लेता है, उसकी कीमत में होनी चाहिये। क्योंकि एक साथ होलसेल में उसकी उपज बिक जाती है और रिटेल वह अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं करप्शन के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। वह जीवन का एक अंग बन चुका है। कृषि विभाग इससे ऊपर रह सकता है यह सोचना इसके साथ अन्याय करना होगा। जब दूसरे विभाग इससे ऊपर नहीं रह सकते हैं तो इसके ऊपर रहने की मैं आशा नहीं करता और लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपके पास ८४ हजार आदमियों की फौज है। आपका वास्ता गांवों से रहा हो या नहीं, आपका वास्ता जमीन से रहा हो या नहीं। लेकिन आपके कर्मचारियों का वास्ता सीधे-सीधे गांवों से रहना चाहिये। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को खेत पर जाकर देखने की फुर्सत होती है। सब से बड़ा गन्ने का खेत गांव में कौन सा है इसको आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर नहीं बता सकता। यह लोग सीधे सीधे फाइल का काम करेंगे। अगर मंत्री जी पहुंच जायेंगे तो उनकी खातिर तवज्जुह करेंगे और उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे। उनकी पार्टी का कोई एम० एल० ए० पहुंच जायेगा तो उससे बड़े ढंग से बात करेंगे। लेकिन जहां तक मैदान में जाने की बात है क्या आपके कर्मचारी मैदान में जाकर अपने काम को देखते हैं। तो आपके कर्मचारियों के मैदान में जाने का ध्यान रखना चाहिये।

आपने इनवेस्टीगेशन सेल के सिलसिले में एक बात कही थी। मैं चाहता हूं कि आप उसके अन्दर कायाब हों। लेकिन एक बात माननीय मंत्री जी से अवश्य कह देना चाहता हूं कि मुझे तकलीफ होगी अगर आपकी इन्वेस्टीगेशन से, इर्रीगेशन विभाग की सेल की भांति

हो गयी । कहीं ऐसा न हो कि सेल में उन लोगों को रख दिया जाय जिनके विरुद्ध दूसरे विभागों में इंक्वायरी चल रही हो, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के चार्जेज हों, जिन लोगों की इन्टीग्रिटी डाउटफुल हो । इस विंग में तो ऐसे लोग ही लिये जाने चाहिये जो अबव बोर्ड हों । यह आपने अच्छा कदम उठाया है । इससे अगर आप करप्शन को रोकना चाहेंगे तो अवश्य रोक लेंगें । बहुत हद तक आप करप्शन को कम करने में इसके द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।

गन्ने की बात कही गयी । गन्ने के सम्बन्ध में दो बातें कह कर मैं समाप्त करूंगा । जब मैं गन्ने की बात सोचता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है । हमारे प्रदेश में किसानों की यह एक कामर्शियल क्राप है । गन्ने के विभाग में करप्शन अगर सीमा पर नहीं तो किसी भी विभाग से कम नहीं है । इस विभाग में जो बेईमानी होती है वह किसानों के साथ सीधे-सीधे होती है और उसमें सरकार की साझेदारी होती है । मंत्री स्वयं इस बात को जानते हैं क्योंकि वे एक ऐसे जिले से आते हैं जहां गन्ने की पैदावार अच्छी होती है । जब किसान अपना गन्ना लेकर जाता है तो उसको अन्डर पेमेन्ट किया जाता है । चाहे कोई भी सरकार रही हो लेकिन वह इस चीज को नहीं रोक पायी । इसके बारे में मैं एक बात कहा करता हूं, उसको आज भी दुहरा देता हूं । जब विष्णु भगवान का तप पूरा होने लगा तो देवताओं ने सोचा कि इसको कैसे भंग किया जाय । उसके लिये उन्होंने अप्सराओं को लगाया । उन्होंने विष्णु के समाने नाचना गाना शुरू किया । उनके तप को खत्म कर दिया । इसी प्रकार से जब किसान देवता का तप पूरा होने को होता है । १२ महीने में जब गन्ने की पैदावार का उसका तप पूरा होने को होता है तो ये लोग उसके चारों ओर नाचते हैं और गलत पर्चियां देकर उसको लूट लेते हैं । इस संबन्ध में मंत्री जी केवल इतना कर दें कि चौथाई, पांचवां अथवा दसवां भाग कुल कांटों का, ओटोमेटिक स्केल कर दिया जायगा । हर फैक्टट्री में इस प्रकार से कर दिया जाय तो मेरा विश्वास है, यह तो मैं नहीं कहता कि बेईमानी बिलकुल समाप्त हो जायगी, लेकिन बेईमानी बहुत हद तक समाप्त हो जायगी । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने एक जापानी किताब में पढ़ा वहां६५ साल के बाद किसान को पेंशन दे देते हैं लेकिन आप अपने यहां किसान की फसल का बीमा भी नहीं कर पाते हैं । इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पी०एस०पी० का एक आदमी भी बोल नहीं पाया है । जो वक्ता बोल रहे हैं उन्होंने भी हमारे दल के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है । यह अन्याय है और आपके द्वारा भी अन्याय हो रहा है । अगर आपने सुबह से इस बात को बता दिया होता कि हमारे दल को मौका नहीं मिलेगा, तो सुबह से शाम तक परेड न करता । मैं निवेदन करता हूं कि आप मुझे ५ मिनट का समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अनुदान तो दो दिन का है । आप केवल पांच मिनट की बात कर रहे हैं ।

*श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और मैं समझता हूं कि ८०-८५ प्रतिशत लोग यहां कृषि करते हैं । लेकिन यह प्रदेश कृषि की दिशा में बहुत पिछड़ा हुआ है । क्यों पिछड़ा हुआ, कैसे पिछड़ा हुआ है यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामदेव]

कृषि के लिये खाद, बीज और पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। खाद की क्या स्थिति है, बीज की क्या स्थिति है और पानी की क्या स्थिति है और इन तीनों की स्थितियों में सरकार का क्या योगदान और सहयोग है यह एक बड़ा मूलभूत प्रश्न है। खाद की स्थिति ऐसी है कि आज रसायनिक उर्वरक का प्रयोग लोग ज्यादा करने लगे हैं और गोबर की खाद का प्रयोग कम हो गया है और रोटेशन आफ क्राप की जो प्रणाली थी वह भी धीरे-धीरे कम हो रही है। परिणाम इसका यह हो रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के फलस्वरूप धीरे धीरे कम होती जा रही है। सरकार को चाहिये कि कम्पोस्ट की खाद की ओर किसान को ज्यादा प्रोत्साहित करे और फसल के हेरफेर की ओर भी उसको ज्यादा प्रशिक्षित करे। लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। उर्वरक दिन पर दिन मंहगा होता जा रहा है। किसान उत्तर प्रदेश का इतना गरीब है कि इस मंहगे उर्वरक को न तो अधिक मात्रा में खरीद सकता है और न उसको प्रयोग ही कर सकता है। मेरे क्षेत्र में तो किसान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रसायनिक उर्वरक का प्रयोग करना उसने बन्द कर दिया है महज इसलिये कि यह रासायनिक उर्वरक अधिक मंहगा होता जा रहा है। इसके प्रयोग के फलस्वरूप जो फसल होती है उसमें कितनी शक्ति होती है, वह कितनी बीमारियों को बढ़ाती है उस पर तो मैं नहीं जाता लेकिन चूंकि वह उर्वरक बहुत मंहगा होता है इसलिये किसान उसको खरीदना नहीं चाहता। इसलिये मैं स्पष्ट निवेदन कर दूं कि अगर उर्वरक को आप सस्ता नहीं करते हैं तो आपकी सारी कृषि संबंधी योजनायें निरर्थक और बेकार हैं।

यही स्थिति पानी की है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन कितने अधिक कर दिये गये हैं यह प्रश्न है। पश्चिमी जिलों की चाहे जो स्थिति हो लेकिन पूर्वी जिलों की स्थिति का मुझे ज्ञान है और विशेषकर मुझे अपने जिले का ज्ञान तो है ही। वहां की स्थिति यह है कि जब मैंने राजनीति शुरू की थी १५–२० वर्ष पहले तब भी प्रतापगढ़ जनपद में ७० प्रतिशत भूमि असिंचित थी और आज भी ६५–७० प्रतिशत भूमि वहां असिंचित है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

दल बदलने के बाद भी इनको सफलता नहीं मिली। मैंने यह सोचा था कि दल बदलने के बाद तो प्रतापगढ़ में शायद पानी ही पानी हो जाय।

श्री रामदेव—

मैं तो दल बदलता ही हूं लेकिन विचार नहीं बदलता तुम्हारी तरह।

२४ वर्षों में केवल १४ ट्यूबवेल प्रतापगढ़ में लगे हैं जबकि दूसरे पार्श्ववर्ती जनपदों को बहुत ज्यादा कोटा मिला है। मैं समझ नहीं पाता कि प्रतापगढ़ को क्यों नहीं मिला। हमारा पार्श्ववर्ती जनपद जौनपुर है। जौनपुर में १९६९–७० में ३० नलकूप स्वीकृत हुये और ३१ बने। १९७०–७१ में ३५ नलकूप स्वीकृत हुये और ३४ बने। इसी प्रकार से इलाहाबाद में १९६९–७० में ६० नलकूप स्वीकृत हुये और ६० बने। १९७०–७१ में ६० स्वीकृत हुये और ६२ बने। सुलतानपुर में १९६९–७० में २० स्वीकृत हुये और १९ बने। १९७०–७१ में २५ स्वीकृत हुये और २३ बने। इसी प्रकार से अब आप देखें कि ६ स्वीकृत हुये और ९ बने। १९७०–७१ में १० नलकूप स्वीकृत हुये और केवल ५ बने। १९६९ के पूर्व एक भी टयूबवेल वहां नहीं बना। यदि इस प्रकार से यह पक्षपात की स्थिति चलती है तो प्रतापगढ़ की असिंचित भूमि किस प्रकार से सिंचित होगी और मैं कैसे मानूं कि कोई भी सरकार कृषि की दिशा में विकास करना चाहती है। यह एक बड़ा प्रश्न है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक बात मैं यह भी आपसे निवेदन करूं कि ६७–६८ में माननीय के०एल० राव, केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री वहां गये थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि प्रतापगढ़ जनपद को २०० ट्यूबवेल इसी वर्ष दिये जायेंगे। वह सारा जनपद असिंचित पड़ा हुआ है लेकिन आज तक उस आश्वासन का कोई भी परिणाम नहीं निकला। आज भी वही स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है।

हमारी सरकार ने कोई ट्यूबवेल उस जनपद को दिया हो यह मुझे जानकारी नहीं है। १०, ५ वर्षों में इन्होंने भी कुछ नलकूप दिये होंगे। इस ढंग से खेती की उन्नति नहीं हो सकती है।

अब मैं बीज के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बीज की स्थिति यह है कि सरकार की तरफ से जो बीज का वितरण होता है वह बहुत ही अनियमित रूप से वितरित होता है। जिस मास में वह वितरण होना चाहिये वह उस मास में नहीं होता है। उन दिनों वह वितरित नहीं होता है जिन दिनों उसकी आवश्यकता होती है। उन बीजों को ग्राम सेवक को देकर बटवाया जाता है। ग्राम सेवक के लिए यह होता है कि प्रत्येक ग्राम सेवक को चार पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष घाटा देना पड़ता है। वह उसको अपनी तनख्वाह से देता है। मैं आप से निवेदन करूं कि वह अपनी तनख्वाह से कैसे देता है। वह खाद में कुछ गोल माल करता है क्योंकि खाद बेचने की प्रक्रिया उसी के हाथ में होती है। किसी के नाम पर ज्यादा खाद लिख देता है और किसी के नाम पर कम लिख देता है। कोई किसान जब खाद नहीं लेता है तो वह दूसरे के नाम में दिखा देता है। इस प्रकार वह कुछ रुपया प्राप्त कर लेता है तो उसको उस घाटे में पूरा करता है। खाद, बीज और पानी की स्थिति बड़ी भयंकर है।

सिंचाई के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की स्थिति यह है कि कभी समय पर नहरों से पानी नहीं मिलता है। हमारे क्षेत्र में जो नहर गई है जब पानी की आवश्यकता होती है तो उनमें जलप्रवाह नहीं होता है, पानी नहीं आता है। जब आवश्यकता खतम हो जाती है तब पानी आता है। इस प्रकार से सिंचित को असिंचित और असिंचित को सिंचित लिख दिया जाता है तो इसका परिणाम यह होता है कि नहरी लगान वसूल कर लिया जाता है। अगर कोई किसान आपत्ति करता है, या कोई प्रधान आपत्ति करता है या जनप्रतिनिधि कोई आपत्ति करता है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमें चलाये जाते हैं। ये फर्जी मुकदमें इस ढंग से चलाये जाते हैं कि रिपोर्ट आपने कर दी तो मुकदमा चल गया। नहर विभाग से कौन मालूम करने जाय। विभाग की अपनी अदालत है। कोई गवाही की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। आपके विभाग के पतरौल और अमीन ने जो कह दिया वही मान लेते हैं और किसानों पर जुरमाना लाद दिया जाता है। यह जो स्थिति है वह बड़ी भयंकर है। अगर यही स्थिति चलती रहती है तो मैं नहीं समझता कि कृषि का विकास कैसे होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कृषि का विकास नहीं हो रहा है। सरकारी डिमांस्ट्रेशन में भले ही कहीं कृषि का विकास समझा जाता हो। एक बिस्वा, २ बिस्वा में कृषि विकास समझा जाता है, गमलों में पौधे लगाने को कृषि विकास समझा जाता है लेकिन वास्तविक विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अब किसान खेती पर अधिक ध्यान देना चाहता है, अधिक खेती वह करना चाहता है, यह सही है कि वह स्वयं अब अधिक उत्पादन करना चाहता है लेकिन वह अधिक उत्पादन कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको वांछित संसाधन नहीं दिये जा रहे हैं। जब तक उसको सिंचाई के साधन नहीं दिये जा रहे हैं, सम्पूर्ण रीति से उसकी मदद नहीं की जाती है। जब तक एक फसली भूमि को दो फसली, दो फसली भूमि को तीन फसली नहीं बनाया जायगा और जो भूमि खेती योग्य है लेकिन वहां सिंचाई के संसाधनों का अभाव है और इसी कारण से वह अच्छी खेती नहीं कर पाता है, वहां खेती करना सम्भव नहीं होता। आप नारा भले ही दें और उत्तम खेती की कल्पना भले ही करें लेकिन जो खेती का विकास होना चाहिये वह हो नहीं रहा है। अगर हमारे प्रदेश में कृषि का विकास नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश का विकास कतई भी किसी दिशा में नहीं हो सकता है क्योंकि न तो यहां कोई उद्योग हैं न कोई दूसरे कारोबार हैं और अगर कोई कारोबार यहां है तो वह केवल कृषि का ही

[श्री रामदेव दुबे]

है। उसकी ओर भी अगर सरकार इस ढंग से उदासीनता बरतती रही तो हम सही मानों में विनाश के कगार पर खड़े हो सकते हैं और यहां एक दिन ऐसा आ सकता है जब यहां भोजन और खाद्य की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कृषि अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम ५६.....व्यवधान.....

*श्री भाभी यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो प्रस्ताव और अनुदान पेश किया है और उस पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। आप कल बोलियेगा .....

श्री भाभी यादव—

केवल ५ मिनट में ही मैं समाप्त कर दूंगा। मेरा कहना यह है कि यह पूंजीवादी प्रस्ताव है और समाजवादी नहीं है। या आप कल मुझे लगातार समय दें अब मैं समाप्त किये देता हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने ५ मिनट में समाप्त करने को कहा अब आप ५ मिनट में आज ही समाप्त कर लें। हमने मना किया फिर भी आप बोले जा रहे हैं। अब आप आज ही ५ मिनट में समाप्त कर लें।

श्री भाभी यादव—

दस मिनट दे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं। आप अपने कहने के अनुसार ही ५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री भाभी यादव—

हमारा यह प्रदेश और देश कृषि प्रधान है। यह पहले से ही यहां की परम्परा है और आज की कोई यह नई बात नहीं है। लेकिन २२, २३ साल की कांग्रेसी सरकार ने और जो यह मौजूदा सरकार है इसने जो भी काम किये हैं उनमें बड़े फार्म और बड़े-बड़े किसानों के हित की रीति नीति अपनाई है जबकि इस प्रदेश में ८० प्रतिशत छोटे गरीब भूमिहीन और खेतिहर किसान है, जो खेतिहर किसान हैं, जो मजदूर किसान हैं उनका जीवन निर्वाह खेतों से ही होता है लेकिन हाय रे यह पूंजीपति पोषक सरकार, इसने कोई परवाह छोटे गरीब किसान की नहीं की। आज लोग देहातों में कहते हैं कि इस २२–२३ साल में छोटे किसानों के लाभ के लिये इस पूंजीवादी सरकार ने कोई काम नहीं किया। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, चाहे बिजली लगान की बात हो, चाहे नलकूप की सुविधा की बात हो, चाहे अच्छे बीज की, अच्छे खाद की सुविधा की बात हो, चाहे रासायनिक उर्वरक की बात हो किसी भी सुविधा को गरीब किसान तक नहीं पहुंचाया गया। आज चाहे हमारे सदस्य इस पक्ष में बैठे हों या सरकारी पक्ष में बैठे हों वह अधिकांश देहातों से ही चुनकर आते हैं और उन ८० प्रतिशत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोटे लोगों के ही अधिकतर प्रतिनिधि यहां हैं लेकिन हमें सबको शर्म आनी चाहिये और इसमें जरा सी भी हिचक नहीं होनी चाहिये इस बात को मानने में कि हमने उनके लिये कुछ नहीं किया है। जब तक छोटे किसानों की हालत नहीं सुधरेगी, जब तक उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जायगा तब तक उन गरीबों को भर पेट भोजन और तन के लिये कपड़ा नहीं मिलेगा और न उनकी माली हालत सुधर सकेगी। यह बात किसी से छिपी नहीं है।

आज सारे प्रदेश के लोग, सारी जनता इस बात को जानते हैं कि सारा पैसा इस प्रदेशीय सरकार का या तो इन्तजाम म या भ्रष्टाचार म खत्म हो जाता है लेकिन छोटे किसानों के लिये एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। श्रीमन्, मैं आजमगढ़ जिले का रहन वाला हूं, जो पिछड़ा हुआ इलाका है और जिसके लिये पटेल आयोग कायम किया गया था लेकिन वह भी समाप्त हो गया है। हमारे जिले की सारी जनता बार-बार यह कहा करती है और आपको इसी से पता चल जायेगा कि वहां की जनता ने गत इलैक्शन में कांग्रेस को बुरी तरह से पराजित किया और विरोधी दल की ओर से तीन चौथाई लोग चुनकर आये। वहां की जनता कहती है कि यह सरकार २२–२३ साल से गरीबों को तड़पा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक सरकार की ओर से किया क्या गया? सरकार की ओर से जो भी उन्नतशील बीजों का वितरण, कीट नाशक दवाइयों और कृषि यंत्रों का वितरण जो हुआ वह किस को मिला। यह सब बड़े बड़े फार्म वालों को और बिरला जैसे व्यक्तियों को मिला जिनकी ४५ हजार एकड़ जमीन है।

हमारे प्रदेश में जिनके पास २ या १ १/२ हजार एकड़ के बड़े-बड़े फार्म हैं उनको ही सारी सुविधायें दी गयीं, बेचारे गरीब किसानों को क्या मिला? उनकी हालत आज यह है, जिसको हमारे कृषि मंत्री भली भांति जानते हैं कि न खाने को अनाज है और न पहनने को कपड़े हैं। इनके विभाग से संबंधित मंत्री सिंचाई और विद्युत् मंत्री हैं लेकिन तीनों ईमानदारी से कहें कि क्या इन तीनों में इत्तिफाक है, क्या ये तीनों एक साथ नीतियां सोचते हैं और छोटे किसानों को सुविधा देते हैं। श्रीमन्, मेरे जिले में किसानों के पास न एक आना है और न एक दाना है तो कैसे वे बुवाई करेंगे? मैं चाहूंगा कि हमारे कृषि मंत्री जी छोटे और गरीब किसानों को बीज देने की व्यवस्था करें, खाद देने की व्यवस्था करें, सारी सुविधाओं को दें लेकिन यह सरकार नहीं दे पायेगी। इसने सारे रोजगार को अपने हाथ में ले रखा है, बीज को बेजा मंहगा कर रखा है, खाद को बेजा मंहगा कर रखा है, कृषि यंत्रों को बेजा मंहगा कर रखा है और सारे रोजगार को अपने हाथ में ले रखा है। इस सरकार ने गरीब किसानों को न कोई अनुदान, न कोई छूट और न कृषि बढ़ाने के लिये कोई साधन ही दिया है। जैसे पूंजीपति रोजगार करते हैं वैसे ही यह सरकार करती। सारा धन यह सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों में खर्च करके भ्रष्टाचार फैला रही है।

हमारे माननीय मन्त्री जी एक गरीब परिवार के हैं, यह बात आज किसी से छिपी नहीं है उन्हें गरीब लोगों की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। हरिजनों की स्थिति तो और भी भयावह है। आज तक जमीन की सीमा क्यों नहीं बांधी गयी? बंटवारा क्यों नहीं हुआ? अगर किसानों की कोई चीज पैदा होती है तो भाव सस्त हो जाते हैं लेकिन मिलों में जो चीज बनती है, उसके भाव मंहगे हो जाते हैं। यह पूंजीपति, जो अपने को समाजवादी सरकार बनती है, मैं साफ बता दूं कि अब चलने वाली नहीं है। अब जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, रूपये और पैसे के बल पर यह राज्य चल नहीं सकता है। ईमानदारी का मुल्क बनेगा। पैसे वालों की, पूंजीपतियों की, बड़े खेती वालों की, बड़ी तन्ख्वाहवालों की, और बड़े भ्रष्टाचारी मंत्रियों की इज्जत घटेगी। ईमानदार जो इधर के समस्त सदस्य हैं, उनकी इज्जत भविष्य में बढ़ेगी

[श्री भाभी यादव]

तब असली समाजवाद प्रदेश में आयेगा। जब तक भ्रष्टाचारी की इज्जत रहेगी, बड़े और पूंजीपतियों की इज्जत रहेगी, तब तक देश और प्रदेश में समाजावद नहीं फैल सकता है और पनप सकता है। समाजवाद नहीं बढ़ेगा। इन शब्दों को कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव आया है उसका घोर विरोध करता हूं और हाय रे, समाजवाद, हाय रे, सरकार, अब यह कहने वाला हूं कि मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५६ के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुईं। श्री हिम्मत सिंह, श्री हरिनाथ तिवारी, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री राममनिहोर राय तथा श्री त्रिवेणी सहाय ने सूचित किया है..

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं और दोनों अस्वीकार की गई हैं। नियम ५१ के अन्तर्गत सभी सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक नई परम्परा कायम की है। मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने भाभी भाई को जबरदस्ती बोलने का अवसर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने स्वच्छया से दिया है। जबरदस्ती नहीं दिया। मैंने उन्हें पांच मिनट दिये हैं

श्री सुखपाल पांडेय—

कल मैं इसी ढंग से समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसी ढंग से समय निकालने का क्या अर्थ है? मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस संगठन के ३०, भारतीय क्रान्तिदल के २९, जनसंघ के २० और सोशलिस्ट पार्टी के १० बोलेंगे तब आपको मौका मिलना चाहिये।

श्री सुखपाल पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मार्च से आज तक आपने कब समय दिया?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस तरह से सदन को आपके हवाले नहीं कर सकता। आप बाहर निकल जायं। आप निकल जायं बाहर....मैं मार्शल को कहता हूं कि आपको बाहर निकालें।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप इतने.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई सदस्य मुझसे इस तरह नहीं कह सकता है।

श्री सुखपाल पांडेय—

इस तरह से मैं इसको बरदाश्त नहीं कर सकता। आपको नाराज होकर अपने आसन का प्रभाव नहीं डालना चाहिये। आप अपने गुस्से का प्रभाव डालना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बाहर जाइये।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैं आपके गुस्से पर नहीं जाऊंगा। आप अपने आसन का पालन करा सकते हैं, गुस्से का नहीं।

(तत्पश्चात् मार्शल के वहां तक पहुंचने पर श्री सुखपाल पांडेय अपने आप सदन के बाहर चले गये।

इटावा में हरिजनों की जमीन जबरदस्ती छीने जाने, उनसे रिश्वत लेने तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, वंशीधर पांडे तथा अमर नाथ दुबे द्वारा, जिला इटावा में हरिजनोंकी जमीन जबरदस्ती छीना जाना, उनसे रिश्वत लेने तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में, प्रस्तुत किये गये अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य देन को खड़ा हुआ हूं। पहल जिलाधिकारी, इटावा से रिपोर्ट मंगाई गई और फिर आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल से मंगाई गई, उनकी रिपोर्टों से यह ज्ञात हुआ कि ग्राम परतापनेर परगना व जिला इटावा में आबादी के पट्टे प्रधान द्वारा किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें हुई थीं। एक शिकायत यह की गई थी कि प्लाटों को निलाम नहीं किया गया और उन्हें प्रचलित दर से कम १० रुपये प्रति डेसीमल पर दिया गया जिसे ग्राम सभा को आर्थिक हानि हुई। दूसरी शिकायत यह की गई कि उक्त मौजे में प्लाट सवर्ण लोगों तथा अपनी बिरादरी के लोगों (लोधी राजपूतों) को दिये गये और अनुसूचित जाति के सदस्यों को नहीं दिये गये। इन शिकायतों की जांच तहसीलदार द्वारा की गई जो परगनाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत हुई थी। आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल ने भी भूमि प्रबन्धक समिति के कार्यवाही रजिस्टर को देखा जिस से ज्ञात हुआ है कि भूमि की निलामी में कोई बोली नही बोली गई क्योंकि गांव वालों में आपसी समझौता हो गया था। अतः भूमि प्रबन्धक समिति ने सर्व सम्मति से गांव सभा मैनुअल के परा ६० (२) के अन्तर्गत १० रुपया प्रति डेसीमल नजराना निश्चित कर के प्लाट वितरित किये। इस सिलसिले में यह आरोप कि पट्टे देने में अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर एक सप्ताह में १०,००० रुपया वसूल किया गया स्पष्टतः आधारहीन है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं, अभी वक्तव्य पढ़ा जा रहा है।

श्री रामकरन सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है.....

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

ग्राम परतापनेर में भूमि प्रबन्धक समिति ने ७३ आबादी के प्लाटों के पट्टे गत वर्ष दिये । यह पट्टे नगला देवीपुरा, नगला इंद्रजीत, नगला महाजन, नगला हरजू, नगला चौगान, नगला निगौली और नगला हरचन्द्रपुर में लोधियों को दिये गये । इन नगलों में अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते । केवल विक्रमपुर व नगला चंद्रपुरा में अनुसूचित जाति के लोग हैं । विक्रमपुर के तीन प्लाटों पर हरिजनों और धानुकों ने छप्पर डाल कर कब्जा कर लिया था । इन प्लाटों का पट्टा भी भूमि प्रबन्धक समिति ने दूसरे लोगों को दे दिया था परन्तु उक्त अनुसूचित जाति के सदस्यों के कब्जे के आधार पर पट्टे की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा स्थगित कर दी गई थी जो अभी भी स्थगित है ।

नगला विक्रमपुर में चार प्लाटों पर अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों के विरुद्ध लेखपाल ने धारा १२२-बी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट की है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार इटावा के न्यायालय में वाद चल रहे हैं । अतः प्रतिवादियों को अपनी बेदखली के विरुद्ध एतराज न्यायालय में ही देना चाहिये । यह मामला सबजुडिस है ।

ग्राम रानीपुर, परगना भरथना तथा बिड़ोरी, परगना औरैया के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट शिकायत नहीं की गई है । ग्राम रानीपुर के कुछ लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया था । गत वर्ष वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये जाने के फलस्वरूप उन लोगों का भूमि जोतना बन्द हो गया । इस बात का प्रयत्न किया गया कि रानीपुर के आसपास गांव में गांव सभा की भूमि उन लोगों को दिला दी जाय लेकिन वे लोग दूसरे गांवों में जाकर बसने को तैयार नहीं हुए ।

जिलाधिकारी द्वारा गांव जा कर हरिजनों को पिटवाये जाने की शिकायत की गई है जो अस्पष्ट है । शिकायत में यह नहीं कहा गया कि किस ग्राम की बात है, किन हरिजनों को और कब पिटवाया गया । फिर भी आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को २० अगस्त, १९७१ को मौके पर जाकर जांच करने हेतु लिखा गया । परन्तु अस्वस्थता के कारण वे जिला इटावा नहीं जा सके और जिले से संबंधित अभिलेख मंगा कर अपनी रिपोर्ट तथ्यों के विषय में भेजी है । वैसे जिलाधिकारी ने इस आरोप को असत्य बताया है ।

शासन अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की ओर स्वयं जागरूक है । उनको खेती के लिये जमीन मिल सके इसको ध्यान में रख कर भूमि के आवंटन के तारतम्य में उन्हें ऊंची प्राथमिकता प्रदान की गई है । उन्हें आबादी के लिये जमीन मिल सके इसको ध्यान में रख कर हाल ही में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं जिसके अनुसार आबादी के स्थलों का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति, परगनाधिकारी की पूर्व अनुमति से कर सकती है । इसमें यह प्राविधान भी किया गया है कि यदि भूमि प्रबन्धक समिति इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन करने में तत्परता न बरत रही हो तो परगनाधिकारी को भी आबादी स्थल हेतु भूमि आवंटन करने का अधिकार होगा ।

सर्वश्री भारत सिंह चौहान, सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा घासी राम जाटव द्वारा यह सूचना दी गई है कि इटावा जिले के ग्राम रानीपुरा, पसिया, बिड़ौरी व बिठौली के हरिजनों व पिछड़े वर्ग के काश्तकारों की जमीनों को वन विभाग द्वारा जबरदस्ती छीना जा रहा है । इस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही उपलब्ध होगी उसके बारे में भी सदन में वक्तव्य दे दिया जावेगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

उपाध्यक्ष जी, हरिजनों की जो बात है,वह तो मैं पूछूंगा ही,परन्तु मैं आपका ध्यान मन्त्री जी के वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि जिलाधीश के द्वारा ज्यादती नहीं की गयी। जांच तहसीलदार द्वारा की गयी। श्री अतरसिंह, प्रधान, ग्राम प्रतापनेर को २५-८-७० को निलम्बित किया गया और २९ अगस्त, १९७० को बहाल कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी जल्दी उनको क्यों बहाल कर दिया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सवाल ऐसा था कि अगर मालूम होता तो बता देते।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

यह तो प्रधान के मुताल्लिक है।

श्री उपाध्यक्ष--

जितना निर्दिष्ट हुआ था उतनी सूचना दे दी गयी। अब और सूचना मांगेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मन्त्री जी को पता है कि महाबीर, महाजीत व बाबू, निवासी ग्राम नगला छज्जू ने जिलाधीश के सामने बयान हल्फी दिये हैं कि १५० रु० प्रधान और तहसीलदार ने लिये और रसीद ४० रु० की दी है।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)--

मन्त्री जी ने तो बड़ी सफाई से वक्तव्य पढ़ दिया। यह सही है कि ऐक्ट में प्राविधान है कि हरिजनों को और भूमिहीनों की जमीन दी जाये, परन्तु उसके मुताबिक कहां काम हो रहा है ? आपने कमिश्नर को आदेश दिये, परन्तु वे बीमारी का बहाना लेकर नहीं गये और शिकायत थी जिलाधीश के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी स्वयं इस रिपोर्ट से संतुष्ट थे ? जब वे सन्तुष्ट नहीं थे तब इटावा में जाकर देखते कि कहां पर गलत पट्टे हुये हैं और गलत पट्टों को कटवा कर अपने सामने हरिजनों को जमीन दिलवाते।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

अगर कहीं पर कोई गलती हुयी है या अनियमिततायें बरती गयी हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री राम करन सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

बिक्रमपुर गांव में हरिजनों की झोपड़ियां लगी हुयी थीं। क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज की जमीन उन लोगों को न देकर दूसरे गांव के निवासियों को अलाट कर दी गयी और उन हरिजनों के खिलाफ, जो कि अपनी झोंपड़ी लगाये हुये थे, सन् १९७१ में अदालत में कार्यवाही की गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह एलीगेशन है कि हरिजनों को पीटा गया और वह भी अधिकारियों के द्वारा। क्या मन्त्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जिन हरिजनों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है उनको संरक्षण मिलेगी और उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचायी जायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, कोई हानि नहीं पहुंचायी जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि इस मामले की जांच तहसीलदार ने की और परगना हाकिम के माध्यम से कलेक्टर तक रिपोर्ट पहुंच गयी। यह भी है कि कमिश्नर ने ग्राम सभा का लेखा-जोखा देख लिया और सरकार को रिपोर्ट कर दी। जो प्रापर चैनल से चलने की बात है वह तो सारी विधिवत् हुयी है। इस बात को देखते हुये क्या सरकार इस संबंध में एक विशेष जांच बिठायेगी कि वहां के लोगों न हरिजनों के साथ ज्यादती नहीं की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, इसकी जांच कोई भी करे, लेकिन जांच का माध्यम तो ग्राम समाज के कागजात ही हैं। उन्हीं कागजों की मार्फत् जांच हो सकती है। अगर कोई माननीय सदस्य यह इत्तला देंगे कि फलां जगह पर गलती हुयी है तो उसको हम देख लेंगे। ग्राम समाज के जो कागजात हैं उनमें इन पट्टों के बारे में क्या लिखा है, वह देखा जा सकता है।

श्री बंशी धर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहता हूं कि आप स्वयं इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हैं, आपने ऐसा कहा है। जब कमिश्नर नहीं जाता है, कलेक्टर नहीं जाता है उस कार्यक्रम को करने, तो आप स्वयं क्यों नहीं उसको देख लेते हैं। हरिजनों की हामी भरी जाती है लेकिन सारे पट्टे गलत हो रहे हैं, उनको नहीं दिये जाते हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा —

मंत्री का काम पट्टे देना नहीं है, यह मुनासिब नहीं है कि वह जायें और पट्टे दें, वर्ना मुझे दिक्कत नहीं है। श्रीमन्, पिछली तारीख को मैंने कहा था कि मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं। कारण यह था कि मैंने पढ़ा था कि यह शिकायत थी कि हरिजनों को अधिकारियों ने पीटा है। मैं चाहता था कि इसकी जांच होना चाहिये कि उन हरिजनों को क्या कहना है ? जब आगे छान बीन की गयी तो पता लगा कि उनका गांव, नाम आदि नहीं लिखा है। चूंकि यह सूचना नहीं थी इसलिये यह संभव नहीं हुआ कि हम जांच करा सकें। अगर यह सूचना दी जाय कि फलां गांव में फलां आदमी को फलां अधिकारी ने पीटा है तो जांच करा लूंगा। मैं चाहता था कि जांच हो लेकिन नाम वगैरह न होने से ऐसा नहीं किया जा सका। मैंने यह मामला कमिश्नर को दिया था कि वह जांच करें। दुर्भाग्य से वह छुट्टी चले गये क्योंकि बीमार हो गये थे। अगर आप चाहेंगे तो दुबारा जांच करा लूंगा। तो श्रीमन्, अब मैं कमिश्नर से ही जांच कराऊंगा।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

गांव का नाम लिखा है। अभी मंत्री जी ने कहा कि मंत्री का यह काम नहीं है कि वह पट्टे दिलावे। मैं सूचना देना चाहता हूं कि हमारे देश में एक समाजवादी सरकार मद्रास में चल

रही है, वहां के मिनस्टर ने स्वयं जाकर गरीब हरिजनों को जमीन दिलवाई है। तो क्या मंत्री जी ऐसा यहां नहीं कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय --

वह भी मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

यह तो सुझाव है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी के पास रिपोर्ट आई है कि उनको इतना आतंकित कर दिया गया है कि वह किसी का नाम भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिये इन विशेष परिस्थितियों में वह स्वयं न जाकर क्या अपने उप मंत्री को भेजेंगे कि वह इसको जाकर देखें। मैं इसके सम्बन्ध में एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। जब डा० सम्पूर्णा नन्द की सरकार थी तो मेरे जिले में पुलिस ने अत्याचार किया था। उस समय उन्होंने अपने गृह विभाग के उप मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश को जांच करने भेजा था, तो आप को ऐसा करने में क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इन्क्वायरी के लिये कैसे जायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

कलेक्टर खिलाफ है, कमिश्नर बीमार है, तो क्या चीफ सेक्रेट्री या रेवेन्यू सेक्रेट्री जावेगा।

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कमिश्नर दो रोज, चार रोज, दस रोज बीमार रह सकता है, जिन्दगी भर बीमार नहीं रह सकता है, इसलिये उसके जरिये जांच करवा देंगे।

जिला बस्ती में एक विधायक के पुत्र तथा एक संसद सदस्य के सगे भाई द्वारा एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट को मारे जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से नियम ४९ की चर्चा आरम्भ करता हूं। जून के आखिरी सप्ताह में २८ तारीख को मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिनका नाम कलाधर शाही है, बस्ती से खलीलाबाद जा रहे थे। उनकी कार के आगे एक ट्रक जा रहा था। उन्होंने ट्रक से पास मांगा लेकिन ट्रक ने पास नहीं दिया। ट्रक ने आगे जाकर रोका। जब इनकी कार रुकी तो ट्रक से कुछ आदमी निकले और उन्होंने मुंसिफ को कार से घसीट कर पीटा। उनके ड्राइवर को भी पीटा गया। उनके खून निकल आया और २८ चोटें आईं। उन्होंने थाना खलीलाबाद में रिपोर्ट लिखाई। उस समय कुछ लोग वहां आ गये थे लेकिन मुल्जिमान के आने पर वे लोग आतंकित हो गये और उन्होंने किसी का नाम नहीं बतलाया। जब तस्दीक हुई तो पुलिस ने पाया कि उसमें एक विधायक के पुत्र और एम० पी० के भाई शामिल हैं। यह मालूम होने पर जो जांच हो रही थी वह शिथिल हो गयी। लखनऊ तक दौड़ भाग हुई और सारा ममला खटाई में डालने के लिए सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया गया। जब तक यह नहीं मालूम था कि उसमें किसका हाथ था तब तक तो पुलिस जांच करती रही

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

लेकिन ज्यों ही मालूम हुआ कि उसमें एक विधायक के पुत्र और एम० पी० के भाई का हाथ है तब किस की हिम्मत थी, चाहे सी०ओ० या एस० पी० कि वे जांच करते।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में असुरक्षा की स्थिति बढ़ती जा रही है। यहां की पुलिस अकर्मण्य हो रही है। कहीं बलात्कार के तो कहीं लूट जाने के केसेज रोज आते हैं। सरकार का भी डबल स्टैंडर्ड है। मोतीलाल देहलवी को थाने ले जाया गया और रिपोर्ट लिखी गयी क्योंकि वे विरोधी दल के थे। श्री कलाधर शाही के साथ जो व्यवहार हुआ वह अशोभनीय है और जो अधिकारी न्यायालय में बैठते हैं उनके लिए कानून दूसरा होगा और विधायकों के लिए दूसरा होगा तो इससे क्या स्थिति पैदा होगी। हो सकता है कि ऐसा समय आ जाय कि प्रदेश की सारी जुडिशियरी और मैजिस्ट्रेसी एक हो जाय तो उस हालत म क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें होना यह चाहिए था कि नियमानुसार जांच होती और पुलिस जांच करती। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी यह बतलायें कि सी० ओ० ने कब रिपोर्ट दी और एस० पी० कब मौके पर गये और सी० आई० डी० ने क्या कार्य किया है। इसी प्रकार मान्यवर, मैनपुरी के विधायक ने बस में से दरोगा को घसीटकर पीटा। आई० जी० मुख्य मंत्री जी के पास गये तो मुख्य मंत्री ने कह दिया कि हमको तो गवर्नमेन्ट चलानी है। सरकार स्पष्टीकरण दे और निश्चित पालिसी तय करें कि किस तरह से ला एण्ड आर्डर रहेगा और किस तरह से भले आदमियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। मैं चाहता हूं कि आज तक जो कार्यवाही सी० आई० डी० ने की हो उससे सदन को अवगत करायें।

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में...

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, द्विवेदी जी को उत्तर देने का अधिकार है। इसमें एक एम० पी० के भाई और एक विधायक के पुत्र द्वारा एक अधिकारी को मारपीट का जिक्र है। श्रीमन्, यह प्रश्न सदन में भी आया था और कुछ प्रश्न भी पूछे गये थे। फिर इस प्रश्न को नियम ४९ में उठाया गया और आपने कृपा करके इसको नियम ४९ में रखा। यह श्रीमन्, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बड़े महत्वपूर्ण आदमी शामिल हैं, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को आप यहां बुलवायें, वे ही इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम के अनुसार पहले प्रश्नकर्ता को समय दिया जाता है फिर मंत्री को संक्षिप्त भाषण के लिये समय दिया जाता है...

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब इतना है कि चूंकि इसमें जुडीशियरी के लोग इन्वाल्व हैं, आज जनता यह देख रही है कि विधान सभा के लोग किस तरह से कार्य करते हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि इसका उत्तर देने के लिये आप माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलवा लें। हम लोगों का तो स्पष्ट चार्ज है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ यह कुछ कर सकें। यह तो आई० जी० की चिट्ठी खाली पढ़ देंगे। जब तक माननीय मुख्य मंत्री नहीं आते, इस प्रश्न का निपटारा नहीं हो सकता। आप चाहें आधा घंटे की बहस करा लें, यह समय बरबाद जायेगा। (व्यवधान)

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, क्या आप की छत्रछाया में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप (श्री रामकृष्ण द्विवेदी से) उत्तर दें। जरूरत होगी तो माननीय मुख्य मंत्री आ जायेंगे।

श्री रामकरन सिंह--

उपाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी,...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपया बैठें। अव्यवस्था पैदा करने के लिये मैं समय नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मैं आपकी आज्ञानुसार निवेदन करूं, २५-६-७१ को मुंसिफ मैजिस्ट्रेट अपने साले और अपने कोर्ट मोहर्रिर तथा दो-तीन अन्य आदमियों के साथ गोरखपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक घटना हुई...

(व्यवधान)

श्री रामकरन सिंह--

मेरे बड़ा प्रयास करने के बाद भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपके विरुद्ध सदन का त्याग करूं।

(श्री रामकरन सिंह ने सदन का त्याग किया।)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

अभी-अभी मेरे एक साथी ने २५-६-७१ की घटना की चर्चा करते हुए पुलिस प्रशासन की भी चर्चा की है। मान्यवर, मैं मूल विषय के बाहर न जाकर, उनके सारे प्रश्नों के बारे में इस समय उत्तर नहीं देना चाहता, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा। हमारे कृष्णानन्द राय जी ने भी कहा है कि यह बड़ा गम्भीर मामला है। प्रशासन भी इसे गम्भीरता से ले रहा है। प्रश्न केवल मुंसिफ मैजिस्ट्रेट या विधायक के लड़के या एक खोंचेवाले और राजा का नहीं है, प्रशासन की निगाह में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी आदमी समान हैं और यही प्रणाली जनतन्त्र का आधार है। उस निश्चित तिथि को जो रिपोर्ट लिखाई गई, जो एफ० आई० आर० लिखाई गई उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया। एफ० आई० आर० में घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है कि मैजिस्ट्रेट अपनी कार में थे और उनके आगे एक ट्रक गुजर रही थी, जिससे उन्होंने पास मांगा, उसे पास देना चाहिए था, किन्तु ट्रक ने कई मील तक कार को पास नहीं होने दिया। फिर जब ट्रक एक स्थान पर रुकी थी उससे इन लोगों की काफी तू-तू, मैं-मैं हुई, काफी समझाने बुझाने की कोशिश हुई। आगे बढ़े तो एक स्थान पर फिर यह मारपीट हुई और रिपोर्ट के अनुसार उनको और उनके साथियों को मारा गया।

[श्री राम कृष्ण द्विवेदी]

इसमें दो गवाह हैं एक तो वह है जो विधायक के लड़के के खिलाफ एम० पी० का चुनाव लड़ चुका है और दूसरा गवाह वह है जो उनके राजनैतिक विरोधी सेठ का लड़का था। सारी बातों की छानबीन गम्भीरता से कराई जा रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। उनकी रिपोर्ट लिख ली गई, थानेदार और सर्किल अफसर घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने न तो किसी उदासीनता का परिचय दिया न ढिलाई का। बल्कि उन सारे लोगों के डाक्टरी मुआएने की व्यवस्था की गई, डाक्टरी मुआएना हुआ। जो बातें उठाई गईं कि पुलिस उदासीनता के कारण जांच नहीं कर रही है, वह गलत है, इसकी पूरी की पूरी छानबीन हो रही है। शिनाख्त, गिरफ्तारी के विषय में भी हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाए। एक साथी ने राजनीतिक दबाव के आरोप की चर्चा की है, इसमें मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रशासन सदा दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर अपने कर्त्तव्य का पालन करता है। मुलाजिमान के विषय में आप से आग्रह करना चाहता हूं यदि कहीं किसी प्रकार का दोष मिलता है सी० आई० डी० की जांच में, तो सी० आई० डी० की जांच के अनुरूप कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया, बड़े से बड़ा व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था की जायगी। दूसरी ओर यह भी निवेदन करूंगा, जहां यह गलत है कि किसी की गाड़ी रोक कर उसमें के लोगों को जबरदस्ती मारा जाए, मुंसिफ मजिस्ट्रेट होकर कोई व्यक्ति किसी कांट्रेक्टर की प्राइवेट गाड़ी लेकर कहीं जाए, यह प्रशासन और जनहित की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता।

जहां तक अन्य तथ्यों का प्रश्न है, माननीय सदस्यों ने जिन-जिन प्रश्नों को उठाया है, उनका हम सबका उत्तर देंगे। एक माननीय सदस्य ने देहलवी जी के प्रश्न को भी इसके साथ उठाने का का प्रयास किया है, उसकी जांच की बात कही गई। लेकिन वह प्रश्न इस प्रश्न से असंगत प्रतीत होता है। इसके लिए मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वह विषय की सीमा में रह कर ही इस विषय को उठाने की कृपा करें। नहीं तो विषयान्तर हो जाएगा। एक बात अन्य प्रकार के दबावों की भी कही गई, मैं नहीं समझता जब कोई भी थानेदार जाता है, सर्किल अफसर जाता है, मौका का मुआयना होता है, पुलिस अधीक्षक उचित समझते हैं कि इसको सी० आई० डी० को सौंप दिया जाए तो उस मामले को सी० आई० डी० को सौंप दिया गया तो इस केस में किस दबाव का कहां से इस्तेमाल हो गया। मैं समझता हूं अब उससे सम्बन्धित सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने के पहले यदि किसी प्रकार की कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब यह है कि सी० आई० डी० की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, इसका मतलब यह कि ये सारे सदस्य औचित्य के प्रश्न को न उठा कर एक पक्षीय दृष्टिकोण से बात करते हैं, जो उचित नहीं प्रतीत होता है। इसके साथ मान्यवर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि (व्यवधान) मान्यवर इन तथ्यों के साथ मैं अपने सम्मानित मित्रों को बतला देना चाहता हूं कि जो चर्चा उन्होंने उठायी है, उन तथ्यों की मैं छानबीन करूंगा और आप साथियों की ओर से जो भी प्रश्न आयेंगे उनके ऊपर भी प्रशासन जांच करके आपके सामने रखने की चेष्टा करेंगे। तब तक मैं आग्रह करता हूं कि हमारे एक-एक माननीय सदस्य सी० आई० डी० की पूरी रिपोर्ट के आ जाने तक प्रतीक्षा करें क्योंकि सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने पर ही उस पर निश्चित और आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि वक्तव्य में और जो भाषण दिया जाता है उसमें कोई अन्तर है या नहीं? और यदि अन्तर है तो यह माननीय उप मंत्री का भाषण था या वक्तव्य था?

श्री उपाध्यक्ष---

उनको मैंने टोक दिया।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि उसमें कुछ लोग मुल्जिम हैं और उनको वे जानते भी हैं उनका नाम भी दे चुके हैं तो क्या कारण है कि उनको गिरफ्तार फौरन नहीं किया गया ? क्या उनको गिरफ्तार करने में किसी प्रकार की कठिनाई आयी, या वे भाग गये ? अगर भाग गये तो उनके खिलाफ ८७–८८ की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

मान्यवर, श्री बांकेलाल जी की भावना का और आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसी प्रकार की आपकी दुर्भावना है । आपने जो बात कही है वह यह है कि एक मैजिस्ट्रेट ने शिकायत की है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मैं यह अनुभव करता हूं कि उनकी जो शिकायत उससे प्रतीत होता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है । मैं इतना ही कहता हूं कि इस मामले की जांच सी० आई० डी० कर रही और मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी सी० आई० डी० की रिपोर्ट आवेगी उसमें किसी प्रकार की भी न तो ढील की जायेगी और न किसी के साथ पक्षपात किया जायेगा और उसके ऊपर अविलम्ब कार्यवाही फौरन की जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की गम्भीरता को देखते हुए कि एक तरफ एक मैजिस्ट्रेट इनवाल्ड है और दूसरी तरफ इस माननीय सदन के एक सदस्य के सुपुत्र तथा एक संसद सदस्य इनवाल्ड है, इन दोनों चीजों को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि पुलिस और सी० आई० डी० एक्जीक्यूटिव के ही हाथ में है, क्या इस मामले को न्यायिक जांच में भेजन की कृपा करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

अगर माननीय सदस्यों को संतोष नहीं होगा तो उस पर भी हम विचार कर लेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने बतलाया कि एस० पी० मौके पर गये थे तो उन्होंने कोई रिपोर्ट गवर्नमेंट को लिखी थी कि किस कारण से वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सरकार इसकी तफतीश वहां की लोकल पुलिस से न करा कर सी० आई० डी० द्वारा इसकी तफतीश कराये ? यदि एस० पी० ने कोई रिपोर्ट तफतीश के लिये भेजी है तो वह रिपोर्ट सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

विषय को महत्ता और गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुए एस० पी० ने इसको सी० आई० डी० में भेजने के लिये रिकमेंड किया।

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप एस० पी० की रिपोर्ट पढ़वा दें, उससे सारा रहस्य खुल जायेगा । (व्यवधान) या तो वे सदन के सामने इस रिपोर्ट को पढ़ दें नहीं तो मैं उस रिपोर्ट को बतला देता हूं।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

उस रिपोर्ट को मैं पढ़ देता हूं। रिपोर्ट में यह चीज बतलायी गयी है कि उन्होंने कहा है, एक तरफ एक विधायक और एक एम० पी० का लड़का है, दूसरी तरफ मुंसिफ मैजिसस्ट्रेट है। इस सम्बन्ध में मान लें किसी के विरुद्ध निर्णय हुआ तो शायद समझे कि कोई निष्पक्षता नहीं बरती गयी है इसलिए उचित होगा कि इसकी सी० आई० डी० जांच कर ले। जहां तक मेरा खयाल है इस तरह की बात एस० पी० ने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

श्री कृष्णानन्द राय--

बातें छिपायी जा रही हैं। एस० पी० की रिपोर्ट पढ़ कर सदन में सुना दें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि एस० पी० ने लिखा है कि इसमें एक विधायक के पुत्र और संसद के एक सदस्य इनवाल्ड हैं लिहाजा लोकल पुलिस इतना साहस नहीं रखती है कि न्यायपूर्ण जांच कर सके। इसमें पोलिटिकल दबाव पड़ रहा है, लिहाजा इनक्वायरी सी० आई० डी० को दी जाय?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

दोनों का जिक्र किया है, मुंसिफ मैजिस्ट्रेट का और विधायक का।

श्री कृष्णानन्द राय--

दबाव पड़ रहा है यह एस० पी० ने लिखा है कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, यह बात लिखी है या नहीं?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

यह बात सच नहीं है जो माननीय कृष्णानन्द राय ने कही है। एस० पी० ने साफ कहा है कि एक ओर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट इनवाल्ड हैं, दूसरी ओर विधायक के पुत्र इनवाल्ड हैं, इस विषय की महत्ता और गम्भीरता को देखते हुए ताकि सारे तथ्यों की जांच करके सत्यासत्य निर्णय हो जाय, इस मामले को सी आई डी० को सौंप देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि यह चर्चा का विषय है बार बार प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। इसमें चर्चा की जानी चाहिए। मुझ से सारे सदस्य अनुभवी हैं। इस प्रश्न को क्वेश्चन आवर न बनाएं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मंत्री जी ने कहा है कि एस० पी० ने लिखा है कि एक तरफ विधायक के पुत्र और दूसरी ओर मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं इसलिए उन्होंने इसको गम्भीर बताया। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए एस० पी० को क्या अड़चन पैदा हुई कि उन्होंने सी० आई० डी० की रिपोर्ट के लिए लिखा।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

प्रशासन स्वयं इस मामले को इस दृष्टि से गम्भीर समझता है ताकि विपक्ष को और लोगों को प्रशासन के प्रति पक्षपात की आशंका न हो, प्रशासन पर किसी को सन्देह करने का अवसर न मिले इस दृष्टि से प्रशासन भी चाहता था कि इस मामले को सी० आई० डी० को दे दिया जाय।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)--

मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो कोर्ट मोहर्रिर मुंसिफ साहब के साथ गया था क्या छुट्टी लेकर गया था या बगैर छुट्टी के गया था?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या आदरणीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह वाकया कब का ह और जो विषम परिस्थिति के कारण सी० आई० डी० को सुपुर्द जांच करने के लिये किया गया है वह जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी जा सकती। इतना हमने लिखा है कि शीघ्रतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी रिपोर्ट आनी चाहिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि जो रिपोर्ट मुंसिफ साहब की तरफ से लिखायी गयी है उसमें स्वयं उन्होंने कहा है कि तीन मील तक पास मांगते रहे, ठेले ने हम को पास नहीं दिया, उसके बाद पास दिया। उन्होंने खुद कार रोक कर ड्राइवर से गाली गलौझ, तू–तू मैं–मैं की बात की। ठेले के अन्दर आठ दस आदमी बैठे हुए थे, जिसके नाम से बाद में रिपोर्ट लिखायी गयी थी वह लोग थे। उसके बाद भी तीन मील पास मांगा जब गाड़ी आगे निकल गयी तो फिर उन्होंने गाड़ी बाद में पीछे कर ली। यह देखते हुए उन्होंने गाड़ी पीछे कर ली, खलीलाबाद कस्बे में जाकर झगड़ा होता ह जो थाना है। पौने तीन घंटे रिपोर्ट में लग जाते हैं। ६–४५ पर घटना हुई और ९.१५ पर रिपोर्ट होती है पौने तीन घंटे के बाद रिपोर्ट होती ह और वहीं थाना है। इस चीज को सामने रख कर कि यह रिपोर्ट निराधार है इस पर फायनल रिपोर्ट लगा दी जाय और इंक्वायरी के बाद जो कुछ निकले, जो मुकदमा कायम हो उस पर सरकार विचार करने को तैयार है ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

माननीय सदस्य जब इधर बैठते थे तो रोज चिल्लाया करते थे। उधर चले गये हैं तो बदल गये। वह कत्ल करवा दें।

श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर जो जानकारी रखता हूं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी बीच में आज से 15 दिन पहले मुझे खलीलाबाद जाने का मौका मिला। वहां पर एक जुलाहा था जिसकी दूकान पर मैं कपड़ा देखने बैठ गया। उसने मुझ से पूछा कि मेरा नाम क्या है, कहां का रहने वाला हूं और क्या काम करता हूं ? मैंने उसे बतलाया कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूं, मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं विधान सभा का सदस्य हूं। उसी वक्त उस आदमी ने मुझ से कहा कि विधान सभा के सदस्य, पार्लियामेंट के सदस्यों के भाई व लड़कों की वजह से यहां पर किसी की इज्जत व आबरू बरकरार नहीं है। मैंने कहा क्यों तो उसने बतलाया. . .

श्री त्रिवेणी राय—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो एक स्पीच दे रहे हैं उसका इस विषय से क्या ताल्लुक है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य होने के बाद अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। माननीय सदस्य वहां गये थे और वहां जो वार्ता उनकी हुई उसमें किसी भावना से वह परिचित हुए उसको वह यहां परिलक्षित करते हुए प्रश्न कर सकते हैं कि क्या सच है, क्या हकीकत नहीं है।

श्री राम प्रसाद--

उसी वक्त उस आदमी ने मुझ से यह भी कहा कि आज से एक महीना पहले इसी सड़क पर जिस में एक-एक बालिश्त पानी तथा कीचड़ भरा हुआ था उसी जगह कार को खड़ा किया गया। पचासियों आदमियों ने उस कार को रोका और रोकने के बाद मुंसिफ, उनके साथ जो आदमी बैठे थे उनके साथ तथा उनकी बहिन के साथ बुरा व्यवहार किया गया। यह हालत है वहां की और यह भी बतलाया कि यहां पर इससे पहले एक आर० टी० ओ० को बुरी तरह से पीटा गया था। मामूली आदमी की क्या बात है, मामूली आदमी तो यहां इज्जत आबरू बरकरार रख ही नहीं सकता। माननीय द्विवेदी जी ने यह कहा कि यह मामला सी० आई० डी० को दे दिया गया है। माननीय द्विवेदी जी को यह तो मालूम हो गया कि वह मुंसिफ किस की कार पर बैठ कर गया था। वह एक कांट्रैक्टर की कार थी किन्तु वे यह नहीं मालूम कर सके कि उनको मारने वाला कौन था। बड़ी शर्म की बात है। इतना चिल्ला-चिल्ला करके हम लोग यहां पर कहते हैं किन्तु गवर्नमेंट इन्साफ नहीं करती है। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं जानना चाहता हूं कि इस मसले की गम्भीरता को देखते हुये सरकार इसे सी० आई० डी० को जांच हेतु न दे करके इसे सी० बी० आई० द्वारा जांच करायेगी क्योंकि मान्यवर, सी० आई० डी० पर भी प्रेसर पड़ सकता है यदि अधिकारियों के ऊपर पड़ सकता है तो।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने दीजिये और यदि कोई ऐसी बात होगी तो उसे भी देख लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मसला है और माननीय राम प्रसाद जी के कहने के बाद यह मसला और भी जटिल हो जाता है। अतः मैं चाहता हूं कि इसकी जांच सी० आई० डी० को न देकर सी० बी० आई० को देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो माननीय मन्त्री जी ने कह ही दिया है कि इस पर सी० आई० डी० द्वारा जांच (इन्क्वायरी) चल रही है और उस की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है...

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

तो मान्यवर, जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट आ जाय तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को इजाजत नहीं देता। जिसने प्रश्न उठाया था उसके अन्त में मंत्री जी ने जवाब दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट आ जायगी और यदि वह पक्षपात पूर्ण होगी तो उसका सही आगणन मांगने हेतु सदन सक्षम है वह आप के सामने आयेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में नहीं बोलना चाहता हूं.....मैं तो यह कह रहा था कि इस विषय पर तनिक विचार कर लें क्योंकि इस प्रकार के मसले इसी सदन में पहले भी आये। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि यह सत्य है अथवा असत्य है किन्तु कहना चाहता हूं कि आज श्रीमन्, की राय में कोर्ट में यह मैटर सब्जुडिस तो नहीं होता ? यदि होता है तो उन मामलों पर भी यहां पर चर्चा करना उचित है अथवा अनुचित है ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोर्ट में यह मामला अभी नहीं गया है। चार्ज शीट अभी नहीं गई है। सी० आई० डी० इस पर इंक्वायरी कर रही है।

श्री लक्ष्मीरमण अचार्य--

मान्यवर, इस प्रकार के मामले यहां पर भी और पार्लियामेंट में भी पहले आ चुके हैं... आगे के लिये इस सम्बन्ध में कोई निर्णय होना चाहिए। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि यदि मैटर इन्वेस्टिगेशन में भी हो तो भी वह सब्जुडिस होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर स्पष्टरूप से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी निर्णय हुआ था और मैं समझता हूं कि नियमानुसार यह मामला सी०आई० डी० की रिपोर्ट आने के बाद तुरन्त कोर्ट में दे दिया जाता है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है। जो आप ने बताया उस को हम ठीक नहीं समझते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

कोर्ट में भी होता है तो सदन उसके किन्हीं पहलुओं पर विचार कर सकता है।

(कार्यसूची के आइटम संख्या १५ पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह घटना खलीलाबाद.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

लखनऊ शहर में महात्मा गांधी मार्ग पर होटल क्लार्क अवध को सरकारी भूमि सस्ते दर पर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मुझे खेद है कि जो प्रश्न १७ अगस्त, १९७१ को विधान सभा के समक्ष उठाया गया था। अगर माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर टीक से और पढ़कर दे दिये होते तो उसमें आज सदन का समय न लगता। श्रीमन्, पहला जो प्रश्न था वह यह था कि क्या इस होटल को भूमि सस्ते दर पर दी गई ? मंत्री जी ने उत्तर दिया "नहीं"। फिर मंत्री जी से पूछा गया कि उसका बाजार मूल्य क्या था ? मंत्री जी ने अपने उत्तर में बगल की जमीन का हवाला दिया कि वह एक सिनेमा वाले को ५ रुपये २५ पैसे वर्ग फुट के हिसाब से दी गई है। वह बहुत पहले दी गई थी। मंत्री जी के हिसाब से ही इस जमीन की कीमत ६ लाख ८९ हजार ७१३ रुपये होती है। मंत्री जी के हिसाब से भी यह तथ्य प्रगट है कि यह नजूल की जमीन अवध होटल को सस्ते दर पर दी गई।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बार-बार मंत्री जी से पूछा गया कि जिलाधिकारियों की क्या रिपोर्ट थी। लेकिन मंत्री जी ने छिपाया। इस जमीन की रिपोर्ट जिलाधिकारियों से मांगी गई थी और जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने इस जमीन की कीमत करीब तिगुनी आंकी थी। जमीन लेने वाले कौन थे ? गरीब नहीं बल्कि बड़े-बड़े लोग हैं। इसके डायरेक्टर कृष्णा रमायन हैं, कोषाध्यक्ष इनके ही परिवार के सदस्य मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट के हैं, एक वीरेन्द्र कुमार हैं और चौथे बृजनारायण हैं जो क्लार्क होटल वालों के दामाद हैं। प्रदेश के बड़े लोगों ने एक मोर्चा बनाया और सरकार के ऊपर हावी हो गये। मंत्री जी ने इलाहाबाद के सदस्य को इंगित करके कहा कि कौन मुख्य मन्त्री थे। मंत्री जी ने कहा कि यह जमीन १९७० में नहीं दी बल्कि बहुत पहले ६४/६५ में दी गई। मैं समझता हूं कि उस समय वह आप के उप मुख्य मन्त्री के पद पर सुशोभित होंगे। उस समय दी गई है। हो सकता कि १९७० में जब आप के पास स्वायत्त शासन विभाग था तो आपने कुछ फारमेलिटीज पूरी की होंगी।

हमें पता लगा, कह नहीं सकते कि कहां तक सत्य है। लोगों ने कहा कि जितनी कीमत थी उसमें से ४ लाख रुपये चुनाव फंड में लिये गये और ४ लाख रुपये की छूट दी गई। यह हमें बताया गया। मंत्री जी ने कहा कि यह जमीन क्यों दी गई ? इसलिये दी गई कि लखनऊ में अच्छे होटलों की कमी है। लेकिन सारा प्रदेश समझता है कि लखनऊ में होटलों की कमी नहीं है। अगर वह नजूल की जमीन थी उस को किसी छात्रावास आदि के लिये दे दिया जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। जब संविद सरकार उनके पूर्व थी तो यह मामला स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री श्री रूपनाथ सिंह यादव जी के सामने आया था। कानूनी राय क्या थी। हमें इतना ही पता है कि माननीय रूपनाथ सिंह जी यादव ने कानूनी सलाहकार से राय ली और एडवोकेट जनरल से राय मांगी। और एडवोकेट जनरल की राय मांगने के बाद उन्होंने मुख्य मन्त्री जी को लिखा कि यह पट्टा कैंसिल कर दिया जाय। जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं उनसे उचित कीमत ली जानी चाहिये। उस समय श्री टी० एन० सिंह, मुख्य मन्त्री थे। उस पर उन्होंने नोट लगाया कि इसको कैबिनट के सामने पेश किया जाय इसलिये कि कैबिनेट के द्वारा ही उस जमीन को दिया गया था। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सन् १९६७ के बाद नजूल लैंड केवल नीलाम के द्वारा ही दी जा सकती थी। सरकार या और कोई उसको और किसी तरह से नहीं दे सकता था। मैं माननीय मंत्री जी से साफ तौर पर इस बात को पूछूंगा कि टी० एन० सिंह साहब ने जो कैबिनेट के सामने फाइल को रखने की बात कही थी, क्या उसको कैबिनेट के सामने रखा गया ? और जनता की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिये क्या उनको उचित मूल्य पर इसको दिया जायगा अथवा क्या इस पट्टे को कैंसिल कर दिया जायगा, माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी पहले संक्षेप में उत्तर देंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया जिसके कारण उन्होंने नियम ४९ के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाया। श्रीमन्, उस दिन उनको इस बात से शंका उत्पन्न हो गयी कि जिलाधीश से इस पर कोई राय नहीं मांगी गयी। मैंने उस दिन यह कहा था कि भूमि का मूल्य ५ रुपया २५ पैसा प्रति फुट के हिसाब से रखा गया था। मैंने जिलाधीश का उल्लेख इसलिये नहीं किया था यह इसमें दूसरे अधिकारी के द्वारा पत्रावली में दिखाया गया था। यद्यपि उन की राय जिलाधीश की संस्तुति के आधार पर ही थी। यदि आप की आज्ञा हो तो उसको मैं पढ़ दूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यदि आप लोग चाहते हों तो पढ़ दीजिये।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, डी० एम० ने यह लिखा है --

"आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या ६४-पी० ए०, दिनांक १३-१-१९७० के संदर्भ में निवेदन है कि प्रस्तावित भूमि के समीप सिवाय जहांगीराबाद पैलेस की भूमि के और किसी अन्य भूमि का विक्रय नहीं हुआ है। जिस कीमत पर जहांगीराबाद पैलेस की भूमि का विक्रय हुआ था वह मैं अपने पिछले पत्र में आप को स्पष्ट कर चुका हूं। पिछले तीन वर्षों में भूमि की कीमतें थोड़ी सी अवश्य बढ़ी हैं किन्तु छत्तरमंजिल के आस पास के क्षेत्र में न तो कोई नवीन निर्माण हुए हैं और न वहां नवीन भवन बनाने के लिये उपयुक्त स्थान ही उपलब्ध है। शहर के अन्य भागों में भूमि का अधिक विकास हुआ है किन्तु छतरमंजिल के आसपास में सरकारी मैदान, सरकारी भवन तथा ऐतिहासिक इमारतें होने के कारण किसी भी प्रकार के विकास की अभी तक संभावना नहीं हो पायी है। साथ-साथ यह भी विचार रखने योग्य है कि जहांगीराबाद पैलेस की भूमि हजरतगंज से बिलकुल मिली हुई है और उस को देखते हुए छत्तरमंजिल के पास की भूमि कुछ दूर एक अलग क्षेत्र में स्थित है।

जहांगीराबाद पैलेस की भूमि फ्री होल्ड थी और ५.२५ रुपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बेची गयी थी। मंकी ब्रिज के पास प्रस्तावित नजूल का भूमि खंड होटल बनाने के लिये केवल ३० वर्ष की लीज पर ही दिया जा सकेगा और उसके पश्चात् दो बार तीस तीस वर्ष के लिये इस लीज का नवीनीकरण भी संभव हो पायेगा। जैसी परम्परा है नवीनीकरण के साथ-साथ भूमि का वार्षिक किराया भी बढ़ाया जायगा। लीज पर दी गई भूमि का मूल्य उतना नहीं हो सकता जितना फ्री होल्ड भूमि का। यह भी विचारणीय है कि सिनेमा बनाने में तो भूमि का अधिकांश भाग भवन के अन्तर्गत तथा उसके संलग्न दूकानों के अन्तर्गत आ जाता है और नियमों के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही भूमि सवारियों इत्यादि के चलने तथा खड़ा करने के लिये छोड़ी जाती है। इसके मुकाबले होटल के सामने तो एक विस्तृत भूमि खंड खाली छोड़ना नितान्त आवश्यक होगा जिसमें घास फूल पत्ती इत्यादि लगायी जा सके और होटल की सुन्दरता को बढ़ाया जा सके। होटल के सामने सड़क इत्यादि भी बनाने के लिये काफी भूमि छोड़नी होगी और प्रस्तावित भूमि खंड में पीछे की ओर होटल का कक्ष बनाना उचित होगा ताकि होटल का भवन सड़क से दूर भी हो और सामने उद्यान होने के कारण उसकी शोभा भी अधिक बढ़ जाय। अन्तिम तथ्य जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि मंकी ब्रिज के पास वाली नजूल भूमि का क्षेत्रफल जहांगीराबाद पैलेस के अहाते में बेची गयी जमीन का दूने से अधिक है। यह सर्वमान्य है कि जितना छोटा भूमिखंड होता है उतना ही उसका मूल्य अधिक होता है और जितना बड़ा भूमि खंड होता है उतना ही उसका मूल्य प्रति वर्गफुट घटता जाता है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त मेरी राय में नजूल की भूमिखंड का प्रस्तावित प्रीमियम ५.२५ × २/३ अर्थात् ३.५० प्रति वर्गफुट उचित होगा। इसके अलावा नजूल के नियमों के अनुसार इस भूमिखंड का वार्षिक किराया भी देय होगा जो भूमि का मूल्य निर्धारित करने के उपरान्त निकाला जा सकता है। श्रीमन्, यह जिलाधीश का पत्र है। हमारे माननीय सदस्य को कुछ यह भी भ्रम है कि पहले से जमीन की बात चल रही थी। तो ऐसी बात नहीं है। अक्तूबर, १९६९ को प्रार्थन-पत्र दिया गया। १३ जनवरी, १९७० को संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई और फिर दोबारा २० जनवरी, १९७० को हुई जिसमें मुख्य सचिव, स्वायत शासन सचिव, वित्त सचिव और पर्यटन सचिव मौजूद थे। उन्होंने यह निर्णय लिया और मंत्रिपरिषद् के लिए एक टिप्पणी तैयार की। २३ जनवरी को

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

मंत्रि-परिषद् की बैठक में उस पर विचार कर निर्णय हुआ और २८ जनवरी को पट्टे की स्वीकृति हुई और २७ मई को पट्टे की रजिस्ट्री हुई। मैं फिर माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी जमीन इस होटल के लिये दी गयी है वह विधिवत् दी गई, उसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि होटल एक ऐसा उद्योग है जिससे हमको लाखों रुपयों की आय होती है। माननीय सदस्य का यह कहना कि लखनऊ में होटल बहुत हैं सत्य है, किन्तु उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसमें बहुत से विदेशी लोग आते हैं जिनके ठहरने के लिये यहां कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। इस लिये इस बात को भी ध्यान में रखते हुए होटल के लिये जमीन देना न्यायोचित है। केन्द्रीय सरकार तो ऐसे होटलों के लिये लोन भी देती है। इसलिये ऐसे होटल के लिये अगर हम कोई सुविधा दें तो अनुचित नहीं है और हमने तो उनके साथ कोई रिआयत भी नहीं की। जो हमने उनको भूमि भी दी है वह नियमानुसार दी है और ११ हजार रुपये जो वार्षिक किराया उनसे लेना था उसको हमने २६ हजार रुपये किया है और यह किराया भी प्रत्येक ३० वर्ष के बाद पट्टे की अवधि बढ़ाने के समय ड्योढ़ा कर दिया जायगा जिसके अनुसार ३० वर्ष के बाद ३९ हजार रुपया और ६० वर्ष के बाद ५७ हजार ५०० रुपया वार्षिक किराया होगा। इसके अलावा जो नजराना होटल के प्रबन्धकों से लिया गया है वह भी उचित जान पड़ता है।

यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि श्री रूपनाथ सिंह यादव जब स्वायत शासन मंत्री थे तो विधि परामर्शी से २२-१२-१९७० को परामर्श लिया था जिसमें उन्होंने यह राय दी थी कि पट्टे के निष्पादित हो जाने के बाद पट्टे की धनराशि बढ़ाना या निरस्त करना उचित नहीं है। ऐडवोकेट जनरल से राय ली गयी, उन्होंने भी यही विचार दिया, अतः उस समय के मुख्य मंत्री श्री टी० एन० सिंह ने उसे मन्त्रि परिषद् में रखना उचित नहीं समझा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार जो भूमि मन्त्रि परिषद् ने दी है वह बिलकुल नियमानुकूल दी है।

माननीय सदस्य को यह भी भ्रम है कि इस पट्टे के समय इधर के बैठने वालों की सरकार या मुख्य मन्त्री थे। मैंने उस दिन इस बात को छिपाया था किन्तु आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं २३ जनवरी, १९७० में मन्त्रि परिषद् का निर्णय श्री चन्द्रभानु गुप्त के मुख्य मन्त्रित्व काल में और तत्कालीन स्वायत शासन मन्त्री श्री मंगला प्रसाद के समय में हुआ था और इसका जिस समय पट्टा लिखा गया था उस समय मुख्य मन्त्री श्री चरणसिंह थे और स्वायत शासन मन्त्री श्री अतीकुर्रहमान थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी कार्य हुआ है इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। हमारा कर्त्तव्य था कि इतने बड़े नगर में एक अच्छे होटल के लिए स्थान देते और केन्द्रीय सरकार जब ऐसे होटलों को सहायता देती है तो हमने भी अगर इसके लिए कुछ सहायता दी वह कोई अनुचित नहीं है और जो किया गया है वह उचित ही हुआ है। माननीय सदस्य को इस पर विश्वास करना चाहिये कि इस कार्य में कहीं भी किसी प्रकार के सन्देह की गुंजायश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस विषय में इतनी व्योरे के साथ जानकारी दे दी गई है कि अब किसी को कोई प्रश्न करने की क्या अब भी इच्छा है?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी सफाई के साथ सब चीजों को प्रस्तुत कर दिया और पिछले मंत्रि मंडल ने इसके लिए काफी प्रयत्न किया लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पूर्व जो मन्त्री थे उन्होंने कोई रिपोर्ट लगाई थी? यदि हां, तो वह क्या थी?

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्रि परिषद् का कोई निर्णय नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आपके पूर्व जो मन्त्री थे जन्होंने यह लिखा था कि इस जमीन की कीमत लगभग १३ लाख रुपया है और इस तरह से उन्होंने पट्टे के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की क्या यह सही है?

श्री उपाध्यक्ष—

उसका जवाब हो गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि यह समाजवाद और गरीबी हटाने का अभियान होटलों में आया है तो फिर मैं क्या पूछूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और ११ बजे कल फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

देवकीनन्दन मित्थल

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ

२६ अगस्त, १९७१।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९४ पर)

प्रतापगढ़ के ग्राम बरहुआ तथा सराय मुरार सिंह में पड़ी डकैती में नामजद अभियुक्तों के पते

१—शौकत पुत्र भुंवर कुरैशी, ग्राम बेलखरी, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

२—हनीफ पुत्र भुंवर कुरैशी, ग्राम बेलखरी, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

३—राम अंजोर सुत कुबेर, ग्राम गडहरी मजरे बरूहुआ भोजपुर, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

४—अंगद सुत राम अजोर, ग्राम गडहरी मजरे बरूहुआ भोजपुर, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

५—छोटे लाल सुत रामअजोर, ग्राम गडहरी, मजरे बरूहुआ भोजपुर थाना कोतवाली, तापगढ़।

६—लल्लू सुत रामअजोर, " " "

७—हबीब, ग्राम बेलखरी, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

८—अंगा, ग्राम बेलखरी, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

९—मुश्ताक, ग्राम बेलखरी, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

१०—महावीर कुर्मी ग्राम उसरापुर, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

११—राम औतार, ग्राम सराय बहेलिया, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९९ पर)

श्री विशेषर पुत्र श्री नन्हू द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को दिये गये प्रार्थना-पत्र की प्रति लिपि

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, बाराबंकी,

प्रतिनिधि—स्वतन्त्र भारत के उत्तर प्रदेश भूखन्ड के गौरवपूर्ण स्वतन्त्र शासन की अभूतपूर्व सरकार।

एवं

जनपद आरक्षी, बाराबंकी।

महोदयजन,

आप शासकों की सेवा में करबद्ध एक दुखी और लोगों द्वारा सताये हुये प्रार्थी की प्रार्थना संक्षिप्त में निम्न है :—

(१) यह कि प्रार्थी का जन्म उस समय भारत में हुआ था जब भारत की गुलामी मिटाने का शांतिपूर्ण युद्ध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका चित्र दर्शनार्थ एवं अनुकरणीय दिखावठी रूप में आप लोग अपने अपने दफ्तरों में लगाये हैं चल रहा था। उस समय होश सम्भालते ही प्रार्थी ने यह स्वप्न देखा था कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जायेंगे और उसी पुण्य भारत भूमि के सपूतों को जिनको देश में विद्वता, सच्चरित्रता और सुशासनशीलता का पदक देश के शासकों द्वारा परीक्षणोपरान्त मिलेगा वह देश की जनता के दुख को अपना दुख समझ कर मिटायेंगे और उनके प्रयत्नों द्वारा देश में अराजकता न्याय और सुचारु कार्यता तत्कालीन संलग्नता के साथ जन सेवा होगी।

(२) यह कि देखने के पश्चात् अब यह देख रहा हूं कि अंग्रेजी समय में चौकीदार जितना सजग होता था उससे हजारों गुना कम आप महानुभाव हैं। यद्यपि उस चौकीदार से लाखों गुना शारीरिक सुख, साधन और सम्मान आप लोगों को उपलब्ध है।

(३) यह कि हृदय विदारक यातनायें जहां इस जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को आप लोगों और आप लोगों के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन पहुंचाई जाती हैं उनमें प्रार्थी की यातनाओं का एक अंश यह भी है कि :—

(क) यह कि प्रार्थी एक ग्रामीण है उसके परिवार में कोई भी ऐसा लफंगा नहीं हुआ जो नेता हो जाता और न ऐसा नीच पैदा हुआ जो सरकारी नौकर होकर इस पुण्य भारत भूमि में राजकीय कर्मचारी होकर नाटकीय षडयन्त्र करता और पवित्र बसुन्धरा को असहनीय बनाता।

(ख) यह कि प्रार्थी निर्दोष होते हुये भी दिनांक २८ जुलाई, १९६९ की एक दुर्घटना में कत्ल का अभियुक्त बनाया गया। चौथे दिन मालूम होने पर प्रार्थी अपनी दोनाली कारतूसी बन्दूक नम्बरी १७३ सोलह और जिसके लिए उसके पास लाइसेन्स नं० ९७५ था, लेकर न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय (जुडीशल) के समक्ष उपस्थित हुआ। और न्यायालय द्वारा हिरासत में लिया गया और बन्दूक मय लाइसेन्स मालखाना में जमा हो गई।

(ग) यह कि प्रार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा गया जो सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात् सत्र न्यायालय भेज दिया गया और उस न्यायालय ने पूर्ण परीक्षण के पश्चात् दिनांक १४ अप्रैल, १९७० को प्रार्थी को सर्वथा निर्दोष घोषित किया और उसको शासन ने भी सम्मानित किया

और कोई अपील करना उपयुक्त नहीं समझा, इस सत्र न्यायालय की परीक्षण संख्या १४, १९७० ई० है।

(घ) यह कि प्रार्थी की उपरोक्त बन्दूक व लाइसेन्स न्यायालय में प्रदर्शित भी नहीं किया गया क्योंकि उपरोक्त आग्नेय अस्त्र से मुकदमा का कोई सम्बन्ध नहीं था।

(ङ) यह कि जुलाई माह के अन्तिम सप्ताह सन् १९७० ई० में प्रार्थी ने श्रीमान, जी की सेवा में एक प्रार्थना-पत्र उक्त बन्दूक व लाइसेन्स की वापसी के लिए दिया परन्तु श्रीमान जी को उस प्रार्थना-पत्र पर दृष्टि डालने का अवकाश न मिला और महाजनों के बकाया टैक्स की तरह वह दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में अवश्य ही चली गई होगी। अन्ततोगत्वा प्रार्थी ने दिनांक १ सितम्बर १९७० को अस्थाई सत्र न्यायाधीश महोदय, के यहां उक्त आशय का प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर छानबीन व पूछतांछ के पश्चात् विद्वान न्यायाधीश ने प्रार्थी को उसकी बन्दूक व लाइसेन्स वापस किये जाने का आदेश देने की कृपा की और वह आदेश उस न्यायालय में दिनांक ३ सितम्बर, १९७० की डाकबही जो संख्या १९३ अंकित है और जिसे श्रीमन, (सर्वश्री रक्षा अधिकारी) कप्तान महोदय बाराबंकी के दफ्तर में प्राप्ति के हस्ताक्षर मौजूद हैं, प्राप्त किया गया है और न्यायालय के उस आदेश की भी अवहेलना की गई है और आज तक प्रार्थी को उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया जबकि प्रार्थी हर महीने में दो बार उसकी जानकारी करने के लिये भारत के स्वतन्त्र स्वाभिमानी नागरिक के नाते उक्त दफ्तर आने पर सर्दी, गर्मी और बरसात को पूर्ण रूप से सहन किया।

(च) यह कि इस परिस्थिति में प्रार्थी को यह आभास होता है कि जिस प्रकार इस जिले के खजाने से एक कानूनगो की सम्पत्ति का अपहरण करके, जिसका इन्द्राज खजाने पर हर कागज में था गायब करके खा गये और उसकी बेवा इस प्रान्त की स्वतन्त्रताभिमानी सरकार की डेहरी पर माथा पटक पटक कर अपने प्राण दे दिये और उसकी कोई सुनवाई न हुई, उसी प्रकार प्रार्थी की बन्दूक को भी इस शासन के इस जनपद के सच्चे भक्त स्तवन्त्रता भिमानी महान्विद्वान और भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च पदक धारक शासक वर्ग ने हजम कर लिया और हाजमा दुरूस्त होने के कारण अभी तक डकार नहीं ली।

(छ) यह कि प्रार्थी की अभिलाषा है कि वह इस धोखे धड़ी से गायब की गई बन्दूक को वैधानिक रूप दें।

अतः उक्त इस रजिस्टरी के अन्दर रखे हुए लिफाफे द्वारा उत्तर देने की कृपा की जाय कि वह कौन अधिकारी हैं जिन्हें ऐसी कम मूल्य वाली वस्तु को हजम करने की आवश्यकता पड़ी जब कि उन्हें लाखों रुपये के मूल्य की जनहित की वस्तुओं को अवैधानिक रूप से हजम करने की आदत पड़ी हुई है, ताकि प्रार्थी गुप्त रूप से उनके नाम उक्त बन्दूक हस्तान्तरित कर दे और प्रार्थी की आत्मा को हमेशा-हमेशा के लिए शांति मिल जाय।

प्रार्थी

विशेशर पुत्र नान्हू,
निवासी ग्राम औलियालालपुर,
थाना सफदरगंज, डा० सफदरगंज,
जिला बाराबंकी।

दिनांक ६-७-७१

प्रतिलिपि सेवा में प्रेषित :—

(१) श्रीमान् राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

(२) ,, मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

(३) ,, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

(४) ,, जिलाधीश, बाराबंकी।

(५) ,, हाकिम परगना तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी।

(६) ,, पुलिस कप्तान, बाराबंकी।

(७) ,, थानाध्यक्ष थाना सफदरगंज, बाराबंकी।

(८) ,, स्थानीय समस्त एम०एल०ए० एवं एम०पी०, बाराबंकी।

(९) ,, पी० पी० मालखाना (कलेक्ट्रेट) बाराबंकी।

(१०) ,, मोहर्रिर मालखाना, बाराबंकी।

(११) ,, अध्यक्ष, जिला बार असोसियेशन, बाराबंकी।

प्रार्थी

(ह०) विशेषर पुत्र नान्हूं उपरोक्त

६—७—७१

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२०७ पर)

सरकार द्वारा अधिगृहीत १२ चीनी मिलों पर बकाये का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	मिल का नाम	मुआवजा (ब्लाक कन्वेन्सेशन)	गन्ना मूल्य का बकाया	श्रमिक देय: मजदूरी	श्रमिक देय: बोनस	श्रमिक देय: योग	सरकारी ऋण	क्रय कर	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	बाराबंकी ..	२५.००	३४.१२	४.७८	०.६९	५.४७	६.६४	४०.६६	
२	बुढ़वल ..	२४.००	५९.९०	३.३०	०.६४	३.९४	..	११.६०	
३	जरवलरोड	१०.००	४७.०६	१.८५	०.७५	२.६०	..	२५.२२	
४	महेश्वरी खेतान..	११.००	२६.०५	२.१५	..	२.१५	४.००	४५.५३	
५	खड्डा ..	८.००	३४.३६	९.७५	.००७	९७.५७	..	३४.०६	स्थगनाधीन १९.३४ सम्मिलत है।
६	सधौतो टांडा	१२.००	२९.४७	०.०९	०.९६८	०.९७७	..	२७.७३	
७	मोहीउद्दीनपुर	१३.५०	४३.२३	..	०.६७	०.६७	..	३२.१०	
८	रामपुर	११८.००	९७.२३	०.०१	०.२७	१.२७	..	४२.२५	
९	अमरोहा	१२.००	५०.०८	०.८९	०.८६	०.९५	..	५९.५२	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१०	बिजनौर		२१.००	२६.७४	१.८७	९.०४	१.९१	..	२७.७९	भूतपूर्व लेखों के ५.३२ सम्मिलित हैं।
११	लक्ष्मीगंज	..	२०.००	३०.९४	०.२५	..	०.२५	..	३९.६३	स्थगनाधीन २६.९४ सम्मिलित है।
१२	भटनी	..	२२.००	२.४४	..	०.१२	०.१२	..	१७.७३	

गन्ना मूल्य और क्रय कर आंकड़े १ जुलाई, १९७१ की स्थिति को दिखाते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२०९ पर)

अलीगढ़ जिले के निम्नलिखित विद्यालयों के अध्यापकों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया:—

बालकों के विद्यालय :—

१—खैर इण्टर कालेज, खैर।

२—रघुनन्दन इन्टर कालेज, छर्रा।

३—अक्रूर इन्टर कालेज, हाथरस।

४—कल्याण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वीरपुरा।

५—मो० एल० आर० एन० सेक्सरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाथरस।

६—शंकरानन्द इन्टर कालेज, बेसवां।

७—राष्ट्रीय शि० कि० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुआर्सी।

८—विक्रम सेवा सदन, पिसावां।

९—चम्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अलीपुर।

१०—जलाली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जलाली।

११—बिहारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पालीमुमीपुर।

१२—बी० सी० झरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाथरस।

१३—गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुरदिलपुर।

बालिका विद्यालय :—

१—सुरजीबाई गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, हाथरस।

२—अमरचन्द कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतरौली।

उपरोक्त विद्यालयों में से रघुनन्दन इन्टर कालेज, छर्रा, कल्याणपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वीरपुरा तथा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुरदिलपुर के संस्थाधिकारियों द्वारा अध्यापकों के हड़ताल करने तथा विद्यालयों में अनुपस्थित रहने के कारण हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया। राष्ट्रीय शि० क० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुआसों की प्रबन्ध समिति ने निर्णय लिया है कि अध्यापकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करके वेतन भुगतान किया जायगा। शेष ९ बालक तथा २ बालिका विद्यालयों में हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान धनाभाव के कारण नहीं हो सका।

२—हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समितियों को यह निर्देश दे दिये गये थे कि हड़ताल में भाग लेने वाले अध्यापकों को हड़ताल की अवधि का अवकाश स्वीकृत करने के प्रश्न पर वे स्वयं निर्णय लेकर वेतन का भुगतान करें, उक्त अवधि के वेतन भुगतान पर जो व्यय प्रबन्ध समितियों द्वारा किया जायगा, उसे मैनेजर्स रिटर्न में अनुमोदित व्यय मान लिया जायगा।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१० पर)

सरकार के हेडक्वार्टर तथा जिलों में सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारी

	सरकार के हेडक्वार्टर पर नियुक्त अधिकारी			जिलों में नियुक्त अधिकारी		
	अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	मनोरंजन तथा बाजीकर सेवा के अधिकारी	अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	मनोरंजन तथा बाजीकर सेवा के अधिकारी
	१	२	३	४	५	६
१—स्थानान्तरित किये गये।	२	१	..	९	४६	..
२—मुअत्तली से बहाल हुये।	१	..	..	..	..	..
३—तरक्की दी गई।	..	१	..	५	११	..
योग	.. ३	२	..	१४	५७	..

नोट—ऊपर संख्या एक के प्रस्तर में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेव के वह दो अधिकारी शामिल नहीं हैं जो भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर प्रदेश में तैनात किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिए तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१९ पर)

कुमायूं तथा उत्तरा खण्ड में रेशम उद्योग के स्थान

	स्थान नर्सरी	फार्म	चौकी रियरिंग सेंटर	आउट पोस्ट
कुमायूं—				
१—नैनीताल	१—पनियाली	१—हल्द्वानी	१—शीशम बाग	१—मुखानी
	२—कमलुआगंज	२—लामापुर	२—कुसुमखोरा	२—बसंतपुर।
		३—जगतपुर	३—ज्योली कोट	३—ज्योलीकोट
		४—ज्योली कोट		
		५—कुसुमखोरा		
२—अल्मोड़ा	१—गरुढ़	१—सोमेश्वर	१—सोमेश्वर	१—सोमेश्वर
			२—गरुढ़	२—गरुढ़
३—टेहरी गढ़वाल				
		१—पडियारगांव	१—भगवतपुर	१—भगवतपुर
४—पौड़ी गढ़वाल				
	१—बिलखत	१—कोटदारा	१—बिलखेत	१—कोटद्वारा
	२—श्रीनगर	२—बिलखेत	२—कलूलघाटी	२—बिलखेत
	३—कोटद्वारा		३—लालधांग	३—कलूलघाटी
			४—श्रीनगर	४—लालधांग
			५—कोटद्वारा।	
उत्तराखंड—				
१—उत्तरकाशी—				
	१—भनौरी	१—नागनी	१—नागनी	१—नागनी
	२—टुन्डा	२—कुश्रा	२—कुश्रा	२—कुश्रा
	३—नौगांव	३—सैन्ज		
	४—नई तला	४—विनगदरा		
	५—कोसी नगनी	५—नारी		
२—पिथौरागढ़—				
	१—जीजराली	१—सिलोली	१—खिलोली	१—पिथौरागढ़
	२—बलमारा	२—डिडीहाट	२—बिन	
	३—नाचनी	३—ज्योल जीवी	३—ज्योल जीवी	
		४—बिन	४—डिडीहाट	
			५—जुजराली	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५
३—चमोली—				
	१—नन्दप्रयाग	१—गोपेश्वर	१—पीपलकोटी	१—चमौली
		२—सियालेन	२—नन्द प्रयाग	
		३—धारकोट		
		४—डूंगर		
		५—नाला		
		६—मेकोटी		
		७—बैरागना		
		८—धागली		
		९—डिब्गतपोल्न (वाल्याकूची)		
		१०—पुरमई		

बलूत पर टसर कार्य के स्थान—

१—मडल	
२—गैरखन	
३—गोपेश्वर	चमौली
४—डिडीहाट	(पिथौरागढ़)
५—कोहानी	(अल्मोड़ा)
६—रामगढ़	(नैनीताल)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२१ पर)

जी० टी० पेपर मिल कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक १२ जुलाई, १९७२ को राज्य श्रम मंत्री जी को दिए गये पत्र में मांगों की सूची

(१) यूनियन के ९ सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को मालिकानों ने बिना आरोप पत्र दिये बिना नोटिस दिये कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी है।

(२) मिल में पुराने मजदूरों को निकाल कर नई भरती की जा रही है।

(३) मिल में प्रतिदिन पुराने मजदूरों की भारी संख्या में छटनी की जा रही है। उक्त अवैधानिक व धांधलीपूर्ण ज्यादतियों को तुरन्त रोक लगावें।

(४) सन् ६७ से २५ प्रतिशत वेतन वृद्धि की जाय।

(५) बोनस कानून लागू किया जाय।

(६) स्थायी आदेश लागू किया जाये।

(७) वेतन क्रम निर्धारित किया जाय।

(८) साप्ताहिक अवकाश व वार्षिक अवकाश एवं त्योहारों की छुट्टी की जाय।

(९) पुराने मजदूरों को स्थायी किया जाय, तथा भविष्य निधि योजना लागू की जाय।

(१०) कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की जाय।

(११) संस्थान में शौचालय, पेशाब घर, स्वच्छ पानी व विश्रामगृह की सुविधा प्रदान की जाय

(१२) एक मील या उस से अधिक दूरी से आने वाले मजदूरों को बस की सुविधा दी जाय

(१३) यूनियन को मायन्ता दी जाय।

संसद प्रदेश सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२४ पर)

दिनांक १-५-१९७१ से १२-७-७१ तक स्थानान्तरित जिला मजिस्ट्रेटों की सूची

	नाम सर्वश्री			जिला मैजिस्ट्रेट
१	एस० बी० एस० जुनेजा	..	..	अलीगढ़
२	बी० के० जोशी	..	..	हमीरपुर
३	एम० सुब्रह्मण्यम	..	..	वाराणसी
४	गंगा राम ..	..	..	उत्तर काशी
५	ऋषि कुमार कौल	..	..	मेरठ
६	आर० एस० माथुर	..	..	देवरिया
७	एम० सी० जोशी	..	..	इटावा
८	कमल पाण्डेय	..	..	मैनपुरी
९	राम चन्द्र टकरू	..	..	गोण्डा
१०	के० एन० धुसिया	..	..	फैजाबाद
११	विलियम मोवे सिंह	..	..	बांदा
१२	गिरीश चन्द्र ..	..	..	फैजाबाद
१३	एन० एम० मजूमदार	..	..	सीतापुर
१४	आर० सी० त्रिपाठी	..	..	गढ़वाल
१५	रमेश चन्द्र ..	..	..	बस्ती
१६	जोती स्वरूप गुप्त	..	..	झांसी
१७	हर स्वरूप शर्मा	..	..	बहराइच
१८	एन० सी० सक्सेना	..	..	टेहरी गढ़वाल
१९	विश्व नाथ प्रसाद	..	..	देहरादून
२०	जगदीश खट्टर	..	..	चमौली
२१	बी० के० गोस्वामी	..	..	नैनी ताल
२२	एस० एन० शुक्ल	..	..	बांदा
२३	मोहिन्दर सिंह	..	..	राय बरेली
२४	श्याम सुन्दर सूरी	..	..	फर्रुखाबाद

उपरोक्त में से निम्नलिखित ६ जिला मैजिस्ट्रेटों के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये :—

१	श्री गंगाराम ..	..	जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर काशी
२	श्री आर० एस० माथुर	..	जिला मैजिस्ट्रेट, देवरिया
३	श्री एम० सी० जोशी	..	जिला मैजिस्ट्रेट, इटावा
४	श्री कमल पाण्डेय	..	जिला मैजिस्ट्रेट, मैनपूरी
५	श्री राम चन्द्रटकरू	..	जिला मैजिस्ट्रेट, गोण्डा
६	श्री विलियम मोवे सिंह	..	जिला मैजिस्ट्रेट, बांदा

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२९ पर)

जिला सीतापुर के थाना तम्बौर पर १-१-७१ से १५-७-७१ तक हुए कत्ल, डकैती, राहजनी और बल्वे के सम्बन्ध में सूचना

संख्या		दर्ज हुई रिपोर्ट	जिन में जांच की गयी	जो चालान हुए	जिसमें अन्तिम रिपोर्ट लगी	जिन में जांच जारी है	वे मामले जो एक्सपैंज हुए
१		२	३	४	५	६	७
कत्ल	..	६	६	१	..	५	..
डकैती	..	८	८	३	..	५	..
राहजनी	..	८	८	२	१	४	१
बल्वे	..	२०	१५	१	१	१३	..

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२४१ पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या १६, १९६०

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १६, १९६० की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में उपधारा (३) निकाल दी जाय।

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में:—

(क) खंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

(५) "मुतवल्ली" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो या तो अलिखित रूप से, अथवा किसी ऐसे विलेख या करण के अन्तर्गत जिससे कोई वक्फ सृजित किया हो या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत 'कोई नायब मुतवल्ली, खादिम, सज्जादानशीन, अमीन या मुतवल्ली के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये किसी मुतवल्ली द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है और, इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के सिवाय, कोई ऐसा व्यक्ति या समिति भी है, जो तत्समय इस रूप में किसी वक्फ सम्पत्ति का प्रबन्ध या प्रशासन कर रही हो,' और

(ख) खंड (११) में, शब्द "वक्फ अलल औलाद" और शब्द "तथा उपयोगवश वक्फ" के बीच में कोष्ठक और शब्द "(उस सीमा तक जहां तक सम्पत्ति उपर्युक्त किसी ऐसे प्रयोजन के लिये समर्पित या अनुदत्त हो)" रख दिये जायें।

धारा ६ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (२) में, खंड (च) निकाल दिया जाय।

धारा ११ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (१) में, खंड (५) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायं।

धारा १२ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (१) में, खंड (४) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायं।

धारा १३ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १३ में, "ऐसे समय के भीतर को नियत किया जाय, सदस्यों को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्तित न करे" के स्थान पर शब्द "जो विद्यमान न हो अथवा ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय सदस्यों को अपेक्षित संख्या में नकर भेजने में असमर्थ हो या असफल रहें" रख दिये जायं।

धारा १९ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (२) में,

(क) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(चच)—(१) वक्फ के उद्देश्यों के अनुकूल किसी वक्फ की अतिरिक्त आय का उपयोग किये जाने का निदेश देना;

(२) यह निदेश देना कि ऐसे वक्फ, जिसके उद्देश्य किसी कारण से स्पष्ट न हो, की आय का किस रीति से उपयोग किया जायगा;

(३) किसी ऐसे मामले में जहां किसी वक्फ का कोई उद्देश्य समाप्त हो जाय अथवा उस उद्देश्य की प्राप्ति संभव न रह जाय, यह निदेश देना कि वक्फ की उतनी आय जो पहले उस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही थी किसी अन्य उद्देश्य के लिये जो निर्दिष्ट किया जाय और जो मूल उद्देश्य के सदृश या यथासंभव उसके सदृश हो, प्रयोग में लाई जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस खंड के अधीन कोई निदेश न दिया जायगा।"

(ख) खंड (ञ) में, शब्द "बैंक" के बाद शब्द "या किसी डाकघर" रख दिये जायें, तथा शब्द "और उसका उपयोग वक्फ के उद्देश्यों के लिये करना" निकाल दिये जायें।

धारा २६ का संशोधन

९—(१) मूल अधिनियम की धारा २६ की उक्त धारा की उपधारा (१) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में शब्द "बोर्ड के सचिव" के पश्चात् शब्द "या बोर्ड के ऐसे अधिकारी, जिसे सचिव सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें," बढ़ा दिये जायें और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"और कार्यवाही या अभिलेख के प्रथम दृष्ट या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार के लिये ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी जिसमें और जहां तक मूल कार्यवाही या अभिलेख, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषय या व्यवहार को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता।"

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें बोर्ड एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (१) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की, अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसी आज्ञा देना आवश्यक न समझें।"

धारा २७ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (२) में, शब्द "नियत किये जायें" के स्थान पर शब्द "समय-समय पर अवधारित किये जायें" रख दिये जायें।

धारा ४८ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा ४८ में खंड (ख) में शब्द "तीन वर्ष से अनधिक किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायें।

१२—मूल अधिनियम की धारा ४९ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

नई धारा ४९-क और ४९-ख का बढ़ाया जाना

"४९-क—ऐसे विलेख या करण में, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वक्फ सृजित किया गया हो, दी गई किसी बात के होते हुए भी, वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति का—वक्फों की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण—

(१) विक्रय, दान, बन्धक या विनिमय; या

(२) कृषि भूमि की दशा में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए, या अकृष्य भूमि या भवन की दशा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये, पट्टे के रूप में; अन्तरण बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना वैध न होगा।

धारा ४९-क का उल्लंघन करके अंतरित वक्फ सम्पत्ति की पुन :— प्राप्ति

४९—ख—(१) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि धारा ३० के अधीन रखे गये वक्फ रजिस्टर में वक्फ, सम्पत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर सम्पत्ति धारा ४९-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना अन्तरित कर दी गई है, तो वह उस कलेक्टर को, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे दिये जाने का अधियाचन कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन अधियाचन प्राप्त होने पर, कलेक्टर ऐसी आज्ञा देगा जिसमें सम्पत्ति पर काबिज व्यक्ति को आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्पत्ति बोर्ड को दे देने का निदेश होगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा—

(क) उस व्यक्ति को, जिसके लिये वह अभिप्रेत हो, देकर, या प्रस्तुत, करके, या उसे डाक द्वारा भेज कर; या,

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले, तो उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान अथवा कारोबार के स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर, या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य अथवा सेवक को देकर, या प्रस्तुत करके, अथवा उसे सम्पत्ति के, जिसके संबंध में वह हो, किसी प्रमुख भाग पर चिपकवा कर;

तामील की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह व्यक्ति, जिस पर आज्ञा तामील की जानी हो, अवयस्क हो, तो उसके अभिभावक पर या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक पर की गई तामील उस अवयस्क पर तामील समझी जायगी।

(४) उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, अपील कर सकता है।

(५) जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील का निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकता है, और किसी ऐसी अपील को वापस लेकर या तो उसका निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के किसी अन्य न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकता है, और प्रत्येक दशा में न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

(६) यदि उपधारा (२) के अधीन दी गई आज्ञा का पालन न किया गया हो और ऐसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत किये बिना अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गई हो, अथवा नियत समय के भीतर प्रस्तुत अपील, यदि कोई हो,

खारिज कर दी गई हो, तो कलेक्टर उस सम्पत्ति का, जिसके संबंध में आज्ञा दी गई हो, कब्जा लेगा जिसके लिए वह ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो, और फिर कब्जा बोर्ड को दे देगा ।

(७) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में कलेक्टर ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये जायें ।"

धारा ५५ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ५५ में, उपधारा (१) में, खण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(१—क) उसने, उचित कारण के बिना, लगातार दो वर्ष तक, धारा ३४ के अधीन देय अंशदान न दिया हो; या"

नयी धारा ५७-क का बढ़ाया जाना

१४—मूल अधिनियम की धारा ५७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

अप्राधिकृत अध्यासियों से वक्फ सम्पत्ति का फिर से कब्जा लेना ।

५७—क—(१) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि धारा ३० के अधीन रखे गये वक्फ के रजिस्टर में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर सम्पत्ति किसी व्यक्ति के अप्राधिकृत अध्यासन में है, तो वह उस कलेक्टर को, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे बोर्ड को दिये जाने का अधियाचन कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी अधियाचन के सम्बन्ध में धारा ४९ 'ख की उपधारा (२), (३), (४), (५), (६) तथा (७) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन किसी अधियाचन के सम्बन्ध में लागू होते हों।"

धारा ५८ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा ५८ शब्द में "अध्याय" के स्थान पर शब्द 'अधिनियम' रख दिया जाय ।

धारा ६३ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा ६३ में, उपधारा (५) में, शब्द "तो बोर्ड या इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली" "से आरम्भ होकर "जिनके कब्जे में वह सम्पत्ति, स्वत्वविलेख या अन्य लेख्य हो," से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"तो बोर्ड आज्ञा द्वारा मुतवल्ली को वक्फ सम्पत्ति और उससे सम्बद्ध स्वत्व-विलेखों या लेख्यों का कब्जा बोर्ड या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी अथवा वक्फ सम्पत्ति के मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या समिति को देने का निदेश दे सकता है, और बोर्ड की आज्ञा उस मुन्सिफ के न्यायालय या यदि कोई मुन्सिफ न हो तो उस सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति स्थित हो या उक्त मुतवल्ली निवास करता हो, भेजी जायगी, और तदुपरान्त न्यायालय आज्ञा को उसी प्रकार निष्पादित करेगा मानों वह उसके द्वारा किसी वाद में दी गयी डिक्री हो ।"

नयी धारा ६९-क का बढ़ाया जाना

१७—मूल अधिनियम की धारा ६५ के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय अनुतोष के लिए वाद आदि पर रोक ।,

"६९—क—बोर्ड द्वारा किसी सिविल न्यायालय में किसी ऐसे अनुतोष के लिये, जो धारा ३९—ख या धारा ५७—क के अधीन कार्यवाहियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी ।"

१८—मूल अधिनियम की धारा ८५ में, उपधारा (२) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पूर्व, निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जाय, अर्थात्— धारा ८५ का संशोधन

"किसी ऐसे वक्फ पर अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, निम्नलिखित अधिनियमितियां भी एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं—

(१) बंगाल चैरिटेबिल एन्डाउमन्ट्स पब्लिक बिल्डिंग्स ऐण्ड एसचीठस रेगुलेशन, १८१०

(२) रिलिजस एन्डाउमेन्ट्स एक्ट, १८६३

(३) चैरिटेबिल एन्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, १८९०

(४) चैरिटेबिल ऐण्ड रिलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, १९२०

१९—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ायी गयी धारा ४९-ख, धारा ५७-क या धारा ६९-क की किसी बात से— संक्रमणकालीन उपबन्ध

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त धाराओं में उल्लिखित किसी अनुतोष के लिये किसी सिविल न्यायालय में बोर्ड द्वारा संस्थित किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई ऐसा वाद या एसी कार्यवाहियां जारी रखी जा सकती हैं मानो यह अधिनियम प्रवर्तित न हुआ हो;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय द्वारा दिये गये किसी निर्णय या डिक्री की वैधता या निष्पादेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० के अधीन राज्य वक्फ बोर्डों के कृत्यों में कुछ कठिनाइयों को दूर करने तथा वक्फ सम्पत्तियों के बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करने क उद्देश्य से उक्त अधिनियम में इस विधेयक द्वारा कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है। मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

(१) वक्फ अधिनियम की धारा २(३) के अनुसार अधिनियम ऐसे वक्फों पर लागू नहीं होता है जिन में वक्फों की आय का ७५ प्रतिशत से अधिक वाकिफों या उनके वंशजों के लिए आरक्षित हो। वाकिफों के बंशजों का लोप होने से अन्य वक्फों के समान वक्फ अलल-औलाद की आय किसी धार्मिक, धर्मशील या पूर्त प्रयोजनों के लिए उपलभ्य हो जाती है। जब तक कि वक्फ बोर्ड में ऐसे वक्फों की रजिस्ट्री न हो उन के अस्तित्व का पता नहीं चलता है। यह प्रस्ताव है कि यह अधिनियम के ऐसे सभी वक्फो अलल-औलाद पर उस सीमा तक लागू किया जाय जहां तक उनकी सम्पत्ति धार्मिक, धर्मशील या पूर्त प्रयोजनों के लिए अर्पित हो।

(२) शब्द 'मुतवल्ली' की परिभाषा का भी इस प्रकार अर्थ विस्तार किया जा रहा है जिससे कि उस के अन्तर्गत ऐसी समितियां भी आ जायं जो मुतवल्ली के रूप में कार्य करती हैं।

(३) द्वारा १९ इसलिए संशोधित की जा रही है जिससे कि राज्य बोर्ड वक्फ की अतिरिक्त आय का उपयोग करने के लिए निदेश दे सकें और जब वक्फ का उद्देश्य समाप्त हो जाय अथवा वह उसकी प्राप्ति न कर सके तो इस सम्बन्ध में समुपयुक्त आज्ञा जारी कर सके।

(४) धारा ४८ के अधीन यदि मुतवल्ली का पद रिक्त हो जाय और बोर्ड को मुतवल्ली नियुक्त करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति न मिले, तो बोर्ड उक्त वक्फ का प्रत्यक्ष प्रबन्ध तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकता है। उक्त अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे कि बोर्ड को वक्फ सम्पत्ति के प्रशासन में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

(५) इस आशय की एक नयी धारा ४९—क बढ़ायी जा रही है कि किसी वक्फ सम्पत्ति की बिक्री करने, बन्धक रखने, अन्तरण या विनिमय करने अथवा कृषि भूमि की दशा में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए और अकृष्य भूमि अथवा भवन की दशा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए उसे पट्टे पर देने के सम्बन्ध में, बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मुतवल्ली वक्फ की सम्पत्तियों का स्वच्छन्दता से निस्तारण न कर सके।

(६) इसी प्रकार धारा ४९—ख बढ़ाने का आशय यह है कि यदि कोई मुतवल्ली बोर्ड को स्वीकृत के बिना किसी रजिस्ट्रीकृत वक्फ की सम्पत्ति का अन्तरण करे तो बोर्ड कलेक्टर को अन्तरिम सम्पत्ति पर कब्जा लेने के लिए अधियाचन कर सके। कलेक्टर उक्त सम्पत्ति पर काबिज व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे ऐसी सम्पत्ति को तीस दिन के भीतर देने के लिए कहा जायगा और यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है।

(७) एक अन्य नयी धारा ५७—क का बढ़ाया जाना इस कारण प्रस्तावित है कि यदि बोर्ड इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने वक्फ की निबन्धित किसी सम्पत्ति पर अनधिकार कब्जा कर लिया है तो वह धारा ४९—ख में उपबन्धित रीति से कलेक्टर को उक्त सम्पत्ति पर फिर से कब्जा पाने के लिये एक अधियाचन भेज सकता है।

(८) धारा ६३ इसलिए संशोधित की जा रही है कि यदि बोर्ड किसी वक्फ की सम्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रबन्ध ले ले अथवा अन्य मुतवल्ली या समिति नियुक्त करे तो वह ऐसी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले सके और बोर्ड की आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिग्री के समान कार्यान्वित की जाय। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बोर्ड को पंच निर्णय प्राप्त करने के लिये अधिकरण के पास जाना पड़ता है। यदि बोर्ड इस बात का निर्णय करने के लिये सक्षम है कि सम्पत्ति का मुतवल्ली किसे होना चाहिये अथवा सम्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रबन्ध किसे देना चाहिये तो उसके निर्णय के निष्पादन के लिये अधिकरण द्वारा पंच निर्णय की व्यवस्था अनावश्यक थी।

उपर्युक्त तथा अन्य छोटे-मोटे संशोधन अधिकांशतः इस विषय पर केन्द्रीय विधायन के तदनुरूप उपबन्धों के समान है।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

महमूद अली खां,
मंत्री वक्फ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२४१ पर)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

कतिपय संशोधनों के साथ उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, १९५२ ई० को पुनः अधिनियमित करने का तथा उसके अनुसरण में किये गये कार्यों को वैध करने का तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

दिनांक ८ अगस्त, १९४६ को अभिलिखित संयुक्त प्रांतीय विधान सभा के संकल्प के अनुसरण में जिसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (जिसे एतद्पश्चात् जमींदारी-विनाश अधिनियम कहा गया है) अन्ततोगत्वा छब्बीस जनवरी, १९५१ को अधिनियमित हुआ;

तथा कतिपय मध्यवर्तियों ने जमींदारी-विनाश अधिनियम की वैधता को चुनौती दी तथा उनकी अपीलों के उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार ने अपना निर्णय प्रख्यापित किया कि आस्थान पहली जुलाई, १९५२ से राज्य में निहित होंगे, किन्तु इस आशंका से कि मध्यवर्ती यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अधीन भू-प्रबन्ध के अपने अधिकारों का उस अल्प अवधि के दौरान दुरुपयोग कर सकते हैं जिसमें वे काबिज रहेंगे, इक्कीस मई, १९५२ के दिन एक विधेयक गजट में प्रकाशित किया जिसके द्वारा कतिपय पट्टों तथा अन्य ऐसे व्यवहारों को वर्जित किया गया, जो मध्यवर्तियों द्वारा विधेयक प्रकाशन तथा निहित होने के दिनांक की अवधि में प्रदत्त अथवा इन्दराज किये जाते;

तथा अन्ततः उक्त विधेयक (तेइस जून, १९५२ को) राज्य विधान मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन अधिनियम १९५२ के रूप में (जिसे तत्पश्चात् संक्रामण अधिनियम कहा गया है) पारित किया गया;

तथा ७ नवम्बर, १९६२ को निर्णीत याचिका संख्या ५९, १९६२ महेंद्र लाल जैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में जो (१९६३) सप्लीमेंट (१) सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस ९१२ में रिपोर्टेड है, उच्चतम न्यायालय ने संक्रामण अधिनियम को उस अधिनियम के अधिनियमन के समय प्रभावी संविधान के अनुच्छेद ३१ के अधिकारातीत ठहराया;

तथा संविधान के अनुच्छेद ३१ तथा ३१-क को चौथे तथा सत्रहवें संशोधनों द्वारा इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि संक्रामण अधिनियम यदि वह उक्त संशोधन के पश्चात् अधिनियमित होता तो वैध और संवैधानिक होता;

तथा जमींदारी-विनाश अधिनियम में परिदर्शित भूमि-संबंधी सुधारों से संबंधित राज्य सरकार की नीति को पूर्णरूपेण प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि संक्रामण अधिनियम को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाय ;

अतएव अब भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५२ ई० का पुनः अधिनियमन

२—उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, १९५२ ई० जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है तेईस जून, १९५२ से एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और धारा ३ से ५ में दिये गये संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है।

धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"(कक) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत ऐसा अपर कलेक्टर या प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये उसके द्वारा अधिकृत हो;

(ककक) "जिला न्यायाधीश का न्यायालय" के अन्तर्गत अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय भी है जिसे धारा ४ के अधीन कोई अपील जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा सौंपी जाय;

(२) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय अर्थात्—

(गग) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;"

धारा ३ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (१) में शब्द "और पट्टेदार" के पश्चात् कोष्ठक तथा शब्द "(चाहे उसे निश्चित दिनांक के पूर्व या उसके पश्चात् ऐसे पट्टे के अनुसरण में या उसकी प्रत्याशा में कब्जा मिला हो)" रख दिये जायें।

नई धारा ४ और ५ का बढ़ाया जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें अर्थात्—

परिणाम तथा प्रक्रिया।

"४—(१) यदि धारा ३ के उपबन्धों के आधार पर किसी भूमि के संबंध में कोई पट्टा या अन्य व्यवहार अवैध कर दिया जाय तो उससे सम्बद्ध भूमि के या ऐसी भूमि पर किन्हीं वृक्षों के संबंध में सभी व्यक्तियों के अधिकार और आभार उपधारा (२) और (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस प्रकार समझे जायेंगे मानों ऐसा पट्टा या अन्य व्यवहार न कभी स्वीकृत किया गया था या न कभी उसकी अनुमति दी गयी थी।

(२) यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा पट्टा दिया गया था अथवा जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, अथवा उसके हित उत्तराधिकारी का ऐसे पट्टे या व्यवहार के अनुसरण में किसी भूमि पर कब्जा (चाहे अन्वयाश्रित या वास्तविक हो जिसमें कृषीय कब्जा भी सम्मिलित है) हो तो इस आधार पर कि उसका किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित अवधि के लिये भूमि पर कब्जा रहा है अथवा यूनाइटेड लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन अनुरक्षित किसी अभिलेख या रजिस्टर में इस प्रकार कब्जा रखने के किसी इन्दराज के आधार पर तत्समय प्रवृत किसी

विधि के अधीन उसके पक्ष में कोई अधिकार प्रोद्भूत हुआ नहीं समक्षा जायगा ।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) में निहित किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके कब्जे में उपर्युक्त ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार के अनुसरण में कोई भूमि हो, ऐसी भूमि के संबंध में किसी लगान, मालगुजारी या अन्य लोक देयों के लिये उसके दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(४) कलेक्टर या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये--

(क) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित भूमि का और उस पर किन्हीं वृक्षों का कब्जा और प्रभार लेना, और ऐसी कार्यवाही करना अथवा करवाना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग करना अथवा प्रयोग करवाना, जो कलेक्टर अथवा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी की राय में आवश्यक हो;

(ख) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित किसी भूमि, वन या अन्य स्थान में प्रवेश करना, और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका सर्वेक्षण करना अथवा उसका माप लेना;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसे प्राधिकारी को, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसे भूमि के संबंध में कोई पुस्तिका, लेखा या अन्य लेखा प्रस्तुत करने और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना देना जो निर्दिष्ट की जाय, की अपेक्षा करना; और

(घ) यदि अपेक्षित पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जायें, तो किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना और ऐसी पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्यों को अभिगृहीत करना और उनका कब्जा लेना; वैध होगा ।

(५) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (४) के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य या आदेश से क्षुब्ध हो, उसके पास आपत्ति कर सकता है जिसमें वह अपने अधिकारों का पूरा ब्योरा देगा और इस बात का अभिवेदन करेगा कि धारा ३ के और उपधारा (१) और (२) के उपबन्ध उक्त भूमि या उसके किसी भाग से सम्बन्ध नहीं रखते, और कलेक्टर सरसरी जांच करने के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा ।

(६) कलेक्टर का निर्णय, उपधारा (७) के अन्तर्गत किसी अपील या पुनरीक्षण के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

(७) उपधारा (४) के अधीन कलेक्टर के प्रत्येक आदेश पर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की जा सकेगी जिसका निर्णय, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

नियम बनाने का अधिकार

५--(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष

जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में अथवा दो या उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिनों की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या संशोधन का उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

नयी धारा ६ और ७ का बढ़ाया जाना

६—इस प्रकार पुनः अधिनियमित मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

धारा ४ में अभिदिष्ट भूमि से वृक्ष गिराने इत्यादि के लिये शास्ति,

"६—कोई व्यक्ति जो किसी वृक्ष को गिराता है, विरान करता है, काट-छांट करता है, चुआता है, ठूंठ बनाता है या जलाता है अथवा उसकी छाल उतारता है या किसी अन्य प्रकार से वृक्ष को क्षति पहुंचाता है अथवा धारा ४ में अभिदिष्ट किसी भूमि को खेती के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ता है, या साफ करता है अथवा किसी वन में अथवा ऐसी भूमि के वृक्षों में आग लगाता है या ऐसे वन के किसी वृक्ष को क्षति पहुंचाता है अथवा पशुओं द्वारा किसी ऐसे वृक्ष को क्षति पहुंचाने देता है, तो ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो तीन वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

निजी जोत के अधीन भूमि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

७—(१) यदि धारा ३ के उपबन्धों के आधार पर किसी पट्टे या अन्य व्यवहार के अवैध हो जाने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति से जिसे ऐसा पट्टा दिया गया हो या जिसे कोई अधिकार प्रदत्त किया गया हो अपने निजी जोत के अधीन धृत किसी भूमि को सौंप देने की अपेक्षा की जाय तो वह उक्त भूमि में से उतनी भूमि को, जो उस व्यक्ति द्वारा धृत किसी अन्य भूमि को शामिल करते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अर्थ में) अधिकतम जोत क्षेत्र से अधिक न हो, इस अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त करने के लिए कलेक्टर को, ऐसे ब्योरों सहित, जो नियत किये जायें, एक आवेदन-पत्र दे सकता है।

(२) तदुपरान्त कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसे वह समस्त संगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जावेंगे, निर्दिष्ट करे, पूर्वोक्त विमुक्ति का आदेश दे सकता है और ऐसे प्रतिकर के लिये जो उसकी राय में उक्त भूमि पर कब्जे से अस्थायी रूप से वंचित होने के लिए दिया जाना चाहिये, तथा उक्त प्रतिकर के उन सभी व्यक्तियों के बीच जो ज्ञात हो या जिनके बारे में यह विश्वास हो कि भूमि में उनका स्वत्व है जिनकी या जिसके दावों की उसे सूचना हो चाहे वे क्रमशः उसके समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में अभिनिर्णय दे सकता है।

(३) कोई भी व्यक्ति (राज्य सरकार सहित) जो उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर के आदेश से विमुक्ति स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में या स्वीकृत विमुक्ति की सीमा सम्बन्ध में, या इस प्रकार विमुक्ति भूमि की निर्दिष्टि के सम्बन्ध में या प्रतिकर की धनराशि या जिसे वह देय हो उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, अथवा स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के बीच उक्त प्रतिकर के विभाजन

के संबंध में क्षुब्ध हो, तो वह आदेश क विरुद्ध, ऐसी समयावधि के भीतर जो नियत की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण पर जारी किये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा ।

(४) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रतिकर संबंधी समस्त कार्यवाहियों के संबंध में यथासंभव लागू होंगे ।"

वधीकरण

७—(१) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी मूल अधिनियम की धारा ३ के उपबन्धों के अनुसरण में, या १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४,६ और २५ के उपबन्धों के अनुसरण में किसी भूमि (या उस पर किसी वृक्ष) के संबंध में इस आधार पर कि मूल अधिनियम की धारा ३ के उपबन्ध वैध तथा प्रभावी थे किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर किया गया या की गई समझी जायगी और सदैव से ही इस प्रकार वैध रूप से किया गया था, की गई समझी जायगी मानो उक्त संशोधन सदव से प्रवृत्त थे ।

(२) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ के अधीन किसी न्यायालय न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश इस प्रकार पुनः अधिनियमित मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने या धारा ४ के अधीन किसी अपराध के लिये अभियोग चलाने में कोई रुकावट नहीं होगी और न ही उसे रुकावट होना समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ से सम्बन्धित वित्तीय ज्ञापन-पत्र

विधेयक के अधिनियमित होने की दशा में जिन मामलों में २१ मई, १९५२ के बाद मध्यवर्तियों द्वारा पट्टे अथवा अन्य व्यवहार किये होंगे और जिनके विषय में उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम १९५१, के अवैधानिक घोषित होने के कारण पट्टेदारों को भूमिधर अथवा सीरदार घोषित किया गया होगा, पट्टों के अधीन उनको मिले अधिकार समाप्त हो जायेंगे। विधेयक के खंड ७ के अधीन ऐसे पट्टेदारों के प्रार्थना-पत्रों पर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत निर्धारित जोत सीमा तक उनकी निजी जोत की भूमि उन्हे लौटाई जा सकती हैं। ऐसी भूमि पर कुछ समय तक के लिये उन्हें कब्जे से वंचित रहना पड़ेगा और इसके लिए प्रतिकर देने का प्राविधान है। प्रदेश में ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होंगे और ऐसी भूमि का कितना क्षेत्रफल होगा इसका अनुमान इस समय लगाना कठिन है। इसलिए प्रतिकर के रूप में देय धनराशि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु क्योंकि ये मामले २१ मई, १९५२ से लेकर ३० जून, १९५२ तक की सीमित अवधि के हैं, अतः यह अनुमान है कि यह धनराशि बहुत अधिक न होगी।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री

विधान परिषद सचिवालय

उद्देश्य तथा कारण

दिनांक ८ अगस्त, १९४६ को अभिलिखित संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के संकल्प के अनुसरण में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० दिनांक २६ जनवरी, १९५१ को अधिनियमित हुआ। परन्तु इसके बाद ही कतिपय मध्यवर्तियों ने उच्च न्यायालय में उक्त अधिनियम की वैधता को चुनौती दी। उनकी अपीलों के उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया कि जमींदारी पहली जुलाई, १९५२ से समाप्त कर दी जायगी। इस आशंका से कि मध्यवर्ती (जमींदार लोग) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के अधीन भू प्रबन्ध के अपने अधिकारों का उस अवधि में जिसमें वे काबिज बने रहेंगे दुरुपयोग कर सकते हैं, राज्य सरकार ने जनहित में यह निर्णय लिया कि २१ मई, १९५२ के बाद किये गये सभी पट्टे व अन्य व्यवहार अवैध समझे जायेंगे और इस उद्देश्य से २३ जून, १९५२ को उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, १९५२ पारित किया गया। देहरादून के एक श्री महेन्द्र लाल जैनी द्वारा इस अधिनियम को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई। दिनांक ७ नवम्बर, १९५२ को निर्णित याचिका संख्या ५९, १९६२, महेन्द्र लाल जैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में जो (१९६३) सप्लीमेन्ट (१) सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ९१२ में रिपोर्टेड है, उच्चतम न्यायालय में उक्त संक्रामण अधिनियम को उस समय प्रभावी संविधान के अनुच्छेद ३१ के प्रतिकूल होने के आधार पर अधिकारातीत ठहराया। बाद में संविधान के अनुच्छेद ३१ तथा ३१-क को चौथे तथा सत्रहवें संशोधनों द्वारा इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियम) अधिनियम, यदि वह उक्त संशोधनों के पश्चात् अधिनियमित होता तो वैध और संवैधानिक होता।

अस्तु, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में परिदर्शित भूमि सम्बन्धी सुधारों से सम्बन्धित राज्य की नीति को पूर्णरूपेण प्रभावी बनाने तथा उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२४६ पर)

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या १२, १९२१

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २, १९२१ की धारा १६—घ का संशोधन

२—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ (जिसे एतद्पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 16—घ में—

(क) उपधारा (४) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और उसके ठीक पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा तथा प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायें, अर्थात्—

"ऐसा आदेश दिये जाने की अवधि प्रथमतः एक वर्ष से अधिक की न होगी : प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था के उचित प्रबन्ध को अनवरत रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार कि उक्त आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि, जिसके अन्तर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे आदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकती है ;";

(ख) उपधारा (५) में निम्नलिखित को उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के रूप में बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।";

(ग) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(५—क) उपधारा (५) के अधीन दिये गये किसी आदेश की अवधि प्रथमतः एक वर्ष से अधिक की न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी संस्था के और ऐसी संस्था की या उसमें निहित सम्पति के उचित प्रबन्ध को अनवरत रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार कि उक्त आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि, जिसके अन्तर्गत उपधारा (५) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे आदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकती है।"

(घ) उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(७) संस्था के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) अथवा संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या संलेख में दी गई किसी बात के असंगत होते हुये भी उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश प्रभावी होगा।"

ाकरण

३—किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा १६—घ के अधीन दिया गया या दिये जाने के लिए तात्पर्यित प्रत्येक आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त धारा के अधीन दिया गया समझा जायेगा और उसका इसी प्रकार निर्वाचन किया जायेगा और वैध तथा प्रभावी समझा जायगा और सदैव से ही वैध तथा प्रभावी समझा जायेगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार, उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिकृत नियंत्रक कार्य करें या करने के लिये तात्पर्यित हों, किया गया कोई कार्य या कोई कार्यवाही विधि के प्राधिकार से किया गया या की गई और सदैव से किया गया या की गई समझी जायगी।

उद्देश्य और कारण

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की धारा १६-घ की उपधारा (४) तथा (५) के अधीन, ऐसी किसी मान्यता प्राप्त संस्था के सम्बन्ध में जिसके कार्यकलापों में कुप्रबन्ध हो अथवा जिसका प्रबन्धाधिकरण जानबूझ कर या लगातार अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असफल रहा हो, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने तथा उसके द्वारा विद्यालय का प्रबन्ध (जिसमें संस्था की भूमि, भवनों, निधियों तथा संस्था की या उसमें निहित अन्य परिसम्पत्तियों का प्रबन्ध भी सम्मिलित हैं) अपने हाथ में लेने की व्यवस्था है। प्राधिकृत नियंत्रक प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा उसका कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल अधिकतम कुल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह आवश्यक समझा गया कि प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की अधिकतम अवधि निर्धारित कर दी जाय। यह भी व्यवस्था करना इष्टकर है कि प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी सम्पत्ति का अन्तरण करने या उसे भारित करने से भी प्रतिरुद्ध किया जाय। कुछ आनुषंगिक संशोधन भी किये जा रहे हैं और कतिपय शंकाओं के उत्पन्न हो जाने के कारण गत कार्यों तथा आदेशों के सम्बन्ध में वैधीकरण की व्यवस्था भी की जा रही है।

तद्नुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

रामजी लाल सहायक,
शिक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९५ एल० ए०—१९७२—८४५।